

Teacher Education-I

MAE-104

Self Learning Material



Directorate of Distance Education

SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

MEERUT-250005

UTTAR PRADESH

विषय-सूची

इकाई (Units)

(CONTENTS)

पृष्ठ संख्या (Page No.)

- | | |
|--|-----|
| 1. शिक्षक शिक्षा की संकल्पना | 1 |
| 2. शिक्षक शिक्षा के अभिकरण | 31 |
| 3. पूर्व-सेवा और इन-सर्विस शिक्षक शिक्षा | 119 |
| 4. शिक्षक व्यावसायिकता | 152 |
| 5. अनुप्रयुक्त शोध और शिक्षक शिक्षा | 191 |

Syllabus

UNIT-I

- ❖ #Concept, Aims and General objectives of Teacher Education
- ❖ #Objectives of Teacher Education at various Levels
- ❖ #Schools of Philosophy, Psychology and their Implications for Teacher Education:
 - ❖ #Behaviorist
 - ❖ #Humanistic
 - ❖ #Constructivist
 - ❖ # System Approach
 - ❖ #Ethics of shaping another Person's Behavior

UNIT-II

- ❖ #History of Teacher Education in West and India: Qualitative and quantitative growth
- ❖ #Reports of National Commissions on Education - (with reference to Teacher Education only)
- ❖ #Reports of International Commissions on Education - (with reference to Teacher Education only)
- ❖ #Agencies of Teacher Education, their functions and role with reference to NCTE, UGC, NAAC, NCERT, SCERT, University Faculty of Education, Academic Staff Colleges, Open Universities.

UNIT-III

- ❖ #Pre-service and In-service Teacher Education: Meaning, rationale, need.
- ❖ #Structure and content of Pre-service and In-service Teacher Education at various levels.
- ❖ #General Components: Theory, Practical activities, Laboratory experiences, Practice Teaching, Field Experiences and Internal assessment: Nature, need, interrelations , constraints and quality management.

UNIT-IV

- ❖ #Contexts of Becoming a Teacher:
 - ❖ #Personal Context
 - ❖ #Teacher Educator's Context
 - ❖ #Client Context
 - ❖ #Research Context
- ❖ #Teacher Professionalism – Roles, Attitudes, Values, Job Satisfaction
- ❖ #Role of Teacher Education in shaping the behavior
- ❖ #Teacher and Professionalizing a Teacher
- ❖ #Role of In service Teacher Education in shaping the teachers behavior and professionalizing a teacher

UNIT-V

- ❖ #Fundamental and applied researches in Teacher Education in India and in other countries
- ❖ #Areas of researches: Teaching Effectiveness, Criteria of admission, Modification of Teacher behaviour, School effectiveness, classroom processes, teacher competencies & Values.

Practicum (any one)

- ❖ #Prepare a tool for observation or measurement of any one field activity like practice teaching, internship etc.
- ❖ #Critical analysis of curriculum of teacher education program at various level.

शिक्षक शिक्षा की संकल्पना

नोट

(Structure)

- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 प्रस्तावना
- 1.3 अध्यापक शिक्षा का अर्थ
- 1.4 अध्यापक शिक्षा- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- 1.5 शिक्षक की अवधारणा
- 1.6 शिक्षक व्यवहार
- 1.7 शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत
- 1.8 शिक्षक व्यवहार सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाएँ
- 1.9 कक्षागत व्यवहार के प्रकार
- 1.10 आधुनिक अध्यापक शिक्षा के आयाम
- 1.11 सारांश
- 1.12 अभ्यास-प्रश्न
- 1.13 संदर्भ पुस्तकें

1.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे-

- अध्यापक शिक्षा के अर्थ से परिचित होंगे;
- अध्यापक शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य से परिचित होंगे;
- प्रभावी और प्रतियोगिता आधारित अध्यापक शिक्षा से परिचित होंगे।

1.2 प्रस्तावना

अध्यापक शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टि या संदर्भ में उपयोगी तथा संसाधन संपन्न व्यक्तित्व के लिए प्रयत्न किया जाता है।

आज अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा अन्तःप्रक्रिया पर शोध कार्यो को अधिक महत्व एवं प्राथमिकता दी जा रही है। कक्षा अन्तःप्रक्रिया को इसलिए महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें

छात्रों की उपलब्धि (Achievement) एक मात्र प्रभावशीलता का मानदण्ड होती है। इस दिशा में शोध कार्यों का नियोजन किया गया है, जिनकी अवधारणा यह है कि सम्पूर्ण व्यवहार परिवर्तन में मानदण्ड की भूमिका ही अहम् होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षक प्रत्यय एवं शिक्षक-व्यवहार का बोध होना चाहिए। इस अध्याय में शिक्षक प्रत्यय, शिक्षक प्रभावशीलता एवं शिक्षक व्यवहार का विवेचन किया गया है।

1.3 अध्यापक शिक्षा का अर्थ

अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है।

प्रशिक्षण (Training) का अर्थ

सन् 1911 में लन्दन में रोजगार विभाग द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण के कठिन शब्दों की सूची में Training शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया और इसकी व्याख्या की गई—

“किसी दिये गये कार्य को उचित ढंग से संपादित करने के लिये किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण (अभिवृत्ति), ज्ञात, कौशल एवम् व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम प्रशिक्षण है।”

ज्ञान (Knowledge) का अर्थ

बूनर ने अनुदेशन तकनीकी में इस पद की व्याख्या इस प्रकार की है। “अध्यापक के लिये उपयोगी तथ्य, प्रत्यय, पद, सिद्धान्त, सामान्यीकरण आदि का सम्मिलित रूप ज्ञान है।” अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिये। उसे अध्यापन की विधियों एवं प्रविधियों तथा उन कारकों का भी ज्ञान होना चाहिये जो अध्यापन को प्रभावित करती हैं। उसके लिये बाल मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के लिये यह जानना आवश्यक है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार ज्ञान का कौन-सा भाग आवश्यक है।

शिक्षा (Education) का अर्थ

वे समस्त क्रियाकलाप शिक्षा को बोध कराते हैं जो जीवन कार्य के लिये आवश्यक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और बोध के विकास से सम्बन्धित हों। शिक्षा का उद्देश्य पूर्व सूचनायुक्त तथा सुसज्जित नागरिकों का विकास करना है। यह केवल व्यक्ति का वैयक्तिक विकास ही नहीं बल्कि कुछ सामान्य प्रकृति के गुणों का भी विकास है जिनकी हर व्यक्ति को उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यकता होती है। कुछ शिक्षा के द्वारा ऐसे गुण भी विकसित किये जाते हैं जिनकी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता होती है और उन्हीं द्वारा वह समायोजित एवम् सामन्जस्ययुक्त जीवन जीता है।

शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसे व्यवसाय विशेष की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति पर बल देती है, जो सामान्य प्रकृति से सम्बन्धित है तथा जिनका उपयोग एक से अधिक व्यवसाय में किया जा सकता है। यह विस्तृत समुदाय एवम् समाज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवहार में सुधार एवम् परिमार्जन पर बल देती है, तथा व्यक्तित्व का विकास करती है। वह ऐसे व्यक्ति का विकास करती है जो अपने वातावरण में रुचि रखता है। शिक्षा ज्ञान, बोध, मूल्य एवम् व्यवहार का विकास करती है जोकि जीवन में सभी क्षेत्रों में आवश्यक होती हैं।

ग्लैसर (1962) ने पिल्सबरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षक शिक्षा की संकल्पना एवं शिक्षा एवम् प्रशिक्षण' में अन्तर किया जा सकता है—

(अ) उद्देश्य की विशिष्टता की मात्रा।

(ब) व्यक्तिगत भेदों की अल्पता एवं अधिकता।

प्रशिक्षण के उद्देश्य अति विशिष्ट होते हैं तथा व्यक्तिगत भेदों को कम करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर शैक्षिक उद्देश्य अति सामान्य होते हैं, और व्यक्तिगत विभेदों को बढ़ावा देते हैं। जब लोगों को शिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य अन्तर बढ़ता है, लेकिन जब प्रशिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य का अन्तर कम होता है। दोनों में अन्तर निम्नलिखित है—

1. **प्रकृति का अन्तर**—शिक्षा जीवन के प्रत्येक कार्य के लिये आवश्यक ज्ञान तथा नैतिक मूल्यों के विकास से सम्बन्धित क्रियाओं पर अधिक बल देती है। प्रशिक्षण किसी कार्य के उचित सम्पादन के लिये आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवम् व्यवहार के विकास पर बल देता है। प्रशिक्षण से व्यवहार एक कार्य से दूसरे कार्य के लिये अलग-अलग होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करते हैं तो हम उस व्यक्ति के कौशलों का विकास करते हैं, जो एक अच्छा अध्यापक होने के लिये आवश्यक है।
2. **उद्देश्य का अन्तर**—शिक्षा का उद्देश्य बच्चों एवम् प्रौढ़ों को ऐसी आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करना है, जो उन्हें उन सामाजिक परम्पराओं एवं विचारों का बोध कराए, जो उस समाज को प्रभावित करते हैं, दूसरी संस्कृतियों तथा प्राकृतिक नियमों का ज्ञान कराये तथा उनमें भाषायी ज्ञान एवं अन्य कौशलों को विकसित कर सके जोकि अधिगम तथा व्यक्तिगत विकास और सृजनात्मकता का आधार है। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यवसाय विशेष में निपुणता प्राप्त करना है, जिसके लिये व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण का सम्बन्ध जन अधिगम से होता है ताकि कार्य का सम्पादन उचित प्रकार से विशिष्टता के साथ किया जा सके।

1.4 अध्यापक शिक्षा— ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

1. प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा—2500 ई. पू. से 500 ई. पू.
2. बुद्धकालीन शिक्षा—500 ई. पू. से 1200 ई.
3. मुस्लिम कालीन शिक्षा—1200 से 1700 ई.
4. ब्रिटिश कालीन शिक्षा—1700 से 1947 तक
5. स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा—1947 से अब तक

1. **प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा (Ancient and Medieval Education)**—इस काल में शिक्षक की व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय सभ्यता के प्रारम्भिक काल में शिक्षा व्यवस्था वेदों से सम्बन्धित थी। समाज के चार वर्णों में से

नोट

केवल ब्राह्मण वर्ग ही समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करता था। वह ज्ञानार्जन तथा ज्ञान प्रदान करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता था। ज्ञान का विस्तार अथवा शिक्षा, छात्र और शिक्षक के मध्य द्विमुखी प्रक्रिया थी।

वैदिक काल में शिक्षा जाति व्यवस्था पर आधारित थी। हर जाति अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित थी। ब्राह्मण शिक्षा देकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस समय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं थी। छात्र अपने गुरु, माता-पिता या अभिभावक के द्वारा ही प्रशिक्षित होते थे। यह एक आनुवंशिक प्रक्रिया थी। शिक्षण कला को शिक्षक अपने परिवार के माध्यम से सीखता था। शिक्षण व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता था।

वैदिक कालीन शिक्षण की विधियाँ तथा प्रविधियाँ सरल थीं। छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध था। डॉ. आर. पी. सिंह के अनुसार इस काल में ब्राह्मण परिवारों में वंशानुक्रम से ही शिक्षण कार्य होता था। यद्यपि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अध्यापक प्रशिक्षण देने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था की गयी थी परन्तु यह सत्य है कि शिक्षक अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। स्पष्ट है कि इस काल में शिक्षक प्रशिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी।

2. **बुद्धकालीन शिक्षा** (Education in Buddha Period)—बुद्धकाल के प्रारम्भ में 2500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक शिक्षण एक वंशानुक्रमित प्रक्रिया थी। इस काल में अध्यापक शिक्षा के महत्त्व को जान लिया गया था। इसी समय यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की ही धरोहर नहीं है अपितु किसी भी वर्ग या समुदाय का कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षणोपरान्त अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था इस काल में शुरू हुई। अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था के द्वारा शिक्षण व्यवसाय विकसित किया गया। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बनी। यह शिक्षा बुद्ध की धर्म शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए थी न कि विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दी गयी थी। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध के धर्म प्रचार के लिए कार्य किया।

दो अवस्थाओं को पार करके भिक्षु अध्यापक स्तर के योग्य माने जाते थे। उन्हें दो अध्यापकों की देख-रेख में जाता था। वे नैतिकता के आचरण तथा धर्म और अनुशासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। वे इन तत्त्वों को केवल सैद्धान्तिक रूप से ही नहीं वरन् जीवनचर्या में भी करते थे, जब तक कि उनके निरीक्षणकर्ता सन्तुष्ट न हो जायें। वे अध्यापक व्यवसाय को अपनाने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र तथा लाइसेन्स प्राप्त कर लेते थे।

बौद्धकालीन प्रशिक्षण विधि और तकनीकी बहुत साधारण थी। प्रशिक्षित भिक्षुओं की विधि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था पर आधारित थी जोकि मोनीटोरियल व्यवस्था कही जाती थी। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था सामने आयी। इस प्रकार शिक्षण एक अच्छे व्यवसाय के रूप में समझा गया।

3. **मुस्लिम कालीन शिक्षा (Education in Muslim Period)**—मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा एक जनकार्य थी। शैक्षिक संस्थायें 'मदरसों' के रूप में थीं। केवल 'मौलवी' ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। शिक्षा धार्मिक थी। मुख्य रूप से 'कुरान' की शिक्षा अलग से दी जाती थी। शिक्षकों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। मौलवी ही मजलिस और मदरसों में अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। कुछ प्रगतिशील अरबी स्कूल भी थे जिनमें अधिक उच्चतर पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती थी। औपचारिक शिक्षा की आवश्यक महसूस नहीं की गयी थी। किसी भी पद की नियुक्ति के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं समझा जाता था। शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षा दूसरी विचाराधाराओं के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती थीं। शिक्षण, औषधि, साहित्य, कला और संगीत विद्वतापूर्ण व्यवसायों के रूप में स्थापित किये गये थे, किन्तु इन व्यवसायों की नियमित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संस्थायें नहीं थीं, न ही उनके महत्त्व को इस काल में पहचाना गया था। अरब तथा भारत के केवल पढ़े-लिखे व्यक्तियों को ही मौलवियों के पद पर नियुक्त किया जाता था। शैक्षिक संस्थाओं में केवल मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति ही मजलिस और मदरसों में पढ़ाने के लिए योग्य समझे जाते थे।
4. **ब्रिटिश कालीन शिक्षा (Education in British Period)**—ब्रिटिश कालीन शैक्षिक व्यवस्था इंग्लैंड की शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार स्थापित की गई। यह शिक्षा की प्रगतिशील व्यवस्था थी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की मोनीटोरियल व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था भारत में अभी नहीं आई थी। जब अंग्रेज आये तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा देना था। भारत में अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम डेनमार्क के मिशनरियों ने सीरामपुर (पश्चिम बंगाल) में एक औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। यह मिशनरीज की व्यक्तिगत संस्था थी। भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह पहला कदम था। इस प्रकार तीन और व्यक्तिगत संस्थायें खोली गईं जिनको नॉर्मल विद्यालय कहा गया। ये मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थीं। इन संस्थाओं में कार्य शुरू होने के बाद सरकार ने इनमें भाग लिया। इस प्रकार के स्कूल पूना और सूरत में भी खोले गये। बाद में अध्यापकों की अधिक आवश्यकता महसूस की गयी और प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। तीन और नॉर्मल संस्थायें आगरा, मेरठ और वाराणसी में स्थापित की गयीं। 1824 में इन संस्थाओं की संख्या बढ़कर 26 पहुँच गयी।

ब्रिटिश काल मे अध्यापक शिक्षा का इतिहास

इतिहास की दृष्टि से ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा को तीन स्तरों में बाँटा जा सकता है—

1. मोनीटोरियल व्यवस्था—1800-1880
2. अध्यापक प्रशिक्षण—1882-1940
3. अध्यापक शिक्षा—1940 से अब तक

1. मोनीटोरियल व्यवस्था

सन् 1800-1880 के प्रारम्भिक ब्रिटिश काल में भारतीय विद्यालयों की व्यवस्था तथा शिक्षा का कोई विस्तार नहीं हुआ था, इसलिये अध्यापक प्रशिक्षण की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस काल में विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया जाता था और अनुशासन पर जोर दिया जाता था। वे अध्यापकों द्वारा निर्देशित किये जाते थे। सन् 1787 में डॉ. ऐन्ड्रयूज बैल ने मद्रास में प्राइमरी स्तर पर इस व्यवस्था को स्थापित किया। इन्हीं स्थानों पर अपरेन्टिसशिप व्यवस्था स्कूलों में भी स्थापित की गयी। इसका प्रयोग कक्षा में अनुशासन को बनाये रखने के लिये किया जाता था।

लैनकास्ट्रीयन व्यवस्था

सन् 1819 में बंगाल के 'कलकत्ता स्कूल समाज' में लैनकास्ट्रीयन व्यवस्था को शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये शुरू किया गया। सर्वप्रथम थामस मुनरो ने सन् 1826 में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में योजनाबद्ध प्रयास किया। सन् 1857 में उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, बनारस और इलाहाबाद में कुछ स्कूलों को स्थापित किया गया। सन् 1954 में अध्यापक प्रशिक्षण के विस्तार के लिये बुद्ध की संस्तुतियाँ प्रस्तावित की गयीं। उस समय 106 नॉर्मल स्कूलों में 4000 छात्राध्यापकों को नामांकित किया गया, इस पर करीब चार लाख रुपयों का खर्च आया। उस समय मद्रास और लाहौर में माध्यमिक स्तर के लिए दो प्रशिक्षण कॉलेज थे। इन प्रशिक्षण कॉलेजों में स्नातक तथा अस्नातक छात्र नामांकित किये जाते थे।

2. अध्यापक प्रशिक्षण 1882-1940)

हर्टॉग कमीशन ने सन् 1882 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया। कुछ नॉर्मल स्कूलों को स्थापित किया गया, परन्तु माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

19वीं शताब्दी के अन्त तक देश में माध्यमिक शिक्षकों के लिये 6 प्रशिक्षण विद्यालय मद्रास, लाहौर, राजमुन्दरी, करसोमा, जबलपुर और इलाहाबाद में थे।

विश्वविद्यालय ऐक्ट 1904 ने माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण विद्यालयों के विकास के लिये संस्तुतियाँ कीं, जिससे प्रशिक्षण कालेज खोले गये। इन विद्यालयों के लिये प्रदर्शन स्कूल खोले गये। सन् 1906 में बम्बई में एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। सन् 1912 में सरकार ने संस्तुति की कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उचित योग्यता प्रमाण-पत्र के अभाव में किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

सन् 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया, जोकि प्रशिक्षण विद्यालयों की समस्याओं को हल करेंगे। इसके परिणामस्वरूप सन् 1921 तक 13 शिक्षा विभागों की स्थापना की गयी।

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण

सन् 1929 में हर्टॉग कमेटी ने प्राइमरी शिक्षा के केन्द्रों के लिये निम्नलिखित संस्तुतियाँ कीं-

1. प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना।

2. अच्छे और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना।
3. रिफ्रेशर कोर्स का प्रावधान करना।
4. प्राइमरी शिक्षा की समस्याओं की खोज करना।

इस समय तक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रशासनिक स्तर इस प्रकार था—

1. स्नातक स्तर (एल. टी.)
2. इन्टर स्तर (सी. टी.)
3. प्राइमरी स्तर (एच. टी. सी.)

सन् 1854 में वुड डिस्पैच ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया। वुड डिस्पैच ने अध्यापक शिक्षा की अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया और अपने विचार दिये, जिनका सन्दर्भ केवल भारत तक ही सीमित था। इस रिपोर्ट के आधार पर अनुदान देने के लिये एक नया सिद्धान्त बनाया गया। अनुदान देने का आधार किसी स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या को माना गया। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग बढ़ी। इससे अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक महत्ता मिली।

सन् 1881-82 में भारत में 106 नॉर्मल स्कूल खोले गये और इन स्कूलों में 38886 छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये सभी संस्थाएँ केवल प्राइमरी अध्यापकों को ही तैयार करती थीं।

सन् 1881 से 1882 तक केवल कुछ प्राथमिक विद्यालय और कुछ माध्यमिक विद्यालय ही खोले गये। इस समय माध्यमिक स्कूलों के लिये अध्यापकों की माँग में वृद्धि हुई। अस्तु माध्यमिक विद्यालयों के लिये भी प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये। सन् 1856 में मद्रास में प्रथम माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित हुआ जोकि राजकीय नॉर्मल स्कूल कहलाया। इसमें प्राइमरी तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। सन् 1880 में लाहौर में इसी के समान माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्थान शुरू हुआ। एस. एन. मुखर्जी के शब्दों में, “इन विद्यालयों में स्नातक तथा अस्नातक को एक ही कक्षा में लिया गया, पाठ्यक्रमों का केवल कुछ भाग ही व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित था अन्यथा पूर्ण पाठ्यक्रम इस पर आधारित था कि शिक्षकों को कक्षा में क्या पढ़ना है? मद्रास का नॉर्मल स्कूल इस समय एक सार्थक कदम था क्योंकि उसमें मॉडल स्कूल की व्यवस्था भी की गयी थी।”

प्रत्येक चार-पाँच वर्ष के अन्तराल के बाद, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार और विकास की संस्तुतियों के साथ एक रिपोर्ट लायी गयी और पूरी व्यवस्था को पुनर्विचारित किया गया, जिसमें शिक्षक के गुण और संख्या के बीच सहसम्बन्ध दिखाया गया।

भारतीय शिक्षा आयोग

सन् 1882 में भारतीय शिक्षा की अनियमितताओं की जाँच के लिये, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जाँच करने के पश्चात् आयोग ने भारतीय शिक्षा में सुधार स्वीकृत किये। आयोग ने अनियमितताओं को दूर करने के निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. जैसे कि स्कूलों का विकास किया जाए वैसे ही प्रशिक्षण संस्थाएँ भी विस्तृत की जानी चाहिये।

नोट

2. शिक्षक प्रशिक्षण की गुणात्मक को बढ़ने के लिये कमीशन ने एक परीक्षा कार्यान्वित करने की सलाह दी जिसमें सैद्धान्तिक और प्रायोगात्मक परीक्षा हो। इसमें उत्तीर्ण होने वाले ही शिक्षक के लिये योग्य माने जाने चाहिये।
3. प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था स्नातकों के लिये अलग और अस्नातकों के लिये अलग होनी चाहिये। अस्नातकों के लिये तथा उच्च स्तर के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिये। इसी प्रकार इनके कार्यक्रम भी भिन्न होने चाहियें। इस सन्दर्भ में **एम.एन. मुखर्जी** लिखते हैं कि, “आयोग कहता है कि अस्नातक तथा स्नातकों को अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को पहचाना जाना चाहिये और इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम के आधार भी अलग-अलग होने चाहियें।”

प्रशिक्षण कॉलेज

19वीं शताब्दी के अन्त में देश में मद्रास, लाहौर, राजामुन्दी, करसियांग, जबलपुर, इलाहाबाद में छह प्रशिक्षण कॉलेज थे। माध्यमिक अध्यापकों के लिये पचास प्रशिक्षण विद्यालय थे। अस्तु अध्यापक शिक्षा के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें अधिक उच्चतर (एडवान्स) बनाया गया।

लार्ड कर्जन ने शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, “यदि विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिये।”

भारत सरकार के सन् 1904 के पुनर्समाधान में शैक्षिक नीति में अध्यापक शिक्षा की समस्या पर बल दिया गया। इसमें घोषणा की गई कि, “यदि उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य बढ़ाना है, यदि विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होने की प्रवृत्ति एवं रटने की प्रवृत्ति घटानी है तो यूरोपीय ज्ञान का प्रसार उपयुक्त विधि के द्वारा किया जाना चाहिये। यह आवश्यक है कि शिक्षकों को शिक्षण की कला में प्रशिक्षित होना चाहिये।”

अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव

देश में अध्यापक प्रशिक्षण के सुधार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गए—

1. शिक्षण संस्थायें अच्छी प्रकार से साधन सम्पन्न हों।
2. स्नातकों के लिये एक वर्षीय विश्वविद्यालयी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिये। अस्नातकों के लिये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिये।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्त होने चाहिये।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों के बीच अलगाव पर ध्यान देना चाहिये।
5. शिक्षण में पाठ्यक्रमों को सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि और प्रायोगात्मक प्रशिक्षण से युक्त होना चाहिये।
6. सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में अभ्यास के लिये विद्यालय जुड़े होने चाहिये।

उपरोक्त संस्तुतियों के परिणाम

1. प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ती गई।

2. स्नातकों के लिये एकवर्षीय डिग्री या डिप्लोमा
3. अभ्यास विद्यालयों को स्थापित किया गया।

सन् 1912 में सरकार की घोषणा इस घोषणा में सन् 1904 की नीति पर बल दिया और कहा गया कि किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक को पढ़ाने के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस घोषणा ने भारत में अध्यापक शिक्षा को दिशा प्रदान की।

नोट

सैडलर आयोग

सन् 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिये संस्तुतियों के लिये सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय की भूमिका पर बल दिया। इस आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ दीं—

1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग की स्थापना हो।
2. शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम. एड.) की उपाधि हो।
3. विश्वविद्यालयों में भौतिक सुविधायें आयात की जायें।
4. शिक्षा को इण्टरमीडिएट स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाये।

इन संस्तुतियों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्य सम्पन्न हुए—

1. अधिकतर विश्वविद्यालयों में स्नातक अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।
2. स्नातक अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कॉलेजों/विभागों की संख्या में वृद्धि की गई।

एक वर्ष पश्चात् ब्रिटिश शिक्षाशास्त्रियों के द्वारा दोबारा शिक्षा व्यवस्था में संशोधन किये गया। हर्टोग कमेटी ने भारतीय शिक्षा पर एक रिपोर्ट दी। इसमें अध्यापक शिक्षा के बारे में संस्तुतियों को भी मूल्यांकित किया गया।

हर्टोग कमेटी

सन् 1929 में हर्टोग कमेटी ने अध्यापकों के सेवाकालीन पुनर्मूल्यांकन के विषय में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दीं। इन संस्तुतियों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्य सम्पन्न हुए—

1. अध्यापकों के लिये रीफ्रेशर्स पाठ्यक्रम (Refresher Course) की व्यवस्था शुरू की गई।
2. कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की शुरुआत की गई।
3. शिक्षा में अनुसंधान डिग्री भी शुरू की गई।
4. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं ने अपनी प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को सुधारा और साधन सम्पन्न किया।
5. अभ्यास विद्यालय भी भली प्रकार से साधन सम्पन्न किये गये।

सन् 1930 में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ

1. प्राइमरी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण स्कूल।

2. माध्यमिक स्कूलों के प्रशिक्षण अध्यापक की नॉर्मल अध्यापक संस्थाएँ। माध्यमिक कक्षाओं को अस्नातकों के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में जाना गया।
3. स्नातकों के लिये प्रशिक्षण संस्थान।

नोट

गाँधी जी का योगदान

भारत में 1937 में एक बहुत महत्वपूर्ण आन्दोलन हुआ। महात्मा गाँधी ने कहा कि जब तक कि व्यक्ति शिक्षित न हों, पूर्ण स्वतन्त्रता का महत्व अनुभव नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया जोकि आत्मबल प्रदान करने वाला और सस्ता था। सन् 1937 में वर्धा में बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित करने की प्रथम संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था पर बल दिया। इस सम्मेलन में अध्यापक-शिक्षा की पद्धति पर विचार-विमर्श किया। यह बल दिया गया कि अध्यापकों को शिक्षा के नये दर्शन और नयी विधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप बेसिक प्रशिक्षण कॉलेज अस्तित्व में आये। इन कॉलेजों में कला और हस्तकला विशेष रूप से पुस्तक कला में प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

उत्तर प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पहली बार बेसिक अध्यापक-प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया। ये अध्यापक विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिये प्रशिक्षित किये गये। इन अध्यापकों के लिये इन बेसिक हस्तकलाओं में निपुणता की आवश्यकता अनुभव की गयी, जैसे कृषि विभाग, गृह विज्ञान इत्यादि। प्रत्येक अध्यापक हस्तकलाओं में से एक में निपुण होना चाहिये। दूसरे विद्यालयों में सुझाये गये विधि और पाठ्यक्रम से इनकी विधियों और पाठ्यक्रम में अन्तर होना चाहिये। प्रत्येक विषय कुछ हस्तकलाओं और जीवन की परिस्थितियों से सह-संबंधित किया जाना चाहिये। छात्रों से यह अपेक्षा की गई कि वे गणित में निपुणता और कताई-बुनाई में कुशलता प्राप्त करें। इसे अध्यापन से सह-संबंधित किया गया।

3. अध्यापक शिक्षा (1940 से अब तक)

सार्जेंट कमीशन सन् 1944 में फिर 'शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजना' को जॉन सार्जेंट का सूत्र माना गया। यह एक विस्तृत योजना थी जोकि सभी स्तरों पर स्वीकृत हुई। इस योजना में शिक्षा के विभिन्न आयोगों पर कई संस्तुतियाँ दी गईं। अध्यापक शिक्षा पर इसने निम्नलिखित संस्तुतियाँ दीं-

1. स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये जो कि कॉलेजों, सरकार या विश्वविद्यालय विभागों द्वारा शुरू हों।
2. विद्यालयी शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार होना चाहिये। आयोग ने संस्तुति दी कि शिक्षक-प्रशिक्षण में भी सुधार होना चाहिये।
3. कमीशन ने तीन प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालयों में खोलने के सुझाव दिये-
 - (i) प्राइमरी स्कूलों के लिये अध्यापक तैयार करने वाले प्रशिक्षण विद्यालय।
 - (ii) प्राइमरी स्तर के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण विद्यालय।
 - (iii) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये जूनियर प्रशिक्षण विद्यालय।

4. इस योजना ने अध्यापकों के लिये रिक्रैशर्स कोर्स की महत्ता पर बल दिया।
5. इस योजना ने यह बतलाया गया कि आने वाले दो-तीन वर्षों में देश को 20 लाख अस्नातक और 1.81 लाख स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता होगी। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है बल्कि वह छात्र के व्यक्तित्व को बनाता है। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं और शिक्षक का यह दायित्व है कि वह अच्छे नागरिकों की उत्पत्ति करे।

नोट

भारत में अध्यापक शिक्षा शब्द का प्रयोग स्वतन्त्रता के पश्चात् किया गया। अध्यापक शिक्षा नामक एक नया प्रत्यय विकसित हुआ। इस प्रत्यय में इस बात पर अधिक बल दिया गया कि अध्यापकों को केवल प्रशिक्षित ही नहीं वरन् शिक्षित ही नहीं वरन् शिक्षित भी होना चाहिये। अध्यापक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अधिक मजबूत और व्यापक रूप उभरकर सामने आये। शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिये एक आयोग का गठन किया गया।

राधाकृष्णन आयोग-सन् 1948 में भारत सरकार ने एक महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सन् 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। यद्यपि यह आयोग मुख्य रूप से विश्वविद्यालयीय शिक्षा से सम्बन्धित था परन्तु इसमें अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में भी कुछ संस्तुतियाँ दी गईं। जब भी निर्धारित कमेटियों ने अध्यापक शिक्षा पर पुनर्विचार किया, प्रत्येक बार यह पाया गया कि अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता है।

स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक देश में नई सरकार को कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सामने कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य प्रकार की समस्याएँ आईं। शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों और स्कूलों की आवश्यकता में वृद्धि हुई। आवश्यक शिक्षा का नया प्रत्यय विकसित हुआ। राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के सन्दर्भ में शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है। यह माना गया कि अध्यापक शिक्षा केवल अध्यापक प्रशिक्षण ही नहीं है, इसमें स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इस माँग को पूरी करने के लिये आयोग ने अधिक प्रशिक्षण कॉलेजों को शुरू करने पर बल दिया। इसके परिणामस्वरूप देश में विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। सन् 1947 में यह अनुमानित किया गया कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 4 लाख थी परन्तु 69% ही अध्यापक उपलब्ध थे। सन् 1947 से पूर्व बी. एड. विभाग कॉलेजों से सम्बन्धित नहीं थे। उस समय तीन केन्द्रों पर बनारस, आगरा और इलाहाबाद में स्नातक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। बहुत से अप्रशिक्षित अध्यापक कम वेतन पर नियुक्त थे। मिडिल स्तर पर केवल 59% अध्यापक (72000) ही प्रशिक्षित थे, शेष सभी अप्रशिक्षित थे। माध्यमिक स्तर पर मुश्किल से 51% (88000) अध्यापक ही प्रशिक्षित थे। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाले केवल 42 प्रशिक्षण कॉलेज थे। माध्यमिक स्कूलों में 59% अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत थे। अस्तु सरकार ने सोचा कि क्यों न व्यक्तिगत कालेजों को ही प्रशिक्षण विद्यालय बना दिया जाये।

नोट

1. अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों को पुनर्प्रारूपित करना चाहिये। सैद्धांतिक शिक्षण की तुलना में प्रयोगात्मक परीक्षा और शिक्षण अभ्यास को अधिक समय दिया जाना चाहिए। शिक्षण कौशलों के अधिक विकास पर बल दिया जाना चाहिये।
2. शिक्षण अभ्यास के लिये उचित स्कूलों का चयन किया जाना चाहिये।
3. प्रशिक्षण कॉलेजों में उन अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जोकि अध्यापन के कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हों।
4. सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों को लचीला और व्यावहारिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिये। इस अयोग ने पाठ्यक्रमों के मानकीकरण को स्वीकार नहीं किया।
5. एम. एड. पाठ्यक्रम के लिये छात्र को एक लम्बा अनुभव होना चाहिये।
6. प्रोफेसर और अध्यापक होने के लिये भारतीय स्तर पर प्रोफेसर और अध्यापक द्वारा स्वयं अनुसन्धान कार्य किया जाना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

सन् 1952 में भारत सरकार ने डॉ. ए. एल. मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। मुदालियर साहब मद्रास विश्वविद्यालय में 13 वर्षों से वाइस चांसलर थे।

मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार की कुंजी अध्यापक है। इसलिये शिक्षक प्रशिक्षण का सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। कमीशन ने प्रशिक्षण कॉलेजों में कार्यदशाओं के सुधार की संस्तुति की तथा अध्यापकों के सामाजिक स्तर को उठाने की कोशिश की। इस आयोग ने अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था में कुछ प्रमुख बदलाव लाने के लिये इस आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दीं—

- (1) अस्नातकों के लिये द्विवर्षीय और स्नातकों के लिये एकवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिये।
- (2) छात्राध्यापक एक या दो पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किये जाने चाहियें।
- (3) छात्राध्यापकों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिये। उन्हें पर्याप्त खाने-पीने और रहने की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें।
- (4) आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया। अल्पकालीन तीव्र पाठ्यक्रम और विशिष्ट पाठ्यक्रमों, वर्कशाप और सेवारत अध्यापकों के लिये गोष्ठियों इत्यादि को आवश्यक रूप से स्वीकार किया गया।
- (5) प्रशिक्षण कॉलेजों को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये अनुसंधान कार्य करने चाहियें।
- (6) एक विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया जिसकी पहली गोष्ठी उस्मानिया विश्वविद्यालय में 1959 में हुई।
- (7) अध्यापकों का प्रशिक्षण केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है। सम्बद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभागों की स्थापना होनी चाहिये।

- (8) प्रशिक्षित स्नातक कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ही एम. एड. में प्रवेश प्राप्त करेंगे।

आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की आधारभूत और लगातार होने वाले कमी, शिक्षितों की कमी और प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों की कमी का ध्यान दिलाया। इनके लिये अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस लक्ष्य को लेकर एन. सी. ई. आर. टी. के तहत सन् 1963 में शिक्षा के 4 क्षेत्रीय कॉलेज देश के 4 क्षेत्रों में स्थापित किये गये। विस्तार सेवा विभाग द्वारा इन कॉलेजों के विकास और अध्यापक शिक्षा के नये कार्यक्रमों के प्रदर्शन की आशा की गयी। इन कॉलेजों द्वारा स्कूल अध्यापकों और अध्यापक शिक्षाशास्त्रियों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किये गये।

नोट

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

सन् 1964 में डॉ. डी. कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दिखाया। इस आयोग ने भारत में शिक्षा व्यवस्था पर अपनी व्यापक रिपोर्ट दी। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये आयोग ने विभिन्न संस्तुतियाँ दीं। इस आयोग ने सर्वप्रथम पूरी शिक्षा व्यवस्था की जाँच की और इसके अन्तर्गत कमियों को पहचानने की कोशिश की। इनकी आलोचना की गयी। इस मूल्यांकन के परिणामस्वरूप निम्न-लिखित निष्कर्ष दिये गए—

- (1) अध्यापक शिक्षा का स्तर निम्न और मध्यम है।
- (2) हर प्रशिक्षण कॉलेज में प्रभावकारी पुरातन छात्र (Alumini) संगठन की स्थापन होनी चाहिये।
- (3) अध्यापक शिक्षा शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग है।
- (4) प्रशिक्षण कॉलेजों में दक्ष स्टाफ नहीं है।
- (5) अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यथार्थवाद की कमी है।
- (6) अध्यापक शिक्षा ऐसे पाठ्यक्रम का शिक्षण नहीं करती है जोकि वास्तविक परिस्थितियों को संस्थाओं का सामना करने के लिये मजबूत बनाये।
- (7) भारत का अध्यापक प्रशिक्षण बहुत ही रूढ़िवादी है, जिसमें कि निश्चित प्रारूप और रूढ़ प्रविधियाँ ही शिक्षण अभ्यास में दोहरायी जाती हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की इन कमियों को दिखाते हुये आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ दीं—

- (1) अध्यापक प्रशिक्षण से शैक्षिक जीवन के अलगाव को हटाया जाये।
- (2) अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार हो।
- (3) अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाया जाये।
- (4) सभी अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को लगातार बनाये रखने के लिये सही तरीके बनाये जायें।
- (5) केन्द्र और प्रान्तों में स्तर बनाये रखने तथा व्यवस्था के लिये उचित प्रकार के साधनों की नियुक्ति हो।

नोट

इस संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गयीं—

- (1) शिक्षाशास्त्र को एक स्वतन्त्र शैक्षिक विषय होना चाहिये और यह बी. ए. और एम. ए. में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिये।
- (2) शिक्षाशास्त्र को स्कूल विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाना चाहिये। शिक्षाशास्त्र के स्कूल का प्रत्यय अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों से कहीं अधिक व्यापक और बड़ा है।
- (3) प्रसार कार्य को प्रशिक्षण कॉलेजों का एक आवश्यक कार्य होना चाहिये जिसके द्वारा सेवारत शिक्षक अपने विषय को पढ़ा सके।
- (4) हर प्रशिक्षण कॉलेज में प्रभावकारी पुरातन छात्र संघ स्थापित किया जाना चाहिये।
- (5) सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का कॉलेज स्तर पर उत्थान होना चाहिये। हमें स्नातकों को सभी स्तरों के स्कूलों के लिये प्रशिक्षण देना चाहिये। उत्थान द्वारा प्रशिक्षण स्कूलों से अलगाव हटेगा।
- (6) हर प्रान्त में योजना के द्वारा शिक्षा के कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिये। कम से कम एक कॉलेज की स्थापना तो हर प्रांत में होनी ही चाहिये।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार

‘गुणात्मक’ अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सार है। इसके न रहने पर अध्यापक शिक्षा न केवल आर्थिक तौर पर बेकार है बल्कि शिक्षा स्तर के सम्पूर्ण स्रोत का हास है। अस्तु अध्यापक शिक्षा के सुधार के लिये निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गयीं—

- (1) प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ के लिये अच्छे प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास पाठ्यक्रम का गठन हो।
- (2) सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जाये जिससे कि शिक्षकों के पाठ्यक्रम संकुचित न हो जायें।

इन संस्तुतियों के परिणामस्वरूप सन् 1963 में क्षेत्रीय कॉलेजों में 4 वर्षों का पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

- (3) परिशोधित शिक्षण की विधियाँ जोकि स्वयं अध्ययन और विचार-विमर्श का व्यापक स्रोत रखती हैं और परिशोधित मूल्यांकन की विधियाँ जोकि प्रयोगात्मक और वर्षीय कार्य का लगातार आन्तरिक मूल्यांकन करती हों, शिक्षण अभ्यास का भी प्रयोग किया जाये।

शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन व्यावस्था दोनों ही अलग-अलग एक दूसरे से बंधी हैं। छात्र वही सीखेगा जो आप मूल्यांकित करना चाहते हैं। व्यक्ति उन्हीं व्यवहारों को सीखता है जो पुरस्कृत होते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार होना चाहिये। इस संस्तुति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय कॉलेजों ने अधिक परिष्कृत मूल्यांकन व्यावस्थाओं जैसे रेटिंग स्केल, सहयोगी मूल्यांकन इत्यादि का विकास किया।

- (4) प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम की जगह एक पूर्व अभ्यास कार्यक्रम भी होना चाहिए, क्योंकि छात्र को उन सभी अध्यापक कार्यक्रमों को देखना या करना होगा जो कि उसके वास्तविक शिक्षक बन जाने पर उसको करने हैं।

- (5) सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों को दोहराया जाये। प्रशिक्षण कॉलेजों का पाठ्यक्रम उत्थान व विकास होना चाहिये। एन. सी. ई. आर. टी. ने सेमीनारों और कार्यशालाओं (Workshop) द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की।
- (6) काम करने के दिनों में वृद्धि करके उन्हें 30 किया जाये। जितने अधिक कार्य के दिन होंगे उतना ही अधिक कार्य सम्पन्न होगा।
- (7) योग्य शैक्षिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हो।
- (8) प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों के लिए, स्नातकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम का विकास हो। प्राथमिक स्कूल का अध्यापक भी प्रशिक्षित होना चाहिए।
- (9) प्रशिक्षण कॉलेज तथा शिक्षा शास्त्र विभाग के कर्मचारी के सेवारत प्रशिक्षण के लिए अवकाशकालीन संस्थाएँ होनी चाहिए जिससे कि नियमित आधार पर उनके ज्ञान का उत्थान हो। यह 30 या 40 दिनों का एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम हो। जो पहले ही सीख चुके हैं उनके लिए यह 20 दिनों तक ही होना चाहिए।
इस संस्तुति के परिणामस्वरूप यू. जी. सी. और एन. सी. ई. आर. टी. ने अवकाशकालीन संस्थाओं का सम्पादन किया।
- (10) छात्राध्यापकों की फीस माफ हो और उन्हें छात्रवृत्ति तथा ऋण उपलब्ध हों।
- (11) प्रयोगात्मक स्कूलों की सुविधाएँ उपलब्ध हों जहाँ कि स्टाफ के लोग सिद्धान्तों की पुष्टि करने के लिए प्रयोग कर सकें। छात्राध्यापक को भी अवसर उपलब्ध हो कि वह एक शिक्षक के तौर पर वह कार्य कर सके जोकि उन्हें प्रशिक्षण कॉलेजों में पढ़ाया गया है।
- (12) विषय में विशेषीकरण (Specialisation) करने के अनुमति उस छात्र को होनी चाहिये जिसने स्नातक पर विषय का अध्ययन किया है।
- (13) प्रशिक्षण कॉलेजों में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छात्रों को ही चयनित किया जाए। किसी भी तृतीय श्रेणी के छात्र को प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला न दिया जाए।
- (14) पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला इत्यादि की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए।

प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास

प्रशिक्षण सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाना चाहिए जिससे कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में कमी आ सके। इसका उद्देश्य यह है कि हर अध्यापक, चाहे वह प्राइमरी का हो या माध्यमिक स्कूल का, उसे या तो नियुक्ति के समय प्रशिक्षित होना चाहिये या फिर नियुक्ति होने के 3 वर्ष के अन्दर उसे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिये। इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिये—

- (1) प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूर्ति के लिये हर प्रान्त को स्वयं अपनी योजना बनानी चाहिये।
- (2) अंशकालीन और पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो क्योंकि नियमित और औपचारिक अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा इतनी अधिक संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता जिससे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।
- (3) प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर होना चाहिये।

- (4) संस्थाओं का आकार बड़ा और योजनाबद्ध आधार से स्थित होना चाहिए।
- (5) प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार होना चाहिये।

नोट

लगातार व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था

- (1) प्रशिक्षण कॉलेजों में सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षा के एक संयोजन कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक को उच्च शिक्षा के योग्य बनाया जा सके।
- (2) माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को सम्बन्धित साधनों के माध्यम से सेवारत प्रशिक्षण देने के लिए अवकाशकालीन संस्थाओं के कार्यक्रम व्यवस्थित और क्रियाशील सहभागिता के साथ बढ़ाने चाहिए।
- (3) व्यावसायिक शिक्षा का कुछ अभिविन्यास उच्च शिक्षा में आवश्यक है।
- (4) नव-नियुक्त प्रवक्ता को संस्थाओं के द्वारा स्वयं को मूल्यांकित करने का कुछ समय प्रदान करना चाहिए। उसे अच्छे अध्यापकों के व्याख्यान सुनने के लिए उत्साहित करना चाहिए।
- (5) नियमित अभिविन्यास कोर्स (Orientation Course) हर विश्वविद्यालय में और जहाँ तक सम्भव हो सके हर कॉलेज में संगठित होने चाहिए।

उचित एजेंसियों का निर्माण

- (1) राष्ट्रीय स्तर पर यू. जी. सी. और प्रान्तीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रान्तीय बोर्ड का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इन संस्तुतियों को कार्यान्वित करे और स्तर को बनाये रखे। कोठारी कमीशन के पश्चात् प्रथम बार व्यावसायिक शिक्षा को यू. जी. सी. द्वारा प्रस्तावित किया गया। इससे पहले अन्य संगठन जैसे-इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि व्यावसायिक शिक्षा का संचालन कर रहे थे।
- (2) यू. जी. सी. को एन. सी. ई. आर. टी. के साथ अध्यापक शिक्षा के लिए एक संयुक्त कमेटी बनानी चाहिये। यह कमेटी भी तत्काल बनायी गयी।
- (3) यू. जी. सी. को पुस्तकालय में सहायता (Aid) देनी चाहिए जिससे अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके।
- (4) शिक्षक शिक्षाशास्त्रियों के लिये प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि वे अनुसंधान करें और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अपना सार्थक योगदान दे सकें।

कोठारी आयोग द्वारा ये संस्तुतियाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दी गयीं। इस आयोग ने बहुत सी संस्तुतियाँ दीं और बहुत अधिक संख्या में इसकी संस्तुतियों को कार्यान्वित किया गया, परन्तु संस्तुतियों के कार्यान्वित होने पर भी अध्यापक शिक्षा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कभी-कभी व्यवस्था को सुधारने के अधिक प्रयास ही व्यवस्था को खराब बनाते हैं।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अध्यापक शिक्षा

भारत में सन् 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारम्भ हुआ। पहली तीन योजनायें 1951 से 1969 तक रहीं। इन योजनाओं के काल में भारत में शिक्षकों का जनसंख्या में से आधी अप्रशिक्षित थी। इन

योजनाओं में इस बात पर बल दिया कि प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। इसलिये इन योजनाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने के प्रयास किए गये जिससे कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में कमी लायी जा सके। सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष रूप से बहुत से कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए।

अध्यापक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा में से दस प्रतिशत अंशदान मिलता है। सन् 1951 से 1967 तक प्रशिक्षण स्कूलों की उपलब्धि दुगुनी हुई और 1966 में तीन गुना हो गयी। साथ ही साथ प्रशिक्षण कॉलेजों की उपलब्धि भी सार्थक रूप से बढ़ी। इन विकासशील प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में सन् 1966 में 29 संस्थान एम. एड. तथा पी-एच. डी. के कोर्स के लिए थे। सितम्बर 1961 में एन. सी. ई. आर. टी. बनी। इसके परिणामस्वरूप अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अधिक प्रभावकारी बना।

एन. सी. ई. आर. टी. तथा एन. सी. टी. ई. के अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए बहुत से नये कार्यक्रम दिये गये।

सन् 1964 तक एन. सी. ई. आर. टी. का अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में कार्य करने का कोई विचार नहीं था। सन् 1964 में एन. सी. ई. आर. टी. ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किये क्योंकि यह विचार किया गया कि शिक्षक गुणात्मकता में सुधार किये बिना स्कूलों में सुधार लाना असम्भव कार्य है।

सन् 1964 में शिक्षा का प्रान्तीय संस्थान और विज्ञान शिक्षा के प्रान्तीय संस्थान स्थापित किये गये। हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उत्थान करने के लिए विज्ञान संस्थान खोले गये।

चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में अध्यापक शिक्षा

सन् 1969 से 1979 तक अध्यापक शिक्षा की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाये गये। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार किसी भी विकासशील क्षेत्र में कोई सार्थक कार्य नहीं कर सकी। प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। साथ ही पिछड़े वर्ग तथा लड़कियों के प्रवेश पर अधिक बल दिया गया। सेवारत कार्यक्रमों और पत्राचार कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया। लगभग 140000 प्राथमिक शिक्षकों और 17600 माध्यमिक शिक्षकों को पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधा दी गयी। कई शिक्षा शास्त्र विभागों और प्रशिक्षण कॉलेजों ने एन. सी. ई. आर. टी. और यू. जी. सी. जैसी संस्थाओं की सहायता से पत्राचार और सेवारत कार्यक्रमों का संगठन किया। हिमाचल विश्वविद्यालय द्वारा बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 3-4 वर्ष पश्चात् जयपुर विश्वविद्यालय ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। दक्षिण विश्वविद्यालय ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया।

सन् 1964-66 में शिक्षा आयोग ने बल दिया कि यदि यह देश आधुनिक लोकतान्त्रिक और साम्यवादी समाज के समान होना चाहता है तो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित किया गया कि पाँचवीं योजना में शिक्षा के कार्यक्रम के विकास के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित होने चाहिए—

- (1) सामाजिक स्थानान्तरण, आर्थिक उन्नति, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय एकता को शक्तिशाली बनाने के लिए अध्यापन व्यवस्था स्थानान्तरण आवश्यक है।
- (2) प्री-स्कूल के विकास का स्वयं प्रेरित करने वाला व्यापक कार्यक्रम विशेष तौर पर केवल पिछड़े हुये सामाजिक समूहों के लिए बनाया जाए।

नोट

- (3) सभी प्रान्तों तथा संयुक्त प्रदेशों में शिक्षाशास्त्र कॉलेज हों।
- (4) उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण हो।
- (5) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्तियों की योजना का विकास हो जिससे कि अच्छे (योग्य) छात्र अच्छे स्कूल और शिक्षा विश्वविद्यालयों को प्राप्त कर सकें।
- (6) तकनीकी शिक्षा का विकास हो।
- (7) राष्ट्रीय सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर प्रस्तावित किया जाये।

सन् 1980-84 में भी अध्यापक शिक्षा के सिद्धान्त तथा प्रयोगात्मकता में कई सार्थक अन्तर नहीं आया और पुराने तरीकें को प्रयोग किया गया।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

वर्तमान समय में देश के सब प्रदेशों में हाईस्कूल स्तर के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है। संस्थानों में से अनेक को सरकार स्वयं चलाती है। कुछ सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से है। सम्बद्ध कॉलेजों में भी बी. एड. विभाग हैं। विश्वविद्यालयों की अपेक्षाकृत इन कॉलेजों में 10 गुना अधिक अध्यापक प्रशिक्षित किये जाते हैं। कुछ ऐसे प्रशिक्षण कॉलेज भी हैं जो विशेष रूप से सरकार स्वयं ही चलाती है। एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा चलाये गए, अजमेर, मैसूर भुवनेश्वर, भोपाल के क्षेत्रीय कॉलेजों में अधिक कार्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक अध्यापकों के लिये जे. टी. सी. और जे. बी. टी. सी. दो प्रकार के प्रशिक्षण कॉलेज हैं। इन कॉलेजों के द्वारा जो अध्यापक प्रशिक्षित किये गये हैं, वे जूनियर हाई स्कूल में कार्य करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक होने चाहियें। क्षेत्रीय कॉलेजों के परिणामस्वरूप प्राथमिक अध्यापकों तथा पूर्व प्राथमिक स्तर के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विशिष्ट विद्यार्थियों के लिये जैसे कि विकलांग बच्चों और मानसिक रूप से अव्यवस्थित बच्चों के लिये क्षेत्रीय कॉलेजों ने कार्यक्रम शुरू किये हैं।

1.5 शिक्षक की अवधारणा

इसकी परिभाषा तीन रूपों में की गई है—

- (1) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Teacher as an Aim-Job),
- (2) शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher as a Skilled-Job), तथा
- (3) शिक्षक एक भूमिका के रूप से (Teacher as a Role-job)।

इनका विवरण निम्नांकित पंक्तियों में किया गया है—

- (1) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Teacher as an Aim-Job)—शिक्षक-व्यवसाय को कुछ लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है; जैसे—एक किसान के व्यवसाय का लक्ष्य होता है—कृषि की विभिन्न क्रियाओं का सम्पादन करना। इसी प्रकार शिक्षक-व्यवसाय में शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य के अनुसार विभिन्न क्रियायें करनी होती हैं। एक डॉक्टर का मुख्य लक्ष्य बीमार को स्वस्थ करने के लिए निदान करना तथा उसके उपचार हेतु दवा

देना होता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि व्यवसाय-लक्ष्य का तात्पर्य शिक्षक के व्यवसाय से होता है।

(2) **शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher as a Skilled-job)**—एक शिक्षक केवल ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता कि वह दूसरों की शिक्षा के लिए ही परिस्थितियों का सृजन करता हो वह अपितु अपने शिक्षण में कार्य-कुशलता एवं दक्षता भी विकसित करता है। इस प्रकार वह व्यक्तियों के कथनों की पुष्टि भी करता है। वह सिखाता ही नहीं अपितु स्वयं भी अभ्यास से व्यवसाय-कौशल को विकसित कर लेता है। अनुभव की परिस्थितियाँ सीखने का मुख्य आधार होती हैं। एक शिक्षक को अनेक कौशलों की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में कोई सामान्य कथन नहीं दिया जा सकता है। इसमें यह भी सम्भव हो सकता है कि शिक्षक अपने छात्रों के अध्ययन में किस प्रकार के शिक्षण कौशल का उपयोग करता है। एक शिक्षक को शिक्षण-कौशल तथा सामाजिक कौशलों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व अपने छात्रों के प्रति ही नहीं होता अपितु प्रशासक के प्रति भी होता है।

नोट

(3) **शिक्षक एक भूमिका के रूप से (Teacher as a Role-job)**—शिक्षक के प्रत्यय को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षण की 'भूमिका-निर्वाह' को व्यवसाय क्यों माना जाता है। एक शिक्षक के अपने उत्तरदायित्व एवं अधिकार होते हैं तथा उसे प्रशासक से भी सम्बन्ध रखने पड़ते हैं। यह अधिकार एवं कर्तव्य ही शिक्षक की भूमिका होती है।

- (i) शिक्षक भूमिका का उपयोग कक्षा-शिक्षण के लिए व्यापक रूप में किया जाता है।
- (ii) शिक्षक भूमिका का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी किया जाता है।
- (iii) शिक्षक भूमिका एक सामाजिक कार्य होता है।
- (iv) शिक्षक भूमिका का उपयोग उत्तरदायित्व एवं अधिकार के निर्वाह के लिए भी किया जाता है।

इस प्रकार की भूमिका में संस्था की क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। इसके अन्तर्गत यह भी स्पष्ट होता है कि समाज और राष्ट्र के प्रति क्या-क्या विशिष्ट कार्य करने हैं?

एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तत्कालीन समाज का बोध होना चाहिए तभी यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा कक्षा-शिक्षण की भूमिका निर्वाह समुचित ढंग से कर सकता है। एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही बोध होना चाहिए। इस संदर्भ में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने शिक्षक की व्यापक परिभाषा इस प्रकार दी है—

A teacher can never truly teach unless, he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his students can only load their minds. He can not quicken them.

—R.N. Tagore

एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता हो। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक ने अपने

विषय का अध्ययन करना समाप्त कर दिया और अपने ज्ञान का आदान-प्रदान भी नहीं करता तब वह अपने छात्रों में जाग्रति नहीं ला सकता है। अपने शिक्षण में मात्र पाठ्यवस्तु को शामिल करके छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल करता है।

नोट

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक जीवन-पर्यन्त छात्र ही रहता है। उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है। उपरोक्त परिभाषा का सारांश है—**दीप से दीप जले।**

शिक्षक को **जॉन लेटिन** से भी सम्बोधित किया जाता है, जिसमें जॉन का अर्थ छात्र तथा लेटिन का अर्थ विषय होता है। इस प्रकार शिक्षक को अपने विषय तथा छात्रों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तभी वह प्रभावशाली या आदर्श शिक्षक माना जा सकता है।

शिक्षक शब्द 'शिक्ष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। आज शिक्षक को प्रबन्धक भी माना जाता है।

ओकशोट ने शिक्षक की चार क्रियाओं का उल्लेख किया है, जो शिक्षक को सामान्य रूप में करनी होती हैं—

- (1) अपने छात्रों तक सूचनाओं का सम्प्रेषण करना,
- (2) विषय सम्बन्धी सूचनाओं का सम्प्रेषण करना,
- (3) सूचनाओं का ज्ञान होना जिसका उसे उपयोग करना है तथा
- (4) विशिष्ट पाठ्यवस्तु के लिये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना।

1.6 शिक्षक व्यवहार

शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न सन्दर्भों में अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह स्कूल की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। शिक्षक की इन सभी क्रियाओं को एक सामान्य वर्ग (शिक्षक व्यवहार) में रखा जा सकता है। परन्तु विभिन्न शोध-प्रबन्धों में शिक्षक व्यवहार से जो तात्पर्य लिया गया है, वह इससे भिन्न है। रेयन्स (1970) के अनुसार, शैक्षिक व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी क्रियाओं तथा व्यवहार से है, जो किसी शिक्षक के करने योग्य मानी जाती है, विशेष रूप से वे क्रियाएँ जो दूसरों के सीखने में निर्देशन एवं मार्गदर्शन से सम्बन्धित है।

म्यूएक्स तथा **स्मिथ** (1964) ने शिक्षक-व्यवहार को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षक-व्यवहार के अन्तर्गत शिक्षक की वह क्रियाएँ आती हैं, जो वह छात्रों के सीखने में उन्नति व वृद्धि करने हेतु विशेष रूप से कक्षा में करता है।

कक्षा में शिक्षण के अन्तर्गत शिक्षक छात्रों का अवलोकन करता है, उनकी भावनाओं की अनुभूति करता है तथा अधिकाधिक समझने का प्रयास करता है, वह विषय-वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा व्याख्या करता है। इन सभी शिक्षण क्रियाओं में भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अतः शिक्षण मुख्यतः एक शाब्दिक व्यवहार होता है। यद्यपि शिक्षक के चेहरे के हाव-भाव, शारीरिक क्रियायें आदि जैसे अशाब्दिक व्यवहार भी कक्षा में होते हैं, परन्तु निरीक्षणों से यह पता चलता है कि कक्षा शिक्षण में शाब्दिक व्यवहार को ही प्रधानता दी जाती है।

1.7 शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत

रेयन्स (1970) ने शिक्षक-व्यवहार की जो परिभाषा दी है उसके दो प्रमुख आधार तत्व (Postulates) हैं—

- (1) **शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार है**—रेयन्स के अनुसार शिक्षक व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार है अर्थात् शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने वाले (शिक्षक) के अतिरिक्त सीखने वाले (छात्र) का उपस्थित होना आवश्यक है, जिसके साथ शिक्षक सम्प्रेषण क्रिया करता है और छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षक छात्र के मध्य व्यवहार पारस्परिक होता है। अतः न केवल शिक्षक ही छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि छात्र भी शिक्षक-व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- (2) **शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक है**—शिक्षक कक्षा में जो कुछ भी करता है, वह सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, जिसमें शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, प्रभावशाली है या प्रभावहीन, इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक का व्यवहार, छात्र उपलब्धि के प्रकार, अपेक्षित शिक्षण-विधियाँ किस सीमा तक उस संस्कृति के मूल्यों के साथ अनुरूपता रखती हैं, जिसमें वह रहता है तथा जिसके लिए वह भावी पीढ़ी को तैयार कर रहा है।

नोट

1.8 शिक्षक व्यवहार सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाएँ

- (1) **शिक्षक व्यवहार**—परिस्थितिजन्य तत्वों तथा शिक्षक की वैयक्तिक विशेषताओं का कार्यकारी रूप है। शिक्षक का व्यवहार जो कुछ भी होता है उस पर बाह्य परिस्थितियों तथा शिक्षक की वैयक्तिक विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है तथा इन दोनों के पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम ही शिक्षक-व्यवहार कहलाता है।

मैकडोनाल्ड (1959) ने शिक्षक-व्यवहार को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया है—

$$\text{शिक्षक व्यवहार} = \frac{\text{शिक्षक संबंधी चर}}{\text{छात्र संबंधी चर}}$$

रेयन्स भी शिक्षक व्यवहार के तीन कारकों पर बल देता है—

- (1) शिक्षक की विशेषताएँ,
- (2) परिस्थिति एवं
- (3) अन्तःक्रिया तथा पारम्परिक निर्भरता।

इस अवधारणा के साथ पुनः कुछ अभ्युदित रेयन्स ने दिये हैं—

1. शिक्षक व्यवहार में विश्वसनीयता होती है।
2. शिक्षक व्यवहार में प्रतिक्रियाओं की संख्या सीमित होती है।
3. शिक्षक व्यवहार निश्चित न होकर सदैव सम्भावित होता है।
4. शिक्षक व्यवहार प्रत्येक शिक्षक की वैयक्तिक विशेषताओं का क्रियात्मक रूप होता है।
5. शिक्षक-व्यवहार अपनी परिस्थितियों की सामान्य विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है।

6. शिक्षक-व्यवहार विशिष्ट परिस्थिति का जिसमें वह घटित होता है का क्रियात्मक रूप है।

(2) शिक्षक-व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है—जब शिक्षक-व्यवहार के अध्ययन की बात सोचते हैं और फिर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि शिक्षक-व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन या तो प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अथवा अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा (जो शिक्षक-व्यवहार से सम्बन्धित है) किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष साधन है—छात्र-व्यवहार का मूल्यांकन, शिक्षक की क्षमता व ज्ञान परीक्षणों का प्रयोग, साक्षात्कार, रुचि, अभिरुचि आदि।

इस अवधारणा के अन्तर्गत भी रेयन्स ने कुछ अभ्युदित माने हैं—

2.1 शिक्षक-व्यवहार में भेद किया जा सकता है।

2.2 शिक्षक-व्यवहार का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक वर्गीकरण संभव है।

2.3 शिक्षक-व्यवहार बाह्य व्यवहार तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है।

1.9 कक्षागत व्यवहार के प्रकार

कक्षा में सामान्य दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं—

- (1) शाब्दिक व्यवहार तथा
- (2) अशाब्दिक व्यवहार।

(1) शाब्दिक व्यवहार (Verbal Behaviour) — कक्षा में जब शिक्षक तथा छात्र बोलकर अपने आदान-प्रदान करते हैं तो इस व्यवहार को शाब्दिक-व्यवहार कहते हैं, इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम मौखिक, लिखित तथा प्रतीकात्मक होता है। शिक्षक अपने शिक्षण में तीन प्रकार के शाब्दिक व्यवहारों का प्रयोग करता है—

1. बौद्धिक क्रियाएँ; जैसे—परिभाषा देना, व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना आदि
2. निर्देशन क्रियाएँ—जिसमें शिक्षक छात्रों को निर्देश देता है, छात्रों को कुछ कराना सिखाया जाता है; जैसे—ट्यूब कैसे पकड़ें? कैसे लिखें? कैसे किसी प्रश्न को हल करें? आदि।
3. वह व्यवहार जो छात्रों पर बौद्धिक या ज्ञानात्मक प्रभाव की अपेक्षा संवेगात्मक तथा भावात्मक प्रभाव अधिक डालता है; जैसे—प्रशंसा, आज्ञा, अस्वीकृति, आलोचना आदि।

शिक्षक का शाब्दिक व्यवहार एक विशेष कक्षा-वातावरण का निर्माण करता है। यह छात्रों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक होने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने वाला या हतोत्साहित करने वाला होता है। शिक्षक छात्रों को कक्षा में किस मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस आधार पर भी शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार (Direct Teacher Behaviour)—प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार वह व्यवहार है, जिसमें शिक्षक कक्षा में अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करता है, छात्रों के विचारों व व्यवहारों की आलोचना करता है, कक्षा में छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का अवसर प्रदान नहीं करता है। इसी सम्बन्ध में कुछ

शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षक को प्रभुत्ववादी कहा है—एण्डरसन (1939) ने प्रभुत्ववादी शिक्षक तथा लिपिट व व्हाइट (1943) ने भी प्रभुत्ववादी शिक्षक नाम से सम्बोधित किया है।

कोगन (1956) के अनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार वाले शिक्षक असामाजिक, अधीर, स्वकेन्द्रित, अग्र, दम्भी, विद्वेषी मनोवृत्ति के होते हैं, वे छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं अपनाते। कुरैशी तथा हुसैन (1972) ने इस प्रकार के शिक्षकों में अनेक विशेषताओं को बताया है—सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में वह छात्रों को भाग लेने से रोकता है, शिक्षण का अधिकांश समय भाषण द्वारा अपने विचार व्यक्त करने में व्यतीत करता है, छात्रों से कार्य कराने में निर्देश व आज्ञा का प्रयोग करता है, सही व्यवहार कराने के लिये छात्रों की आलोचना करता है, स्वयं के व्यवहार का औचित्य निर्धारित करता है, सम्प्रेषण में सामाजिक कुशलता का सर्वथा अभाव रहता है, छात्रों के साथ कार्य करने में रुचि नहीं लेता, कक्षा में औपचारिक रूप से अनुशासन स्थापित किया जाता है, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को कम महत्व देता है।

इस प्रकार के व्यवहार में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता के मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार छात्रों की इच्छा, स्तर, मूल्य, उद्देश्य, निर्णय, कल्याण के लिये कोई स्थान नहीं होता है। परिणामस्वरूप छात्रों के विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में बाधा उपस्थित होती है। एण्डरसन (1939) के अनुसार अधिक प्रभुत्ववादी शिक्षक के छात्रों में शिक्षक-प्रभुत्व के प्रति विरोधी व्यवहार की आवृत्ति अधिक होती है।

(ख) अप्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार (Indirect Verbal Behaviour)—जब शिक्षक छात्रों को कार्य करने की, उन्हें विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो इस प्रकार के व्यवहार को अप्रत्यक्ष व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। शिक्षक छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है तथा उनका स्पष्टीकरण करता है। वह अपने विचारों को मानने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं करता। फ्लैण्डर्स इस प्रकार के व्यवहार को अप्रत्यक्ष (Indirect behaviour) तथा एण्डरसन समन्वय व्यवहार (Democratic behaviour) कहते हैं। इसी प्रकार लिपिट व व्हाइट के व्यवहार को प्रजातांत्रिक व्यवहार (छात्र-केन्द्रित) कहते हैं।

कक्षा में शिक्षक कम बोलता है और छात्रों को बोलने का अधिक अवसर प्रदान करता है। छात्रों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने का प्रयास करता है। ऐसा शिक्षक प्रश्न अधिक पूछता है, जिससे छात्र अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में क्रियाशील रहने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कोगन (1958) ने अपने अध्ययन के आधार पर अप्रत्यक्ष व्यवहार वाले शिक्षक को सहायक, अच्छे स्वभाव वाला, मैत्री भाव वाला, विश्वस्त, धैर्यशाली, प्रसन्नचित्त तथा सलाहकारी बताया है।

कुरैशी एवं हुसैन (1972) ने अप्रत्यक्ष व्यवहार वाले शिक्षक की अनेक विशेषताएँ बताई हैं; जैसे—सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए

नोट

प्रोत्साहित करता है, स्वयं कम बोलता है तथा छात्रों को स्वयं अनुभव का अधिक अवसर प्रदान करता है, अध्ययन-अध्यापन की योजना बनाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त करता है, कक्षा में अधिक प्रश्न पूछता है, छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करता है तथा अधिकाधिक प्रोत्साहित करता है, छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है। उन्हें महत्व देता है, आलोचना या दण्ड का कोई स्थान इसमें नहीं होता है, छात्रों की इच्छा व आवश्यकतानुसार शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन सम्भव है। अतः लचीलापन रहता है, तनाव को कम करने के लिए कक्षा में हास्य-विनोद का सहारा भी लिया जाता है, छात्रों की समस्याओं को समझने व हल करने का प्रयास करता है तथा कक्षा में सजीव वातावरण बना रहता है।

(2) **अशाब्दिक व्यवहार (Non-Verbal Behaviour)** शिक्षण सम्बन्धी अधिकांश क्रियाएँ शाब्दिक आदान-प्रदान द्वारा ही सम्पन्न की जाती हैं तथापि कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार भी होता है, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशाब्दिक व्यवहार वह व्यवहार है, जिसमें छात्र तथा शिक्षक के मध्य बोलकर भावों व विचारों का सम्प्रेषण नहीं होता है अपितु हाव-भाव तथा संकेत के द्वारा होता है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक का सिर हिलाना, छात्रों को बोलने से रोकने के लिए अंगुली का प्रयोग, मुस्कराना, भ्रूभंग करना आदि सभी क्रियाएँ छात्रों को शिक्षक के विचारों व भावों से अवगत कराती हैं। किसी छात्र के गलत काम पर शिक्षक यदि क्रोध से लाल-पीला होकर उसकी ओर देखता है, तो निश्चित ही छात्र समझ जाता है कि उसे यह काम नहीं करना चाहिए। किसी छात्र द्वारा कार्य किये जाने पर शिक्षक यदि चेहरे पर प्रसन्नता लाता है, तनाव को कम करता है और सिर हिलाता है तो छात्र उस प्रकार से कार्य करने को अधिक प्रोत्साहित होता है। उस प्रकार हाव-भाव व संकेतों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान ही अशाब्दिक व्यवहार कहलाता है।

अशाब्दिक संकेत शाब्दिक व्यवहार व कथन को शक्ति प्रदान करते हैं। इन संकेतों का प्रभाव छात्रों पर गहरा पड़ता है। कभी-कभी औपचारिक शिक्षा तथा शिक्षक के कक्षा में कहे गये शाब्दिक कथनों की अपेक्षा अशाब्दिक तत्व अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और छात्रों पर अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं।

कक्षा में शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता होने के कारण तथा उसका अध्ययन विश्वसनीय ढंग से करने में समर्थ होने के कारण ही कक्षा-व्यवहार सम्बन्धी अधिकांश अध्ययन शाब्दिक व्यवहारों पर ही हुए हैं, अशाब्दिक व्यवहारों पर नहीं। शुद्ध रूप में कक्षा में अशाब्दिक भाव प्रदर्शन शाब्दिक व्यवहार की अपेक्षा बहुत कम होता है।

1.10 आधुनिक अध्यापक शिक्षा के आयाम

अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में प्रमुख दो आयामों का अनुसरण किया जाता है। वे आयाम इस प्रकार हैं—

1. **स्वामित्व शिक्षक का प्रतिमान (Model The Master Teacher)**—अध्यापक-शिक्षा में अनेक आयामों को विकसित किया गया है। ई. स्टोन (1992) ने अपनी पुस्तक 'टीचिंग प्रैक्टिस' में उपरोक्त प्रतिमानों को दिया है। उनमें से एक प्रतिमान को 'प्रवीण-शिक्षक का प्रतिमान' भी कहते हैं। इस प्रतिमान का **स्टोलुरो** (1965) ने भी उल्लेख किया था। यह शिल्पकार

की कृतियों से लिया गया है। प्रवीण-शिक्षक का तात्पर्य एक प्रवीण शिल्पकार की भाँति है। छात्र-शिक्षण का कार्यक्रम निरीक्षण, अभ्यास एवं सीमाओं पर आधारित होता है।

इस आयाम के पक्ष में प्रभावशीलता के तर्क दिये गये हैं। यह तर्क अधिक सरल एवं सामान्य हैं। “यदि आप एक प्रभावशाली शिक्षक बनना चाहते हैं, तब वह सभी कार्य कीजिए, जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है।” इस कथन को पीटर्स ने सन् 1966 में दिया था। इस आयाम के पक्ष में सामान्य एवं विशिष्ट तर्क दिये जाते हैं। एक आकलन के आधार पर यह कहा जाता है कि शिक्षण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एक शिक्षक स्वयं के लिये क्रियायें करता है।

इस प्रतिमान के विपक्ष में भी तर्क दिये जाते हैं, जो सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक भी हैं। एक प्रवीण-शिक्षक सीमित कौशल, अभिवृत्तियों एवं व्यक्तिगत गुणों का ही विकास करता है। इस आयाम में व्यक्तिगत गुणों को महत्व नहीं दिया जाता है। सामान्य रूप से प्रवीण शिक्षक छात्रों को शिक्षक व्यवहार का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें पारस्परिक सम्बन्ध प्रभावशाली होते हैं, जबकि शिक्षक के व्यवहार की प्रभावशीलता कक्षा की छोटी-छोटी क्रियाओं पर आधारित होती है। जब छात्र अध्यापक उन क्रियाओं का अनुभव करता है, तब उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं अपितु हानिकारक होता है। इस आयाम की अन्य सीमा यह है कि छात्र-अध्यापक प्रवीण-शिक्षक के व्यवहार के अनुकरण तक ही सीमित रहता है। उससे परे उसे व्यवहारों का अवसर नहीं प्रदान किया जाता है। इसलिए शिक्षक संस्थाओं ने प्रवीण शिक्षण प्रतिमान का उपयोग नहीं किया है और न ही प्रवीण शिक्षक की पहिचान की है। इसका कारण यह भी है कि अनेक विषयों के प्रवीण शिक्षक मिलना कठिन है जहाँ उनके उपयोग की आवश्यकता है।

अन्त में, यह कह सकते हैं कि यह आयाम शिक्षकों के पक्ष में परन्तु छात्र-अध्यापकों के लिए व्यावहारिक तथा उपयोगी नहीं है। परम्परागत रूप में प्रवीण शिक्षक की चर्चा करना उत्तम है परन्तु उसका क्रियान्वयन कठिन है। प्रवीण शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण तो किया जा सकता है परन्तु विश्लेषण करना कठिन है। शिक्षण की प्रक्रिया विश्लेषण में अनेक तत्व सम्मिलित हैं—शाब्दिक व्यवहार, शिक्षण कौशल, सामाजिक कौशल, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, शिक्षक विधि प्रविधियाँ, सहायक सामग्री अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ, निदानात्मक एवं सुधार शिक्षण, शिक्षण की सहायक प्रविधियाँ आदि।

2. **स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान (प्रक्रिया का स्वरूप)** (Master the Teacher Model [Process Modelling])—शिक्षण-व्यवहार का दूसरा आयाम प्रवीण शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। इस प्रतिमान का महत्व शिक्षण समस्याओं के समाधान से अधिक है। इस शिक्षण प्रतिमान का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है परन्तु इसको एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों का विकास शिक्षण व्यवहार पर किया जाता है। इस विश्लेषण में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों, छात्रों की योग्यता तथा प्रक्रिया जिसके द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों को विकसित किया गया है। इन्हें विकसित करने के अनेक कारण हैं।

प्रतिरूपण की उपयोगिता (Implication of Modelling)—**स्टोलुगो** (1965) के अनुसार प्रतिमान का विकास किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु समुच्चय तत्वों का चयन

किया जाता है। छात्रों को सिखाने के लिये शिक्षक की क्रियाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों का उपयोग किया जाता है। एक प्रतिमान का सुनिश्चित लक्ष्य होता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सभी का विश्वास है कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत विविध प्रकार के घटकों का प्रभाव होता है, जिसका आकलन छात्र के व्यवहार परिवर्तन के आधार पर किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जाना चाहिए, जिससे दो कार्यों का सम्पादन होता हो—

प्रथम कार्य—शिक्षण में निहित समुच्चय घटकों में सह-सम्बन्ध स्थापित करें।

द्वितीय कार्य—त्रुटि सुधार के लिये भी अवसर देना चाहिए। एक शिक्षक को इन समुच्चय तत्वों का कहाँ तक उपयोग अपने शिक्षण में करता है और कहाँ तक व्याख्यात्मक क्षमता को विकसित कर सकता है। इनकी निरन्तरता एवं वर्गीकरण में वृद्धि की जा सकती है।

शिक्षण प्रतिमान के विकास की अवस्थाएँ (Stage in Developing a Teacher Model)

—एक शिक्षण प्रतिमान के विकसित करने की मूल अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

प्रथम अवस्था—शिक्षक-व्यवहार का सैद्धान्तिक विश्लेषण शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से करना।

द्वितीय अवस्था—शिक्षण उद्देश्यों के लिये छात्रों के आरम्भिक ज्ञान एवं कौशल का निर्धारण करना होता है। तृतीय अवस्था—शिक्षण प्रक्रिया में सम्भावित घटकों की अन्तःक्रिया जो छात्रों के सीखने में सहायक होगी तथा पृष्ठपोषण भी प्रदान करेगी।

चतुर्थ अवस्था—प्रतिमान के लिये प्रत्यात्मक प्रारूप विकसित किया जाता है, जिसमें शिक्षण घटकों में स्पष्ट सह-सम्बन्ध दिया जाता है।

पंचम अवस्था—प्रतिमान को एक पाठ-योजना के रूप में परिभाषित क्रमबद्ध रूप में प्रक्रिया का नियोजन किया जाता है।

षष्ठम अवस्था—प्रतिमान की कार्यशीलता का आकलन किया जाता है, जिससे उसकी वैधता का बोध होता है कि इस प्रतिमान से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रतिमानों को विकसित किया गया है तथा उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा चुका है। एक शिक्षक छात्रों के व्यवहार को ही नहीं प्रभावित करता है अपितु वह छात्रों के व्यवहार से प्रभावित भी होता है। एक शिक्षक निरन्तर छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधार करता है। इस प्रकार अनुदेशनात्मक व्यवहार में क्रमशः तीन क्रियाएँ—निरीक्षण, निदान तथा तदनुकूल क्रियाएँ करना। कक्षा-शिक्षण की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के चार पक्ष/अवस्थाएँ होती हैं—

1. शिक्षण का नियोजन करना,
2. आरम्भिक शिक्षक-व्यवहार,
3. शिक्षक निरीक्षण, अर्थापन तथा छात्रों के व्यवहार का निदान करना,
4. प्रभावित करने वाला शिक्षक व्यवहार या जिस शिक्षक व्यवहार ने प्रभावित किया।

प्रवीण—शिक्षण प्रतिमान के आयाम के प्रयोग से अनुभव किया गया कि इसके अन्तर्गत सिद्धान्त एवं अभ्यास को समन्वित किया है। सिद्धांत एवं अभ्यास का समन्वय अमूर्त तथा आकस्मिक नहीं है

अपितु निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इस आयाम में शुद्धता भी अधिक है तथा प्रभावशीलता भी है। यह आयाम छात्रों के व्यक्तित्व, अभिवृत्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं के विकास में सार्थक सहायता प्रदान करता है। इस आयाम के अन्तर्गत अनेक घटक होते हैं। इसलिए इसका सैद्धान्तिक पक्ष भी प्रबल होता है। इससे एक व्यक्तिगत शिक्षण का ढंग विकसित किया जा सकता है।

प्रवीण शिक्षण प्रतिमान का उपयोग व्यावहारिक विज्ञान के शिक्षण में अधिक किया जाता है क्योंकि शिक्षण को सामाजिक तथ्य मानते हैं। शिक्षक के अध्ययन में वैज्ञानिक निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जाने लगा है। शिक्षण व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन पृष्ठपोषण की प्रविधियों से किया जाने लगा है।

नोट

1.11 सारांश

वे समस्त क्रियाकलाप शिक्षा को बोध कराते हैं जो जीवन कार्य के लिये आवश्यक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और बोध के विकास से सम्बन्धित हों। शिक्षा का उद्देश्य पूर्व सूचनायुक्त तथा सुसज्जित नागरिकों का विकास करना है।

अध्यापक शिक्षा—ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य—भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

1. प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा—2500 ई. पू. से 500 ई. पू.
2. बुद्धकालीन शिक्षा—500 ई. पू. से 1200 ई.
3. मुस्लिम कालीन शिक्षा—1200 से 1700 ई.
4. ब्रिटिश कालीन शिक्षा—1700 से 1947 तक
5. स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा—1947 से अब तक

प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा—वैदिक काल में शिक्षा जाति व्यवस्था पर आधारित थी। हर जाति अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित थी। ब्राह्मण शिक्षा देकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस समय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं थी। छात्र अपने गुरु, माता-पिता या अभिभावक के द्वारा ही प्रशिक्षित होते थे। यह एक आनुवंशिक प्रक्रिया थी।

ब्रिटिश कालीन शैक्षिक व्यवस्था इंग्लैंड की शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार स्थापित की गई। यह शिक्षा की प्रगतिशील व्यवस्था थी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की मोनीटोरियल व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था भारत में अभी नहीं आई थी। जब अंग्रेज आये तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा देना था। भारत में अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम डेनमार्क के मिशनरियों ने सीरामपुर (पश्चिम बंगाल) में एक औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। यह मिशनरीज की व्यक्तिगत संस्था थी। भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह पहला कदम था।

सन् 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिये संस्तुतियों के लिये सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय की भूमिका पर बल दिया। भारत में 1937 में एक बहुत महत्वपूर्ण आन्दोलन हुआ।

महात्मा गाँधी ने कहा कि जब तक कि व्यक्ति शिक्षित न हों, पूर्ण स्वतन्त्रता का महत्त्व अनुभव नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पहली बार बेसिक अध्यापक-प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया। ये अध्यापक विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिये प्रशिक्षित किये गये। इन अध्यापकों के लिये इन बेसिक हस्तकलाओं में निपुणता की आवश्यकता अनुभव की गयी, जैसे कृषि विभाग, गृह विज्ञान इत्यादि। अध्यापक शिक्षा (1940 से अब तक)–सार्जेन्ट कमीशन सन् 1944 में फिर 'शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजना' को जॉन सार्जेन्ट का सूत्र माना गया। यह एक विस्तृत योजना थी जोकि सभी स्तरों पर स्वीकृत हुई।

मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार की कुंजी अध्यापक है। इसलिये शिक्षक प्रशिक्षण का सुधार बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन् 1964 में डॉ. डी. कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दिखाया। इस आयोग ने भारत में शिक्षा व्यवस्था पर अपनी व्यापक रिपोर्ट दी। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये आयोग ने विभिन्न संस्तुतियाँ दीं। आज अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा अन्तःप्रक्रिया पर शोध कार्यों को अधिक महत्त्व एवं प्राथमिकता दी जा रही है। कक्षा अन्तःप्रक्रिया को इसलिए महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें छात्रों की उपलब्धि (Achievement) एक मात्र प्रभावशीलता का मानदण्ड होती है। इस दिशा में शोध कार्यों का नियोजन किया गया है, जिनकी अवधारणा यह है कि सम्पूर्ण व्यवहार परिवर्तन में मानदण्ड की भूमिका ही अहम् होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षक प्रत्यय एवं शिक्षक-व्यवहार का बोध होना चाहिए।

शिक्षक की अवधारणा इसकी परिभाषा तीन रूपों में की गई है—

- (1) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Teacher as an Aim-Job),
- (2) शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher as a Skilled-Job) तथा
- (3) शिक्षक एक भूमिका के रूप से (Teacher as a Role-job)।

शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Teacher as an Aim-Job)—शिक्षक-व्यवसाय को कुछ लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है; जैसे—एक किसान के व्यवसाय का लक्ष्य होता है—कृषि की विभिन्न क्रियाओं का सम्पादन करना। शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher as a Skilled-job) —एक शिक्षक केवल ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता कि वह दूसरों की शिक्षा के लिए ही परिस्थितियों का सृजन करता हो वह अपितु अपने शिक्षण में कार्य-कुशलता एवं दक्षता भी विकसित करता है। शिक्षक एक भूमिका के रूप से (Teacher as a Role-job)—शिक्षक के प्रत्यय को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षण की 'भूमिका-निर्वाह' को व्यवसाय क्यों माना जाता है। एक शिक्षक के अपने उत्तरदायित्व एवं अधिकार होते हैं तथा उसे प्रशासक से भी सम्बन्ध रखने पड़ते हैं। यह अधिकार एवं कर्तव्य ही शिक्षक की भूमिका होती है।

एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तत्कालीन समाज का बोध होना चाहिए तभी यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा कक्षा-शिक्षण की भूमिका निर्वाह समुचित ढंग से कर सकता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक जीवन-पर्यन्त छात्र ही रहता है। उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है। शिक्षक

शब्द 'शिक्ष' धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। आज शिक्षक को प्रबन्धक भी माना जाता है।

कक्षागत व्यवहार के प्रकार—कक्षा में सामान्य दो प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं—(1) शाब्दिक व्यवहार तथा (2) अशाब्दिक व्यवहार। शाब्दिक व्यवहार—कक्षा में जब शिक्षक तथा छात्र बोलकर अपने आदान-प्रदान करते हैं तो इस व्यवहार को शाब्दिक-व्यवहार कहते हैं। प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार (Direct Teacher Behaviour)—प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार वह व्यवहार है, जिसमें शिक्षक कक्षा में अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करता है, छात्रों के विचारों व व्यवहारों की आलोचना करता है, कक्षा में छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का अवसर प्रदान नहीं करता है।

अप्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार (Indirect Verbal Behaviour)—जब शिक्षक छात्रों को कार्य करने की, उन्हें विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो इस प्रकार के व्यवहार को अप्रत्यक्ष व्यवहार की संज्ञा दी जाती है।

वर्षों से प्रभावशाली शिक्षक अथवा शिक्षक—कुशलता को समझने व परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। शिक्षक-प्रभाव सम्बन्धी यह भिन्नता तथा अस्पष्टता स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण निःसन्देह एक सापेक्षिक विषय है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या कुशल शिक्षक का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि आदि के विकास के फलस्वरूप ही छात्रों में विकास सम्भव है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसके सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है। जिस सीमा तक वह अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है।

शिक्षक प्रभावशीलता का अर्थ एवं परिभाषा—प्रभावशीलता शब्द भाव प्रधान है। शिक्षक की प्रभावशीलता का व्यवहारिक पक्ष शिक्षण प्रभावशीलता से होता है। ड्रेक बोक ने शिक्षणशास्त्र के अनुसार शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा इस प्रकार दी है—“शिक्षक प्रभावशीलता पूर्ण विश्वास एवं आस्था का प्रत्यय है।” प्रभावशाली शिक्षक के गुण—इस पक्ष में शिक्षक की मानसिक क्षमता, शिक्षा, विषय सम्बन्धी ज्ञान, शिक्षण अनुभव आदि पर चर सम्मिलित होते हैं। प्रभावशाली शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो तथा उसकी उच्च शैक्षिक निष्पत्ति हो। ए. एस. बार (1967) ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष के फलस्वरूप शिक्षक की निर्णय लेने की क्षमता, विचार-शक्ति तथा मानसिक जागरूकता का उसकी शिक्षण कुशलता से गहरा सम्बन्ध बताया। प्रभावशाली शिक्षक के गुण इस प्रकार हैं— (1) ज्ञानात्मक विशेषताएँ; (2) भावनात्मक विशेषताएँ; शिक्षक के कार्यों के मूल्यांकन के क्षेत्र में रुचि सन् 1990 से पूर्व हो शुरू हो गई थी। हाजेल डेविस (1964) ने कहा कि 1900-12 के मध्य स्कूल सर्वेक्षण में शिक्षण कुशलता का मापन स्कूल विषयों के प्रमाणिक परीक्षणों के आधार पर किया जाता था। उस समय शिक्षण कुशलता के लिए व्यक्तिगत परीक्षण में लोगों की रुचि कम थी। सन् 1920 के बाद स्कूल सर्वेक्षण अधिक गहराई से होने लगे। शिक्षक-कुशलता के मूल्यांकन के लिए नई-नई विधियाँ भी अपनाई जाने लगीं।

नोट

शिक्षक-प्रभावशीलता के मानदण्ड—मानदण्ड शब्द से तात्पर्य है मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाने वाले मानक कसौटी। दूसरे शब्दों में किसी तत्व का परीक्षण करने या मूल्यांकन करने के लिये जो कसौटी तैयार की जाती है, वह मानदण्ड कहलाती है। ब्रिटेन में शिक्षक कुशलता पर हुए अध्ययनों में जिन मानदण्डों को प्रयोग किया गया है वे हैं—छात्रों में परिवर्तन, विशेषज्ञों का निर्णय, निर्धारण मापनी का प्रयोग छात्रों द्वारा शिक्षकों का निर्धारण, शिक्षक योग्यता, अभिवृत्ति, रुचि तथा समाजमिति विधि।

1.12 अभ्यास-प्रश्न

1. अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समझाइए।
2. भारत में अध्यापक शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विचार कीजिए।
3. ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा का वर्णन कीजिए।
4. स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
5. प्रभावी शिक्षक की भूमिका का महत्त्व समझाइए।
6. शिक्षक के कक्षागत व्यवहार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
7. आधुनिक अध्यापक शिक्षा के आयाम पर प्रकाश डालिए।

1.13 संदर्भ पुस्तकें

- अध्यापक शिक्षा— डॉ. एन. के. शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अध्यापक शिक्षण— डॉ. शिव कुमार उपाध्याय/डॉ. प्रदीप कुमार, नवराज प्रकाश, दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ— सरयू प्रसाद चौबे / अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- भारत में शिक्षा का विकास— सुरेश भटनागर / संजय कुमार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

शिक्षक शिक्षा के अभिकरण

नोट

(Structure)

- 2.1 उद्देश्य
- 2.2 प्रस्तावना
- 2.3 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ (बी.एल.एड)
- 2.4 मानदंडों और मानकों के लिए बी.ई.एल.एड प्रोग्राम
- 2.5 परीक्षा की परीक्षा, मानक और योग्यता
- 2.6 साइंस शिक्षा के स्नातक (संपूर्ण) बी.एससी.एड.
- 2.7 बी.एससी.एड प्रोग्राम (संपूर्ण) का उद्देश्य
- 2.8 प्रवेश के लिए मानदंड योग्यता
- 2.9 मूल्यांकन प्रक्रिया
- 2.10 मूल प्रशिक्षण प्रोग्राम
- 2.11 इंटर्नशिप प्रोग्राम
- 2.12 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन
- 2.13 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) के शैक्षिक कार्यक्रम
- 2.14 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्-एन. सी. ई. आर. टी.
- 2.15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
- 2.16 राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्
- 2.17 अध्यापक शिक्षा की एजेंसियाँ-एकेडमिक स्टाफ कॉलेज
- 2.18 भर्ती
- 2.19 भर्ती के तरीके
- 2.20 प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए चयन मानदंड
- 2.21 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी)
- 2.22 शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए चयन मानदंड
- 2.23 आयोग के जाँच के विषय
- 2.24 आयोग के सुझाव तथा सिफारिशें
- 2.25 मुदालियर कमीशन
- 2.26 आचार्य नरेंद्र देव समिति-1938
- 2.27 आचार्य नरेंद्र देव समिति-1953
- 2.28 कोठारी कमीशन

- | | |
|------|---|
| 2.29 | भारतीय-शिक्षा आयोग के जाँच विषय |
| 2.30 | आयोग के सुझाव व सिफारिशें |
| 2.31 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति— उद्देश्य तथा निर्देश |
| 2.32 | एक सार्थक साझेदारी |
| 2.33 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 ई.) समान शिक्षा पर बल |
| 2.34 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियाँ |
| 2.35 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ |
| 2.36 | राममूर्ति समीक्षा-समिति, 1990 |
| 2.37 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 (POA—1986) |
| 2.38 | संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1992 |
| 2.39 | सारांश |
| 2.40 | अभ्यास-प्रश्न |
| 2.41 | संदर्भ पुस्तकें |

2.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- इलीमैन्टरी शिक्षा पाठ्यक्रम के स्नातक के बारे में चर्चा;
- परीक्षा, मानकों और परीक्षा की योग्यता की व्याख्या;
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित होंगे;
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों से अवगत होंगे;
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्यों से परिचित होंगे;
- भर्ती के बारे में चर्चा करने के लिए;
- प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए चयन मानदंड के बारे में समझाने के लिए;
- माध्यमिक शिक्षा आयोग की जाँच के विषय एवं उनकी सिफारिशों से अवगत होंगे;
- भारतीय शिक्षा आयोग के गठन के उद्देश्यों से परिचित होंगे;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे।

2.2 प्रस्तावना

भारत में, एजुकेशन का स्नातक (बी.एड.) एक कोर्स है जो उन्हें प्रस्तुत किया जाता है जिनकि अध्यापन में कैरियर को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों में पढ़ाने के लिए बी.एड. की डिग्री अनिवार्य है। बी.एड. कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता आर्ट्स का स्नातक (बी.ए.), साइंस का स्नातक (बी.एससी) या कॉमर्स के स्नातक (बी.कोम) है। जबकि आर्ट स्ट्रीम के छात्रों को इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, और भाषाओं जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साइंस स्ट्रीम के छात्रों को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन

विज्ञान और जीव विज्ञान सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बी.एड. करने के बाद, भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.) कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सांविधिक निकाय है जो भारत में शिक्षण के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करती है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (बी.ई.एल.एड) प्रोग्राम एक चार वर्षीय एकीकृत पेशेवर प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का डिग्री प्रोग्राम है जो स्कूल के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा बारहवीं) के बाद किया जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) के द्वारा अपनी संस्तुति में, शिक्षा के स्तरोन्नयन का दायित्व पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार पर है, यह कहे जाने के बाद 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति (1972) ने इस अभिप्राय का एक प्रस्ताव पारित किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् काफी दिनों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए भी मुख्यालय के रूप में कार्य करती रही और बाद में जब इसे वैधानिक दर्जा मिला तो यह संस्था अलग कार्यालय में कार्य करने लगी। केन्द्र एवं राज्य स्तरीय सरकार को शिक्षक शिक्षण के संदर्भ में आने वाली मुश्किलों और भिन्न-भिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जरूरी परामर्श देने के उद्देश्य से इस परिषद् को गठित किया गया। बाद में 1995 ई. में एक विधेयक के माध्यम से इस परिषद् को वैधानिक दर्जा दिया गया और एन. सी. ई. आर. टी. के समान ही स्वायत्तशासी होने का अधिकार भी मिल पाया।

एन. सी. ई. आर. टी. को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। इस परिषद् की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वायत्तशासी इकाई के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक केन्द्रीय अभिकरण को स्थापित करने हेतु 1 सितम्बर, 1966 को समिति पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के श्री अरविन्द मार्ग पर स्थित है तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली को इसके साथ सम्बन्धित किया गया। इसके चार क्षेत्रीय महाविद्यालय-अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर तथा भोपाल में हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। विभिन्न राज्यों में इसके केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

सम्बन्धित इकाइयाँ—एन. सी. ई. आर. टी. की तहत विभिन्न इकाइयाँ कार्य करती हैं। इनमें मनोविज्ञान आधार, विज्ञान शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, दार्शनिक आधार, क्षेत्रीय सेवा, शोध पत्रिका तथा शैक्षिक शोध एवं नवाचारिक प्रकोष्ठ, पाठ्य-पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रारम्भिक और प्राथमिक शिक्षा, श्रव्य-दृश्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला, शैक्षिक सर्वेक्षण इकाई, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, विकलांग शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान आदि अनेक विभाग तथा अवयवी इकाइयाँ सक्रिय हैं। आज किसी जनतांत्रिक देश का विकास वहाँ के शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करता है। भारत की शिक्षा का इतिहास अधिक प्राचीन है। परंतु अध्यापक शिक्षा का विकास अनेक अवस्थाओं को पार कर चुका है। स्वतंत्रता के पश्चात् इस क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। अनेक आयोग तथा समितियाँ गठित की गईं। उन्होंने अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु ठोस सुझाव भी दिए। सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सन् 1802 में सीरामपुर में प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में 1823 ई. में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। सन् 1947 से पूर्व तीन प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ (i) नॉर्मल स्कूल— प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु (ii) अध्यापक

प्रशिक्षण विद्यालय, मिडिल स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु तथा (iii) प्रशिक्षण महाविद्यालय हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु थे।

नोट

बेसिक शिक्षा ने अध्यापकों की भूमिका तथा शिक्षण विद्यार्थियों को प्रभावित किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना सन् 1973 में की गई। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार अध्यापक शिक्षा के साधनों का विभाजन प्रमुख रूप से दो स्तरों में किया गया—

1. राज्य स्तरीय अभिकरण (National Level Agencies)

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
- (ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NECRT)
- (iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE)
- (iv) राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR)
- (v) राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA)
- (vi) उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र (CASE)

2. राज्य स्तरीय अभिकरण (National Level Agencies)

- (i) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT)
- (ii) राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड (SBTE)
- (iii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (कम्प्लेक्स)
- (iv) विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग (UDE)
- (v) सतत अध्यापक शिक्षा केन्द्र (CTEC)
- (vi) दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा (DTE)
- (vii) ग्रीष्मकालीन संस्थान (SIE)
- (viii) शिक्षा महाविद्यालय (CTE)

यहाँ राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षा के साधनों में से डाइट तथा एससीईआरटी की भूमिका का विवरण प्रस्तुत है।

एजेन्सीज मध्यस्थ इकाइयां होती हैं जो शैक्षिक प्रशासन संबंधी कार्यों के सम्पादन में सहायक होती हैं। शिक्षा विभाग भी सरकार के माध्यम से (शिक्षा मंत्रालय द्वारा) बनायी गयी शैक्षिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में एक एजेन्सी की ही भूमिका निभाता है। अभिकरण संबंधी कार्यों को सम्पादित करने वाली संस्थाएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं—

- (i) **स्वैच्छिक संस्थाएँ**—ये वे संस्थाएँ होती हैं, जो समाज हित में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करती हैं एवं शैक्षिक कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण प्रामाणित होती हैं। इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य मानव सेवा करना तथा परमार्थ ही होती है। सरकार के माध्यम से भी इन संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये प्रेरणात्मक योजनाएँ लागू की जाती हैं। ये संस्थाएँ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, सोसायटीज अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत होती हैं।

- (ii) **सरकारी संस्थाएँ**—ये वे संस्थाएँ होती हैं जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा दोनों के संयुक्त प्रशासन के अधीन रहकर काम करती हैं। भारत में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी संस्थाएँ हैं।
- (iii) **स्वायत्तशासी संस्थाएँ**—स्वायत्तशासी संस्थाओं से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से होती है जिनकी स्थापना सरकार के माध्यम से की जाती है एवं इनकी कार्यप्रणाली लोक समुदाय से संबंधित (जनतांत्रिक) होती है। भारत में NCERT, UGC, Universities एवं इसी प्रकार की अन्य शैक्षिक संस्थायें स्वायत्तशासी संस्थाएँ ही हैं।

नोट

शिक्षा प्रशासन एक वैज्ञानिक पद्धति भी है जिसके तहत शिक्षा संबंधी प्रबंधकीय कार्यों का प्रबन्ध किया जाता है। ये प्रबंध करने वाली संस्थाएँ सरकारी अथवा गैर सरकारी हो सकती हैं। जो मध्यस्थता के रूप में सम्पन्न किए जाते हैं। भारत में शैक्षिक प्रबन्ध कब से आरंभ हुआ। इसके विषय में सही तथ्यात्मक एवं ठोस प्रामाणिक बिन्दु तो नहीं बताया जा सकता परन्तु जहां तक इस विषय में ऐतिहासिक जानकारी मिली है, उसके अनुसार भारत में शैक्षिक प्रशासन की शुरुआत सन् 1775 ई. से मानी जाती है। भारत में सन् 1835 ई. में भी लॉर्ड मैकाले के माध्यम से शिक्षा नीति को नियत किया गया था। इसी संबंध में सन् 1854 ई. में सरचार्ल्स ने एक मदद प्रबन्ध भी लागू की थी। इन्टर कमीशन ने सन् 1882 ई. में शिक्षा प्रशासन में सुधार की सिफारिश की थी।

एक खास काम या पद के लिए किसी भी शरीर का चयन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षकों के मामले में, यह प्रक्रिया अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस इकाई में शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए चयन मानदंड के बारे में चर्चा है, लेकिन इसके बारे में अध्ययन से पहले हमें प्रक्रिया की नीतियां आदि भी पता होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए चयन मानदंड शिक्षण और स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देना एक आसान काम नहीं है, इसलिए स्कूल में अध्यापन के लिए उम्मीदवार का चयन बहुत मुश्किल है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अच्छे शिक्षकों को बनाना एक बड़ी चिंता का विषय है। सही दिशा में एक शिक्षण की प्रवृत्ति विकसित करना अध्यापक शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सही उम्मीदवार का इन पदों पर चयन जरूरी है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने यह कार्य विश्वविद्यालय-शिक्षा से आरम्भ किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने के समय से भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, किन्तु उनमें शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण इस देश के निवासियों में व्यापक असन्तोष था। इसके अतिरिक्त ये विश्वविद्यालय भारत की नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ थे।

उच्च शिक्षा के उपर्युक्त और अन्य दोषों का निवारण करने के विचार से भारत सरकार ने इस शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव किया। उसी समय से आस-पास उच्च शिक्षा की तत्कालीन कमियों से अवगत होने के कारण “अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद” (Inter-University Board of Education) और “केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड” (Central Advisory Board of Education) ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त

करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवम्बर, सन् 1948 को “विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग” की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अतः उनके नाम से इस “आयोग” को “राधाकृष्णन कमीशन” भी कहा जाता है।

नोट

माध्यमिक शिक्षा के विषय में 1882 में हन्टर कमीशन ने विस्तार से विचार किया तथा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। 1919 में सैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा की संरचना में परिवर्तन का महत्वपूर्ण सुझाव दिया, जिसके परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। हरटॉग समिति ने तकनीकी तथा सामान्य हाई स्कूलों की स्थापना के सुझाव दिये। 1937 में माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट ने विस्तृत शिक्षा योजना प्रस्तुत की।

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की शक्ति को वांछित दिशा प्रदान करती है। इस ओर देश की सरकार जागरूक रही है। इसलिए समय-समय पर आयोग तथा समितियों का गठन होता रहा है। यहाँ पर मुदालियर कमीशन, आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1938), (1953) एवं कोठारी कमीशन के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर विचार-विमर्श प्रस्तुत है।

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने सन् 1880 में लार्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लार्ड रिपन को भारत-स्थित अंग्रेज अधिकारियों की अनुदार शिक्षा-नीति से अवगत कराया और यह अनुरोध किया कि भारतीय शिक्षा की गतिविधियों की जाँच करके, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

लार्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए, उसने भारत पहुँचने के कुछ समय पश्चात् सन् 1882 में “भारतीय शिक्षा-आयोग” (Indian Education Commission) की नियुक्ति की। इस “आयोग” का अध्यक्ष-गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा का सदस्य सर विलियम हन्टर (Sir William Hunter) था। अतः इसके नाम से इस “आयोग” को “हन्टर कमीशन” (Hunter Commission) कहकर भी पुकारा जाता है।

प्राचीन काल में भारत में बालक की शिक्षा का प्रारम्भ 5 वर्ष की आयु से होता था तथा 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करता था जिसमें ब्राह्मण 6, क्षत्रीय 11 और वैश्य 12 वर्ष की आयु में अपनयन संस्कार के पश्चात् गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था न थी। शिक्षा के दो स्तर होते थे—

1. प्रारंभिक तथा
2. उच्च

इसी प्रकार बौद्ध युग में भी शिक्षा के दो स्तर होते थे।

शिक्षा प्रणाली पर सर्वप्रथम 1882 में हन्टर कमीशन ने विचार किया। उसने शिक्षा के अनेक चरण प्रस्तावित किये। उस समय दस वर्ष की एन्ट्रेंस, दो वर्ष की एफ.रा. दो वर्ष की स्नातक और दो वर्ष की परास्नातक स्नातकोत्तर प्रणाली प्रचलित थी। 10 वर्ष की शिक्षा विद्यालयों में, शेष शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। 1917-19 में सैडलर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। अतएव उसने 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए पृथक् बोर्ड गठित करने की सिफारिश की। 10 वर्ष की हाईस्कूल, 2 वर्ष का इण्टरमीडिएट, शिक्षा बोर्ड के अधीन कर 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के

अन्तर्गत रखने का आग्रह किया। सन् 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन ने भी 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर गठित करने की सिफारिश की।

सन् 1952-53 में मुदालियर कमीशन के 8 + 3 + 3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाईस्कूल

एवं 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया।

सन् 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा तथा 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी यही तथ्य दोहराया गया। सन् 1962 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भी इसी संकल्प को दोहराया एवं कोठारी कमीशन ने भी यही सिफारिश की और अन्त में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सम्पूर्ण देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गयी।

शिक्षा की 10 + 2 + 3 प्रणाली का अर्थ

10 + 2 + 3 का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। + 2 के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 तक की प्राप्त जाने वाली शिक्षा आती है। इन दो वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जायेगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात् 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि (स्नातक उपाधि) हेतु निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों में किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है।

सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में तीन वर्ष का डिग्री (स्नातक) पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है।

2.3 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ (बी.एल.एड)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अब सांविधिक प्राधिकार के साथ निहित है ऐसे सभी कदम उठाने के लिए जो उन्हे लगता है कि शिक्षक-शिक्षा की योजना बनाने और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और निर्धारण और स्कूल शिक्षा के पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए तैयारी सहित शिक्षक-शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए ठीक है। मानदंडों और मानकों का निर्माण शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की तैयारी के लिए और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक है।

2.4 मानदंडों और मानकों के लिए बी.ईएल.एड प्रोग्राम

संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा (बी.ईएल.एड) प्रोग्राम के स्नातक के लिए एनसीटीई चार साल पूरा समय एकीकृत आमने सामने शिक्षा का प्रस्ताव पेश कर रही है।

नोट

पाठ्यक्रम की अवधि

- (क) संपूर्ण प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की डिग्री कार्यक्रम है जिसको अब से, इलीमैन्टरी एज्युकेशन का स्नातक (बी. ईएल.एड) कहा जाता है, न्यूनतम अवधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी, अध्ययन के चौथा/अंतिम वर्ष में 16 सप्ताह कम से कम काम की एक इंटर्नशिप भी शामिल है।
- (ख) इस कार्यक्रम में भर्ती उम्मीदवारों को 6 साल के भीतर अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा करना होगा।

प्रवेश मानदंड

- (क) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में चार साल की डिग्री प्रोग्राम में दाखिला पाने इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) को पास करना होगा, यह विशेषरूप से उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए बनाया गया है।
सीटों का आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।
- (ख) दाखिले के लिए योग्यता
- (i) बी.ईएल.एड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में पास या किसी भी अन्य बराबर की परीक्षा में 50% कुल अंक कम से कम है।
- (ii) इस कार्यक्रम में दाखिला पाने के इच्छुक उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के कैलेंडर के अनुसार अपनी 17 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।

दाखिला और प्रवासन

- (क) एक श्रेणी में उम्मीदवारों का दाखिला 35 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख) संस्थान एनसीटीई की पूर्व अनुमति के साथ छात्रों की संख्या के लिए पहले वर्ष के अंत में केवल एक बार छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है।

पाठ्यक्रम और अध्ययन की अवधि

संस्थान नीचे दिए गए पाठ्यक्रमों की योजना के प्रदान निर्देश का पालन करेंगे:

- (क) प्राथमिक शिक्षा के स्नातक (बी.ईएल.एड) के पाठ्यक्रम की योजना।

बी.एल.एड प्रोग्राम को ज्ञान के अध्ययन, मानव विकास, शिक्षा शास्त्र, और संचार कौशल को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों पाठ्यक्रम प्रस्ताव दिए जाने चाहिए: अनिवार्य व्यावहारिक पाठ्यक्रम और एक अनिवार्य व्यापक स्कूल इंटर्नशिप के अनुभव। सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए:

सिद्धांत पाठ्यक्रम

- बुनियादी पाठ्यक्रम
- मूल पाठ्यक्रम

- शिक्षण पाठ्यक्रम
- उदार पाठ्यक्रम
- शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विकल्प

व्यावहारिक पाठ्यक्रम

- प्रदर्शन और ठीक कला, शिल्प और शारीरिक शिक्षा
- भागीदारीपूर्ण कार्य
- अवलोकन बच्चे
- स्व विकास कार्यशाला
- स्कूल संपर्क कार्यक्रम
- स्कूल इंटरैक्शन
- परियोजना कार्य
- संरक्षक और आम बोलचाल
- शैक्षणिक संवर्धन गतिविधि

(ख) सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों का 1

(क) और 1

(ख) टेबल में दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

टेबल 1(क) : व्यावसायिक शिक्षा के मूलभूत आधार

अध्ययन के क्षेत्र	बी.ई.एल.एड
विषय ज्ञानकोष	मूल पाठ्यक्रम:
	म1.1 भाषा की स्वभाव
	म1.2 मूल गणित
	म1.3 मूल प्राकृतिक विज्ञान
	म1.4 मूल सामाजिक विज्ञान
	दो स्तर उदार अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम:
	व2.X और व3.X कोई भी एक चुना हुआ विषय
	आधार पाठ्यक्रम (बहु-अनुशासनात्मक):
	अ1.2 समकालीन भारत

शिक्षा	आधार पाठ्यक्रम
	अ3.6 शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत अवधारणाएं
	अ3.7 स्कूल योजना और प्रबंधन
	अ4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन
	अ4.9 लिंग और विद्यालय शिक्षा

नोट

बाल अध्ययन	आधार पाठ्यक्रम
	अ1.1 बाल विकास
	अ2.3 अनुभूति और सीखना
	अ2.4 भाषा अधिग्रहण

टेबल 1(ख) : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

अध्ययन के क्षेत्र	बी.ईएल.एड पाठ्यक्रम
बाल अध्ययन	व्यावहारिक पाठ्यक्रम:
	व्य1.2 (क) स्कूल संपर्क कार्यक्रम
	(ख) शिल्प
	व्य2.3 बच्चों का अवलोकन
	व्य2.1 पाठ्यक्रम में भाषा
	व्य3.2 तर्क-गणित की शिक्षा
	व्य 3.3 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षाशास्त्र
	वैकल्पिक शिक्षण पाठ्यक्रम में से एक: OP4-1 भाषा
	वश 4.2 गणित
	वश4.3 प्राकृतिक विज्ञान वश4.4 सामाजिक विज्ञान
	या
	वैकल्पिक उदार शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में से
एक:	
	वउ 4.1 कम्प्यूटर एज्युकेशन
	वउ 4.2 विशेष शिक्षा
	स्कूल संपर्क कार्यक्रम: स3.1 कक्षा
	प्रबंधन स3.2 सामग्री विकास एवं मूल्यांकन

शिक्षक और कौशल	बुनियादी पाठ्यक्रम:
प्रशिक्षण का	अ2.5 मानवीय संबंध और संचार विकास
	व्यावहारिक पाठ्यक्रम:
	व्य1.1 रंगमंच
	समृद्धि
	व्य1.2 शिल्प
	व्य2.4 आत्म विकास
	व्य2.5 आम शारीरिक शिक्षा/शैक्षणिक का उपयोग
	क्षेत्र पर आधारित परियोजनाएं/कार्य

स्कूल अनुभवस्अ स्कूल इंटरशिप परियोजना नोट: विचारोत्तेजक / निदर्शी विवरण अनुबंध ए शिक्षक शिक्षा के अभिकरण में दिए गए हैं।

छात्र के संपर्क का समय

छात्र का न्यूनतम संपर्क का समय वर्षों के रूप में टेबल 2 में दिया गया है।

टेबल 2: वर्ष के अनुसार छात्र का न्यूनतम संपर्क का समय

अध्ययन के वर्ष की का समय (घंटों में)	छात्र के प्रति दिन संपर्क का समय (घंटों में)	छात्र प्रति सप्ताह संपर्क की कुल संख्या (घंटों में)	संपर्क के समय
1	6.7	33.5	835.5
2	5.3	26.5	662.5
3	5.4	27.0	675.0
4	5.8	29.0	725.0
कुल	23.2	116.0	2900.0

छात्रों के संपर्क के समय को संपर्क की अवधि के रूप में पढ़ा जाता है। एक अवधि आमतौर पर 50 मिनट की होती है। औसत छात्र को संपर्क के समय के लिए सप्ताह में 5 कार्य दिवस दिए जाते हैं।

एक वर्ष में 25 कार्य सप्ताह संपर्क के समय की कुल संख्या है।

बी.एल.एड कार्यक्रम का संचालन

संस्थानों को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम के निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा:

- (1) बी.ई.एल.एड छात्रों को अन्य संस्थानों के साथ शैक्षणिक के साथ ही सह पाठयक्रम और कंप्यूटर, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सभागार, आदि के रूप में सभी बुनियादी सुविधाओं के इस्तेमाल को एकीकृत करना होगा।
- (2) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अंतःविषय शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा।
- (3) व्याख्यान और संगोष्ठी के आयोजन से शिक्षा पर प्रवचन का आरंभ और छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए चर्चा समूह का आरंभ करना होगा।
- (4) विश्वविद्यालय / संस्थानों को विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन के भीतर और बाहर पेशेवर सहायता देनी चाहिए। (जैसे: रंगमंच, शिल्प, कार्यशालाओं आत्म विकास)
- (5) कम से कम छह प्राथमिक विद्यालयों के एक समूह के लिए संस्था आरंभ करने और बातचीत को बनाए रखना चाहिए। इन स्कूलों में अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान सभी व्यावहारिक गतिविधियों के लिए बुनियादी कार्य और संबंधित काम होने चाहिए।
- (6) संस्था को स्कूलों में स्नातकों के लिए नियुक्ति सेवाएं शुरू करनी चाहिए।

नोट

2.5 परीक्षा की परीक्षा, मानक और योग्यता

विश्वविद्यालय/संस्थान संबंधितों के उपयुक्त अध्यादेश जो समीक्षा के लिए अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से प्रावधान बनाएंगे और एनसीटीई के साथ परामर्श में है।

नोट

- (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित करेंगे।
- (2) व्यावहारिक पाठ्यक्रमों का आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है।
- (3) एक मॉडरेशन बोर्ड विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा गठित सभी व्यावहारिक पाठ्यक्रम और इंटरशिप कार्यक्रम के लिए गुणवत्ता और संस्थानों के बीच समता के संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी।
- (4) सिद्धांत के सभी पाठ्यक्रमों के लिए आंतरिक मूल्यांकन की वेटेज 30% और सभी व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के लिए 100% हो सकती है।
- (5) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्रत्येक लिखित पत्र में 40%, आंतरिक मूल्यांकन में 45%, व्यावहारिक में 50% है और प्रत्येक वर्ष के लिए कुल मिलाकर 50% होने चाहिए।
- (6) जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण है केवल उन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- (7) कोई भी उम्मीदवार है जिसके कुल में 50% अंक है, लेकिन केवल एक विषय में वह विफल रहा है और उस विषय में उसके अंक 25% से कम नहीं है तो उसे कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने और उसको अगले साल के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी जो कि शुल्क के भुगतान पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होगा। यदि उम्मीदवार कम्पार्टमेंट परीक्षा में असफल रहता या परीक्षा में उपस्थित नहीं होता तो वह उसको पिछले वर्ष में वापस कर दिया जाएगा।
- (8) किसी भी परीक्षा के विषयों के लिए परीक्षक को अध्ययन के उसके क्षेत्र में कम से कम 3 साल का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

कर्मचारी, उपकरण और प्रशिक्षण

(क) शैक्षणिक संकाय

- संकाय पर्णकालिक सामर्थ्य : 14
- संकाय छात्र अनुपात : 1 : 103
- छात्रों की संख्या : $35 \times 4 = 140$
- संकाय अंशकालिक सामर्थ्य : 3

(ख) संस्थाएं संकाय सदस्यों को अनुसंधान सहित पेशेवर अभ्यास में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

(ग) संस्थाएं शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगी।

(घ) प्रशासनिक स्टाफ

- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर : 1
- संसाधन प्रयोगशाला परिचर : 1
- संसाधन प्रयोगशाला परिचर : 2

(ड) कर्मचारियों के रोजगार की प्रकृति

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक से गठन की चयन समिति सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। शिक्षण कर्मचारियों का वेतन का ढांचा यूजीसी/सरकार के मानदंड के अनुसार होना चाहिए।

(च) संकाय का चयन

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा विभाग के संकाय के पास विविध विशेषज्ञता (टेबल 3 में दिया है) के साथ-साथ शिक्षक में एक स्नातकोत्तर पेशेवर डिग्री या शिक्षा में एक अनुसंधान की डिग्री या शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव/अनुसंधान का प्रदर्शन होना चाहिए।

नोट

2.6 साइंस शिक्षा के स्नातक (संपूर्ण) बी.एससी.एड.

शिक्षा के 1660वीं सदी के एनसीईआरटी के चार क्षेत्रीय कॉलेजों के समय से बी.एससी. बी.एड. चार साल का संपूर्ण कार्यक्रम है। बी.एससी बी.एड. एक समग्र डिग्री है जो पाठ्यक्रम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दी जाती है।

यह चार वर्षीय संपूर्ण कार्यक्रम अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और भोपाल में एनसीईआरटी के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में 1960 के दशक के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को विज्ञान और मानवता में माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को तैयार करने के लिए बनाया गया था।

2.7 बी.एससी.एड प्रोग्राम (संपूर्ण) का उद्देश्य

छात्र शिक्षकों को सक्षम करने के लिए:

1. राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों को समझाने के लिए क्षमताओं को बढ़ावा देना जिनका भारत के संविधान में उल्लेख है।
2. आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधि के रूप में अधिनियम।
3. सामाजिक सामंजस्य, अन्तर्राष्ट्रीय समझ और मानव अधिकार और बच्चे के अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देना।
4. दक्षता और विज्ञान/गणित के शिक्षक के लिए आवश्यक कौशल हासिल करना।
5. दक्षता और एक प्रभावी विज्ञान और गणित के शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल का उपयोग करें।
6. सक्षम और प्रतिबद्ध शिक्षक बनाना।
7. पर्यावरण, जनसंख्या, लिंग समानता, कानूनी साक्षरता आदि के रूप में उभरते हुए मुद्दों के बारे में संवेदनशील होना।
8. तर्कसंगत सोच और छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

9. छात्रों के बीच सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता विकसित करना।
10. प्रबंधकीय और संगठन कौशल का उपयोग करें।

नोट

बी.एससी.एड प्रोग्राम (संपूर्ण) में शामिल होंगे

- (1) प्रथम वर्ष बी.एससी.एड
- (2) द्वितीय वर्ष बी.एससी.एड
- (3) तृतीय वर्ष के बी.एससी.एड
- (4) अंतिम वर्ष बी.एससी.एड

पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की संरचना नीचे दी जाएगी।

2.8 प्रवेश के लिए मानदंड योग्यता

उम्मीदवार को बी.एससी.एड पाठ्यक्रम (संपूर्ण) में दाखिला पाने के लिए कम से कम 50% अंक या ग्रेड बी के साथ उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान धारा में पास करनी होगी।

निर्देश के माध्यम

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

बी.एससी.एड पाठ्यक्रम (संपूर्ण) की परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंड

- (1) द्वितीय वर्ष के बी.एससी.एड पाठ्यक्रम की परीक्षा (संपूर्ण) में बैठने के लिए उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय से संबद्धीत महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए दो पदों को प्रधानाचार्य की संतुष्टि के लिए रखना होगा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस तरह के प्रमाण पत्र को परीक्षा फार्म के साथ पेश करना होगा। उम्मीदवार कम से कम 2/3तक प्रथम वर्ष बी.एससी.एड के विषयों में पास होना चाहिए।
- (2) तृतीये वर्ष बी.एससी.एड पाठ्यक्रम की परीक्षा (संपूर्ण) में बैठने के लिए उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय से संबद्धीत महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए दो पदों को प्रधानाचार्य की संतुष्टि के लिए रखना होगा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस तरह के प्रमाण पत्र को परीक्षा फार्म के साथ पेश करना होगा। उम्मीदवार प्रथम वर्ष बी.एससी.एड संपूर्ण के सभी पाठ्यक्रमों में पास होना चाहिए और द्वितीय वर्ष बी.एससी.एड में कम से कम 2/3तक विषयों में पास होना चाहिए।
- (3) अंतिम वर्ष बी.एससी.एड पाठ्यक्रम की परीक्षा (संपूर्ण) में बैठने के लिए उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय से संबद्धीत महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए दो पदों को प्रधानाचार्य की संतुष्टि के लिए रखना होगा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस तरह के प्रमाण पत्र को परीक्षा फार्म के साथ पेश करना होगा। उम्मीदवार द्वितीय वर्ष बी.एससी.एड संपूर्ण के सभी पाठ्यक्रमों में पास होना चाहिए और तृतीय वर्ष के बी.एससी.एड में कम-से-कम 2/3तक विषयों में पास होना चाहिए।

(एन.बी.. नियम प्रधानाचार्य की संतुष्टि का ध्यान में रखते हुए)

- (क) उम्मीदवार का प्रत्येक सत्र में कम से कम 80% सिद्धांत अवधि में भाग हो।
- (ख) उम्मीदवार का सभी व्यावहारिक और अन्य पाठ्यक्रम का काम पूरा होना चाहिए और पत्रिकाओं के रूप में अपना आलेख रखे।
- (ख) उम्मीदवार के भाग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के प्रत्येक आंतरिक पाठ्यक्रम में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

नोट

बी.एससी.बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मानदंड

इस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीये वर्ष और अंतिम वर्ष बी.एससी.बी.एड की आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन परीक्षा में उम्मीदवार के द्वारा कुल प्राप्त किए गए अंकों को नीचे दिए गए टेबल के आधार पर छात्र को सम्मानित किया जाएगा।

क्र.सं.	कक्षा	बाह्य मूल्यांकन में	आंतरिक मूल्यांकन में % अंक न्यूनतम ग्रेड
1.	दूरस्थ शिक्षा प्रथम श्रेणी	कुल 70% और ऊपर	लेकिन कम से कम 50% अंक भाग 1 के प्रत्येक के विषय में प्रत्येक में ग्रेड O (भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ)
2.	प्रथम श्रेणी	कुल 60% से 69%	लेकिन कम से कम 50% अंक भाग 1 के प्रत्येक के विषय में प्रत्येक में ग्रेड I (भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ)
3.	उच्च द्वितीय श्रेणी	कुल 55% से 59%	लेकिन कम से कम 50% अंक भाग 1 के प्रत्येक के विषय में प्रत्येक में ग्रेड B+ (भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ)
4.	द्वितीय श्रेणी	कुल 50% से 54%	लेकिन कम से कम 50% अंक भाग 1 के प्रत्येक के विषय में प्रत्येक में ग्रेड B (भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ)
5.	विफल	भाग के प्रत्येक विषय में 50%	से नीचे

2.9 मूल्यांकन प्रक्रिया

बी.एससी.एड प्रोग्राम (संपूर्ण) के लिए उम्मीदवार का नीचे दिए गए तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा।

- (क) **बाहरी परीक्षा:** विश्वविद्यालय हर साल के अंत में भाग 1 के सभी सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए इस परीक्षा का संचालन करेंगे जैसा उस वर्ष में दिखाया गया होगा।
- (ख) **आंतरिक मूल्यांकन:** अधिकतम अंक के लिए कॉलेज द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा जो कि उस वर्ष के भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ में दिखाया गया होगा। मूल्यांकन के लिए, महाविद्यालय अंक देंगे और के लिए वह हर साल के अंत में विश्वविद्यालय को

प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय इन अंकों को ग्रेड में बदलेगा और अंतिम मूल्यांकन ग्रेड के रूप में होगा। प्राप्त ग्रेड उम्मीदवार के अंक पत्र पर दिखाया जाएगा। ग्रेडिंग की प्रणाली नीचे दी गई है।

नोट

ग्रेड.	अंक की सीमा
ओ	75% और ऊपर
ए	65% से 74%
बी	55% से 64%
बी प्लस	50% से 54%
सी	40% से 49%
डी	30% से 40%
ई	30% से नीचे

2.10 मूल प्रशिक्षण प्रोग्राम

इस कार्यक्रम में छोटे शिक्षण के पाठ और एकता के पाठ भी शामिल हैं।

(क) **छोटे शिक्षण का पाठ:** छात्र शिक्षकों को 12 छोटे शिक्षण के पाठ दे देंगे, इन पाठों के लिए, वे नीचे दी गई सूची में से किसी भी छह शिक्षण कौशल का चयन करेंगे। पढ़ाने और फिर से प्रत्येक कौशल के लिए पढ़ाने के लिए वे दो पाठ के चक्र पूरा करेंगे। छोटे शिक्षण के पाठ में पच्चीस में से अंक दिए जाएंगे।

1. प्रेरणा निर्धारित करें
2. स्पष्टीकरण
3. खुला और बंद पूछताछ
4. उदाहरण के साथ समझाना
5. प्रोत्साहन रूपांतर
6. सुदृढीकरण
7. ब्लैक बोर्ड लेखन
8. समापती

पढ़ाने और फिर से प्रत्येक कौशल के लिए पढ़ाने के लिए वे दो पाठ के चक्र पूरा करेंगे।

(ख) **एकता का पाठ:** छोट शिक्षण में छह कौशल का अभ्यास करने के बाद, छात्र कम से कम 20 मिनट के चार पाठ दे देंगे, जो वे अभ्यास कौशल की अवधि को एकीकृत करने के लिए देंगे। एकता के पाठ में पच्चीस में से अंक दिए जाएंगे।

(ग) **अनुकार का पाठ:** प्रत्येक छात्र को एक सहकर्मी समूह के सदस्यों पर नीचे दिए गए क्षेत्र में कम से कम एक अनुकरण सबक आचरण करना होगा। अनुकार के पाठ की कुल संख्या चार होगी।

1. पारंपरिक तरीक
2. शिक्षण की मॉडल
3. दल अध्यापन
4. प्रौद्योगिकी आधारित पाठ

अनुकार के पाठ में पच्चीस में से अंक दिए जाएंगे।

(घ) पाठ अवलोकन (8 पाठ)

- (क) **अभ्यास का सबक:** प्रत्येक छात्र 12 कक्षा के पाठ को जहाँ तक संभव हो दो तरीकों में समान रूप से वितरित करके देंगे लेकिन विधि के अनुसार वे 5 पाठ से कम नहीं होने चाहिए। ये पाठ मान्यता प्राप्त किए हुए माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्कूल विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल के अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। महाविद्यालय इन अभ्यास के लिए 180 में से आंतरिक अंक देंगे।
- (ख) **पाठ अवलोकन:** प्रत्येक छात्र को हर साल भर में वितरित तरीके में अन्य छात्रों के 12 पाठ सबक का पालन करना होगा।
- (ग) **सामग्री सह पद्धति कार्यशालाएं:** इसमें सामग्री सह पद्धति की दो कार्यशालाएं होंगी जिनमें विज्ञान के लिए और गणित के लिए लगभग 20 घंटे होंगे। प्रत्येक कार्यशाला में 30 अंके दिए जाएंगे।
- (घ) **प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण:** यह इंटरल कार्यक्रम के शिक्षकों या एमएससीआईटी कार्यक्रम के लिए आईसीटी कार्यशाला कंप्यूटर प्रयोगशाला में आयोजित की होगी इसमें जिनमें होंगे दिए गई। इसकी अवधि 30 घंटे की हो सकती है और यह 20 अंक की होगी।
- (ङ) **स्वास्थ्य शिक्षा** और एनएसएस गतिविधियां सामान्य शिक्षा घटक के लिए संबंधित गतिविधिया है और यह अंतिम वर्ष में भी जारी किया जाएगा।

नोट

2.11 इंटरनेट प्रोग्राम

उद्देश्य: छात्र शिक्षक को सक्षम करना

1. एक अनुभवी शिक्षकों के शिक्षण का निरीक्षण करने का अवसर मिलना चाहिए।
2. अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के तहत सखाना चाहिए।
3. सतत शिक्षण का एक अनुभव होना चाहिए।
4. अन्य सभी स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
5. स्कूल में शिक्षकों को कुल अनुभव महसूस होना चाहिए।

- (क) **ब्लॉक शिक्षण (8 पाठ):** इस कार्यक्रम में, स्कूल शिक्षक के परामर्श के साथ विषय की एक विधि के लिए छात्र शिक्षक एक इकाई का चयन करेंगे। वह इकाई के लिए इकाई की योजना तैयार करेंगे। स्कूल शिक्षक या शिक्षक के मार्गदर्शन और प्रेक्षण के अधीन इकाई को वह तीन चार अवधि के लिए पढ़ाएंगे। शिक्षण के अंत में वे तैयार और एक इकाई के परीक्षण के संचालन करेंगे।
- (ख) **प्रौद्योगिकी आधारित पाठ:** छात्र शिक्षक पाठ में कम से कम दो ऑडियो विजुअल कैसेट, टीवी कार्यक्रम, इंटरनेट, कम्प्यूटराइज्ड कार्यक्रम आदि जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे। प्रौद्योगिकी आधारित पाठ में 40 में से अंक दिए जाएंगे। यदि कुछ कारणों की वजह से संचालन असंभव हो जाता है तो स्कूलों में इन पाठों को अनुकरण पाठों के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

- (ग) शिक्षण छात्र शिक्षक के मॉडल के आधारित पाठ में वह अपने तरीकों के लिए उपयुक्त शिक्षण के किसी भी दो मॉडल के आधार पर कम से कम चार पाठ का आचरण करेंगे। शिक्षण छात्र शिक्षक के मॉडल के आधार पाठ में 40 में से अंक दिए जाएंगे।
- (घ) मूल्य एज्युकेशन/पर्यावरण शिक्षा पर आधारित पाठ : छात्र शिक्षक मूल्य एज्युकेशन / पर्यावरण शिक्षा के आधार पर कम से कम चार पाठ का आचरण करेंगे। दल के शिक्षण की अवधारणा पर आधारित पाठ में 60 में से अंक दिए जाएंगे।
- (ङ.) दल शिक्षण पाठ: छात्र शिक्षक चार दल के शिक्षण की अवधारणा पर आधारित पाठ का आचरण करेंगे। दल के शिक्षण की अवधारणा पर आधारित पाठ में 60 में से अंक दिए जाएंगे।
- (च) पाठ अवलोकन: प्रत्येक छात्र को हर साल भर में वितरित तरीके में अन्य छात्रों के 20 पाठ का पालन करना होगा।

अन्य गतिविधियां

- (क) स्वास्थ्य शिक्षा: छात्र की शारीरिक चुस्ती इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सेवा के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम, सुर्य नमस्कार, योग या खेल नियमित रूप से शारीरिक निर्देशक के मार्गदर्शन में अभ्यास किया जाएगा। कुछ चयनित छात्रों को विशेष खेल के लिए सक्षम खिलाड़ी के रूप में तैयार कर सकते हैं। महाविद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आंतरिक अंक 10 में से देंगे।
- (ख) एन.एस.एस: इस कार्यक्रम में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हो सकता है और विश्वविद्यालय से इस संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर किया जाएगा। महाविद्यालय एनएसएस के लिए आंतरिक अंक 10 में से देंगे।

पाठ्यक्रम संबंधित व्यावहारिक कार्य

प्रथम वर्ष बी.एससी.बी.एड: इसमें कोई शिक्षणशास्त्र से संबंधित व्यावहारिक नहीं होगा लेकिन व्यावहारिक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (पीडीपी), सामग्री संवर्धन कार्यक्रम (सीईपी), सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम (एसआईपी) से संबंधित का आयोजन किया जाएगा। द्वितीय वर्ष बी.एससी.बी.एड: प्रयोग की सूची इस प्रकार है:

1. प्रयोगशाला अनुभवों माइक्रो शिक्षण (छह कौशल)
2. एकीकरण शिक्षा (चार पाठ)
3. अनुरूपित शिक्षा (चार पाठ)
4. शिक्षा अवलोकन (आठ पाठ)
5. विकास और सीखने के व्यावहारिक मनोविज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम।

तृतीय वर्ष के बी.एससी.बी.एड: प्रयोग की सूची इस प्रकार है:

1. अभ्यास शिक्षण (12 पाठ)
2. शिक्षण अवलोकन (12 पाठ)

3. सीसीएम कार्यशालाएं - 2
4. शिक्षण प्रणाली और शैक्षिक मूल्यांकन के संबंधित अभ्यास कार्य।
5. प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण
6. स्वास्थ्य शिक्षा
7. एन.एस.एस

अंतिम वर्ष बी.एससी.बी.एड: प्रयोग की सूची इस प्रकार है:

1. खंड शिक्षण (8 पाठ)
2. प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा (2 पाठ)
3. शिक्षण के नमूना पर आधारित शिक्षा (2 पाठ)
4. शिक्षा के मूल्य पर आधारित शिक्षा (4 पाठ)
5. दल शिक्षण (4 पाठ)
6. अवलोकन और स्कूल की गतिविधियों में भागीदारी:
 - (क) शिक्षण अवलोकन (20 पाठ)
7. सिद्धांत पाठ्यक्रम व्यावहारिक संबंधित:
 - (क) नई टाइम्स के लिए शिक्षा
 - (ख) शैक्षिक प्रबंधन
 - (ग) पर्यावरण शिक्षा और शैक्षिक अनुसंधान
 - (घ) शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा और योग
8. प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण
9. समुदाय और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ कार्य करना
10. स्वास्थ्य शिक्षा
11. एन.एस.एस

नोट

2.12 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन

पहले जहाँ इस परिषद् का गठन 41 सदस्यीय प्रारूप में किया गया था जिसमें केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री—अध्यक्ष, राज्यशिक्षा विभागीय प्रतिनिधि 21, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्य 1, सर्वभारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के एक सदस्य, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य, एन. सी. ई. आर. टी. के एक सदस्य, आयोजन आयोग के एक प्रतिनिधि, भारत सरकार मनोनयन के 12 प्रतिनिधि, पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से 12 प्रतिनिधि, शिक्षा सचिव 2, परिषद् अध्यक्ष मनोनयन के एक सदस्य और सदस्य सचिव के पद पर एक सदस्य होते थे, वहीं पर परवर्ती समय इसके लिए सचिव, कार्यालय कर्मचारी एवं कार्यकारिणी हेतु व्यवस्थित किया गया। चार क्षेत्रीय परिषद् एवं राज्य अध्यापक शिक्षा परिषदों का भी गठन किया गया, जिनके द्वारा देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को नियन्त्रण कर पाना

परिषद् हेतु सम्भव हो पाया। निरीक्षण समिति आदि का भी गठन विश्वविद्यालयों के आचार्यों को जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित करते हुए किया गया।

नई दिल्ली में आज इस परिषद् का भी अपना पृथक् कार्यालय है। संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पहले इस परिषद् के कार्यक्षेत्र में जिन पहलुओं को महत्व दिया गया था, उनमें से निम्न प्रमुख हैं—

- (क) राज्य सरकारों को भी जरूरत के मुताबिक शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र में किसी योजना के गठन में सहायता एवं सुझाव प्रदान करना।
- (ख) अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त विषयों में भारत सरकार को सुझाव एवं परामर्श प्रदान करना और सेवापूर्व तथा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना और सुधार हेतु योजना निर्माण करना।
- (ग) पंचवर्षीय योजनाओं में जिन योजनाओं को अध्यापक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया हो, उनकी निरन्तर प्रगति की समीक्षा करना।
- (घ) परिषद् से किसी सम्बन्धित आयाम के सन्दर्भ में यदि सरकार के द्वारा राय माँगी जाती है तो उपयुक्त सुझाव एवं अभिमत प्रस्तुत करना।
- (ङ) सरकार को इस बारे में निर्णय ग्रहण में सहयोग करना कि देश में अध्यापक शिक्षा स्तर को किस प्रकार से अपेक्षित एवं अभीष्ट वर्गीय बनाया जाए।

1995 के एन. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत इस परिषद् के कार्यक्षेत्र में विस्तारण हो पाया जिन्हें निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. **प्रमाणीकरण करना**—अध्यापक शिक्षा हेतु निर्धारित गुणवत्ता को स्मरण में रखते हुए परिषद् का कार्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों की निरीक्षण समितियों के माध्यम से जाँच करने के उपरान्त उनका प्रमाणीकरण करना भी है। मान्यता में जहाँ उपाधि को वैध करार दिया जाता है वहीं पर प्रमाणीकरण में संस्थान को शिक्षक शिक्षण के किसी भी स्तरीय पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए योग्य करार दिया जाता है जो कि शिक्षण-प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक साधन एवं सुविधाओं की पर्याप्तता पर आश्रित करता है।
2. **मान्यता प्रदान करना**—शिक्षक शिक्षण के विविध स्तरीय पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थानों के शिक्षा विभागों को परिषद् के द्वारा मान्यता प्राप्त करना आवश्यक माना गया और संसाधन एवं सुविधाओं की उचित जाँच करने के बाद जो कि सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध हो, परिषद् का कार्य उन्हें मान्यता प्रदान करना है।
3. **अधिकार-पत्र प्रदान करना**—यह भी इस परिषद् के हेतु एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया जिसके तहत परिषद् को उपयुक्त उपाधिधारी किसी व्यक्ति को शिक्षण कार्य को करने के लिए अधिकार-पत्र प्रदान करना आता है। पहले इसे दो साल तक के लिए पुनः बाद में 5 या 10 वर्ष की अवधि हेतु और अन्ततः आजीवन हेतु वैध अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

कुछ अन्य कार्यों को परिषद् हेतु निर्दिष्ट किया गया, जो निम्न हैं—

1. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के सर्वेक्षण कराना और प्राप्त परिणामों का प्रकाशन करना,

2. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए समन्वयन और नियमन (कोऑर्डिनेटिंग-मॉनीटरिंग) करना,
3. अध्यापक-शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी दिशा-निर्देश तैयार करना,
4. किसी स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मानक (न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कुशलता, दक्षता आदि) को निश्चित करना,
5. अध्यापक शिक्षा में नवीन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों के प्रारम्भीकरण के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश और विशिष्ट आवश्यकताओं की सूची तैयार करना जिनमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही स्तरीय अध्यापक शिक्षा सम्मिलित हों,
6. नियमित रूप से नवाचारिक और शोध सम्बन्धी गतिविधियों को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित करना,
7. समस्त शिक्षक कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं अनुदान हेतु प्रबन्ध करना,
8. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विकसित करना,
9. सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा योजना निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना जिससे सेवारत अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुसन्धान और सूचनाओं के बारे में अभिज्ञान प्राप्त हो सके,
10. अन्य संगठनों की सहभागिता को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुनिश्चित करना ताकि व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो सके,
11. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में वाणिज्यिकरण को रोकते हुए गुणवत्ता स्तर के उन्नयन एवं नियन्त्रण को सुनिश्चित करना,
12. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को उत्तम अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैयारी हेतु दायित्वशील बनाना है।

नोट

2.13 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) के शैक्षिक कार्यक्रम

- (1) बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन पर रोक—बी. एड. का स्तर निश्चित रूप से गिरता जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री के. एल. श्री माली ने केन्द्रीय सरकार को 31 अगस्त 1981 को बी. एड. पत्राचार के बन्द करने के लिए एक प्रतिवेदन दिया था।
- (2) व्यवसाय आचरण संहिता—नई शिक्षा नीति 1986 के अध्यापकों के लिये आचरण संहिता विकास हेतु कार्यशाला की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय सम्मेलन में आचरण संहिता पर विचार-विमर्श हुआ तथा इस परिषद् ने भी गम्भीरता से विचार किया।
- (3) अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्णरूप से बदलने का सुझाव दिया गया। इस परिषद् ने सन् 1976 में अध्यापक-शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया। इसने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिये एक 'एप्रोच पेपर' प्रस्तुत किया था।
- (4) अध्यापकों की सामाजिक तथा व्यावसायिक भूमिका—अध्यापकों की भूमिका के लिए मद्रास (चेन्नई) में सन् 1987 में एक कार्यशाला की व्यवस्था की गई। इसी प्रकरण पर

कश्मीर में एक सेमीनार हुआ जिसमें अध्यापकों के उत्तरदायित्वों पर विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस प्रकरण को महत्व दिया।

(5) **भावी कार्यक्रमों का प्रस्ताव**—इस परिषद् ने अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों को प्रस्तावित किया है।

- (क) प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास करना,
- (ख) अध्यापक-शिक्षा में प्रवेश के लिए मानदण्ड विकसित करना,
- (ग) अध्यापक-शिक्षा पत्रिका (N.C.T.E. Bulletin) का प्रकाशन करना,
- (घ) अध्यापक-शिक्षा का पाठ्यक्रम,
- (ङ) अध्यापक-शिक्षा का चार वर्षीय कार्यक्रम,
- (च) अध्यापक-शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन,

2.14 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—एन. सी. ई. आर. टी.

एन.सी.ई.आर.टी. के भिन्न-भिन्न योजनाओं के द्वारा परिषद् यह प्रयत्न करती है कि शिक्षक शिक्षण एवं विशेषतया माध्यमिक शिक्षण स्तर के स्तरोन्नयन का कार्य संभव हो सकता है। पाठ्यक्रमों को विकसित और आधुनिक बनाए रखने के लिए शिक्षकीय निर्देशन पुस्तिका, छात्र कार्य-पुस्तिका (वर्क-बुक) और उपयुक्त श्रव्य-दृश्य शिक्षण सामग्री का विकास करना, अध्यापक शिक्षा में उन्नयन हेतु विस्तार कार्यक्रम और क्षेत्रीय सेवा का विस्तार करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु ठोस प्रयत्न करते हुए उसे अधिकाधिक तौर पर वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना, विभिन्न विद्यालयीय विषयों में अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, विज्ञान तथा गणित शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वन करना जो देश में औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में सार्थक सिद्ध हो सके आदि परिषद् के द्वारा किए गए एवं आगामी दिनों में किए जाने वाले मूलभूत एवं ठोस कार्यकलाप हैं।

इस हेतु निम्न कार्यक्रमों का आयोजन परिषद् के द्वारा किया जाता है—

1. विज्ञान सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों के शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्रियों जैसे—चार्ट, मानचित्र, श्रव्य-दृश्य सामग्री) का निर्माण करना।
2. विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेषकर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि में सुधार हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम, उपकरण, पाठ्य-सामग्री आदि का निर्माण करना।
3. शोध एवं प्रतिभा खोज अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करना।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग की सहायता से शोध कार्य संचालित करना।
5. विद्यालय भवन निर्माण में किफायत हेतु शोध कार्य करना, शैक्षिक सर्वेक्षण करना, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानक शब्दावली निर्धारण में दिशा में ठोस प्रयत्न करना आदि।
6. अध्यापक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी आदि के क्षेत्र में कठिनाइयों के समाधान हेतु शोधकार्य व्यवस्थित करना।

7. राज्य केन्द्रों के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में ज्ञान हासिल करना।
8. प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम को अग्रसारित करना।
9. विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विकास अभिकरण और यू. जी. सी. की मदद से ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम संचालित करना।
10. प्रादेशिक शिक्षा संस्थानाधीन ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम एवं सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करना।

नोट

परिषद् द्वारा नियन्त्रक इकाई

मुख्यालय में परिषद् की नियन्त्रक इकाई कार्यरत है जिसका मूल कार्य परिषद् के कार्यों का प्रबन्धन, निदेशन और नियन्त्रण नियम, अधिनियम एवं प्रावधानों के अनुसार करना होता है। इस इकाई में 12 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष शिक्षा अथवा मानव संसाधन विकास मन्त्री होते हैं। परिषद् के नैमित्तिक कार्यों के संचालन और प्रबन्धन का कार्य निर्देशन के द्वारा संयुक्त निवेशक और सचिव की सहायता से किया जाता है। परिषद् के 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाईयाँ भी कार्यरत हैं।

यह विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि को तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक तरफ काम करती है तो दूसरी तरफ शिक्षा की दिशा में होने वाले अनुसंधान एवं अन्वेषण को भी आगे बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयत्न करती है। इस दिशा में समय-समय पर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को शैक्षिक सुझाव एवं परामर्श प्रदान करते रहना भी इस परिषद् का एक प्रमुख कार्य है। विस्तार सेवा विभागों को प्रत्येक राज्य में कायम किया गया है जिसके संयोजक अनेकानेक शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं एवं प्रधानतः ग्रन्थालय सेवा, श्रव्य-दृश्य सामग्री प्रदर्शन कार्यक्रम तथा प्रकाशन कार्य की देखभाल करते हैं। इनके अलावा शैक्षिक संगोष्ठियों, और परीक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयत्न करना, पाठ्यक्रम निर्माण हेतु प्रयत्न करना, अध्ययन वृत्त (अध्यापकीय) निर्माण करना ताकि विचारों का विनिमय करना सम्भव हो सके आदि भी उनके कार्यक्षेत्रों के तहत आता है। सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशन एवं पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों का आयोजन, अल्पकालीन गहन अध्ययन पाठ्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला, सभा आदि के द्वारा व्यावसायिक दक्षता में बढ़ोतरी के लिए प्रयास, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम, अध्यापक-अध्ययन केन्द्र और क्लब आदि का संगठन एवं संचालन करना शामिल होता है।

प्रादेशिक शिक्षा संस्थानों के सीमाक्षेत्र में सम्पूर्ण राष्ट्र को पाँच अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटकर सम्मिलित किया गया है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को उत्तरी क्षेत्र (अजमेर), महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि को मध्य क्षेत्र (भोपाल), बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि को पूर्वी क्षेत्र (भुवनेश्वर), आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि को दक्षिण क्षेत्र (मैसूर) तथा शेष राज्यों को (यथा-असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड आदि) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से भी पाठ्यक्रम, अध्यापकीय तैयारी, अनुदेशनात्मक सामग्री निर्माण, मूल्यांकन, सेवा विस्तार आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। राज्य

शिक्षा संस्थान के द्वारा भी शैक्षिक गतिविधियों में उचित तालमेल, समन्वयन, सहयोग आदि को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है।

नोट

अध्यापक-शिक्षा विभाग

एन. सी. ई. आर. टी. के अध्यापक-शिक्षा विभाग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं—

- (1) **प्राथमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षा** के कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम विभाग—इस प्रकार के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद् ने विकसित किया है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रमों के सुझाव दिये गए हैं जिसके अन्तर्गत शिक्षण कला, मनोविज्ञान, भाषा (हिन्दी तथा अंग्रेजी) वातावरण का अध्ययन, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, गणित और कला की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है।
- (2) **अध्ययन-सामग्री विभाग**—इस विभाग का कार्य प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु विज्ञान-शिक्षण तथा हिन्दी मातृ भाषा की शिक्षण विधियों पर अध्ययन सामग्री तैयार करना है।
- (3) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के लिये विद्यालय अनुभव हैण्ड बुक विभाग
- (4) अध्यापक-शिक्षा के प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग अध्यापक-शिक्षा विभाग के कार्य

इसके कार्य निम्नलिखित हैं—

- (1) सेवारत शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रसार की व्यवस्था करना।
- (2) प्राथमिक, माध्यमिक तथा विद्यालय की शिक्षा पर शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
- (3) अध्यापक-शिक्षा की समस्याओं के लिये शोध कार्यों का सम्पादन करना और बढ़ावा देना।
- (4) सेवारत शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रसार की व्यवस्था करना।
- (5) प्राथमिक, माध्यमिक तथा विद्यालयों की शिक्षा पर शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
- (6) अभिविन्यास पाठ्यक्रमों (Orientation Courses) की व्यवस्था करना।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कार्यक्रम

कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, यथा—एक वर्षीय अध्यापक शिक्षा, द्विवर्षीय औद्योगिक क्राफ्ट में डिप्लोमा (अध्यापकों के लिए), पत्राचार सेवाकालीन पाठ्यक्रम (जिसे एन. सी. टी. ई. की संस्तुति के अनुसार बाद में बन्द कर दिया गया था और पुनः सेवारत शिक्षक हेतु संचालन की व्यवस्था की जा रही है), चार वर्षीय एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में बी. एस. सी. , बी. ए., बी. एड जैसी उपाधियाँ दी जाती हैं जिसमें विषय ज्ञान में भाषा (प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी), सामाजिक अध्ययन, गणित, भौतिक विज्ञान, कला, काष्ठकला, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, शैक्षिक समस्याएँ, निर्देशन और मूल्यांकन को व्यावसायिक वर्ग में रखा गया है। दोनों ही क्षेत्र में लगभग बीस फीसदी अधिभार दिया जाता है। शेष 60 प्रतिशत अधिभार समानान्तर पाठ्यक्रम को दिया जाता है जिसमें शिक्षण विषयगत विशिष्ट ज्ञान और शिक्षण विधि एवं तकनीकी को महत्व दिया जाता है। कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य, ज्ञानानुप्रयोग, रसास्वादन

और मूल्यांकन आदि विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी भी इस पाठ्यक्रम के अधीन प्रदान की जाती है। शैक्षिक इस्तेमाल और शोध कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के साथ एक प्रदर्शन विद्यालय या डिमानस्ट्रेशन स्कूल जुड़ा होता है। अतएव अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम के संपादन में किंचित मात्र भी समस्या नहीं आती है। दीर्घकालीन इण्टर्नशिप के लिए फिर भी सहयोगी विद्यालयों की सहायता ली जाती है ताकि छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाएँ क्या और कैसे शिक्षण कार्य को ज्यादा असरकारी बनाया जा सकता है, इसके बारे में गहन ज्ञानार्जन करने में सक्षम हो सकें।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सेवारत अध्यापक-अध्यापिकाएँ अपने ही विद्यालय में संस्थान के विशेषज्ञ की देखरेख में शिक्षण अभ्यास का काम करते हैं, जबकि सैद्धान्तिक अध्ययन के लिए उन्हें संस्थान की ओर से हर सुविधा के साथ ही वृत्ति भी दी जाती है। इस हेतु ग्रीष्म कालीन अवकाश (दो) का इस्तेमाल किया जाता है।

विद्यालय प्रयोग हेतु दृश्य टेप, श्रव्य टेप, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप आदि का निर्माण परिषद् के द्वारा किया गया है। प्राथमिक तथा मिडिल स्तरीय विद्यालयीय विज्ञान किट का निर्माण अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो पाया है। विद्यालयीय संगणक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम का संचालन भी इस परिषद् के द्वारा किया जा रहा है और आधुनिक

स्मार्ट स्कूल (स्फूर्त विद्यालय) योजना का मूर्त रूप देने हेतु भी सराहनीय प्रयास परिषद् के द्वारा किया जा रहा है। परिषद् की प्रमुख पत्रिका तथा शोध पत्रिकाएँ हैं—इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइन्स, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी शिक्षक, जर्नल ऑफ इण्डियन एजुकेशनल आदि। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षण का आयोजन परिषद् के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है जिसमें सफल होने वाले प्रतिभावन छात्र/छात्राओं को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा विज्ञान में पी. एच. डी. स्तर तक अध्ययन हेतु लगातार छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। परिषद् ने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्य किया है। वर्ग 1 से 12 तक तकरीबन समस्त विषयों हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का काम भी परिषद् के माध्यम से किया जाता है।

यू. एन. एफ. ए. के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना, यूनीसेफ की प्राइमरी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राइमरी पाठ्यक्रम नवीनीकरण, सामुदायिक शिक्षा और बच्चों के लिए मीडिया प्रयोगशाला तथा बाल्यावस्था की शिक्षा जैसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में परिषद् ने सार्थक प्रयत्न किया है।

शिक्षा पर नवीन राष्ट्रीय नीति के 1986 में निर्माण के बाद परिषद् के द्वारा 'विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' नामक एक पुस्तिका हाल ही में (2005) तैयार की गई, जिसमें 1988 के दस्तावेज का आधुनिकीकरण किया गया। इस पुस्तिका में सन्दर्भ और सरोकार, प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या संयोजन, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या संयोजन, मूल्यांकन और व्यवस्था का प्रबन्धन सरीखे मूलभूत क्षेत्रों पर विशेष रूपरेखा का निर्माण एवं प्रस्ताव किया गया है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् एक ऐसा अभिकरण है जो अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में सामान्य और विद्यालयीय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रही है और शिक्षा में स्तरोन्नयन के लिए कटिबद्ध प्रतीत होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान

नोट

शैक्षिक राष्ट्रीय प्रणाली में इस संस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालयीय स्तर पर एक प्रमुख स्वायत्त केन्द्र है जो शैक्षिक क्षेत्र में नियोजन और प्रशासनिक प्रबंधन की दिशा में मुख्य भूमिका निभाती है। इस संस्थान का भी मुख्यालय नई दिल्ली के श्री अरविन्द मार्ग पर स्थित है और सम्बन्धित क्षेत्र में केन्द्रीय एवं उच्चतम संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्न हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों में सम्पर्क स्थापित करना।
2. शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन और शोध कार्यों में समन्वयन की कमी को दूर करने हेतु प्रयत्न करना।
3. सेवाकालीन कार्यक्रम के रूप में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि सम्बन्धित अधिकारियों में दक्षता और कुशलताओं का विकास करना सम्भव हो सके और नियोजन एवं प्रशासन में स्वच्छता आ सके।
4. प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को केन्द्रीय स्तर के साथ ही प्रादेशिक और राज्य स्तर पर सुलभ कराना जो शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से युक्त हो।
5. इस क्षेत्र में नवाचार और नवीन पद्धतियों के विकास हेतु विचार कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
6. सम्बन्धित क्षेत्र में नवीन समायोजनों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशन पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं समुचित ढंग से संचालन करना आदि।
7. सम्बन्धित क्षेत्र में साहित्य (पुस्तकें, शैक्षिक नियोजन और प्रशासनिक शोध-पत्रिका, पुस्तिका आदि) का प्रकाशन करना तथा आवश्यक निर्देशन की सुविधा उपलब्ध कराना (केन्द्र या राज्य स्तरीय व्यक्ति अथवा संस्थानों के लिए)।
8. सम्बन्धित क्षेत्र में आ चुकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित रूप से संगोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
9. अध्ययन-पुनरावलोकन (देशी तथा विदेशी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के सन्दर्भ में) तथा संगोष्ठी, सभा-प्रतिवेदन आदि को प्रकाशित करना जो नवीन तथ्य, सूचना, नवाचार आदि के बारे में सूचनाओं के सम्प्रसारण में सहायक हो।
10. शैक्षिक शोध विवरण को प्रकाशित करना और सैद्धान्तिक तथ्यों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेना।
11. विकसित देशों के साथ शैक्षिक नियोजन और प्रशासन की सुविधा एवं स्थिति को जानने के लिए सम्पर्क बनाए रखना।

शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में इस संस्थान के कार्यक्रम बहु-आयामी हैं। इसके द्वारा पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। शोध सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं प्रकाशन द्वारा सिद्धांत और उपयोग में समन्वय स्थापित किया जाता है। अन्य विकासशील देशों के नियोजन एवं प्रशासन सम्बन्धी शोध कार्यों की समीक्षा की जाती है। अपने देश की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। नवीन ज्ञान के आधार पर नियोजन एवं प्रशासन सम्बन्धी सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर संस्थान

के द्वारा बारह पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। जिन सेमिनार तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाती है उनके निष्कर्षों का प्रकाशन भी किया जाता है। जिन नवीन प्रवर्तनों तथा आयोगों को प्रयोग किया जाता है उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। यह संस्थान नियोजकों तथा प्रशासकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है तथा नवीन ज्ञान से अवगत कराता है।

नोट

2.15 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रत्येक राज्य ने इस संस्थान की स्थापना एक कार्यबल के रूप में की है, जिससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

1. सेवा पूर्व तथा सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।
2. प्रौढ़ शिक्षा में अनुदेशों पर्यवेक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए सतत् शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. शिक्षा संस्थाओं के प्राचार्यों को नियोजन एवं प्रबंधन कार्यों का प्रशिक्षण देना तथा सूक्ष्म स्तर पर नियोजन कार्य करना।
4. समुदाय के नेताओं तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं के प्रबंध को अभिविन्यास देना, जिससे विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सके।
5. जिला बोर्ड की शिक्षा तथा विद्यालयों की जटिल समस्याओं को शैक्षिक सहायता तथा सुझाव देना।
6. क्रियात्मक अनुसंधान प्रकल्पों का आयोजन करना तथा प्रयोगात्मक कार्यों को बढ़ावा देना।
7. यह संस्थान प्रौढ़ शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. शिक्षकों तथा अनुदेशकों को अध्ययन केन्द्रों की सेवाओं की व्यवस्था करना।
9. यह संस्थान सलाहकार तथा परामर्श एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
10. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कार्यशाला, सेमिनार तथा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करती है।

यह संस्थान राज्य शिक्षा परिषद् के अंतर्गत ही अपना कार्य करती है और परिषद् के विभिन्न विभागों से अनुदेशन सामग्री प्राप्त करके उनका उपयोग भी करती है। अध्यापकों का अपने शैक्षिक कार्यों को करने के लिए बढ़ावा देती है।

राज्यवार डाइटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	संख्या	क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	23	2.	अरुणांचल प्रदेश	11
3.	असम	19	4.	बिहार	24
5.	छत्तीसगढ़	07	6.	गोवा	01
7.	गुजरात	07	8.	हरियाण	17

9.	हिमाचल प्रदेश	12	10.	जम्मू तथा कश्मीर	04
11.	झारखंड	10	12.	कर्नाटक	20
13.	केरल	14	14.	मध्य प्रदेश	38
15.	महाराष्ट्र	30	16.	मणिपुर	08
17.	मेघालय	07	18.	मिजोरम	08
19.	नागालैण्ड	06	20.	उड़ीसा	17
21.	पंजाब	17	22.	राजस्थान	30
23.	सिक्किम	03	24.	तमिलनाडु	29
25.	त्रिपुरा	04	26.	उत्तर प्रदेश	70
27.	उत्तरांचल	10	28.	पश्चिम बंगाल	16
29.	अण्डमान व निकोबार	01	30.	चण्डीगढ़	—
31.	दादरा और नगर हवेली	—	32.	दमन और दीव	—
33.	दिल्ली	07	34.	लक्षद्वीप	01
35.	पाण्डिचेरी	1	कुल	498	

2.16 राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

एस.सी.ई.आर.टी. तथा अध्यापक शिक्षा निदेशालय 15 जनवरी, 1990 में अस्तित्व में आए। 1964 में यह राज्य शैक्षिक संस्थान के रूप में जाना जाता था।

एस.सी.ई.आर.टी. का प्रारूप

एस.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख विभाग तथा इकाईयाँ निम्नलिखित हैं।

- (i) पाठ्यक्रम विकास का विभाग
- (ii) अध्यापक शिक्षा तथा सेवारत शिक्षा विभाग
- (iii) शिक्षा अनुसंधान विभाग
- (iv) विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग
- (v) शिक्षा तकनीकी विभाग
- (vi) मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार विभाग
- (vii) जनसंख्या शिक्षा विभाग
- (viii) प्रारंभिक विद्यालय तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग
- (ix) प्रौढ़ शिक्षा तथा कमजोर वर्ग शिक्षा विभाग
- (x) विस्तृत सेवा तथा विद्यालय प्रबंधन विभाग
- (xi) प्रकाशन इकाई
- (xii) पुस्तकालय इकाई
- (xiii) प्रशासकीय इकाई

एस.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग का शैक्षणिक अंग है। जो विद्यालय शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा शिक्षक शिक्षा के अभिकरण की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयासरत रहता है।

एस.सी.ई.आर.टी. के कार्य

राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् NCERT के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक राज्य में गठित की गई है। SCERT में कार्यक्रम परामर्श समिति होती है जिसका प्रमुख राज्य शिक्षा मंत्री होता है।

एस.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- यह राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, सेकेण्डरी प्रशिक्षण विद्यालय तथा प्रारंभिक प्रशिक्षण विद्यालय की कार्य प्रणाली की देख रेख करता है।
- यह राज्य में सेवापरक अध्यापक शिक्षा का प्रबंध करता है तथा प्री स्कूल, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त करती है।
- यह अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों में सेवापरक अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।
- अध्यापकों तथा अध्यापक शिक्षकों के सर्वत्र विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- यह प्रीस्कूल, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षण संस्थानों में पाठ्यपुस्तकों, निर्देशन सामग्री का निर्माण तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करता है।
- यह न्छब्बथ् छब्बन् अन्य एजेन्सियों द्वारा चालित विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक प्रोजेक्ट कार्यान्वित करता है दजिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

भारत में सन् 1921 में द्वैध शासन की स्थापना से सन् 1929 में हरटॉग कमेटी ने शिक्षा सलाहकार परिषद् से सिफारिश की जो सन् 1935 में लागू हुई थी। सार्जेन्ट कमीशन ने सन् 1944 में राष्ट्र विकास को शिक्षा का लक्ष्य मानते हुए प्रशासन संबंधी मामलों में उदारता बरतने की सिफारिश की थी। इस तरह शैक्षिक जगत में सुधार करने, पठन-पाठन को सुव्यवस्थित करने, शिक्षा का समन्वित प्रचार-प्रसार कर भारत में शैक्षिक दृष्टि से समन्वित विकास करने, शैक्षिक प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने, परस्पर जानने पहचानने की शक्ति का प्रचार करने, शैक्षिक प्रशासन में एक नयापन, लाने एवं रचनात्मक और सृजनात्मक विकास हेतु शिक्षा जगत में भिन्न-भिन्न अभिकरणों की आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा संबंधी संस्थानों को हम निम्नलिखित तरह से स्पष्ट कर सकते हैं-

1. शैक्षिक प्रबन्ध के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से संपादित करने हेतु जिन अभिकरणों अथवा एजेन्सीज का प्रबन्ध किया गया है उनमें स्वैच्छिक एवं सरकारी दो तरह की एजेन्सीज मुख्यतया काम करती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं में कुछ संस्थाएँ तो पूरी तरह से स्वायत्त होती हैं एवं कुछ स्वायत्त संस्थाएँ होती हैं। सरकारी संस्थाओं अथवा अभिकरणों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय एजेन्सीज के रूप में क्रियाशील होती हैं। नगर परिषदों एवं ग्राम पंचायतें अथवा पंचायतें स्थानीय निकाय के ही अंग होते हैं। इस प्रकार एक चैनल के रूप में कार्य संपादित किया जाता है। सरकारी स्तर पर आम तौर पर यह भी समझा जा सकता है सफलता निचले स्तर पर सबसे अधिक निर्भर करती है। परन्तु शैक्षिक प्रबंध तथा प्रशासन के कुशल होने पर निचले स्तर से भी

नोट

सकारात्मक परिणामों की ही तुलना में की जाती है। परिणामतः शैक्षिक प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से भिन्न-भिन्न एजेन्सीज के माध्यम से शैक्षिक कार्यों को संपादित किया जाता है।

2. केन्द्रीय सरकार की भाँति राज्य स्तर पर भी शैक्षिक कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु मध्यस्थता की श्रेणी में एक चैनल काम करती है। इस चैनल में शिक्षा मंत्री, उप शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव, संयुक्त शिक्षा सचिव, शिक्षा संचालक, अतिरिक्त शिक्षा संचालक, सह शिक्षा संचालक, शिक्षा उप संचालक, क्षेत्रीय शिक्षा संचालक, जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय उप निरीक्षक इत्यादि एक चैनलशृंखलाबद्ध ढंग से शिक्षा संबंधी कामों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाती है।

संयुक्त शिक्षा सचिव के अधीन शिक्षा सचिव, शिक्षा उप सचिव और शिक्षा सह सचिव का एक चैनल भी होता है। अतएव छात्रों की शिक्षा के प्रचार-प्रसार और छात्र शिक्षा विकास हेतु क्षेत्रीय निरीक्षकों का भी प्रबन्ध रहता है। इस तरह राज्य स्तर पर भी शिक्षा संचालन हेतु अलग-अलग एजेन्सीज कार्य करती हैं। शैक्षिक प्रशासन का प्रबन्ध स्थानीय स्तर पर भी होती है। इसके तहत सरकार की योजनाओं को शिक्षा जगत में लागू करने की अलग-अलग कार्य योजनाएं शामिल होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य

- (i) शिक्षा प्रशासन के प्रबंधकीय कार्यों को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु एक अच्छे प्रबंधन कार्यों का संपादन करना।
 - (ii) विद्यालय की मान्यता संबंधी औपचारिकताओं का पालन कराना तथा उस विद्यालय को मान्यता देने अथवा नहीं देने के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना।
 - (iii) विद्यालयों में लागू की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का चयन करना एवं विद्यालयों का निरीक्षण करना भी स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित एजेन्सीज ही निभाती है। शैक्षिक प्रशासन में स्थानीय स्तर पर जिला परिषद एक उच्च स्थानीय संस्था होती है जबकि जिला परियोजना अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा) जिला शिक्षा अधिकारी से निचले स्तर की सीढ़ी होती है। इसी प्रकार नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका शिक्षा अध्यक्ष एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु सह उपनिरीक्षक काम करते हैं।
 - (iv) विद्यालयों को अनुदान देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना तथा अनुदान (Grant) संबंधी काम करते हैं।
 - (v) प्रधानाध्यापक विद्यालयों में यद्यपि प्रबंधक के रूप में तथा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। परन्तु विद्यालयों में लागू किए जाने वाले पाठ्यक्रम का निर्धारण भी स्थानीय स्तर पर ही संपादित किया जाता है।
3. केन्द्र सरकार के स्तर पर भी शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन संबंधी कार्य एक चैनल के माध्यम से संपादित होता है। इस चैनल की प्रत्येक कड़ी शैक्षिक कार्य को संपादित करने वाली एजेन्सी होती है। भारत में केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्यों की सूची निम्नलिखित प्रकार है—
- (क) शिक्षा मंत्री
 - (ख) राज्य उप मंत्री

- (ग) शिक्षा उप पंजी
 (घ) शिक्षा सचिव
 (ङ) निदेशक स्तर पर शैक्षिक कार्यों का चैनल इस तरह होता है—

परामर्शदाता, उपपरामर्शदाता, कार्यक्रम संभाग

- (i) सांख्यिकी तथा सूचना
 (ii) परियोजना
 (iii) प्रौढ़ शिक्षा

(च) **संयुक्त सचिव**—कार्यों को संपादित करने की प्रबन्ध संयुक्त सचिव स्तर पर निम्नलिखित प्रकार की गई है—

- (i) उप सचिव (पुस्तक सुधार)
 (ii) उप शिक्षा परामर्शदाता उप सचिव (युवा सेवा)
 (iii) उप सचिव (हिन्दी खण्ड)
 (iv) विशेषाधिकारी (संस्कृत)
 (v) निदेशक (प्रशासन)

(छ) **संयुक्त सचिव**—शैक्षिक कार्यों को गति संयुक्त सचिव स्तर पर देने हेतु भारत में निम्नांकित क्रियाशील है—

- (i) कार्यक्रम प्रबन्धक
 (ii) शिक्षा उपपरामर्शदाता
 (iii) उप सचिव (विद्यालय संभाग)
 (iv) उप सचिव (यूनेस्को संभाग)
 (v) सहायक शिक्षा परामर्शदाता (प्रकाशन एकक)

(ज) **निदेशक** (आन्तरिक वित्त)

(झ) **संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता**—इस स्तर पर भी निम्नलिखित तीन चैनलों में होकर कार्य संपादित होता है—

- (i) उपपरामर्शदाता (सचिव क्षेत्र)
 (ii) उपपरामर्शदाता (उच्च शिक्षा)
 (iii) उप सचिव (विदेश छात्रवृत्ति)

(ञ) **शिक्षा परामर्शदाता** (तकनीकी)

- (i) उप परामर्शदाता (तकनीकी शिक्षा विभाग)

शैक्षिक कार्य का संपादन उपर्युक्त चैनल के माध्यम से भारत में केन्द्र स्तर पर होता है। केन्द्रीय शिक्षा नीति का संचालन भारत में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के माध्यम से किया जाता है। भारत में शिक्षा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही केन्द्र सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों

नोट

में भारत की स्थिति, प्रकृति एवं राज्यों में शिक्षा विभाग का प्रबन्धक तटस्थ मध्यस्थता का कार्य करता है। समय-समय पर केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी शिक्षा अपने द्वारा (राजस्थान सरकार की योजना) अपने स्तर पर कई योजनाएँ क्रियान्वित करती हैं। इस प्रकार सरकारी स्तर पर भी शैक्षिक प्रबन्ध है।

2.17 अध्यापक शिक्षा की एजेंसियाँ-एकेडमिक स्टाफ कॉलेज

विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेतनमान के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने वाली मेहरोत्रा समिति के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने पूरे देश में 50 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज (Academic Staff Colleges) स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान समय में भारत में एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की संख्या 66 है। ये कॉलेज विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों की कार्य-पद्धति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश की नयी शिक्षा-नीति भली प्रकार कार्यान्वित की जा सके। शिक्षकों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाये बिना उच्च शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती, मेहरोत्रा समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उच्च शिक्षा स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षक को अग्रिम वेतनमान पर तभी प्रोन्नत किया जा सकेगा जब वह एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। चाहे यह प्रशिक्षण किसी परम्परागत विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो।

मेहरोत्रा समिति के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में 50 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान समय में यह संख्या बढ़कर 66 हो गई है।

कुछ आधारभूत समस्याएँ (Some Basic Problems)—ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कुछ समस्याएँ उत्पन्न करेंगे जिनका हल पहले ही खोज लेना होगा। यह तो सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U. G. C.) के सामने इनकी स्थापना में वित्तीय अड़चन नहीं आयेगी, परन्तु निम्नलिखित समस्याएँ अवश्य सामने आएँगी—

- (1) विश्वविद्यालय अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करने से सम्बन्धित समस्या।
- (2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियुक्त स्टाफ की आकार-सम्बन्धी समस्या।
- (3) उस गुणवत्ता (Quality) की समस्या, जिनके आधार पर अनुदेशकों (Instructors) का चुनाव होगा।
- (4) ये अनुदेशक आस्था और सफलता के साथ कर्तव्य निर्वाह कर सकें, इसके लिए कोई प्रलोभन (Motivation) निर्धारित करने की समस्या।
- (5) विश्वविद्यालय प्रशासन से इन कॉलेजों को मिलने वाले सहयोग के न मिलने की आशंका, जिससे कर्तव्यपरायणता में बाधा आ सकती है।
- (6) विश्वविद्यालय अध्यापकों के पुनःप्रशिक्षण (Retraining) के लिये आने से पूर्व अनुदेशकों (Instructors) की तैयारी की समस्या अर्थात् उनके सामने विशिष्ट प्रशिक्षण तथ्य (Issues) क्या हों? दृष्टिकोण (Aspects) क्या हों और विषय-सामग्री (Content) क्या हों? इनके निर्धारण के बिना वे इन अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते।
- (7) इन समस्याओं के निराकरण के बिना ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में सफल नहीं हो सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U. G. C.) जब अध्यापकों

के पुनर्प्रशिक्षण के काम को किसी

एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज को सौंपेगी तो वह उसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेगी। तभी शिक्षक एक उपयुक्त बौद्धिक (Intellectual), नैतिक (Moral) सामाजिक (Social) वातावरण पा सकेंगे और कॉलेज ठीक प्रकार से कर्तव्य निर्वाह कर पायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ये कार्यक्रम भारतीय दशाओं के अनुरूप ही आयोजित किये जाने चाहिए।

नोट

विकल्प (The Alternatives)—यह सुझाव दिये गये हैं कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों के पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये—

- (1) ये एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज (A. S. C.) विश्वविद्यालय की परिसीमा में रहते हुए पृथक् सत्ता (Separate Entity) के रूप में काम करें।
- (2) इसे अनवरत शिक्षा (Continuing Education) का पृथक् विभाग (Department) माना जाय।
- (3) इसे कॉलेज विकास परिषद् (College Development Council) की भाँति कार्य करने वाला माना जाय जैसे सम्बद्ध विश्वविद्यालय (Affiliating University) अपने उत्तरदायित्व पर इसका संचालन करता है।
- (4) इस एकेडेमिक स्टाफ को अच्छे कार्यान्वयन के लिए राज्य की शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की संस्था (Institute of Educational Planning and Administration) के रूप में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को एकेडेमिक स्टाफकॉलेज के संचालन के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी है कि वह उपयुक्त किसी भी विकल्प को चुन लें।

प्रमुख लक्ष्य (The Major Objectives)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज के निम्नलिखित लक्ष्य (Objectives) निर्धारित किये हैं—

- (1) विद्यालय शिक्षा का भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित लोकतान्त्रिक परिवेश में आर्थिक और सामाजिक विकास से अटूट सम्बन्ध बना रहे।
- (2) यह समझना कि अध्यापक भारत में धर्म-निरपेक्ष (Secular) समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके आर्थिक, राजनीतिक जन्मसिद्ध अधिकार और सुविधाएँ निर्बाध गति से मिलते रहें।
- (3) शिक्षण की आधारभूत कुशलता (Basic Skill of Teaching) को अर्जित करना और उसमें सुधार लाना।
- (4) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के संगठन (Organization) प्रबन्ध (Management) तथा प्रशासन (Administration) के मूलभूत आधारों (Fundamentals) को ग्रहण करके उन्हें लागू करने की क्षमता प्रदान करना।

उपर्युक्त चारों लक्ष्य स्वयं ही स्पष्ट हैं। अब हमें यह देखना है कि एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज, इन लक्ष्यों को किस सीमा तक अवहेलना कर सकते हैं या उन पर आवश्यकता से अधिक बल दे सकते हैं।

पाठ्यक्रम (The Curriculum)—उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों को अपना उपयोगी पाठ्यक्रम निर्धारित करना होगा। यह कार्य कठिन नहीं होगा, क्योंकि उपर्युक्त प्रत्येक लक्ष्य स्वयं स्पष्ट है और पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए उपर्युक्त दिशा निर्धारित करता है।

नोट

अध्यापक मण्डल (The Staff)—एकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों के लिए अनुदेशकों (Instructors) का चयन बड़ी ही गम्भीरता और कुशलता से करना होगा। अन्यथा लक्ष्यों की पूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में हमें कोई मानदण्ड (Criteria) निर्धारित करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन कॉलेजों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी है कि वे जहाँ से भी चाहें और जैसे भी चाहें अनुदेशक चुन सकते हैं। सम्भवतः इनका चयन विश्वविद्यालय में से ही किया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्य से हमें ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है जो यह दिशा देता हो कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाय? क्या तकनीक अपनायी जाय। कक्षा की स्थिति में विश्वविद्यालय अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है। भारत में एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज की योजना पुरानी है, अतः इसकी उपयोगिता और सम्भावनाओं पर कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु इतनी बात अवश्य मन में घूमती है कि कुछ लोग व्यर्थ ही बिना योग्यता के अनुदेशक (Instructor) बनने की कामना करते रहते हैं। अनुदेशक (Instructor) बनने के लिए सेवा-दशाओं (Service Conditions) का उपयुक्त और आकर्षक होना बहुत आवश्यक है। परन्तु इस आकर्षण से प्रशासन और व्यवस्था में भाई-भतीजावाद और स्वार्थपरता की भावना आ जायेगी जो एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज के लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक होगी। भले ही बिलम्ब हो जाय, परन्तु इस समस्या का हल भी गम्भीरता से सोच लेना चाहिए जिससे इन कॉलेजों की उपयोगिता बनी रहे।

2.18 भर्ती

भर्ती पर्याप्त जनशक्ति स्रोतों का विकास और अनुरक्षण है। इसमें उपलब्ध मानव संसाधनों के एक छोटा तालाब का निर्माण शामिल है जिसमें से संगठन निकाल सकते हैं जब अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत हो। भर्ती कुछ कौशल, क्षमता, और एक संगठन में नौकरी रिक्तियों के लिए अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है।

देनेर्ले और प्लुम्ब्लय (1969), भर्ती लोगों की अपेक्षित संख्या और उनकी गुणवत्ता मापने से संबंधित है। यह न केवल एक कंपनी की जरूरत को पूरा करने की एक बात है, यह एक गतिविधि भी है जो कंपनी के भविष्य के आकार को प्रभावित करती है। निम्नलिखित के लिए भर्ती की जरूरत उत्पन्न हो सकती:

- (1) पदोन्नति, स्थानांतरण, समाप्ति, सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता या मौत की रिक्तियों की वजह से
- (2) व्यापार के विस्तार, विविधीकरण, विकास, और इतने पर की वजह से रिक्तियों का निर्माण।

भर्ती समारोह

भर्ती का कार्य जनशक्ति के स्रोतों का पता लगाने के लिए काम की जरूरतों और विनिर्देश को पूरा करना है। भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है जो चयन के साथ जारी होता है और उम्मीदवार की नियुक्ति के साथ समाप्त होता है। नौकरियों को भरने के लिए उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों की

प्रभावी आपूर्ति उद्यम और संबद्ध कारकों की प्रतिष्ठा, श्रम बाजार के राज्य के रूप में कई कारकों पर मुख्य एचआर कार्यपद्धति निर्भर करेगा। आंतरिक कारकों में तनख़्वाह और वेतन की नीतियां मौजूदा कर्य बल की उम्र संरचना, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की नीतियां, कारोबार दर और अपेक्षित कार्मिकों के प्रकार शामिल हैं। भर्ती के बाहरी निर्धारक सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी कारक हैं।

एक पर्याप्त मानव संसाधन के बिना कंपनी समृद्ध, विकसित या यहाँ तक कि जीवित नहीं रह सकती। हाली के वर्षों में प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए आवश्यक एक कुशल भर्ती कार्य की स्थापना के लिए कुछ संगठनों पर दबाव दिया गया है।

2.19 भर्ती के तरीके

जब भर्ती सूत्रों से संकेत मिलते हैं जब मानव संसाधन प्राप्त की जा सकती है, भर्ती के तरीकों और तकनीकों के साथ सौदा कैसे इन स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए है। डन और स्टीफंस भर्ती विधि-प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तीसरे पक्ष के एक तीन स्तरीय वर्गीकरण का पालन करते हैं।

सीधे तरीके: इसका सबसे अधिक उपयोग प्रत्यक्ष विधि स्कूलों, कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों पर होता है। आमतौर पर, इस प्रकार की भर्ती की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों में साक्षात्कार की व्यवस्था, और उपलब्ध स्थान और छात्रों बायोडेटा बनाने में कि जाती है। संगठनों का परिसर में भर्ती के माध्यम से निश्चित लाभ है। सबसे पहले, लागत कम है, दूसरा, वे अल्प सूचना पर साक्षात्कार की व्यवस्था कर सकते हैं, तीसरा, वे शिक्षण संकाय को पूरा कर सकते हैं, चौथा, यह उन्हें एक बड़े परिसर में भर्ती छात्र की मांग समुदाय संगठन को बेचने का अवसर देता है। प्रबंधकीय और पर्यवेक्षी पदों के लिए इसके अतिरिक्त, कई संगठनों यात्रा नियोक्ताओं का उपयोग व्यावसायिक स्कूलों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए करते हैं। कभी कभी, यहां तक कि अकुशल श्रमिक भी इस पद्धति से आकर्षित हो रहे हैं।

अन्य सीधे तरीके में नियोक्ताओं के भेजने के लिए नौकरी मेलों में प्रदर्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल शिविरों का उपयोग करने के लिए खरीदारी केन्द्रों का दौरा और स्थानों जहां बेरोजगार संपर्क किया जा सकता है की स्थापना शामिल है।

अप्रत्यक्ष तरीके: इसका सबसे अधिक उपयोग अखबारों, पत्रिकाओं जैसे प्रकाशनों में विज्ञापन और व्यापार पत्रिकाओं तथा तकनीकी और व्यावसायिक पत्रिकाओं में होता है। जगह, मीडिया और विज्ञापनों के समय का चुनाव और पाठक के लिए अपील सभी विज्ञापनों की प्रभावकारिता निर्धारित पर है।

एक उपयोगी विज्ञापन को काम का एक संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहिए; जैसे उत्पाद/सेवा, आकार, उद्योग प्रकार, लाभप्रदता, विस्तार कार्यक्रमों के संगठन का एक सारांश, और मुआवजा पैकेज का एक प्रस्ताव। एक अच्छे विज्ञापन को विशिष्ट, स्पष्ट, पाठक के अनुकूल और आकर्षक होना चाहिए। अस्पष्ट शब्दों में और व्यापक आधारित विज्ञापन अप्रासंगिक अनुप्रयोगों का बहुत उत्पादन कर सकते हैं जो प्रसंस्करण की लागत में वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक विज्ञापन की तैयारी में इसलिए, स्वयं का चयन आवेदकों के बीच सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी ली जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोगों को विशिष्ट जरूरतों को पूरा के लिए विज्ञापन का जवाब देने के बारे में सोचना चाहिए। एक सावधानी से शब्दों में लिखे गए विज्ञापन संगठन की छवि के निर्माण में मदद कर

सकते हैं। विज्ञापन को संगठन और संभावित उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के लिए भरती केंद्र से नौकरी के बारे में संपर्क की जानकारी का संकेत प्रदान करना चाहिए। अन्य अप्रत्यक्ष विज्ञापन तरीकों में रेडियो और टीवी विज्ञापन शामिल हैं। नोटिस बोर्ड कंपनी के द्वार पर रखा विज्ञापन का अक्सर इस्तेमाल होने वाला एक अन्य तरीका है।

तीसरे दल के तरीके: इसका सबसे अधिक उपयोग सार्वजनिक और निजी रोजगार एजेंसियों में होता है। सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों को कारखाने के कर्मचारियों और क्लर्क की नौकरी के साथ बड़े पैमाने पर किया गया है। वे यह भी पेशेवर कर्मचारियों की भर्ती में मदद करने के लिए प्रदान करते हैं। वे निजी एजेंसियों परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रमुख एचआर कार्यपद्धति एक शुल्क चार्ज करते हैं। इन्हें आम तौर पर गुणों, कार्यालय के कर्मचारियों, विक्रेता, पर्यवेक्षी और प्रबंधन कमियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है।

2.20 प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए चयन मानदंड

पूर्व प्राथमिक शिक्षक, अधिमानतः में कम से कम 50% कुल अंक के साथ 12 वीं कक्षा पास होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की एक संख्या है जो पूर्व स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का संचालन करते हैं। मोटेसरी शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल है जो स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता जिसके पास एक नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा या डिग्री हो। आम तौर पर उम्मीदवार जिसके पास शिक्षा में डिप्लोमा (बीएड) है वे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में अपना कैरियर शुरू करते और धीरे-धीरे उसे ऊपर ले जाते हैं। उम्मीदवार जो गृह विज्ञान में डिप्लोमा कर रहे हैं वे भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए चयनित किए जा सकते हैं। उम्मीदवार के पास कम से कम 55% कुल अंक के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और या एक शिक्षा या शिक्षण में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार को डिप्लोमा या डिग्री की पढ़ाई के दौरान कम से कम शिक्षण के विषयों में से किसी एक अध्ययन करना चाहिए।

2.21 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी)

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पारित करने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में योग्यता प्राप्त करना अब सभी मौजूदा और महत्वाकांक्षी देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) टी.ई.टी के संचालन के लिए दिशा निर्देशों को प्रकाशित किया गया है, जिसमें परीक्षण के लिए औचित्य, पात्रता परीक्षा लेने के लिए, संरचना और परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम, किस प्रकार के सवाल हैं पूछे जाएंगे और एक शिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंक के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में एक डिग्री (बी.एड. या डी.एड) है या परीक्षा लेने के वर्ष में डिग्री को पूरा करने के कगार पर हो वह सी.टी.ई.टी या किसी अन्य टी.ई.टी राज्यों द्वारा आयोजित लेने के लिए योग्य है। शिक्षकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर टी.ई.टी लेने की आवश्यकता होगी जो टी.ई.टी के समय से पहले अधिसूचित किया है। इस तरह की एक अर्हक परीक्षा भर्ती मंच से सही शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मदद कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार और कई राज्यों में टी.ई.टी का आयोजन शुरू कर दिया गया है। अगले सी. टी.ई.टी 29 जनवरी, 2012 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ है कैसे वेबसाइट सी.टी.ई.टी टेस्ट का वर्णन करती है।

यह अन्य बातों के साथ प्रदान किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 2 के खंड (एन) में निर्दिष्ट स्कूलों में से किसी में एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है कि वह/यह शिक्षक पात्रता टेस्ट (टी.ई.टी) जो एनसीटीई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें पारित होना चाहिए।

एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता टी.ई.टी सहित के लिए तर्क निम्नवत है:

- इससे भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय और बेंचमार्क शिक्षक गुणवत्ता के मानकों को लाएगी।
- इससे अध्यापक शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के छात्रों को प्रेरित करने के लिए आगे अपने प्रदर्शन के मानकों में सुधार होगा।
- यह सभी हितधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत भेजता है कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर देती है।

नोट

2.22 शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए चयन मानदंड

एनसीटीई के विनियम में शिक्षकों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता।

(क) बीएड शिक्षण कार्यक्रम के लिए योग्यता

(1) प्रधानाचार्य/प्रमुख (बहु संकाय संस्थान में)

- (i) शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के रूप में व्याख्याता के पद के लिए निर्धारित किया जाएगा;
- (ii) शिक्षा में पीएच.डी. और,
- (iii) दस साल का अध्यापन अनुभव जिनमें से कम से कम पांच साल का एक माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्था में अध्यापन अनुभव हो।

उपरोक्त पात्रता मानदंड के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह प्रदान किया जाता है कि, यह अनुमति एक वर्ष के भीतर की अवधि के समय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/प्रधान अनुबंध के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति होगी, ऐसे समय तक उम्मीदवारों की उम्र पैंसठ साल पूरी होनी चाहिए।

(2) सहायक प्रोफेसर

(क) फाउंडेशन पाठ्यक्रम

- (i) 50% अंक के साथ विज्ञान/मानविकी/कला में एक मास्टर की डिग्री (या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)

- (ii) एम. एड. कम से कम 55% अंक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) और
- (iii) कोई अन्य यूजीसी/किसी भी ऐसे सम्बद्ध शरीर/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम, प्राचार्य और व्याख्याताओं के पदों के लिए समय-समय पर अनिवार्य होंगे
या
- (i) शिक्षा में 55% अंक के साथ एम.ए. (या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (ii) बी एड. कम से कम 55% के साथ (या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (iii) कोई अन्य यूजीसी/किसी भी ऐसे सम्बद्ध शरीर/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम, प्राचार्य और व्याख्याताओं के पदों के लिए समय-समय पर अनिवार्य होंगे।

(ख) कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम

- (i) 50% अंक के साथ एक विषय में मास्टर डिग्री(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (ii) एम.एड. डिग्री कम से कम 55% अंक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (iii) कोई अन्य यूजीसी/किसी भी ऐसे सम्बद्ध शरीर/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम, प्राचार्य और व्याख्याताओं के पदों के लिए समय-समय पर अनिवार्य होंगे।

यह प्रदान किया जाता है कि कम से कम एक व्याख्याता के पास विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी और दूसरे में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

(ख) एमएड पाठ्यक्रम के लिए योग्यता

(1) प्रोफेसर / प्रधान

- (i) कला / मानविकी / विज्ञान / वाणिज्य में एक मास्टर की डिग्री और एम. एड .55% अंक न्यूनतम की एक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) या एम.ए(शिक्षा) 55% अंक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) और बी. एड. 55% न्यूनतम अंक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (ii) शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी, और
- (iii) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग या शिक्षा के कॉलेज में कम से कम दस साल का अध्यापन का अनुभव जो की एम.एड स्तर में न्यूनतम पांच साल की एक विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित काम के साथ।

उपरोक्त पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/पाठक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह प्रदान किया जाती है कि, एक

वर्ष के भीतर की अवधि के समय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/पाठक संपर्क के आधार पर शिक्षक शिक्षा के अधिकरण शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति करने के लिए अनुमति है।

ऐसे समय तक उम्मीदवारों की उम्र पैंसठ साल पूरी होनी चाहिए।

(2) सहयोगी प्रोफेसर

- (i) कला / मानविकी / विज्ञान / वाणिज्य में एक मास्टर की डिग्री और एम. एड. 55% अंक न्यूनतम की एक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) या एम.ए (शिक्षा) और बी.एड. 55% न्यूनतम अंक की एक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है)
- (ii) शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी, और
- (iii) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग या शिक्षा के कॉलेज में कम से कम आठ साल का अध्यापन का अनुभव जो की एम.एड स्तर में न्यूनतम तीन साल की एक विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित काम के साथ।

(3) सहायक प्रोफेसर

- (i) कला / मानविकी / विज्ञान / वाणिज्य में एक मास्टर की डिग्री और एम. एड .55% अंक न्यूनतम की एक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) या एम.ए (शिक्षा) और बी.एड. 55% न्यूनतम अंक की एक के साथ(या एक बिन्दु पैमाने में एक समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) और कोई अन्य यूजीसी/किसी भी ऐसे सम्बद्ध शरीर/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम, प्राचार्य और व्याख्याताओं के पदों के लिए समय-समय पर अनिवार्य होंगे।

यह प्रदान किया जाता है कि यह वांछनीय है एम. एड के अतिरिक्त कि एक संकाय सदस्य के पास मनोविज्ञान में एक मास्टर की डिग्री है और अन्य सदस्य के पास दार्शनिक/समाजशास्त्र में।

2.23 आयोग के जाँच के विषय

आयोग से लगभग 20 विषयों की जाँच करने के लिये कहा गया था, जिनमें से मुख्य थे—

1. भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन, नियन्त्रण, कार्य-क्षेत्र एवं विधान के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन।
2. विश्वविद्यालय-शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम।
3. प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना।
4. भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा एवं अनुसन्धान कार्य के उद्देश्य।
5. छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा-कार्य (Tutorial Work) आदि का संयोजन।
6. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में उन्नयन।

नोट

7. विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा।

8. अध्यापकों की योग्यताएँ, सेवा-दशाएँ, वेतन, कार्य एवं अधिकार।

सारांश में “आयोग” से विश्वविद्यालय-शिक्षा के सब अंगों का अध्ययन करने और उनमें सुधार करने के लिये सुझाव देने को कहा गया। “आयोग” ने इन कार्यों को एक वर्ष से कम समय में ही समाप्त करके 25 अगस्त, सन् 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित कर दिया।

2.24 आयोग के सुझाव तथा सिफारिशें

“आयोग” ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी अंगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं और उनमें सुधार करने के लिये ठोस सुझाव भी दिये हैं। महत्वपूर्ण अंगों से सम्बन्धित उसके विचारों, सुझावों और सिफारिशों को अलग-अलग शीषकों के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया है—

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य (Aims of University Education)—“आयोग” ने विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य बताये हैं—

- (i) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महान् परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः अब उन्हें राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिये।
- (ii) विश्वविद्यालयों को प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये, शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिये।
- (iii) विश्वविद्यालय समाज-सुधार के कार्य में महान योग दे सकते हैं। अतः उन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों (Intellectual Adventurers) को जन्म देना चाहिये।
- (iv) विश्वविद्यालयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को विस्मृत नहीं चाहिये। अतः इन्हें राष्ट्रीय विरासत को अपनाने वाले और उसमें योगदान देने वाले नवयुवकों को तैयार करना चाहिये।

“आयोग” के शब्दों में—“हम न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातन्त्र की खोज में संलग्न हैं। अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्यतः इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिये।”

(2) शिक्षक-वर्ग (Teaching Staff)—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की दशा में सुधार करने के लिये निम्न सुझाव दिये हैं—

- (i) शिक्षकों के लिये किराये के निवास-स्थानों की विश्वविद्यालय के समीप ही व्यवस्था होनी चाहिये।
- (ii) शिक्षकों को अध्ययन के लिये एक बार में 1 वर्ष का और सम्पूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिये।

- (iii) शिक्षकों को “प्रॉविडेण्ट-फण्ड” की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इस फण्ड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय दोनों को 8-8 प्रतिशत देना चाहिये।
- (iv) शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घण्टे (Periods) से अधिक का शिक्षण-कार्य नहीं दिया जाना चाहिये। (अ) शिक्षकों (Teachers) को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पदों से अवकाश दिया जाना चाहिये। अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों (Professors) को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- (3) **शिक्षण के स्तर (Standards of Teaching)**—“आयोग” ने कॉलेजो और विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर का उन्नयन करने के लिये अधोलिखित सिफारिशों की हैं—
- (i) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा-दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाना चाहिये।
- (ii) छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिये शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3,000 और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में 1,500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिये।
- (iii) स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याख्यानों में उपस्थित होने के लिये विवश नहीं किया जाना चाहिये। स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचार-गोष्ठियों (Seminars) की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिये।
- (iv) शिक्षकों के व्याख्यान परिश्रम और सावधानी से तैयार किये जाने चाहिये। उनके व्याख्यानों की पूर्ति करने के लिये लिखित कार्य, ट्यूटोरियल कक्षाओं और पुस्तकालयों में अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- (v) परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिये न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40 प्रतिशत होना चाहिये।
- (4) **पाठ्यक्रम (Courses of Study)**—“आयोग” के पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचार निम्नांकित हैं—
- (i) स्नातकोत्तर उपाधि-स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात् और “आनर्स कोर्स” के 1 वर्ष पश्चात् दी जानी चाहिये।
- (ii) शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य और विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
- (iii) स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिये अध्ययन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिये।
- (iv) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिये जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा समाप्त कर चुके हों।
- (v) विशेषीकृत शिक्षा (Specialization) के दोषों का निवारण करने के लिये विश्वविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों में “सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग” (Theory and Practice of General Education) का शिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिये।
- (5) **शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)**—“आयोग” ने सब राज्यों और जातियों की भाषाओं पर विचार करने के बाद शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्नांकित विचार व्यक्त किये हैं—

- (i) संघीय भाषा के लिये केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिये और इस लिपि के दोषों को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिये।
- (ii) संघीय और प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने के लिये शीघ्र ही ठोस कदम उठाये जाने चाहिएँ।
- (iii) उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाए प्रादेशिक भाषाएँ होनी चाहिये, पर संघीय भाषा (हिन्दी) को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।
- (iv) विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सम्पर्क में रखने के लिये हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा को बनाये रखना चाहिये।
- (v) उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिये—(a) मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा, (b) हिन्दी अर्थात् संघीय भाषा और (ब) अंग्रेजी।

(6) **स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य** (Post-Graduate Training and Research Work)—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्य के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

- (i) स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिये और छात्रों एवं शिक्षकों में घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहिये।
- (ii) एम. एम-सी. एवं पी-एच. डी. के छात्रों को “शिक्षा-मंत्रालय” द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिये।
- (iii) स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में एक विशेष विषय के उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिये।
- (iv) डी. लिट् और डी. एम-सी. उपाधियाँ केवल उच्च कोटि के मौलिक एवं प्रकाशित कार्यों पर दी जानी चाहिए।
- (v) पी-एच. डी. के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिये और उनके अनुसंधान कार्य की अविधि दो वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(7) **परीक्षाएँ (मांडपदंजपवदे)**—“आयोग” ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया है। अतः “आयोग” ने यह विचार प्रकट किया है—“हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हमसे विश्वविद्यालय शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिये कहा जाये, तो वह सुझाव परीक्षाओं के सम्बन्ध में होगा।” इन परीक्षाओं को दोष-मुक्त करने के लिये, “आयोग” ने निम्नलिखित सिफारिशों की हैं—

- (i) त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात् न ली जाकर, प्रत्येक वर्ष के अन्त में ली जानी चाहिये।

यह परीक्षा “स्वतः पूर्ण इकाइयों” (Self-Contained Units) में ली जानी चाहिये और छात्रों के लिये प्रत्येक इकाई अर्थात् प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिये।

- (ii) छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये यथाशीघ्र “वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं” का कुलक (Set of Objective Progressive Tests) तैयार किया जाना चाहिये।
- (iii) विश्वविद्यालयों की सब परीक्षाओं में कृपाक (Grace Marks) देने की पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिये।
- (iv) परीक्षाओं के स्तर का उन्नयन करने के लिये प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 एवं 40 प्रतिशत होने चाहिये।
- (v) प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड संगठित किया जाना चाहिये। इस बोर्ड के निम्नांकित 3 मुख्य कार्य होने चाहिये—
 - (a) विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजनाएँ बनाने में सहायता देना।
 - (b) उक्त शिक्षकों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिये सामग्री की व्यवस्था करना।
 - (c) सम्बद्ध कॉलेजों के छात्रों की प्रगति का समय-समय पर “प्रगति-परीक्षाओं” द्वारा मूल्यांकन करना।

(8) **व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)**—“आयोग” ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है और उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को लिखित रूप प्रदान किया है, यथा—

(i) **कृषि (Agriculture)**—

1. छात्रों को कृषि का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये।
2. कृषि के नवीन कॉलेजों को यथासम्भव नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिये।
3. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिये।
4. कृषि-अनुसंधान कार्य के लिये, केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों द्वारा “प्रयोगात्मक फार्म” (Experimental Farms) खोले जाने चाहिये।
5. कृषि के वर्तमान कॉलेजों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर अधिक साधन सम्पन्न बनाया जाना चाहिये।

(ii) **वाणिज्य (Commerce)**

1. बी. कॉम. की शिक्षा प्राप्त करते समय, छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
2. बी. कॉम. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का परामर्श दिया जाना चाहिये।

3. एम. कॉम. में केवल विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

इस परीक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

(iii) शिक्षण (Teaching)

1. प्रशिक्षण-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सुधार किया जाना चाहिये और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।
2. प्रशिक्षण-कॉलेजों में अधिकांश अध्यापक वही होने चाहिये जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
3. छात्राध्यापकों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करने के समय, उनकी शिक्षण-योग्यता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये।
4. एम. एड. की डिग्री के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जो कुछ वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
5. शिक्षा सिद्धान्त के पाठ्यक्रम को लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिये।

(iv) इंजीनियरिंग व टेक्नॉलॉजी (Engineering and Technology)

1. वर्तमान इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिये और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिये।
2. देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का शिलान्यास किया जाना चाहिये।
3. उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिये टेक्नॉलॉजिकल संस्थाओं (Technological Institutes) की शीघ्र से शीघ्र सृष्टि की जानी चाहिये।
4. फोरमैन, ड्राफ्ट्समैन और ओवरसियरों को शिक्षा देने वाले इंजीनियरिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।
5. इंजीनियरिंग के स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करने, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये।

(v) कानून (Law)

1. कानून का अध्ययन करने की आज्ञा केवल उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिये जो 3 वर्ष के “पूर्व-कानूनी एवं सामान्य डिग्री कोर्स” (क्तम.स्महंस दक ठमदमतंस कमहतमम ब्वनतेम) को प्राप्त कर चुके हों।
2. कानून के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जानी चाहिये।

3. प्रत्येक स्थान को कानून की कक्षाओं से कानून सम्बन्धी अनुसन्धान की व्यवस्था होनी चाहिये।
4. कानून के विशेष विषयों के पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिये।
5. कानून के अध्यापकों में “पूर्णकालीन” और “अल्पकालीन”, दोनों प्रकार के अध्यापक नियुक्त किये जाने चाहिये।

नोट

(vi) चिकित्सा (Medicine)

1. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में योग्य अध्यापक और प्रचुर शिक्षण-सामग्री होनी चाहिये।
2. स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
3. किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये।
4. देशी चिकित्सा-पद्धतियों में अनुसन्धान-कार्य के लिये सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
5. मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिये 10 रोगी होने चाहिये।

(9) **धार्मिक शिक्षा (Religious Education)**—“आयोग” ने अपने प्रतिवेदन में यह मत अंकित किया है कि यद्यपि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका अभिप्राय धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का निषेध करना है, न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतन्त्रता का। अपने इन विचारों के आधार पर “आयोग” ने धार्मिक शिक्षा के विषय में उनके व्यावहारिक सुझाव दिये हैं, यथा—

- (i) सब शिक्षा-संस्थाओं को अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात् आरम्भ करना चाहिये।
- (ii) डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्त्व के कुछ चुने हुये भाग पढ़ाये जाने चाहिये।
- (iii) डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के सुप्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जानी चाहियें, जैसे—बुद्ध, ईसा, गाँधी, शंकर, कबीर, नानक, माधव, सुकरात, रामानुज, मुहम्मद साहब एवं कनफ्यूशियस।

2.25 मुदालियर कमीशन

माध्यमिक शिक्षा देश के सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की रीढ़ है। शरीर रचना में जो महत्त्व रीढ़ की हड्डी का है, वही स्थान देश के अर्थतंत्र में माध्यमिक शिक्षा का है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् यह आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की माध्यमिक शिक्षा का अवश्य ही पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की।

1. **नियुक्ति तथा सदस्य**—माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सरकार के प्रस्ताव संख्या F 9.5/52BI दिनांक 23 सितम्बर, 1952 के अनुसार हुआ। इस आयोग में निम्न सदस्य थे—
 - (1) डॉक्टर ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर— चेयरमैन
 - (2) जॉन क्राइस्ट— सदस्य
 - (3) डॉ. कैनिथ रास्ट विलियम्स— सदस्य
 - (4) श्रीमती हंसा मेहता— सदस्य
 - (5) श्री जे. ए. तारापोरवाला— सदस्य
 - (6) डॉ. के. एल. श्रीमाली— सदस्य
 - (7) श्री एम. टी. व्यास— सदस्य
 - (8) श्री के.जी. सय्यदैन— सदस्य
 - (9) श्री के.एन. बसु— सदस्य।डॉ. एम.एम. चारी के आयोग के लिए सहायक सचिव का कार्य किया।
2. **आयोग के सन्दर्भ कार्य (Terms of Reference)**—इस आयोग के सन्दर्भ कार्य इस प्रकार थे—
 - (1) भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति की जाँच करना।
 - (2) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास के लिये—(1) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण। (2) प्राथमिक, बुनियादी तथा उच्चशिक्षा के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा। (3) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सहसम्बन्ध। (4) अन्य सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना, जिससे देश की आवश्यकता के अनुसार सारे देश में माध्यमिक शिक्षा की समरूपता हो सके।
3. **शिक्षा के उद्देश्य**—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किये हैं—
 - (i) प्रजातन्त्रीय नागरिकता का विकास—इसके अन्तर्गत अपने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक सफलताओं की सराहना करना, अपने देश की दुर्बलताओं को दूर करना, अपने देश की योग्यताओं के अनुसार सेवा करने और निजी स्वार्थों और रुचियों को त्याग कर राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने का भाव उत्पन्न करना।
 - (ii) व्यावसायिक उन्नति—शिक्षा समाप्त करने तक बालकों को व्यावसायिक ज्ञान हो जाना चाहिए।
 - (iii) व्यक्तित्व का विकास—बालक के व्यक्तित्व के विकास की सभी सम्भावनाओं पर विचार करके तदनुसार कार्य करना।
4. **नेतृत्व का प्रशिक्षण**—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जनतंत्र की सफलता के लिये नेतृत्व के प्रशिक्षण को भी शिक्षा के उद्देश्यों में रखा है।
5. **माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन**—मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा के मध्य अलगाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार संस्तुत किया था।

- (i) **अवधि**—माध्यमिक शिक्षा की अवधि 11 से 17 तक की आयु की है। माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा पद्धति में विरोध नहीं हो। इस अवधि में— (1) मिडिल, जूनियर, सेकेण्डरी या सीनियर बेसिक स्तर की तीन-वर्षीय शिक्षा, (2) उच्चतर माध्यमिक स्तर का चार वर्ष का पाठ्यक्रम सम्मिलित है।
- (ii) **तीन वर्षीय डिग्री कोर्स**—आयोग ने इण्टरमीडिएट स्तर को समाप्त कर 11 वर्ष की हायर सेकेण्डरी तथा तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है।
- (iii) **पाठ्यक्रमों की विभिन्नतायें**—आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश किया है, जिससे हर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। ये पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के पहले वर्ष से ही आरम्भ हो जाते हैं।
- (iv) **आन्तरिक मूल्यांकन**—आयोग ने स्कूल के लेखों (त्मबवतके) को मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इससे छात्रों का सही मूल्यांकन होगा और विद्यालयों में अनुशासन सुधरेगा।
- (v) **टेकनीकल शिक्षा**—यद्यपि मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये बहुमूल्य सुझाव दिये थे। इन्हीं सुझावों के अनुसार बहुदेशीय विद्यालयों की स्थापना हुई परन्तु ये विद्यालय देश की आवश्यकता की पूर्ति न कर सके।

आयोग के सुझाव इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार हैं—

1. टेकनीकल स्कूल बहुत संख्या में बहुदेशीय स्कूल या उसके अंग के रूप में चलाये जाने चाहिए।
2. बड़े नगरों में सेन्ट्रल टेकनीकल स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे वे स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
3. अप्रेंटिस प्रशिक्षण के नियम बनाये जायें।
4. टेकनीकल तथा टेकनॉलाजीकल विद्यालयों की स्थापना शिक्षाशास्त्रियों की सलाह से होनी चाहिए।
5. इन्डस्ट्रियल एजुकेशन कर (Cess) लगाना चाहिए।
6. **अन्य प्रकार के विद्यालय**—इन विद्यालयों की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा दी जाये। इस प्रकार के विद्यालयों के अन्तर्गत ये विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई—(1) पब्लिक स्कूल जारी रहने चाहिए। (2) प्रतिभावान बालकों को राज्य तथा केन्द्र की सहायता मिलनी चाहिए। (3) रेजीडेन्शियल (आवासीय) स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। (4) बालकों की शिक्षा के लिये अधिक संख्या में विद्यालय होने चाहिए।
7. **सहशिक्षा**—मुदालियर कमीशन ने नारी तथा सहशिक्षा के विषय में कहा—‘लड़के-लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है; फिर भी लड़कियों के लिए गृहविज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—(1) लड़के-लड़कियों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है; फिर भी लड़कियों के लिये गृहविज्ञान के शिक्षण की

व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—(1) लड़के-लड़कियों की शिक्षा में कोई अन्तर न होते हुए भी गृह शिक्षा के अध्ययन को सहशिक्षा वाले विद्यालयों में प्रमुखता दी जानी चाहिए। (2) जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ लड़कियों के लिये अलग स्कूल खोले जायें। (3) मिश्रित अथवा सहशिक्षा वाले विद्यालयों में निश्चित शर्तें लगाई जायें।

8. भाषाओं का अध्ययन—मुदालियर कमीशन ने भाषाओं के पाँच वर्ग निर्धारित किये—(1) मातृभाषा, (2) क्षेत्रीय भाषा जबकि वह मातृभाषा न हो, (3) संघ की सरकारी भाषा के रूप में जानी जाये, (4) शास्त्रीय भाषा, (5) अंग्रेजी। इसलिए अध्ययन के सम्बन्ध में सिफारिशें ये हैं—(1) माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का अध्ययन होना चाहिए। उसमें भाषायी अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए। (2) मिडिल स्तर पर बालकों को दो भाषायें अवश्य आनी चाहिये। हिन्दी तथा अंग्रेजी जूनियर बेसिक स्तर पर लागू होनी चाहिए। (3) हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी स्तर पर कम से कम दो भाषायें अवश्य आनी चाहिए, जिनमें से एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो।

9. पाठ्यक्रम—आयोग ने दो स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है—

मिडिल स्तर पर—1. भाषा, 2. सामाजिक अध्ययन, 3. सामान्य विज्ञान, 4. गणित, 5. कला तथा संगीत, 6. उद्योग, 7. शारीरिक शिक्षा।

हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर—(क) मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का पूर्ण पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित में से एक अन्य भाषा—

1. हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिये)
2. आरम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल में अंग्रेजी नहीं पढ़ी)
3. उच्च अंग्रेजी (अंग्रेजी जिन्होंने पहले पढ़ी)
4. आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त)
5. आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी के अतिरिक्त)
6. शास्त्रीय भाषा।

(ख) (1) सामाजिक अध्ययन पहले दो साल

(2) सामान्य ज्ञान

(ग) निम्नलिखित में से एक उद्योग—

1. कताई-बुनाई, 2. काष्ठ कला,
3. धातु का काम, 4. बागबानी,
5. सिलाई, 6. टाइपिंग,
7. कार्यशाला, 8. सिलाई, कढ़ाई, कशीदाकारी,
9. मॉडलिंग।

10. **पाठ्य-पुस्तकें**—आयोग ने पाठ्यपुस्तकों में सुधार के लिये अपने सुझाव इस प्रकार दिये हैं— शिक्षक शिक्षा के अधिकरण

1. हाई पावर टेक्स्ट-बुक कमेटी का गठन हो जिसमें हाईकोर्ट का एक जज, सेवा आयोग का सदस्य, कुलपति, हैडमास्टर, दो शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षा संचालक हों और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करें।
2. प्रकाशनों की बिक्री से एक कोष का निर्माण किया जाये जिससे छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकीय सहायता आदि की जाये।
3. कमेटी कतिपय स्तरों का निर्धारण करे।
4. केन्द्र सरकार पुस्तकों की टेकनीक के लिये आर्ट स्कूल खोले।
5. केन्द्र तथा राज्य सरकारों को ब्लाक्स का संग्रह रखना चाहिए जिसे वह प्रकाशकों को उधार दे सके।
6. किसी एक विषय पर एक ही पाठ्य-पुस्तक नहीं लगानी चाहिए।
7. भाषाओं के अध्ययन के लिये निश्चित पाठ्य पुस्तकें लगानी चाहिए।
8. ऐसी कोई भी पुस्तक पाठ्यक्रम में न लगाई जाये जो धार्मिक या सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाती हो।
9. पाठ्य पुस्तकों को जल्दी-जल्दी बदलने की नीति को हतोत्साहित करना चाहिये।

11. **शिक्षण की गतिविधि पद्धतियाँ**—आयोग का ध्यान शिक्षण-पद्धति की ओर भी रहा है। इस सन्दर्भ में आयोग की संस्तुतियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. शिक्षण विधि केवल ज्ञान देने वाली ही नहीं, अपितु मूल्यों, मनोवृत्ति व आदत के निर्माण करने वाली होनी चाहिए।
2. एक्टिविटी तथा प्रोजेक्ट विधियाँ अपनाई जायें। अभिव्यक्ति प्रगट करने वाला कार्य दिया जाये।
3. सभी प्रकार के शिक्षण में स्पष्ट विचार तथा अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए।
4. समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए।
5. प्रगतिशील शिक्षण-पद्धतियों का प्रायोगिक (Experimental) एवं प्रदर्शनात्मक (Demonstration) विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए।

12. **अनुशासन**—मुदालियर कमीशन ने अनुशासन की समस्या पर विचार करते हुए कहा है—“शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है।” इस आयोग ने कहा है—

1. चरित्र निर्माण की शिक्षा विद्यालय के कार्यक्रम में न होना।
2. अनुशासन के विकास के लिये विद्यालयी-सरकार बनानी चाहिए।
3. सामूहिक खेलों को प्रोत्साहन मिले।
4. ऐसा अधिनियम पारित किया जाये जिससे विद्यार्थियों का उपयोग चुनावों के समय न किया जा सके।

नोट

13. **धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा**—धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा ऐच्छिक आधार पर ही विद्यालयों में दी जाये। यह शिक्षा केवल उसी धर्म पर आस्था रखने वालों के लिये होगी। कमीशन के शब्दों में—“कक्षा शिक्षण के आधार पर धार्मिक या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह विद्यालय के प्रभाव एवं अध्यापकों के व्यवहार पर निर्भर होनी चाहिए। अतः ऐच्छिक आधार पर ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए।”
14. **सहगामी क्रियायें**—पाठ्येतर क्रियाओं का बालक के व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त महत्व है। इसलिये—
- (1) सहगामी क्रियाओं को शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाये।
 - (2) बालचर आन्दोलन का राज्य सहायता दे।
 - (3) केन्द्र सरकार एन.सी.सी. का प्रसार करे।
 - (4) प्राथमिक चिकित्सा, रेडक्रास आदि को सभी विद्यालयों में प्रोत्साहन दिया जाये।
15. **मार्ग प्रदर्शन एवं परामर्श**—मुदालियर कमीशन ने मार्ग प्रदर्शन कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की है। इसीलिए व्यावसायिक तथा बौद्धिक पाठ्यक्रमों का समावेश शिक्षा योजना में किया गया है। अतः इन पहलुओं पर विचार इस प्रकार है—
- (1) माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक मार्ग प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
 - (2) छात्रों के ज्ञान के प्रसार के लिये विभिन्न व्यावसायिक फिल्मों का प्रदर्शन होना चाहिए।
 - (3) प्रशिक्षित मार्ग-प्रदर्शक अधिकारियों, कैरियर-मास्टर्स की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।
 - (4) केन्द्र-सरकार मार्ग-प्रदर्शकों के प्रशिक्षण में योग दे।
16. **छात्र कल्याण**—आयोग ने छात्र कल्याण के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं शरीर शिक्षा लागू करने की सिफारिश की है।
- ये सिफारिशें निम्न प्रकार हैं—
- (1) स्कूल मेडिकल सर्विस सभी राज्यों में आरम्भ हो। सभी विद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य-परीक्षण हो और उसकी चिकित्सा भी हो।
 - (2) आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में पोषक-तत्व युक्त भोजन मिले।
 - (3) विद्यालय अपने वातावरण की सफाई रखें और छात्रों में श्रम-निष्ठा उत्पन्न करें।
 - (4) 40 वर्ष की आयु से कम सभी अध्यापकों को छात्रों की शारीरिक क्रियाओं में योग देना चाहिए। हर छात्र का लेखा रखा जाये।
17. **मूल्यांकन**—परीक्षा एवं मूल्यांकन ही शिक्षा का आधार है तो यह अत्युक्ति न होगी। अध्यापकों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे छात्रों द्वारा की गई प्रगति का पता लगायें। इसलिये आयोग ने ये सिफारिशें की हैं—
1. बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाये। निबन्धात्मक परीक्षाओं में वैयक्तिकता कम की जाये और परीक्षायें ली जायें।
 2. बालकों के भविष्य का निर्धारण करने के लिये उनके सर्वांगीण विकास का लेखा रखा जाये।

3. अन्तिम मूल्यांकन में आन्तरिक मूल्यांकन व स्कूल के लेखों पर भी ध्यान दिया जाये। शिक्षक शिक्षा के अभिकरण
4. अंकों के स्थान पर प्रतीक-चिन्ह पद्धति अपनाई जाये। माध्यमिक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर केवल एक जन-परीक्षा (चइसपब माउपदंजपवद) हो।
5. प्रमाण-पत्रों में विषय भी दिये जायें। पूरक-परीक्षा भी ली जाये।

नोट

18. **प्रशिक्षण कौशल का विकास**—मुदालियर कमीशन अध्यापकों के विकास के प्रति सचेत रहा है। सर्वेक्षण के मध्य उसने यह अनुभव किया—हम इससे सहमत हो गये हैं, यदि अध्यापक की वर्तमान असन्तुष्ट दशा एवं हताशा को दूर किया जाये और शिक्षा का वास्तविक निर्माण हो जाये, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके स्तर तथा सेवा की दशा में सुधार किया जाये।

- (1) अध्यापकों के चुनाव में समरूपता हो।
- (2) प्राइवेट स्कूलों में हैडमास्टर सहित अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति हो।
- (3) प्रोबेशन पीरियड एक वर्ष का हो।
- (4) हाई स्कूल को पढ़ाने वाले अध्यापक ट्रेन्ड-ग्रेजुएट हों। हायर-सेकेन्डरी के लिये इण्टरमीडिएट या यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के समकक्ष योग्यतायें होनी चाहिए।
- (5) त्रिलाभ (पेंशन, प्रोविडेन्ट फण्ड, इन्श्योरेन्स) योजना आरम्भ की जाये।
- (6) स्कूल स्तर पर अध्यापकों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये।
- (7) सहकारिता के आधार पर अध्यापकों के लिये मकान बनवाये जायें एवं सेमिनार, शिविर आदि में जाने के लिए उन्हें यात्रा-भत्ता भी दिया जाना चाहिए।
- (8) अध्यापकों के पदों को अधिक आकर्षक बनाया जाये।
- (9) दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थायें हों।
 - (i) जो हाई, हायर सेकेन्डरी स्तर के समकक्ष व्यक्तियों को प्रशिक्षण दें।
 - (ii) जो स्नातकों को प्रशिक्षण दें।
 पहला कार्यक्रम दो वर्ष का और दूसरा एक वर्ष का हो।
- (10) एम.एड. के प्रशिक्षण हेतु तीन वर्ष के अध्यापन-अनुभव प्राप्त ट्रेन्ड ग्रेजुएट को प्रवेश मिलना चाहिए।

19. **प्रशासन की समस्या**—शिक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि उत्तम प्रशासन पर निर्भर करती है। अनेक मन्त्रालयों का सहयोग भी इस कार्य हेतु आवश्यक हो जाता है। संगठन, प्रशासन, निरीक्षण, मान्यता एवं दशायें, भवन एवं साधन, काम के घण्टे तथा अवकाश, सार्वजनिक सेवा में भर्ती आदि पर इसी के अन्तर्गत आयोग ने ये सिफारिशें की हैं—

- (1) शिक्षा-निदेशक, शिक्षामन्त्री को परामर्श देने के लिये उत्तरदायी हो। वह संयुक्त सचिव का कार्य भी करे।
- (2) केन्द्र तथा प्रदेश के शिक्षा-मन्त्रियों की एक समिति हो जो शिक्षा के विकास के लिये भी कार्य करे।
- (3) 25 सदस्यों का एक बोर्ड हो। शिक्षा-निदेशक इनका सभापति हो। एक टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड भी हो।

- (4) निरीक्षकों का कार्य समस्याओं का अध्ययन करना तथा सुझाव देना हो। गृहविज्ञान, कला तथा संगीत में मान्यता देने के लिये विशेष पैनल की नियुक्ति होनी चाहिए।
- (5) निरीक्षकों की योग्यता ऊँची होनी चाहिए। 10 वर्ष के अनुभव प्राप्त अध्यापक, हैडमास्टर, ट्रेनिंग-कॉलेज में अध्यापक निरीक्षक पद पर नियुक्त होने चाहिये।
- (6) नये विद्यालयों को मान्यता तभी दी जाये, जबकि वह सभी दशायें पूरी करते हों।
- (7) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में अध्यापकों के प्रतिनिधि एवं हैडमास्टर भी सदस्य हों। प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य विद्यालय के काम में हस्तक्षेप न करे। हर समिति को निश्चित नियम बना लेने चाहिए। यह शिक्षा विभाग की नीति को अपनाये तथा अपने कार्य की रिपोर्ट दे।
- (8) ग्रामों में विद्यालयों की स्थापना हो। इन्हें भवन निर्माण की सहायता मिले। भविष्य में खुलने वाले विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का ध्यान रखा जाये।
- (9) विद्यालयों का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे समुदाय को परेशानी न हो। 200 दिन का कार्य-वर्ष हो।
दो माह का ग्रीष्मावकाश तथा 10 एवं 15 दिन के अल्प-अवकाश वर्ष में दो बार हों।
- (10) सरकारी क्षेत्रों में 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिये जायें। 50% चुनाव सीधे हों।

20. वित्त की व्यवस्था—माध्यमिक आयोग ने शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था के लिये सिफारिशों की हैं। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं—

- (1) राज्य तथा केन्द्र के सहयोग से कार्य चले। व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिये बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण हो जिसमें सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हों।
- (2) व्यावसायिक शिक्षा कर (Industrial Education Cess) लगाया जाये।
- (3) रेलवे, यातायात, डाक-तार पर सैस (Cess) लगाया जाये। शिक्षा में दिया गया दान इन्कमटैक्स से मुक्त हो, धार्मिक संस्थाओं तथा ट्रस्ट का पैसा शिक्षा संस्थाओं में लगाया जाये।
- (4) शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्ति तथा खेल के मैदानों पर सम्पत्ति कर नहीं लगाना चाहिए।
- (5) केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की कुछ जिम्मेदारी ले।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का उस समय स्वागत हुआ था। आज परिस्थिति बदल गई है और उसके अनुसार नया आयोग गठित हुआ है। उसने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। जिनसे शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समाज में बदलाव आया है।

2.26 आचार्य नरेन्द्र देव समिति—1938

पृष्ठभूमि—स्वाधीनता से पहले 1938 ई. में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा पर विचार करने हेतु एक समिति

संगठित की गई थी। 1939 में इस समिति ने एक वृहद् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस समय कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफे दे दिये, इसलिए समिति की रिपोर्ट पर कार्य न हो सका। माध्यमिक शिक्षा पर तो कार्यान्वयन किया न जा सका। पहली समिति द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं—

नोट

- (1) माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के पूरक का कार्य करती हैं। अतः माध्यमिक शिक्षा प्रणाली अपने में सम्पूर्ण होनी चाहिए। समस्त विद्यालयों को 'कॉलेज' की संज्ञा दी जाये।
- (2) शिल्प एवं कला पर कम ध्यान दिया जाये एवं अंग्रेजी की अनिवार्यता प्रदान की जाये।
- (3) पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाया जाये।
- (4) वाद-विवाद, अध्ययन केन्द्र, छात्र-परिषद्, नाट्य क्लब, साहित्यिक क्लब, राष्ट्रीय इतिहास, फोटोग्राफी, इतिहास, भूगोल, स्काउट-गाइडिंग, विद्यालय-बैंक, सरकारी, स्टोर, प्रिय व्यवहार आदि संस्थाएँ पाठ्य-सहभागी क्रियाओं के रूप में संगठित की जायें।
- (5) चार या पाँच वर्ष के पाठ्यक्रम वाले तकनीकी तथा इंजीनियरिंग कॉलेज अनेक व्यावहारिक तथा उपयोगी पाठ्यक्रमों के साथ खोले जायें।
- (6) लड़कियों की शिक्षा का प्रसार करने के लिए सघन प्रयत्न तथा कार्यक्रम हाथ में लिये जायें।
- (7) पारम्परिक संस्थाओं (संस्कृत पाठशालाओं तथा उर्दू मकतब) को इस प्रकार संगठित तथा विकसित किया जाये कि यहाँ के छात्र आगे की शिक्षा को ढंग से चला सकें।
- (8) परीक्षा प्रणाली में बुद्धि परीक्षा का समावेश किया जाये। समय-समय पर विद्यालयों की प्रशासनिक जाँच की जाये। शिक्षा परिषद् सामान्य शिक्षा की परीक्षाएँ आयोजित करें।
- (9) व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षण विद्यालय तथा कॉलेजों की स्थापना की जाये। (10) पाठ्य पुस्तकों को अच्छा बनाया जाये।
- (11) शिक्षा पर अनेक प्रकार से नियन्त्रण रखा जाये। सेन्ट्रल पैदागॉजीकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जाये।

इनके साथ-साथ विद्यमान विद्यालयों के विकास, अनुशासन, नागरिक शास्त्र शिक्षा नियन्त्रण आदि पर इस समिति ने विचार प्रकट किये थे।

2.27 आचार्य नरेन्द्र देव समिति—1953

दूसरी समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के आज्ञापत्र दिनांक 8 मई, 1953 के अनुसार हुआ था। इस समिति के 29 सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेन्द्र देव एवं सचिव श्री भगवतीशरण सिंह।

इस समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार था—

- (1) माध्यमिक शिक्षा की नवीन योजना पर विचार करना।
- (2) बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन के A, B, C एवं D ग्रुप का परीक्षण करना।
- (3) लड़के-लड़कियों के पाठ्यक्रम की भिन्नता पर विचार करना।

- (4) विशिष्ट क्षेत्र में कार्यक्रम की उपयोगिता पर विचार करना।
- (5) अध्यापक मंडल, शिक्षण साधन आदि की कुशलता की जांच करना।
- (6) व्यावहारिक तथा औद्योगिक विषयों की उपयोगिता की जांच करना।
- (7) तकनीकी शिक्षा को सामान्य शिक्षा से मिलाना।

इस समिति की आठ उपसमितियाँ गठित की गईं—(1) सन्दर्भ एवं कार्य क्षेत्र, A, B, C, D, समूह पाठ्यक्रम, (2) नारी शिक्षा (सम्पूर्ण), (3) C एवं D समूह की उपलब्धियाँ तथा व्यावहारिकता, (4) अवकाश तथा छुट्टियाँ, (5) लड़कियों की शिक्षा, (6) सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा समन्वय समिति, (7) पाठ्य पुस्तक एवं (8) व्यवस्थापन (Management) समिति। इन सभी समितियों ने समय-समय पर बैठकें तथा जनता से भेंट की।

समिति ने शिक्षा सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया। यहाँ पर हम संक्षेप में समिति की अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों का स्तर प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. **पाठ्यक्रम (Syllabus)**—पुरानी समिति (1939) की सिफारिशों एवं शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश (1948 ई.) द्वारा प्रस्तावित पाठ्यचर्या पर विशेष विचार किया। बढ़ती आवश्यकताओं एवं परिवर्तन पर भी विचार किया गया। समिति ने पाठ्यक्रम विषयक सिफारिशें इस प्रकार की हैं—

- (1) हिन्दी के साथ संस्कृत अनिवार्य हो। संस्कृत तथा हिन्दी में पास होना अनिवार्य हो। हिन्दी के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन किया जाये। सामान्य ज्ञान को निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर रखा जाये। पहले दो वर्षों में गणित का शिक्षण अनिवार्य हो।
- (2) हायर सेकेण्डरी स्कूलों में लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान अनिवार्य हो।
- (3) पहले दो वर्षों में छः विषय अनिवार्य हों एवं अन्तिम दो वर्षों विषय अनिवार्य हों।
- (4) छात्रों को अतिरिक्त विषय में भी परीक्षा देने की अनुमति हो।
- (5) वाणिज्य, कृषि, सौन्दर्य छात्र, पूर्व-तकनीक या रचनात्मक विषयों का शिक्षण प्रदान करने वाले विद्यार्थियों का चुनाव सावधानी से किया जाये। कृषि विषय पढाने वाली संस्थाओं के पास साधन सम्पन्न प्रयोगशाला तथा कम से कम 10 एकड़ भूमि अवश्य हो।

2. **तकनीकी शिक्षा**—समिति ने तकनीकी शिक्षा के विकास तथा प्रचार हेतु ये सिफारिशें की हैं—

- (1) तकनीकी विद्यालय सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी प्रदान करें। तकनीकी विद्यालयों का प्रबन्ध यथावसम्भव शिक्षा विभाग करे और आवश्यकता होने पर भी अन्य विभागों को इसका प्रबन्ध सौंपा जाए।
- (2) उद्योगों तथा शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये एक परिषद् का गठन किया जाये।
- (3) सभी स्तरों पर कुशल सेवाओं का गठन किया जाये। तकनीकी तथा रचनात्मक प्रकार के विद्यालय अधिक खोले जायें। बोर्ड ऑफ टेकनीकल एजुकेशन प्रमाण-पत्र प्रदान

करे। व्यावहारिक पाठ्यक्रम उत्साहवर्धक हों। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाये।

- (4) मनोवैज्ञानिक सेवाओं, मार्ग-प्रदर्शन तथा परामर्श के प्रशिक्षण के लिये अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाये जायें।
 - (5) परीक्षणों के निर्माण, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान आदि के लिये एक परिषद् का गठन किया जाये।
 - (6) जिला स्तर पर मनोविज्ञान शालाओं का गठन किया जाये।
 - (7) वर्तमान प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं शिक्षा की उपाधियों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाये।
3. **परीक्षा प्रणाली**—इस सन्दर्भ में पहली समिति, राधाकृष्णन कमीशन आदि की सिफारिशों तथा विश्लेषण के सन्दर्भ में विचार करके मुख्य सिफारिशें इस प्रकार दी गई हैं—
- (1) इण्टरमीडिएट परीक्षा यथावत् चले। हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को भी लाभ हो। वर्तमान जनशिक्षा परीक्षा में अनुसन्धान करने के लिये सर्वेक्षण किया जाये। इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिये कम से कम आयु 16 वर्ष हो।
 - (2) परीक्षा में बैठने के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हो। अनुपस्थिति के कारण रोके गए छात्र को संस्था के खिलाफ अपील करने का अधिकार न हो।
 - (3) हाई स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाये। छात्रों को प्रगति देने के लिये समय-समय पर नियमों में परिवर्तन किये जायें। प्रत्येक कक्षा (9, 10, 11) में तीन एवं कक्षा 12 में दो सामयिक परीक्षाएँ हों। कक्षा में सामूहिक परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रगति दी जाये।
4. **अवकाश**—समिति ने 200 कार्य दिवस प्रति वर्ष की संस्तुति की है। यह कार्यकाल 235 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिवर्ष जुलाई के आठवें दिन विद्यालय खुलें। अन्य छुट्टियाँ 31 हों। गर्मी तथा सर्दी की छुट्टियाँ छः से सात सप्ताह की होनी चाहिए। दिन में 5 घण्टे का शिक्षण कार्य हो। प्रातःकाल के विद्यालयों में यह समय 4 घण्टों का होना चाहिए। वार्षिक परीक्षाएँ मई में हों। इसके परिणामों के बाद ग्रीष्म ऋतु के लिए विद्यालय बन्द हो जाने चाहिए।
5. **नैतिक शिक्षा**—नैतिक शिक्षा तथा मानववादी शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। छात्रों को सभी धर्मों के आधारभूत तथ्यों को बतलाया जाना चाहिए। छात्रों को विद्यालय आरम्भ होने से पूर्व कम से कम दस मिनट की प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ाये जायें।
6. **अनुशासन**—अनुशासन बनाये रखने के लिये छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक संघों का निर्माण होना चाहिए। विद्यालय में प्रीफैक्ट प्रणाली आरम्भ की जाये। विद्यालय से निलम्बन, रेस्ट्रिक्शन तथा शारीरिक दण्ड, दोनों में हैडमास्टर सर्वोपरि होना चाहिए। समाज सेवा की भावना विकसित करनी चाहिए। फिल्मों में तथा न का स्पष्टीकरण हो, जिससे यह पता चल जाये कि फिल्म वयस्कों के लिये है या सामान्य व्यक्तियों के लिये। विद्यालय-रेडियो-कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक होना चाहिए।

नोट

7. **प्रबन्ध समितियाँ**—प्रबन्ध समितियों से अभिप्राय उन समितियों से है जिनका प्रबन्ध स्थानीय लोगों द्वारा होता है, ये समितियाँ विद्यालयों का प्रबन्ध अपने ढंग से करती हैं। समिति ने प्रबन्ध समितियों के सन्दर्भ में अपनी सिफारिशें इस प्रकार की हैं—

- (1) उत्तम प्रबन्ध वाली शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
- (2) जिन प्रबन्ध समितियों का प्रबन्ध खराब है तो वहाँ का प्रबन्ध प्रशासक (Administrator) अपने हाथों में ले लें। इसके लिए दो या तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है।
- (3) प्रबन्ध समिति में प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक प्रतिनिधि भी हों।
- (4) मिशनरी प्रबन्धक मेन्टेनेन्स फण्ड से अपना वेतन लेते हैं, यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए।
- (5) यदि एक ट्रस्ट या व्यवस्था की अनेक शिक्षण संस्थायें हैं तो उनकी प्रबन्ध समितियाँ अलग-अलग होनी चाहिए।
प्रबन्ध समिति में अधिकतम 12 सदस्य होने चाहिए। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए।
- (6) रिक्त स्थानों की पूर्ति समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति होने के बाद होनी चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति परीवीक्षण (Probation) पर होनी चाहिए। नियुक्ति की दशायें शिक्षा अधिनियम में वर्णित होनी चाहिए। लिखित समझौते के अभाव में अध्यापक के साथ ज्यादाती नहीं होनी चाहिए।
- (7) सरकार से वांछित सहायता प्रबन्ध समितियों तथा विद्यालयों को मिलनी चाहिए। विकास फण्ड भी छात्रों से लिया जाये।

8. **पाठ्य-पुस्तकें**—इस समय प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों को प्रस्तावित करने की प्रणाली को बदला जाये। संस्था के प्रधान को पुस्तकें चयन करने का अधिकार हो। शिक्षा विभाग सहायता के लिये कुछ पुस्तकें प्रस्तावित कर सकता है। विषयानुसार उत्तम पुस्तकों को तैयार करने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पुस्तकों की तैयारी के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इनकी छपाई अच्छी होनी चाहिए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था का महल खड़ा किया गया था। परन्तु अब फिर समय बदल गया है और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली परिवर्तन की माँग करने लगी है।

2.28 कोठारी कमीशन

शिक्षा आयोग (1964-66) ने माध्यमिक शिक्षा को विकास की रीढ़ कहा है। आयोग की सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1. **आगामी 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार हो—**

- (1) आगामी विद्यालयों की स्थापना का नियोजन उचित ढंग से करना।
- (2) उचित स्तर के निर्धारण के लिये सुविधाओं को देखते हुये प्रवेश निश्चित करना।

(3) प्राथमिक स्तर पर आत्मचुनाव एवं माध्यमिक स्तर पर बाह्य परीक्षाफल एवं स्कूल रिकार्ड के आधार पर चुनाव किया जाये।

2. **नवीन शिक्षण संस्थाओं को खोलने में राष्ट्रीय-नीति** ऐसी होनी चाहिए जिससे अपव्यय एवं अवरोधन को रोका जा सके। माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोटी एवं अनार्थिक संस्थाओं को खोलने से उपेक्षा बरतनी चाहिए एवं विद्यमान अनार्थिक संस्थाओं को पुनर्गठित करना चाहिए। व्यावसायिक औद्योगिक केन्द्रों के निकट औद्योगिक संस्थान खोले जाने चाहिए।
3. **माध्यमिक स्तर** पाठ्यक्रमों में वैभिन्न्य इस प्रकार होना चाहिए कि छात्र किसी समूह (Group) के तीन विषयों का अध्ययन गहनरूप से कर सकें। किशोरों (Adolescents) के सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास के लिये इस स्तर पर आधा समय वैकल्पिक विषयों को देना चाहिये, एक चौथाई समय शारीरिक शिक्षा कला, हस्तकला, भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को दिया जाना चाहिये।
4. **भाषाओं का अध्ययन**—त्रिभाषी सूत्र को परिष्कृत करके लागू करना चाहिये—(1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, (2) केन्द्र की सहसंरकारी या सहकारी भाषा, (3) आधुनिक भारतीय योरोपीय भाषा जो (1) एवं (2) में न आई हो। माध्यमिक स्तर पर केवल दो भाषायें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहियें।
5. **विज्ञान एवं गणित**—अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने चाहिये। निम्न माध्यमिक स्तर पर ये विषय मस्तिष्क के अनुशासन के रूप में पढ़ाये जाने चाहियें।
6. **सामाजिक अध्ययन एवं समाज**—विज्ञान, नागरिकता, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, मानव एकता के विकास के दृष्टिकोण से पढ़ाये जाने चाहियें।
7. **कार्यानुभव**—निम्न माध्यमिक स्तर से कार्यशाला-प्रशिक्षण, माध्यमिक स्तर पर विद्यालय, कार्यशाला, खेत, व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों में छात्रों को कार्यानुभव मिलना चाहिये। कार्यानुभव नयी समाज-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्रदिशागामी हो।
8. **समाज-सेवा**—शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज-सेवा एवं सामुदायिक विकास में योग देने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहियें।
9. **शारीरिक शिक्षा**—शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की पुनर्परीक्षा होनी चाहिये। बालक के विकास की दृष्टि से उसका पुनर्गठन होना चाहिये।
10. **नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा** के लिये सप्ताह में एक या दो पीरियड टाइम-टेबिल में रखने चाहिये।
11. **रचनात्मक क्रियायें**—कला की शिक्षा की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये समिति की नियुक्ति होनी चाहिये।
12. **मार्ग-प्रदर्शन एवं परामर्श**—मार्ग-प्रदर्शन का कार्य प्राथमिक स्तर से आरम्भ हो जाना चाहिये। अध्यापकों को निदानात्मक परीक्षाओं एवं वैयक्तिक भिन्नता की समस्याओं से परिचित होना चाहिये। माध्यमिक विद्यालयों में एक अतिथि परामर्शदाता हो जो 10 विद्यालयों में परामर्श दे सके। सभी अध्यापकों को मार्ग-प्रदर्शन के विचार एवं प्रत्यय (Concept) स्पष्ट होने चाहिये।

नोट

13. **मूल्यांकन**—माध्यमिक स्तर पर प्रश्न-पत्र वालों को नयी विधियाँ अपनानी चाहियें। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बाह्य परीक्षाओं के परिणामों में छात्रों की विभिन्न विषयों में योग्यता को प्रकट करना चाहिये। पास अथवा फेल का कोई भी संकेत उसमें न हो। छात्र को उन विषयों में जिनमें उसने कम अंक प्राप्त किये हैं, पुनः परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिये, जिससे वह अपनी योग्यता विकसित कर सके। आन्तरिक मूल्यांकन (Assessment) अलग से दिखाया जाना चाहिये।

2.29 भारतीय-शिक्षा आयोग के जाँच विषय

“आयोग” को निम्नांकित विषयों की जाँच करके, उनके सम्बन्ध में अपने सुझावों और सिफारिशों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया—

1. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
2. देश की शिक्षा-प्रणाली में राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति है और भारतीय शिक्षा-प्रणाली में उनकी आवश्यकता है या नहीं?
3. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है?
4. शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिए?
5. माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका प्रसार किन साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए?
6. देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों का क्या स्थान होना चाहिए?
7. “आयोग” को दो विशेष आदेश दिए गए—“(1) इस बात की जाँच करना कि 1854 के आदेश-पत्र के सिद्धान्तों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। (2) ऐसे उपायों का सुझाव देना, जिनको ‘आयोग’, ‘आदेश-पत्र’ में निर्धारित की गई नीति को क्रियान्वित करने के लिए उचित समझता है।”

“आयोग” ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण करके, शिक्षाविदों से भेंट करके और शिक्षा-सम्बन्धी राजकीय लेखों का अध्ययन करके, मार्च, सन् 1883 में अपना 600 पृष्ठों का प्रतिपादन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

2.30 आयोग के सुझाव व सिफारिशें

“आयोग” ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् उनके सम्बन्ध में अपने सुझावों और सिफारिशों का लिपिबद्ध किया। यहाँ शिक्षा के प्रमुख अंग से सम्बन्धित उसके विचार प्रस्तुत हैं।

(1) **शिक्षा-नीति** (Educational Policy)—“आयोग ने शिक्षा-नीति के विषय में पाँच सुझाव दिए—

1. सरकार को सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाकर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

2. सरकार को माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का प्रबन्ध क्रमशः कुशलतापूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए।
3. सरकार को राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति को मन्द करके, इन विद्यालयों के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पृथक् हो जाना चाहिए।
4. सरकार को भविष्य में केवल सहायता-अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।
5. सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके, उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए।

सारांश में, “आयोग” ने शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में सरकार को सन् 1854 के “आदेश-पत्र” के अग्रांकित सुझाव का अनुसरण करने का परामर्श दिया—“राजकीय शिक्षा-संस्थाओं को उन स्थानों में चलने दिया जाये, जहाँ उनकी आवश्यकता है। किन्तु सरकार का मुख्य कर्तव्य व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना होना चाहिए।”

(2) **प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)**—“आयोग” ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, प्रसार, प्रशासन, वित्त-व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षा-स्तर के उन्नयन और सरकार की नीति के सम्बन्ध में सारगर्भित सुझाव दिए—

1. **उद्देश्य व प्रसार**—प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य—जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार करना होना चाहिए। इस शिक्षा का आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
2. **वित्त-व्यवस्था**—प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक् कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रान्तीय सरकारों को इस कोष का 1/2, सम्पूर्ण व्यय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में स्थानीय निकायों को देना चाहिए।
3. **शिक्षा-स्तर का उन्नयन**—प्राथमिक शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय-निरीक्षक के अधिकार-क्षेत्र में कम-से-कम एक नार्मल स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए।
4. **प्रशासन**—प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व, सरकार को जिला-परिषदों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए।
5. **पाठ्यक्रम**—प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से उसमें पहले से समविष्ट विषयों के अतिरिक्त अग्रांकित जीवनोपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए—कृषि, बहीखाता, क्षेत्रमिति, सरल-विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, महाजनी गणित और औद्योगिक कलाएँ। सम्पूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।
6. **सरकार की नीति**—प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में “आयोग” ने सरकार को अग्रांकित मंत्रणा दी—“देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह वांछनीय है कि जनसाधारण

नोट

की प्राथमिक शिक्षा और उसकी व्यवस्था, प्रसार एवं उन्नति की शिक्षा-प्रणाली का वह अंग घोषित किया जाये, जिसके प्रति अब राज्य की सतत् चेष्टाएँ पहले से अधिक मात्रा में केन्द्रित की जानी चाहिए।”

नोट

(3) **माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)**—“आयोग” ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार, पाठ्यक्रम, शिक्षा-स्तर के उन्नयन, शिक्षा के माध्यम और सरकार की नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए; यथा—

1. **प्रसार**—माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस प्रणाली के प्रयोग में सरकार को अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए।

2. **शिक्षा स्तर का उन्नयन**—माध्यमिक शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए, लाहौर और मद्रास में पहले से स्थापित प्रशिक्षण-कॉलेजों के आलावा अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण-कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कॉलेजों में छात्राध्यापकों को शिक्षा-सिद्धान्त और कक्षा-शिक्षण में भली-भाँति परिचित कराया जाना चाहिए।

3. **शिक्षा का माध्यम**—“आयोग” ने शिक्षा के माध्यम के विषय में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया। उसने केवल यह कहा कि मिडिल स्कूलों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना वांछनीय है, पर छात्रों को अंग्रेजी का भी कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। यह विचार व्यक्त करके, “आयोग” ने हाई स्कूलों के अतिरिक्त मिडिल स्कूलों में भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का पक्ष लिया।

4. **पाठ्यक्रम**—माध्यमिक शिक्षा के दोषों का निराकरण करने के लिए “आयोग” ने उच्च कक्षाओं में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया—“अ” कोर्स और “ब” कोर्स (“A” Course & “B” Course)। “आयोग” का मत था कि “अ” कोर्स साहित्यिक होना चाहिए और उन छात्रों के लिए होना चाहिए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक हों। “ब” कोर्स में व्यापारिक, व्यावसायिक और असाहित्यिक विषय का समावेश होना चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होना चाहिए, जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् व्यावसायिक या असाहित्यिक कोर्सों में संलग्न होने के इच्छुक हों।

5. **सरकार की नीति**—माध्यमिक शिक्षा के विषय में “आयोग” ने यह नीति निर्धारित की कि सरकार को इस शिक्षा का भार कुशल भारतीयों को सौंपकर, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। सरकार को केवल सहायता-अनुदान द्वारा माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। “आयोग” ने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को अपने स्कूलों को क्रमशः व्यक्तिगत संस्थाओं को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। सरकार को राजकीय विद्यालयों का निर्माण और संचालन केवल उन स्थानों में करना चाहिए, जहाँ की जनता अनुदान-प्रथा के आधार पर विद्यालयों को चलाने में असमर्थ हो। परन्तु इस सम्बन्ध में भी “आयोग” ने सरकार की शिक्षा-नीति को अग्रांकित शब्दों में स्पष्ट कर दिया—“सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाई स्कूल की

स्थापना करना। उसके पश्चात् उस जिले में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षा के अधिकरण प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए।”

(4) कॉलेज शिक्षा (College Education)–यद्यपि कॉलेज-शिक्षा “आयोग” की जाँच का विषय नहीं था, तथापि सार्वजनिक कॉलेजों और उसकी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक लाभप्रद सुझाव दिये; यथा–

1. कॉलेजों को समय-समय पर फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन-निर्माण और शिक्षण-सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
 2. कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का विस्तार करके, छात्रों को उनकी रुचियों के अनुकूल विषयों का चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
 3. कॉलेजों के छात्रों को मापन और नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाना चाहिये।
 4. सार्वजनिक कॉलेजों को राजकीय कॉलेजों की अपेक्षा कम शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
 5. कॉलेजों की सहायता-अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि को उनके व्यय, शिक्षकों की संख्या, कार्य-कुशलता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिए।
 6. कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए उचित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 7. कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
 8. कॉलेजों के छात्रों के नैतिक स्तर का उत्थान करने के लिए उनको प्रकृति-धर्म (Natural Religion) और मानव-धर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराया जाना चाहिए।
- “आयोग” ने राजकीय कॉलेजों की अपेक्षा सार्वजनिक कॉलेजों को ही अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का समर्थन किया। अतः उसने यह विचार अंकित किया कि राजकीय कॉलेजों का संचालन केवल उन्हीं स्थानों में किया जाये, जहाँ की जनता सार्वजनिक कॉलेजों की स्थापना करने में असमर्थ हो। इस प्रकार, “आयोग” ने स्पष्ट रूप से यह नीति प्रतिपादित की सरकार को माध्यमिक शिक्षा की भाँति उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाना चाहिए। डॉ. एस. एन. मुखर्जी के अनुसार–“आयोग ने इस बात का अनुमोदन किया कि सरकार को कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य करने से हट जाना चाहिए।”

(5) विशिष्ट शिक्षा (Special Education)–“आयोग” ने विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत अग्र्राकित के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए–

(A) मुसलमानों की शिक्षा (Education of Muslims)–सन् 1882 में मुसलमानों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई दशा में थी। अतः “आयोग” ने उसके प्रसार के लिए अग्र्राकित सुझाव दिए–(1) मुस्लिम शिक्षा-संस्थानों को उदार आर्थिक सहायता,

नोट

(2) मुसलमानों के लिए उन स्थानों, पर जहाँ उनकी संख्या पर्याप्त हो, मुस्लिम मिडिल और हाई स्कूलों की स्थापना, (3) मुसलमान छात्रों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर शिक्षा के उच्च स्तर तक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, (4) प्राचीन ढंग के मुस्लिम विद्यालयों को प्रोत्साहन, (5) मुस्लिम प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण के लिए मुसलमान विद्यालय-निरीक्षकों की नियुक्ति, (6) मुसलमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना।

(B) स्त्री-शिक्षा (Women's Education)—स्त्री-शिक्षा की उन्नति के लिए “आयोग” ने अग्रानुसृत सिफारिशों की—(1) बालिका-विद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षिकाओं की नियुक्ति, (2) बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुगम पाठ्यक्रम का निर्माण, (3) स्त्रियों को शिक्षा-व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए महिला-प्रशिक्षण-विद्यालयों की स्थापना, (4) बालिका-विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता, (5) बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, (6) पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए उनके घरों पर शिक्षा देने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति।

(C) धार्मिक शिक्षा (Religious Education)—धार्मिक शिक्षा के विषय में “आयोग” के सुझाव ये थे—“धर्म-निरपेक्ष राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का दिया जाना सम्भव नहीं है। राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का कदापि समावेश नहीं हो सकता है, पर व्यक्तिगत विद्यालयों में प्रबन्धकों की इच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

2.31 राष्ट्रीय शिक्षा नीति— उद्देश्य तथा निर्देश

1. 1986 की शिक्षा नीति और उसके बाद

1. मानव इतिहास के उदय से लेकर अब तक शिक्षा ने विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया को सातत्य प्रदान किया है। हर देश ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिये अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की और समय की चुनौती को स्वीकार किया। इतिहास में ऐसे भी क्षण आये हैं जब परम्परागत प्रक्रिया को नई दिशा दी गयी। ऐसा ही क्षण आज है।
2. देश, आर्थिक, तकनीकी विकास की उस अवस्था पर पहुँच गया है, जहाँ सृजित परिसम्पत्तियों (Assets) का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना है। शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का राजमार्ग है।
3. इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में घोषणा की कि देश के लिये एक नई शिक्षा नीति की रचना की जायेगी। विद्यमान शिक्षा की सघन समीक्षा, देश भर में बहस कराकर की गयी। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों का अध्ययन सर्तकतापूर्वक किया गया।
4. स्वतन्त्र भारत में 1986 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा

है। इसने शिक्षा प्रणाली के क्रान्तिकारी नव-निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार, विज्ञान तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा शिक्षा और जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया।

5. 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार किया गया। एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ग्राम क्षेत्रों की 90% जनता के लिये विद्यालयी सुविधायें प्राप्त हैं। अन्य स्तरों पर भी वांछित सुविधाओं में भी प्रगति हुई है।
6. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति और अधिकांश राज्यों में 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण महत्वपूर्ण घटना है। लड़के-लड़कियों के सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान तथा गणित की अनिवार्य शिक्षा, कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
7. उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना की गयी। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ खोले गये। यों शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षमता प्राप्त हुई।
8. यों तो उपरोक्त उपलब्धियाँ प्रभावशाली थीं किन्तु 1968 की शिक्षा नीति सम्मिलित अनेक कार्यों को संगठनात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। उनकी रणनीति, विनियोग को आर्थिक सहायता न मिल सकी। परिणाम यह हुआ कि आधिक्य, गुण, मात्रा, उपयोग तथा आर्थिक ढाँचे में निरन्तर वृद्धि होती रही और अब इन सभी को प्राथमिकता देकर हल किया जाना आवश्यक है।
9. भारत में शिक्षा आज चौराहे पर खड़ी है। सामान्य रेखीय प्रसार और न ही विद्यमान स्थिति और सुधार की प्रकृति इन परिस्थितियों का सामना कर सकती है।
10. भारतीय चिन्तन के अनुसार मानव एक सकारात्मक तथा बहुमूल्य राष्ट्रीय स्रोत है जिसका विकास सावधानीपूर्वक गतिशीलता के साथ जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृद्धि विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है। जन्म से मरण तक चलने वाली शिक्षा की इस जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया का नियोजन सुसंबद्ध रूप से किया जाना चाहिये और पूरी निष्ठा के साथ इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
11. भारत का राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन ऐसी अवस्था से गुजर रहा है जहाँ पूर्ण स्वीकृत दीर्घकालीन मूल्यों का विनाश हो रहा है। इसी दबाव में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, जनतन्त्र तथा व्यावसायिक नैतिकता पिस रहे हैं।
12. निर्बल संरचना तथा समाजसेवा के कारण ग्राम क्षेत्रों को प्रशिक्षित युवाओं का लाभ उस समय तक नहीं मिल पायेगा जब तक नगर-ग्राम के भेद समाप्त नहीं होंगे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी।
13. आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या की वृद्धि की गति को धीमा करना होगा। स्त्रियों में शिक्षा प्रसार तथा साक्षरता में वृद्धि इस समस्या को हल करेगी।
14. आने वाले दशक अत्यन्त संघर्ष के होंगे। इनमें अनेक प्रकार के अवसर होंगे। नये वातावरण का लाभ उठाने के लिये मानव विकास के नये प्रतिमानों की रचना करनी होगी। नई पीढ़ी

नोट

में नव विचार तथा सर्जनात्मकता को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिये। सामाजिक न्याय तथा मानव मूल्यों के प्रति इस पीढ़ी में प्रतिबद्धता होनी चाहिये। इन सबका अर्थ है—उत्तम शिक्षा।

15. इनके अतिरिक्त, सरकार को देश को सक्षम बनाने के लिये नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने उत्पन्न की है। परिस्थितियों का सामना यों ही नहीं किया जा सकता।

2. शिक्षा की भूमिका तथा मूल तत्व

1. राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है। हमारे सर्वांगीण विकास— भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए यह आधारभूत तत्व है।
2. शिक्षा उभय सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाली संवेदनशीलता तथा प्रतिबन्ध को परिष्कृत कर वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानसिक स्वतन्त्रता एवं भावना विकसित कर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जनतन्त्र का विकास संविधान के अन्तर्गत करती है।
3. अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर शिक्षा, जनशक्ति का विकास करती है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पूरी गारन्टी, शोध एवं विकास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है।
4. कुल मिलाकर शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक विशेष विनियोग (Investment) है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह मूल कुंजी है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं—

1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिन आधारों पर विकसित हो रही है, उसके मूल सिद्धान्त संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा यह है कि वांछित स्तर तक, जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लिंग के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर समान रूप से प्रदान किये जाने चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त धन के साथ कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जायेंगे। 1968 की नीति में प्रस्तावित सामान्य शिक्षा प्रणाली (Common School System) को अपनाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने होंगे।
3. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भागों में 10, 2, 3 प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। 10 वर्षीय व्यवस्था के पुनर्विभाजन—5 वर्षीय आरम्भिक, 3 वर्षीय अपर प्राइमरी एवं 2 वर्षीय हाईस्कूल के प्रयास चल रहे हैं।
4. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार एक सामान्य पाठ्यक्रम की संरचना है, जिसमें सामान्य मूल विषयों के साथ-साथ अन्य विषय लचीले होंगे। सामान्य मूल विषयों में भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, संवैधानिक प्रतिबन्ध तथा राष्ट्रीय एकता के अन्य तत्व होंगे। ये तत्व विषय क्षेत्रों से पृथक् होंगे और इस प्रकार बनाये जायेंगे, जिससे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, जनतंत्र, धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों का विकास लिंगभेद के

बिना होगा। वातावरण की रक्षा, सामाजिक बुराईयों को दूर करना, छोटे परिवार के मानकों का निर्माण तथा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जायेंगे जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को पूरी निष्ठा के साथ विकसित करेंगे।

5. भारत ने विश्व को एक परिवार माना है और इसी आधार पर राष्ट्रों के मध्य शान्ति एवं सद्भाव बनाये रखने की आवश्यकता अनुभव की है। इस पुरातन परम्परा का निर्वाह करने के लिए इस विश्व मत को सशक्त बनाने हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को नई पीढ़ी में अभिप्रेरित करें। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।
6. समानता के विकास के लिये, समानता के अधिकतम अवसर प्रदान करने के साथ उसमें सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है। आधारभूत पाठ्यक्रम के माध्यम से आन्तरिक समानता को जागृत करना है, जन्म से प्राप्त तथा सामाजिक परिवेश से उत्पन्न पूर्वग्रहों तथा जटिलताओं को समाप्त करना है।
7. शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिये अधिगम का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना होगा। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए, पाठ्यक्रम में व्यवस्था करनी होगी। सम्पर्क भाषा के विकास के लिये विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद करने होंगे तथा बहुभाषी शब्द देने की रचना करनी होगी। नई पीढ़ी को अपने ढंग से अपने प्रतिबोध तथा प्रतिभा में भारत को पुनर्खोज करने के लिये प्रोत्साहित करना होगा।
8. उच्च शिक्षा में सामान्य रूप से तथा तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से अन्तर्क्षेत्रीय गतिशीलता को विकसित करती है। वांछित योग्यता के द्वारा ऐसे अवसर देने होंगे। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है।
9. अनुसंधान तथा विकास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जाल बिछाना होगा कि विभिन्न संस्थानों के स्रोतों का एकत्रीकरण राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं में भाग लेने हेतु किया जाये।
10. राष्ट्र को सम्पूर्ण रूप से शैक्षिक रूपान्तरण के सभी कार्यक्रमों को, असमानताओं को कम करते हुये, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा का दायित्व वहन करना होगा।
11. शैक्षिक प्रक्रिया का चिरसंचित उद्देश्य जीवनपर्यन्त शिक्षा है। सार्वभौम साक्षरता की यह उपेक्षा है। युवकों, गृहणियों, कृषकों, श्रमिकों तथा अन्य व्यवसायों में लगे लोगों को अपनी रुचि की शिक्षा, जो समय के साथ विकसित हो जायेगी। मुक्त तथा सुदूर अधिगम इस दिशा में भावी प्रयास है।
12. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने तथा सशक्त बनाने में सहयोग देने वाली संस्थायें—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् तथा अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् हैं। इन संस्थाओं के मध्य सम्मिलित योजना बनायी जायेगी जिससे कार्यात्मक संपर्क के द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाये। यह कार्य (NCERT), इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड

नोट

नोट

2.32 एक सार्थक साझेदारी

1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व महत्वपूर्ण है। यह दायित्व, आर्थिक, प्रशासनिक रूप से सातत्यपूर्ण है। राज्यों के शैक्षिक दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एवं सम्मिलित विशेषता वाली शिक्षा को लागू करने का दायित्व वहन करेगी। शिक्षा के गुणात्मक (शिक्षण व्यवसाय सभी स्तरों पर) स्तर, देश की शैक्षिक आवश्यकता के अध्ययन एवं नियन्त्रण, कुल मिलाकर विकास के लिये जनशक्ति, शिक्षा, संस्कृति, मानव संसाधन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया होगा। शिक्षा के पिरामिड की सार्थकता सम्पूर्ण देश में फैलानी होगी। यह समेलित साझेदारी के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह सार्थक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। राष्ट्रीय नीति सही मायनों में प्रभावशाली ढंग से चालू की जायेगी।

2.33 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 ई.) समान शिक्षा पर बल

नयी नीति असमानता को दूर करने तथा उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने पर बल देगी जिन्हें समानता से दूर रखा गया है।

नारी समानता के लिये शिक्षा

शिक्षा प्रयोग नारी के स्तर में परिवर्तन के अभिकरण (Agency) के रूप में किया जायेगा। भूतकाल की विसंगतियों को समाप्त कर, नारी के पक्ष में सुविचारित शस्त्र तैयार किया जायेगा। नारी शक्ति के जागरण हेतु नई शिक्षा प्रणाली में इसकी भूमिका सकारात्मक हस्तक्षेप की होगी। पुनरीक्षित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों शिक्षाओं से प्रशिक्षण तथा अभिनवन, निर्णय लेने की क्षमता तथा शिक्षा संस्थाओं के सक्रिय सहयोग द्वारा उनमें नवीन मूल्यों का विकास होगा।

यह सामाजिक क्षेत्र तथा विश्वास का कार्य है। नारी अध्ययन का विकास अनेक शिक्षण संस्थाओं तथा पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करके किया जायेगा।

नारी-निरक्षरता, निरक्षरता वृद्धि को दूर करने, प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान को समाप्त करने की दिशा में, सहयोगी (Support) सेवा, काल तथा लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अविभेदीकरण की नीति का पालन करके लिंग भेद को समाप्त कर अपारम्परिक व्यवसायों का, पेशों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह कार्य विद्यमान विकासशील प्रौद्योगिकी में भी होगा।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का केन्द्रिय तत्व अनुसूचित जातियों के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी क्षेत्रों में चार आयामों—ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण स्त्री, नागरिक पुरुष तथा नागरिक स्त्रियों में है।

इन उद्देश्य के लिये इन उपायों का ध्यान रखना आवश्यक है—

- (i) निर्धन तथा दरिद्र परिवारों को, अपने बच्चों के 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निरन्तर विद्यालयों में भेजने हेतु प्रोत्साहन देना।
- (ii) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से ही उन परिवारों, के बच्चों के लिये, जो पशुओं की खाल उतारते, रंगते तथा साफ करते हैं, दी जायेगी, आय के विचार के बिना ऐसे सभी परिवारों के बच्चों को दी जायेगी। साथ ही उन पर कला तथा कार्यक्रम लागू किये जायेंगे।
- (iii) इस बात पर भी निरन्तर ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जातियों के बालकों के प्रवेश, अवरोधन तथा सफलता में, सभी स्तरों पर गिरावट न आये। वह कार्य सूक्ष्म नियोजन द्वारा वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों तथा रोजगार के अवसर प्रदान करके किया जायेगा।
- (iv) अनुसूचित जातियों में से शिक्षकों का चयन किया जायेगा।
- (v) प्रावस्थित कार्यक्रम (Phased Programme) के माध्यम से जिला स्तर पर अनुसूचित छात्रावास में प्रवेश की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।
- (vi) अनुसूचित जातियों में शैक्षिक जागरण के लिये विद्यालय भवनों के निर्माण, बालवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- (vii) अनुसूचित जातियों में शैक्षिक सुविधाओं के लिये एन. आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. पी. के स्रोतों का उपयोग करना होगा।
- (viii) शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों की निरन्तर भागिदारी के लिये नये-नये उपायों को खोजा जायेगा।

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के समानान्तर लाने के लिये ये उपाय किये जायेंगे—

- (i) जनजातिय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। इन क्षेत्रों में एन. आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. पी. के साथ-साथ शिक्षा के सामान्य कोष से भी भवन निर्माण हेतु सहायता ली जायेगी।
- (ii) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की अपनी ही विशेषता है। उनमें से उनकी अपनी बोली है। इससे यह आवश्यकता अनुभव की जाती है कि आरम्भिक स्तर पर पाठ्यक्रम तथा निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण स्थानीय बोली के आधार पर किया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तन करने में इससे कठिनाई न हो।
- (iii) अनुसूचित जनजाति के शिक्षित तथा प्रतिभाशाली युवकों को अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षण के लिये प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित किया जायेगा।
- (iv) विस्तृत पैमाने पर आश्रम तथा आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- (v) अनुसूचित जनजातियों की जीवन शैली तथा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रोत्साहन योजनाएँ आरम्भ की जायेंगी। उच्च शिक्षा हेतु तकनीकी, व्यावसायिक तथा अर्द्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी, विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्धि में सुधार के लिये मनो-सामाजिक उपाय अपनाकर निदान किया जायेगा।

- (vi) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- (vii) शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा जिससे उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान, सर्जनात्मक प्रतिभा के प्रति चेतना उत्पन्न हो।

अन्य शैक्षिक पिछड़े वर्ग तथा क्षेत्रों की शिक्षा

समाज के सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित प्रोत्साहन दिये जायेंगे। पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों तथा टापुओं में आवश्यक शैक्षिक संरचना प्रदान की जायेगी।

अल्पसंख्यक

कुछ अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय तथा समानता के लिये इन समूहों में भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अपनी भाषा, संस्कृति के संरक्षण के लिये उन्हें अपने विद्यालयों को स्थापित करने के लिये अवसर देकर संविधान की गारन्टी का पालन किया जायेगा। मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकें, विद्यालयी गतिविधियों को सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समेकित आधार प्रदान किया जायेगा।

विकलांगों की शिक्षा

विकलांगों के सामान्य विकास के लिये उन्हें समानता के आधार पर जीवन का सामना करने, आत्म-विश्वास जागृत करने, साहस उत्पन्न करने हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांगों के लिये वांछित शिक्षा व्यवस्था की जायेगी। इस दिशा में किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं—

- (i) जहाँ तक संभव हो अति विकलांगों, कम विकलांगों को सामान्य शिक्षा अन्य छात्रों के साथ दी जायेगी।
- (ii) जिला मुख्यालयों पर अनेक प्रकार के विकलांगों के लिये विशेष विद्यालय तथा छात्रावास खोले जायेंगे।
- (iii) विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु वांछित प्रबन्ध किये जायेंगे।
- (iv) विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- (v) विकलांगों की शिक्षा के लिये स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जायेगा।

प्रौढ़ शिक्षा

हमारे धर्म-ग्रन्थों में शिक्षा की परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार मुक्ति मिलती है। इसका अभिप्राय है, अज्ञान तथा अत्याचार से मुक्ति। आधुनिक युग में इसमें पढ़ने तथा लिखने की योग्यता निहित है। यही अधिगम का मूल साधन है, प्रौढ़ शिक्षा का महत्त्व, साक्षरता के साथ निर्णायक है।

विकास का जटिल युद्ध आज कौशल की उन्नति है जिसकी मानव शक्ति के रूप में समाज आवश्यकता है। लाभ प्राप्तकर्ताओं के सहयोग से ऐसे निर्णायक महत्त्व के कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा द्वारा चलाये जायेंगे जिनका सीधा सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता, वातावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक

सर्जनात्मकता को शक्तिदायी बनाना, छोटे परिवार के व्यक्तियों का निर्धारण, नारी समानता आदि के वर्तमान कार्यों की समीक्षा करके उन्हें शक्तिशाली बनाना।

सम्पूर्ण राष्ट्र को यह संकल्प लेना होगा कि 15-35 आयु वर्ग के लोगों में निरक्षरता समाप्त करनी होगी, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, उनके राजनीतिक दल, उनके जनसंगठन, जनसंचार, शिक्षा संस्थाओं आदि विभिन्न प्रकृति के साक्षरता कार्यक्रम अपनाने होंगे। अधिकांश संख्या में शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवकों स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोजकों को इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठा रखनी होगी। साक्षरता के साथ-साथ जन-साक्षरता अभियान में कार्योत्क ज्ञान तथा कौशल, सामाजिक-आर्थिक यथार्थ का ज्ञान एवं उनमें परिवर्तन की सम्भावनाएँ देखनी होंगी।

प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा के लिये अनेक तरीकों तथा साधनों से विस्तृत कार्यक्रम इन साधनों को सम्मिलित कर चलाना होगा—

नोट

- (i) ग्राम क्षेत्रों में सतत् शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना।
- (ii) नियोजकों, श्रमिक संघों तथा सरकार से सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा कार्मिकों की शिक्षा।
- (iii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थान।
- (iv) पुस्तकों, पुस्तकालयों, रीडिंग रूम का विस्तार।
- (v) रेडियो, टी.वी. फिल्म का जन तथा समूह अधिगम के साधन के रूप में।
- (vi) सीखने वालों के समूह तथा संगठनों का निर्माण।
- (vii) सुदूर शिक्षा कार्यक्रम।
- (viii) स्व-अधिगम हेतु संगठनों को सहायता।
- (ix) आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन

पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा

बालकों की राष्ट्रीय नीति, छोटे बच्चों की शिक्षा को निवेश मानना विशेष रूप से उन बच्चों को जो ऐसी जनसंख्या से आते हैं, जिनमें पहली पीढ़ी के छात्रों की संख्या अधिकतम होती है।

बाल विकास की महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचानते हुये पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं संवेगात्मक आदि, अर्थात् पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा (ECCE), बाल विकास सेवा कार्यक्रम में उच्च स्थान दिया जायेगा। दिवस-सेवा केन्द्रों (Day Care Centre) को सहयोगी सेवा के रूप में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु आरम्भ किया जायेगा। इससे निर्धन परिवारों की लड़कियों—जिन्हें अपने भाई-बहनों को संभालना पड़ता है—को विद्यालय जाने के अवसर प्राप्त होंगे।

ई. सी. सी. ई. के कार्यक्रम बाल, अभिभावित (Child Oriented) होंगे। ये खेल तथा बालकों की वैयक्तिकता पर केन्द्रित होंगे। इस अवस्था में पढ़ने, लिखने तथा गिनने (3 R's) तथा औपचारिक शिक्षा को आरम्भ नहीं किया जायेगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जायेगा।

बाल पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित किया जायेगा। यह एक ओर बालकों को विकसित करेगा तो दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा के लिये उन्हें तैयार करना होगा। यह तैयारी सामान्य रूप से मानव संसाधन विकास के लिये होगी। इस अवस्था के सातत्य में विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी शक्तिशाली बनाया जायेगा।

नोट

प्राथमिक शिक्षा में इस नवीन दखल से दो बातों पर बल दिया जायेगा—

- (i) सार्वभौम प्रवेश एवं सार्वभौम प्रतिधारण (Retention) (14 वर्ष की आयु तक)।
- (ii) शिक्षा में वांछित मात्रा में गुणात्मक सुधार।

बाल केन्द्रित अभिगमन

बालक की आवश्यकताओं पर सभी पक्षों का ध्यान केन्द्रित करने वाला प्रोत्साहित, स्वागत योग्य एवं तरोताजा अभिगमन यह है कि बालकों को विद्यालय में जाने और सीखने के लिये अभिप्रेरित किया जाये। प्राथमिक स्तर पर बाल केन्द्रित, क्रिया आधारित कार्यक्रम, शिक्षा हेतु अपनाना चाहिये। पहली पीढ़ी के सीखने वालों को अपनी गति का निर्धारण सहायक निदानात्मक सामग्री द्वारा स्वयं करना है। बालक के विकास के साथ-साथ ज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि की जायेगी और अभ्यास के द्वारा कौशलों का संगठन किया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण करने की नीति नहीं अपनाई जायेगी। मूल्यांकन को यथासम्भव औसत पर आधारित नहीं रखा जायेगा। शिक्षा प्रणाली से

शारीरिक दण्ड पूर्णतः समाप्त किया जायेगा। बालकों को सुविधा के अनुसार अवकाश तथा विद्यालय समय का समायोजन किया जायेगा।

विद्यालयी सुविधाएँ

दो बड़े कमरों (सभी मौसम में उपयोगी), खिलौने, श्यामट्ट, नक्शे, चार्टस तथा अन्य शैक्षिक-सामग्री तथा आवश्यक सुविधाएँ प्राथमिक विद्यालयों में दी जायेंगी। यथासम्भव एक विद्यालय में दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी, छात्रों की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक कक्षा के लिये एक शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' नामक एक प्रतीकात्मक आन्दोलन देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु चलाया जायेगा। इसमें सरकार स्थानीय निकाय, स्वैच्छिक संस्थाएँ तथा व्यक्ति पूरी तरह से संलग्न होंगे। एन. आर. ई. पी. तथा अर. एल. ई. जी. पी. फण्ड का प्राथमिक उपयोग विद्यालय भवनों का निर्माण करना है।

अनौपचारिक शिक्षा

अनुत्तीर्ण बालकों, विद्यालय न जाने वाले बालकों, कार्यशील बालक-बालिकाएँ जो पूरे दिन विद्यालय नहीं जा सकते, उनके लिये वृहद् एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शैक्षिक वातावरण को विकसित करने के लिये आधुनिक तकनीकी सहायता का प्रयोग किया जायेगा। समुदाय में से योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन शिक्षक के रूप में किया जायेगा। उनके प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। योग्यताओं की अनौपचारिकता को शिक्षा के प्रवाह में लाया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में गुणात्मक अन्तर न हो।

राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जायेगा। यह पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकता तथा स्थानीय वातावरण के अनुसार होगा। उच्च कोटि की शिक्षण-सामग्री का निर्माण किया जायेगा और उसे छात्रों को निःशुल्क दिया जायेगा। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहभागी अधिगम वातावरण जैसे खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण आदि प्रदान करेंगे।

अनौपचारिक शिक्षा का अधिकांश कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये सम्पूर्ण दायित्व वहन करेगी।

एक प्रस्ताव

नई शिक्षा की नीति, समय से पूर्व विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देगी, सरकार इस कार्य को युद्ध स्तर पर सूक्ष्म नियोजन द्वारा पूरे देश में मूल आधार से आरम्भ करेगी और यह देखेगी कि विद्यालय में बालक रहें। यह कार्य अनौपचारिक शिक्षा के तन्त्र द्वारा समेकित होगा। यह ध्यान रखा जायेगा कि 1990 तक जो बालक 17 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन्हें पाँच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या उसके समानान्तर अनौपचारिक प्रवाह में शिक्षा प्रदान की जाये। 1995 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में छात्रों की विभिन्न भूमिकाओं को अभिव्यक्त करती है। यही वह उचित अवस्था है जिसमें इतिहास को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में पढ़ाया जाये, नागरिक के रूप में संवैधानिक अधिकार तथा कर्तव्यों को समझने के अवसर प्रदान किये जायें। आन्तरिक स्वस्थ कार्यों के सचेतन प्रयास, लोकाचार, मूल्य, संगुणित संस्कृति को उचित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा। विशेष संस्थाओं के द्वारा व्यावसायीकरण करके माध्यमिक शिक्षा का पुनर्नवीकरण किया जायेगा, जिससे आर्थिक विकास के लिये मानव शक्ति प्राप्त हो सके। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अछूते क्षेत्रों में किया जायेगा। अन्य क्षेत्रों में, मुख्य बल एकीकरण पर दिया जायेगा।

प्रगति मूलक विद्यालय

सार्वभौम रूप से यह स्वीकार किया गया है कि विशेष प्रतिभा या रूझान वाले बालकों को तीव्र प्रगति के लिये उत्तम शिक्षा, बिना आर्थिक भार के प्रदान की जाये।

प्रगतिमूलक (Pace Setting) विद्यालय, जो इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, की स्थापना, निश्चित ढाँचे के अनुसार देश भर में स्थापित किये जायेंगे। इनमें आविष्कार तथा प्रयोगों की पूरी सुविधा होगी। इनका मुख्य उद्देश्य समानता तथा सामाजिक न्याय के आधार पर उत्तमता को विकसित करना होगा। (इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के संरक्षण भी है।) इससे देश के भिन्न-भिन्न ग्राम क्षेत्रों के प्रतिभावान बालक एक साथ रहेंगे और राष्ट्रीय एकता का विकास करेंगे। वे विद्यालय सुधार में राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग होंगे। ये विद्यालय आवासीय तथा निःशुल्क होंगे।

व्यावसायीकरण

प्रस्तावित शिक्षा संगठन में व्यवस्थित, सुनियोजित तथा कठोर कदम व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये उठाने होंगे।

ये कदम व्यक्ति को रोजगारपरक बनाने के लिये हैं, कुशल जनशक्ति की माँग और पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखना होगा और उन लोगों को विकल्प प्रदान करना होगा जो बिना किसी लक्ष्य के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नोट

व्यावसायिक शिक्षा एक विशेष प्रवाह है जिसके द्वारा प्रवृत्तियों (Activity) से विस्तृत क्षेत्र में छात्रों को अपने व्यवसाय की पहचान बनानी है। ये पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर दिये जायेंगे, किन्तु इनमें इतना लचीलापन अवश्य रखा गया है कि उन्हें आठवीं कक्षा में भी लिया जा सके। समेकित व्यावसायिक शिक्षा को उत्तम बनाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास व्यवसाय-प्रतिमान के आधार पर किया जायेगा।

स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यमों से, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा को समेकित करना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा, जो प्राथमिक तथा मिडिल स्तर पर दी जायेगी, वह व्यक्ति तथा परिवार और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य का रूप लेगी। यदि माध्यमिक स्तर पर 2 में स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का रूप लेंगे। कृषि विपणन (Marketing), समाज सेवा के क्षेत्र में भी ऐसे ही पाठ्यक्रम अपनाये जायेंगे। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा मनोवृत्ति, ज्ञान, कौशल, उद्यम एवं स्वरोजगार की भावना विकसित की जायेगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम या संस्थान की स्थापना का दायित्व सरकार एवं नियोजक, दोनों का ही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में है। सरकार, नगरों, ग्राम तथा जनजातीय क्षेत्र के छात्रों, समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी। विकलांगों के लिये वांछित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को, कतिपय शर्तों के साथ, सम्पर्क पाठ्यक्रमों (Bridge Courses) के द्वारा व्यावसायिक विकास, संवाहक (Career) विकास फिर सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में पार्श्विक (संजमतदंस) प्रवेश दिया जायेगा।

अनौपचारिक, नमनीय (Flexible) तथा आवश्यकता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, स्कूल छोड़े हुये, कार्यरत व्यक्तियों, बेरोजगारों तथा आंशिक रूप से बेरोजगारों के लिये उपलब्ध होंगे। स्त्रियों पर इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

वैकल्पिक पाठ्यक्रम ऐसे स्नातकों के लिये बनाये जायेंगे जिन्होंने बौद्धिक (Academic) प्रवाह द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है और वे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

यह भी प्रस्तावित है कि 1990 तक 10: एवं 1995 तक 25: छात्र हायर सेकेण्डरी स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेंगे। ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने वालों को रोजगार मिले या स्वरोजगार में लगे। प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जायेगी। सरकार भी अपनी चयन नीति (Recruitment) की समीक्षा माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु करेगी।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा, जनता को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के ऐसे अवसर प्रदान करती है, मानवता जिनका मुकाबला कर रही है। वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा माध्यमिक विषयों पर तार्किकता से विचार करती है। अस्तित्व के लिये यह महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के पिरामिड के शीर्ष होने के नाते, शिक्षा प्रणाली के लिये शिक्षको का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान के असीम विस्फोट के सन्दर्भ में भूतकाल की तुलना में अछूते क्षेत्रों में प्रवेश के कारण निरन्तर गतिशील रही है।

भारत में आज (1986 में) लगभग 150 विश्वविद्यालय और 5000 कॉलेज हैं। इन संस्थानों में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को देखते हुये यह प्रस्तावित किया गया है कि निकट भविष्य में विद्यमान संस्थानों में एकीकरण तथा सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये।

विश्वविद्यालयी प्रणाली में गिरावट से रक्षा के लिये शीघ्र उपाय किये जायें। कॉलेजों की सम्बद्धता के मिश्रित अनुभवों को ध्यान में रखते हुये स्वायत्त शास्त्री महाविद्यालय इस प्रणाली के विकास में सहायक होंगे। जब तक कि सम्बद्धता प्रणाली को मुक्ति एवं अधिक सर्जनात्मक रूप से परिवर्तित किया जाये। इसके लिये विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में सम्बन्ध रखा जाये। इसी के समानान्तर विश्वविद्यालयों के विभागों को चयन के आधार पर स्वायत्तशासी बनाया जायें। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को प्रतिबद्धता (Accountability) के साथ जोड़ना होगा। विशेषीकरण को उत्तम बनाने के लिये पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करनी होगी। भाषा की सक्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रमों के संयोगों में नमनीयता में वृद्धि की जायेगी।

प्रदेशों में उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से राज्य स्तर पर नियोजन एवं समन्वय किया जायेगा। यू. जी. सी. एवं ये परिषद् (Councils) समन्वय विधियों का स्तर निर्माण करने में विकास किया जायेगा।

क्षमता के अनुरूप प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश एवं न्यून सुविधायें प्रदान की जायेंगी। शिक्षण विधियों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। दृश्य-श्रव्य सामग्री एवं विद्युत उपकरणों को आरम्भ किया जायेगा। विज्ञान तथा तकनीकी के पाठ्यक्रम, सामग्री, अनुसन्धान, शिक्षक अभिनवन को प्राथमिकता दी जायेगी। यह शिक्षकों को सेवा आरम्भ में तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से किया जायेगा। शिक्षकों की निष्पत्ति का विधिपूर्वक मूल्यांकन किया जायेगा। सभी पदों की योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले अनुसन्धान की गुणात्मकता में वृद्धि करने के अवसर प्रदान किये जायें। अछूते क्षेत्रों में अनुसन्धान के लिये विश्वविद्यालय में यू. जी. सी. समन्वय करेगी। यह समन्वय अन्य संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले अनुसन्धान में होगा। स्वायत्त व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर अनुसन्धान को प्रोत्साहित किया जायेगा।

भारतीय विद्या, मानविकी, समाज विज्ञान को पर्याप्त सहायता दी जायेगी। ज्ञान समेकन के लिये अन्तर विद्या अभिगमन को बढ़ावा दिया जायेगा। समकालीन यथार्थ से प्राचीन ज्ञान को जोड़ा जायेगा। यह प्रयास संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं के विकास की सुविधायें प्रदान करेगा।

नीति में अधिक मात्रा में समन्वय तथा सातत्यता बनाये रखने के लिये अन्तर विद्या अभिगमन के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्राथमिकता दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, विधि तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसन्धान के लिये किया जायेगा।

2.34 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियाँ

स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता चौथे दशक की समाप्ति पर तीव्रतर हुई; इस दिशा में देश के पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की। संयोगों तथा विद्यमान सामाजिक संघर्षों ने जनता सरकार का गठन किया और उसने भी लक्ष्यों का निर्धारण कर

नोट

1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया। काल की परिवर्तित धारा ने पुनः कांग्रेस सरकार की स्थापना की और वर्तमान सरकार ने इसके महत्व को समझा। शिक्षा की चुनौती-नीति परिप्रेक्ष्य; दस्तावेज जारी कर राष्ट्रव्यापी बहस कराई। इस बहस का परिणाम है नई शिक्षा नीति।

नोट

भारत सरकार ने 1986 में नई शिक्षा नीति, राष्ट्र विकास के व्यापक एवं महत्वपूर्ण संकल्प की पूर्ति के लिये प्रकाशित की। गुजरात के राज्यपाल माननीय रामकृष्ण त्रिवेदी ने नई शिक्षा नीति की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुये कहा-देश के सर्वोन्मुखी विकास का उद्देश्य रखकर नई शिक्षा नीति का ढाँचा तैयार किया गया है। शिक्षण केवल चार दीवारों के बीच की एक जड़ प्रक्रिया न रहकर देश के सर्वांगीण विकास को गतिशील और ठोस बनाये और राष्ट्रीय एकता, अपनी पुरातन सभ्यता और भारतीय संस्कारों के अनुसार इस देश के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रवाह से इस तरह अवगत कराया जाये ताकि वे सब इस देश के आदर्श नागरिक बन सकें, यह नई शिक्षा नीति का परम ध्येय है, यही है इसका प्रमुख लक्ष्य।

शिक्षा का दायित्व किस पर है, समाज पर, सरकार पर; कौन इससे लाभ उठाता है, कौन किस पर खर्च करता है; आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस प्रश्न की गंभीरता तथा नई शिक्षा नीति की आवश्यकता तथा प्रतिबद्धता के विषय में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय देवीलाल का कथन है-आज हमारी शिक्षा दिनों-दिन महँगी होती जा रही है, एक तरफ इस प्रकार के पब्लिक स्कूल हैं और दून स्कूल हैं जहाँ प्रति विद्यार्थी, प्रति मास हजारों रुपया खर्च होता है और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल हैं, जहाँ विद्यार्थियों को बैठने तक को टाट पट्टी भी नसीब नहीं है। शिक्षा के दोहरे मानदण्डों को जब तक समाप्त नहीं किया जाता, अमीर और गरीब, दोनों के बच्चों को जब तक एक ही बेंच पर बैठाकर शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हम उन मानव मूल्यों और नैतिक गुणों तथा भारतीय आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारी शिक्षा का मुख्य आधार होने चाहिये। इसलिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सर्वांग स्वरूप पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे

शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग देती है। भारत में प्रत्येक शासन काल में शासकों ने अपने आदर्शों तथा दर्शन के सन्दर्भ में शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसका प्रमुख कारण रहा है कि शिक्षा सदा से मानव इतिहास को विकसित करती रही है, इसने काल की चेतावनी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। आदि काल से चली आ रही शिक्षा की, प्रक्रिया आज भी किसी न किसीन रूप में विद्यमान है।

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में यह तथ्य अपनाये गये-

1. **शिक्षा की भूमिका और तत्व**-राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा सभी के लिये आवश्यक है, सर्वांगीण विकास का यह आधार है। शिक्षा सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भूमिका प्रस्तुत करती है। इसमें संविधान में प्रदत्त जनतन्त्र और धर्म निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति है। बौद्धिक स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक स्वभाव और राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से यह संवेदना का विकास करती है, सभी आर्थिक स्तरों पर यह जनशक्ति का निर्माण करती है। राष्ट्र में आत्म-निर्भरता के लिये अनुसंधान द्वारा नये क्षेत्रों का पता लगाती है और इन सबसे

परे शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में विनियोग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह महत्वपूर्ण बिन्दु है।

2. **शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली**—नई शिक्षा नीति में पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर बल दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक जैसी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिये होनी चाहिये।
3. **शिक्षा और समानता**—समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा की भिन्नतायें पाई जाती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिये अनेक उपाय इन क्षेत्रों में किये गये हैं।
4. **नारी समानता के लिये शिक्षा**—नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा नारियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक भिन्नताएँ पायी जाती हैं, इन भिन्नताओं को दूर करने के लिये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। निरक्षरता उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा, पोषण और कल्याण, गृहकला और प्रबन्ध आदि पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न गैर पारस्परिक पाठ्यक्रमों के निर्माण पर भी बल दिया गया है।
5. **अनुसूचित जातियों की शिक्षा**—नई शिक्षा नीति में गाँव और शहर के अनुसूचित जाति के स्त्री और पुरुषों की शिक्षा के लिये विशेष व्यवस्था पर बल दिया गया है। अनेक पारस्परिक पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति अध्यापन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि के द्वारा अनुसूचित जाति में शैक्षिक समानता के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है।
6. **जनजातियों की शिक्षा**—जनजातीय कल्याण के लिये जनजातीय भाषाओं के आधार पर आवासीय आश्रम, विद्यालयों की स्थापना, विभिन्न प्रकार के तकनीकी पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था की गयी है।
7. **अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा**—अन्य पिछड़े वर्गों में अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा की व्यवस्था के लिये छात्रवृत्ति, विशेष विद्यालयों, विशेष तकनीकी तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है।
8. **प्रौढ़ शिक्षा**—भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या निरक्षर है, इसलिये ग्राम तथा नगर क्षेत्रों में सतत् शिक्षा, श्रमिक शिक्षा, प्रौढ़ पाठशालायें, प्रौढ़ साहित्य तथा पुस्तकालय, जन संचार, सुदूर शिक्षा, स्वयं शिक्षा तथा अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया जायेगा।
9. **पूर्व बाल्यावस्था**—पूर्व बाल्यावस्था बालक की शिक्षा का महत्वपूर्ण वर्ष है। इस अवस्था में बालकों के उचित पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास की आवश्यकता है। इसलिये पूर्व प्राथमिक स्तर पर सुसंगठित पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक है।
10. **प्राथमिक शिक्षा**—प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये गुणात्मक रूप से आवश्यक है। इस स्तर पर शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया गया है—
(क) शिक्षा केन्द्र बालक को माना गया है—बिना भय और आतंक के बालक की आवश्यकताओं को आधार मानकर शिक्षा दी जाये।

नोट

(ख) प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम ऐसे दो कमरे होंगे जिन्हें हर मौसमों में इस्तेमाल किया जायेगा।

प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में कम से कम एक दिन आदर्श रूप से निर्मित कराया जायेगा।

(ग) प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया जायेगा। यह शिक्षा उन लोगों के लिये होगी जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

(घ) पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और यह शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये अनिवार्य रूप से निःशुल्क दी जायेगी।

11. **माध्यमिक शिक्षा**—नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा मानविकी की मानव विकास के लिये नई भूमिकाओं का अध्ययन करता है। स्वस्थ, चेतन और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण के लिये माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस स्तर पर जो पीढ़ी तैयार होती है, वह समाज में सेतु का निर्माण करती है। इसलिये माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विभिन्न पक्षों के आधार पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करने पर बल दिया गया। स्वास्थ्य योजनायें और सेवायें लागू की जायेंगी। शिक्षा के इस स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
12. **उच्च शिक्षा**—उच्च शिक्षा व्यक्ति में तार्किक दृष्टिकोण विकसित करती है। शिक्षा का चरम बिन्दु होने के कारण इस स्तर पर शिक्षकों का महत्व बढ़ जाता है। इस समय भारत में लगभग 222 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 8000 से अधिक महाविद्यालय हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हैं। उच्च स्तर पर शोध को बढ़ावा देना आवश्यक है इसलिये देश के 500 महाविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करने का संकल्प किया है, यह स्वायत्ता महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्तर विद्याध्ययन, कृषि चिकित्सा, तकनीकी, विधि (Law) तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में नवीन पाठ्यक्रमों को लागू किया जायेगा।
13. **खुले विश्वविद्यालय और सुदूर शिक्षा**—ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये हैं या अपनी कारोबारी जिन्दगी के साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिये खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। देश का पहला राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय नयी दिल्ली में स्थापित किया गया है।
14. **डिग्री का रोजगार से सम्बन्ध समापन**—नई शिक्षा में डिग्री तथा रोजगार के सम्बन्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया है। ऐसा सम्बन्ध समापन उन व्यवसायों के लिये होगा जिनके लिये विश्वविद्यालयी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह बात चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, कानून शिक्षण तथा ऐसे अन्य व्यवसायों पर लागू नहीं होगी जिनके लिये विज्ञान का उच्च शैक्षिक ज्ञान आवश्यक है।
15. **ग्रामीण विश्वविद्यालय**—नई शिक्षा नीति में महात्मा गाँधी के क्रान्तिकारी विचारों के आधार पर नये ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन पर बल दिया जायेगा।

16. **तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा**—यद्यपि तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा दो अलग-अलग धाराओं में चल रही है, इसका समन्वय करना आवश्यक है, इसलिये तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा का आर्थिक, सामाजिक वातावरण, उत्पादन तथा प्रबन्ध प्रक्रिया के सम्बन्ध में पुनर्गठित करना होगा। ग्राम, नगर उद्योग और व्यवसाय सभी को प्रबन्ध शिक्षा के अन्तर्गत लाना होगा। कम्प्यूटर का शिक्षा विद्यालय स्तर से करनी होगी। सतत् शिक्षा के अन्तर्गत इन सबको लाना होगा। देश में चल रहे पॉलिटेक्निक को भी इसी आधार पर पुनर्गठित करना होगा।
17. **नवीनीकरण अनुसंधान तथा विकास**—तकनीकी शिक्षा के उच्च स्तरों पर नवीनीकरण आवश्यक है। इस दृष्टि से अनुसंधान तथा विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर कुशलता तथा प्रभावशीलता के विकास के लिये प्रयास करने होंगे। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्माण करना होगा। इस दृष्टि से अनेक स्वायत्त संस्थाओं का गठन किया जायेगा।
18. **व्यवस्था कार्य का निर्माण**—नई शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिये व्यवस्था विकसित की जायेगी। जिसके अधीन शिक्षकों, छात्रों, शिक्षण संस्थाओं और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जायेगा।
19. **शिक्षा की प्रक्रिया का अभिनव**—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये इसके दोषों को दूर करना होगा, जिसके लिये मानविकी, समाजविज्ञान तथा शिक्षा का उचित शिक्षण आवश्यक है। विशेष विषयों जैसे ललित कला, संग्रहालय विज्ञान, लोक साहित्य के शिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था करनी होगी। मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे। 1964 की भाषानीति को अपनाया जायेगा। पुस्तकालयों का विकास करना होगा और शैक्षिक तकनीकी के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों को विकसित कर वांछित उपलब्धियाँ संचित की जायेंगी। कार्यानुभव, पर्यावरण, गणित, विज्ञान, खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास पर बल दिया जायेगा।
20. **मूल्यांकन प्रणाली**—आन्तरिक मूल्यांकन शिक्षा का अनिवार्य अंग होगा। इसके लिये वैयक्तिकता, रहना आदि को हतोत्साहित किया जायेगा और छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिये ठोस उपाय अपनाये जायेंगे।
21. **शिक्षक**—शिक्षकों के स्तर को ऊँचा रखने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे जिसमें शिक्षकों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। शिक्षक परिषदों को मान्यता दी जायेगी और शिक्षक शिक्षा के लिये विशेष उपाय किये जायेंगे।
22. **शिक्षा की व्यवस्था**—शिक्षा को पुनर्गठित करने के लिये आमूल परिवर्तन किया जायेगा। जिसके अधीन दीर्घकालीन योजना का निर्माण, विकेन्द्रीकरण, शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्ता, नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन होगा और राज्य स्तर पर शिक्षा सलाहकार परिषदों का गठन होगा, जिला स्तर पर जिला बोर्ड सेकेण्ड्री शिक्षा तथा शिक्षा का गठन करेंगे। इस दिशा में विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।

23. **साधन**—कोठारी कमीशन तथा 1968 की शिक्षा नीति ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों के निर्माण पर विशेष बल दिया है। इस दृष्टि से दान, अनुदान, फीस, उद्योग-कर आदि के द्वारा धन एकत्र किया जायेगा। प्रत्येक पाँच वर्ष में शिक्षा की प्रगति का सिंहावलोकन होगा।
24. **भविष्य**—भावी शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, यह कहना कठिन है; फिर भी परम्परा से प्राप्त उच्चतम बौद्धिक स्तर को बनाये रखने के प्रयास किये जायेंगे। बीसवीं सदी की समाप्ति तक यह आशा की जाती है कि जीवन की विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने में भारतीय शिक्षा विश्व में उच्चतम स्थान बना लेगी।

2.35 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) **शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना**—नई शिक्षा प्रणाली में समस्त विषय इस प्रकार के हैं जिनका स्तर उन्नत है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पढ़ाये जाते हैं।
- (2) **उच्च शिक्षा के लिये अवांछनीय प्रवेश पर रोक**—शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर सकेगी। शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थी सबसे पहले रोजगार प्राप्त करेंगे। इसलिये विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर विद्यालयों में व्यर्थ ही प्रवेश नहीं लेंगे। विद्यार्थियों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तभी वे अवांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं।
- (3) **मूल्यांकन की नई व्यवस्था**—शिक्षा प्रणाली द्वारा नई मूल्यांकन पद्धति बनायी जाती है। इसके अन्तर्गत परीक्षा परिणाम श्रेणियों तथा ग्रेडों के आधार पर दिये जायेंगे। ग्रेड निम्न प्रकार होंगे—
 - (i) विशेष योग्यता; (ii) सन्तोषप्रद;
 - (iii) उत्तम; (iv) निम्न;
 - (v) अच्छा।
- (4) **शिक्षा संरचना में एकरूपता**—शिक्षा प्रणाली के द्वारा सम्पूर्ण भारत की शिक्षा पद्धति में समरूपता लाई जा सकेगी जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेगी।
- (5) **व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता**—शिक्षा प्रणाली ने व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी है। इस प्रणाली द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होगा। कार्यानुभव के अन्तर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेगा। इस व्यावसायिक कुशलता द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

2.36 राममूर्ति समीक्षा-समिति, 1990

सन् 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गयी और उसी वर्ष इसकी कार्य योजना भी प्रकाशित कर दी गयी तथा 1987 से इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया। परन्तु उसी बीच 1989

में केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आई। सरकार के बदलते ही शिक्षा नीति में परिवर्तन पर विचार किया गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 3 वर्ष बाद ही मई, 1990 में इसकी समीक्षा के लिये राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसे राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 कहा जाता है।

समिति की अपनी समीक्षा रिपोर्ट—प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर (Towards an Enlightened and Human Society) शीर्षक से 26 दिसम्बर, 1990 में प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के प्रारम्भ में ही यह स्वीकार किया गया है कि 1986 के बाद देश की स्थिति और अधिक खराब हुई है, सांस्कृतिक मूल्यों में और अधिक हास हुआ है, सामाजिक समता के स्थान पर वर्ग भेद बढ़ा है धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर धार्मिक उन्माद बढ़ा है, और शैक्षिक अवसरों की समानता के स्थान पर शैक्षिक अवसरों में असमानता बढ़ी है। इसके बाद समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की और फिर अपने सुझाव दिए हैं। जिनको निम्न प्रकार क्रमबद्ध किया गया है—

- **पूर्व प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) की व्यवस्था की गति बहुत मन्द है। उसने सुझाव दिया कि समाज के सुविधाविहीन शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा के लिए आँगनबाड़ी व्यवस्था का विस्तार किया जाए और साथ ही आँगनबाड़ियों के कार्यों को समुन्नत किया जाए।
- **प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 1990-91 तक 50% प्राथमिक विद्यालयों को इसका लाभ पहुँचाया जाना था परन्तु अब तक केवल 30% प्राथमिक विद्यालयों को ही इसका लाभ पहुँचाया जा सका है और इन 30% के भी जो भवन बनाए गए हैं वे अच्छे नहीं हैं, एकदम घटिया किस्म के हैं और इनमें जो सामग्री भेजी गई है वह भी अच्छी किस्म की नहीं है। उसने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन, शत प्रतिशत रुकाव और शत प्रतिशत सफलता के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ और ब्लैकबोर्ड योजना का क्रियान्वयन उचित ढंग और सही गति से किया जाए। उसने प्राथमिक शिक्षा को मूल्यपरक बनाने पर बल दिया।
- **माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार पूरे देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना लागू होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई है। देश में अभी तक जो 261 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। + 2 पर 1995 तक 25% छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने का लक्ष्य है परन्तु अभी (1990) तक केवल 2.5% छात्रों को ही इस धारा में लाया जा सका है। इस सन्दर्भ में समिति ने पहला सुझाव तो यह दिया कि इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए और दूसरा सुझाव यह दिया कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली (Common School System) को ईमानदारी से लागू किया जाए। उसने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षा मूल्यपरक होना आवश्यक है।

नोट

- **उच्च शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी और 1986 में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है और इसमें अनेक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए हैं परन्तु इससे उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रवेश पर नियन्त्रण की बात कही गई थी, वह नहीं किया गया। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने की बात कही गई थी, वह भी केवल औपचारिकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहा। उच्च शिक्षा संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया था, वह भी झूठा सिद्ध हुआ। परिणाम यह है कि उच्च शिक्षा का प्रसार अनियोजित ढंग से हुआ है और उसका स्तर गिरा है। सबसे अधिक चिन्ता का विषय यह है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व अभी तक बना हुआ है। समिति ने उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर कठोर नियन्त्रण और प्रवेश के लिये चयन प्रणाली के पालन का सुझाव दिया।
- **व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की बात कही गई थी, कम्प्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था और निम्न स्तर की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को बन्द करने की बात कही गई थी। इस बीच कम्प्यूटर शिक्षा में तो काफी सुधार हुआ है,
- शेष सब यथावत चल रहा है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में समिति ने शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर बल दिया और साथ ही रोजगारपरक शिक्षा की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के स्तर को उन्नत बनाने की बात कही। उसने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएँ जो तकनीकी शिक्षा के उन्नत बनाने के लिए उत्तरदायी हों।
- **प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्य-क्रम उचित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मन्त्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मन्त्रालय और श्रम मन्त्रालय, तीनों के ऊपर होना चाहिए।
- **शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि शिक्षक शिक्षा सैद्धान्तिक अधिक है। उसने सुझाव दिया कि वह दक्षतापरक होनी चाहिए।

2.37 राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 (POA—1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1990 में प्रस्तुत की। 1992 में सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। इस समिति की समीक्षा एवं सिफारिशों का क्रमबद्ध विवरण निम्न प्रकार है—

- **पूर्व प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि शिशु कल्याण योजनाओं को पूर्ण उत्तेजना के साथ नहीं चलाया जा रहा था। उसने सुझाव दिया कि

शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं में गति लाई जाए, आँगनबाड़ियों में कार्यरत व्यक्तियों का कार्य-क्षेत्र विस्तृत किया जाए और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

नोट

- **प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। उसने 20 वीं शताब्दी के अन्त तक 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिये पहला सुझाव यह दिया कि 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों को 1 किमी क्षेत्र के अन्दर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाएँ, सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और अपव्यय एवं अवरोधन को कम किया जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाएँ, जो बच्चे किसी कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पर यह अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के स्तर की ही होनी चाहिए। समिति ने देखा कि उस समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4 : 1 था, उसने इसे 2 : 1 अनुपात में लाने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू की जाए। उसने प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति पर भी बल दिया।
- **माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषदें अपने कार्य का सम्पादन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थीं। उसने सुझाव दिया कि इनको पुनर्गठित किया जाए और इन्हें स्वायत्तशासी बनाया जाए। उसने प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने का सुझाव भी दिया। उसने माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा के विस्तार की बात भी कही। माध्यमिक स्तर के पाठ्य-क्रम में व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों को लागू करने और इस स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने पर इसने विशेष बल दिया। + 2 पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को साधन सम्पन्न किया जाए। समिति ने नवोदय विद्यालय
- योजना को चालू रखने का सुझाव दिया और शेष जिलों में उन्हें शीघ्रतिशीघ्र स्थापित करने की बात कही, पर साथ ही इनकी प्रवेश परीक्षा एवं कार्य प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया। समिति के सम्मति में इस स्तर पर भी न्यूनतम अधिगम स्तर (MILL) की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाने चाहियें।
- **उच्च शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का स्तर सही नहीं है। इस सम्बन्ध में उसने पहला सुझाव यह दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अतिशीघ्र स्थापित किए जाएँ। दूसरा सुझाव यह दिया कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र योजना जारी रखी जाए। तीसरा सुझाव यह दिया कि नए-नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएँ। चौथा सुझाव यह दिया कि उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ऐकेडेमिक स्टाफ कॉलिज योजना का विस्तार किया जाए और पाँचवा सुझाव यह दिया कि निम्न स्तर की उच्च शिक्षा संस्थाएँ बन्द कर दी जाएँ।
- **प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने सुझाव दिया कि केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता दें और उसकी उचित व्यवस्था के लिये वित्त की

व्यवस्था करें। उसने यह भी सुझाव दिया कि नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम व सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

- **व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि उस समय तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) की क्षेत्रीय समितियाँ गठित की जाएँ जो नए तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने, नए पाठ्यक्रम लागू करने और तकनीकी शिक्षा का स्तरमान बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हों।
- **शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में समिति ने पहला सुझाव यह दिया कि किसी भी स्तर के शिक्षक शिक्षा पाठ्य-क्रम में प्रवेश की प्रणाली में सुधार किया जाए। दूसरा सुझाव यह दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETS) में की जाए।
- **भाषा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने इस सन्दर्भ में पहला सुझाव यह दिया कि केन्द्रीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निगम का दर्जा दिया जाए जिससे वह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सके। दूसरा सुझाव यह दिया कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से लागू किया जाए और तीसरा सुझाव यह दिया कि उच्च शिक्षा स्तर पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- **प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव**—समिति ने देखा कि सरकार न तो शिक्षा का प्रशासन उचित ढंग से कर पा रही है और न उसकी वित्त व्यवस्था सही ढंग से कर पा रही है। उसने सुझाव दिया कि जिला परिषदों की शीघ्रताशीघ्र स्थापना की जाए। वित्त के सम्बन्ध में उसने पहला सुझाव यह दिया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता दे और अपने संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग इसकी व्यवस्था पर करे और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को धीरे-धीरे स्ववित्त पोषित बनाए।

2.38 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1992

शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड का गठन, 1935 में स्वाधीनता से पूर्व किया गया था और यह अब भी शिक्षा की नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं—राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986, कार्य-योजना 1886 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992।

शिक्षा प्रबन्ध और नीति 1992—नीति निर्धारण के साथ-साथ, शिक्षा विभाग राज्यों से मिलकर शैक्षिक नियोजन का दायित्व भी निभाता है। शिक्षा को छठी योजना तक विकास प्रक्रिया के संसाधन की जगह सामाजिक सेवा मात्र समझा जाता था, लेकिन अब शिक्षा को मानव संसाधनों के द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। यह बात सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बजट में संसाधनों के आवंटन में प्रतिबिम्बित होती है। आठवीं योजना में केन्द्र तथा राज्यों के लिए शिक्षा पर 195999.7 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया, जो सातवीं योजना के व्यय 7,633.1 करोड़ यानि 2.6 गुना अधिक था। इस वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा के लिए

केन्द्रीय नियोजन आवंटन 1994-95 के 1,541 करोड़ रुपये से बढ़कर 1995-96 के 1,925 करोड़ रुपये कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र के भीतर ही संसाधनों के आवंटन का रूझान उच्चतर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा परिव्यय 1995-96 में 24.5 प्रतिशत बढ़कर 65.04 करोड़ रुपये कर दिया गया।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर है। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की। इसकी सिफारिशों पर शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकर बोर्ड ने विचार किया और आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. जनार्दन की अध्यक्षता में 22 जनवरी, 1992 को नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकर बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके इसमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था। परिणामस्वरूप संसद के समक्ष 7 मई, 1992 को शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित नीतियाँ कुछ सुझावों के साथ रखी गयीं। साथ ही साथ नीति को लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गयी और 19 अगस्त, 1992 को संशोधित कार्य नीति 1992 संसद के समक्ष रखी गयी।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992) का दस्तावेज-भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जो संशोधन किए उनका विवरण निम्न प्रकार है-

भाग एक-भूमिका और भाग दो-शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भाग तीन-राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया गया है-

- (i) पूरे देश में + 2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। भाग चार-समानता के लिए शिक्षा में चार संशोधन किए गए हैं- (i) समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाएगा।
- (ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, संरक्षण, छोटा, परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा।
- (iii) रोजगार/स्वरोजगार केन्द्रित एवं आवश्यकता एवं रूचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।
- (iv) नव साक्षरों के लिए साक्षरता उपरान्त सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँगे।

भाग पाँच-विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन-शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में सात संशोधन किए गए हैं-

- (i) ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन बड़े कमरों और तीन शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
- (ii) भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50 महिलाएँ होंगी।
- (iii) ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा।
- (iv) अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।
- (v) माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल दिया जाएगा।

नोट

- (vi) मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।
- (vii) परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार हेतु 'राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन' गठित किया जाएगा।
- भाग छः—तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा में केवल एक संशोधन किया गया है—
- (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ACTE) को सुदृढ़ किया जाएगा।
- भाग सात—शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
- भाग आठ—शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देने में दो संशोधन किए गए हैं—
- (i) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।
- (ii) परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। भाग नौ—शिक्षक में कोई संशोधन नहीं किया गया है—
- भाग दस—शिक्षा का प्रबन्ध में केवल संशोधन किया गया है—
- (i) शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा।
- भाग ग्यारह—संसाधन और समीक्षा और भाग बारह—भविष्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

2.39 सारांश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अब सांविधिक प्राधिकार के साथ निहित है ऐसे सभी कदम उठाने के लिए जो उन्हे लगता है कि शिक्षक-शिक्षा की योजना बनाने और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और निर्धारण और स्कूल शिक्षा के पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए तैयारी सहित शिक्षक-शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए ठीक है।

संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा (बी.ईएल.एड) प्रोग्राम के स्नातक के लिए एनसीटीई चार साल पूरा समय एकीकृत आमने सामने शिक्षा का प्रस्ताव पेश कर रही है। एकीकृत प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की डिग्री कार्यक्रम को अब से, बैचलर ऑफ इलीमैन्टरी एज्युकेशन (बी.ईएल. एड) कहा जाता है न्यूनतम अवधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी अध्ययन के चौथा/अंतिम वर्ष में 16 सप्ताह कम से कम काम की एक इंटर्नशिप भी शामिल है।

इस कार्यक्रम में भर्ती उम्मीदवारों को 6 साल के भीतर अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा करना होगा।

इलीमैन्टरी शिक्षक एज्युकेशन में चार साल की डिग्री प्रोग्राम में दाखिला पाने इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) का पास करना होगा, यह विशेषरूप से उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए बनाया गया है। एक श्रेणी में उम्मीदवारों का दाखिला 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (बी.ईएल.एड) के पाठ्यक्रम की योजना। फाउंडेशन पाठ्यक्रम, बुनियादी पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम, उदारवादी पाठ्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विकल्प।

उम्मीदवार को बी.एससी.एड पाठ्यक्रम (संपूर्ण) में दाखिला पाने के लिए कम से कम 50% अंक या ग्रेड बी के साथ उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान धारा में पास करनी होगी। द्वितीय वर्ष के बी.एससी.एड पाठ्यक्रम की परीक्षा (संपूर्ण) में बैठने के लिए उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय से संबद्धीत महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए दो पदों को प्रधानाचार्य की संतुष्टि के

लिए रखना होगा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस तरह के प्रमाण पत्र को परीक्षा फार्म के साथ पेश करना होगा। उम्मीदवार कम से कम 2/3तक प्रथम वर्ष बी.एससी.एड के विषयों में पास होना चाहिए। तृतीये वर्ष बी.एससी.एड पाठ्यक्रम की परीक्षा (संपूर्ण) में बैठने के लिए उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय से संबद्धीत महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए दो पदों को प्रधानाचार्य की संतुष्टि के लिए रखना होगा और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इस तरह के प्रमाण पत्र को परीक्षा फार्म के साथ पेश करना होगा। उम्मीदवार प्रथम वर्ष बी.एससी.एड संपूर्ण के सभी पाठ्यक्रमों में पास होना चाहिए और द्वितीय वर्ष बी.एससी.एड में कम से कम 2/3तक विषयों में पास होना चाहिए।

एन. सी. ई. आर. टी. की तहत विभिन्न इकाइयाँ कार्य करती हैं। इनमें मनोविज्ञान आधार, विज्ञान शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, दार्शनिक आधार, क्षेत्रीय सेवा, शोध पत्रिका तथा शैक्षिक शोध एवं नवाचारिक प्रकोष्ठ, पाठ्य-पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रारम्भिक और प्राथमिक शिक्षा, श्रव्य-दृश्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला, शैक्षिक सर्वेक्षण इकाई, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, विकलांग शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान आदि अनेक विभाग तथा अवयवी इकाइयाँ सक्रिय हैं।

अध्यापक शिक्षा की एजेसियाँ-एकेडमिक स्टाफ कॉलेज-विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेतनमान के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने वाली मेहरोत्रा समिति के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने पूरे देश में 50 एकेडेमिक स्टाफ कालेज (Academic Staff Colleges) स्थापित करने का लक्ष्य रखा था वर्तमान समय में भारत में एकेडेमिक स्टाफ कालेजों की संख्या 66 है। ये कॉलेज विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों की कार्य-पद्धति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश की नयी शिक्षा-नीति भली प्रकार कार्यान्वित की जा सके। शिक्षकों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाये बिना उच्च शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती, मेहरोत्रा समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उच्च शिक्षा स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षक को अग्रिम वेतनमान पर तभी प्रोन्नत किया जा सकेगा जब वह एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज से कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। चाहे यह प्रशिक्षण किसी परम्परागत विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो।

भर्ती पर्याप्त जनशक्ति स्रोतों का विकास और अनुरक्षण है। इसमें उपलब्ध मानव संसाधनों के एक छोटा तालाब का निर्माण शामिल है जिसमें से संगठन निकाल सकते हैं जब अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत हो। भर्ती कुछ कौशल, क्षमता, और एक संगठन में नौकरी रिक्तियों के लिए अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है। भर्ती का कार्य जनशक्ति के स्रोतों का पता लगाने के लिए काम की जरूरतों और विनिर्देश को पूरा करना है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के उम्मीदवार के पास अधिमानत के साथ विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और शिक्षा में स्नातक (बीएड) की डिग्री होनी चाहिए। बी.एड. पाठ्यक्रम अच्छी तरह से माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। पिछले शिक्षण अनुभव के साथ उम्मीदवार पसंद किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक संख्या है जो यह बी.एड. पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि में कराते है।

उच्च शिक्षा के उपर्युक्त और अन्य दोषों का निवारण करने के विचार से भारत सरकार ने इस शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव किया। उसी समय से आस-पास उच्च शिक्षा की

तत्कालीन कमियों से अवगत होने के कारण “अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद” (Inter-University Board of Education) और “केन्द्रिय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड” (बमदजतंस।कअपेवतल ठवंतक वी म्कनबंजपवद) ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवम्बर, सन् 1948 को “विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग” की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अतः उनके नाम से इस “आयोग” को “राधाकृष्णन कमीशन” भी कहा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में 1882 में हन्टर कमीशन ने विस्तार से विचार किया तथा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। 1919 में सैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा की संरचना में परिवर्तन का महत्वपूर्ण सुझाव दिया, जिसके परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। हरटॉग समिति ने तकनीकी तथा सामान्य हाई स्कूलों की स्थापना के सुझाव दिये। 1937 में माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट ने विस्तृत शिक्षा योजना प्रस्तुत की।

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की शक्ति को वांछित दिशा प्रदान करती है। इस ओर देश की सरकार जागरूक रही है। इसलिए समय-समय पर आयोग तथा समितियों का गठन होता रहा है। यहाँ पर मुदालियर कमीशन, आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1938), (1953) एवं कोठारी कमीशन के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर विचार-विमर्श प्रस्तुत है।

ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने सन् 1880 में लार्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लार्ड रिपन को भारत-स्थित अंग्रेज अधिकारियों की अनुदार शिक्षा-नीति से अवगत कराया और यह अनुरोध किया कि भारतीय शिक्षा की गतिविधियों की जाँच करके, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

लार्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए, उसने भारत पहुँचने के कुछ समय पश्चात् सन् 1882 में “भारतीय शिक्षा-आयोग” (Indian Education Commission) की नियुक्ति की। इस “आयोग” का अध्यक्ष-गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा का सदस्य सर विलियम हण्टर (Sir William Hunter) था। अतः इसके नाम से इस “आयोग” को “हण्टर कमीशन” (Hunter Commission) कहकर भी पुकारा जाता है।

मानव इतिहास के उदय से लेकर अब तक शिक्षा ने विकास तथा अभिवृद्धि की प्रक्रिया को सातत्य प्रदान किया है। हर देश ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिये अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की और समय की चुनौती को स्वीकार किया।

स्वतन्त्र भारत में 1986 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा है। इसने शिक्षा प्रणाली के क्रान्तिकारी नव-निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार, विज्ञान तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा शिक्षा और जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया।

स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता चौथे दशक की समाप्ति पर तीव्रतर हुई; इस दिशा में देश के पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की। संयोगों तथा विद्यमान सामाजिक संघर्षों ने जनता सरकार का गठन किया और उसने भी लक्ष्यों

का निर्धारण कर 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया। काल की परिवर्तित शिक्षक शिक्षा के अभिकरण धारा ने पुनः कांग्रेस सरकार की स्थापना की और वर्तमान सरकार ने इसके महत्व को समझा। शिक्षा की चुनौती-नीति परिप्रेक्ष्य; दस्तावेज जारी कर राष्ट्रव्यापी बहस कराई। इस बहस का परिणाम है नई शिक्षा नीति।

नोट

2.40 अभ्यास-प्रश्न

1. बैचलर प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (बी.एससी.एड) के लिए आवश्यक मानदंड और शर्तों के बारे में बताएं।
2. बी.एससी.एड पाठ्यक्रम (संपूर्ण) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3. बी.एससी.एड (संपूर्ण) परीक्षा में प्रदर्शित होने के लिए क्या योग्यता है?
4. बी.एससी.एड की कोर प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में वर्णन।
5. अध्यापक शिक्षा परिषद् के स्वरूप का विवेचन कीजिए।
6. अध्यापक शिक्षा परिषद् के शैक्षिक कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
7. एन. सी. ई. आर. टी के कार्यों का विश्लेषण कीजिए।
8. एन. सी. ई. आर. टी. की नियंत्रण इकाई के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
9. एन. सी. ई. आर. टी के अध्यापक शिक्षा विभाग का उल्लेख कीजिए।
10. जिला शिक्षा संस्थान (डाइट) के कार्यों का वर्णन कीजिए।
11. देशभर में स्थापित राज्यवाद डाइट संस्थानों की संख्या का ब्योरा दीजिए।
12. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रारूप पर प्रकाश डालिए।
13. SCERT के कार्यों का उल्लेख करें।
14. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की कुछ आधारभूत समस्याएँ एवं उनके समाधान का विश्लेषण कीजिए।
15. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए।
16. प्राथमिक शिक्षकों के लिए चयन मानदंड के बारे में बताएं।
17. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक क्या है?
18. बीएड कॉलेज में एक व्याख्याता के लिए पात्रता क्या मानदंड है?
19. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्रोफेसर के लिए क्या अनुभव आवश्यक है?
20. विश्वविद्यालय आयोग के गठन के उद्देश्य एवं जाँच के विषयों का विवेचन कीजिए।
21. विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों व सुझावों का विवरण दीजिए।
22. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पुनर्रचना किस प्रकार प्रस्तुत की?
23. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं?
24. कोठारी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कौन-सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया?

25. कोठारी कमीशन की उन महत्वपूर्ण सिफारिशों को प्रस्तुत कीजिये जो आज प्रत्यक्ष परिणाम में दिख रही हैं।
26. भारतीय शिक्षा आयोग के जाँच विषय क्या थे?
27. भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का विस्तार से विवरण दीजिए।
28. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विवेचना कीजिए।
29. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।

2.41 संदर्भ पुस्तकें

- समावेशी शिक्षा: अध्ययन और शिक्षण: सुजान ई. उतारा. पाम स्चुक्ट्ज, लॉरेंस अर्लबाम एसोसिएट्स।
- अध्यापक शिक्षा में मुद्दे और समस्याएं: बर्नाडेट रॉबिन्सन।
- अध्यापक शिक्षा: आर्थर एम. कोहेन, फ्लोरेन बी. ब्रवेर, पाम स्चुक्ट्ज, लॉरेंस अर्लबाम एसोसिएट्स।
- अध्यापक शिक्षा— डॉ. एन. के. शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अध्यापक शिक्षण— डॉ. शिव कुमार उपाध्याय/डॉ. प्रदीप कुमार, नवराज प्रकाश, दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ— सरयू प्रसाद चौबे / अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- भारत में शिक्षा का विकास— सुरेश भटनागर / संजय कुमार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस शिक्षक शिक्षा

नोट

(Structure)

- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 प्रस्तावना
- 3.3 सेवारत अध्यापक शिक्षा
- 3.4 सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा
- 3.5 दूरस्थ शिक्षा
- 3.6 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य
- 3.7 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप
- 3.8 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के सत्र
- 3.9 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य
- 3.10 महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की विशेषताएँ
- 3.11 महाविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य
- 3.12 अध्यापक-शिक्षा के गांधीवादी उद्देश्य
- 3.13 सारांश
- 3.14 अभ्यास-प्रश्न
- 3.15 संदर्भ पुस्तकें

3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों— सेवारत, सेवापूर्व एवं दूरस्थ शिक्षा से परिचित होंगे;
- प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित होंगे;
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य से परिचित होंगे;
- महाविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित होंगे।

3.2 प्रस्तावना

अध्यापक शिक्षा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। समय के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा का विस्तार हुआ है। अध्यापक शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षण को एक उद्यम या प्रोफेशन के रूप में स्वीकार

करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा वह आयोजन हो जिसमें इस उद्यमगत नीति-बोध एवं संवेगात्मक पक्ष में भी दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था हो।

नोट

अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन या आयोजन भी है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्त हेतु व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसके विभिन्न प्रकारों का विवेचन प्रस्तुत है।

प्राथमिक स्तर पर बालकों की समझ एवं परिपक्वता बढ़ जाती है। अतः प्राथमिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा का प्रारूप पूर्व-प्राथमिक स्तर से भिन्न होना चाहिए। इस स्तर पर तीन प्रमुख उद्देश्यों साहित्यिक उद्देश्य, अंकगणित तथा तकनीकी और सामाजिक एवं भावात्मक उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाना चाहिये। इस स्तर पर शिक्षण-विधियों एवं प्रविधियों एवं सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल का विकास किया जाना चाहिए, जबकि प्राथमिक स्तर के लिए खेल-विधि तथा कहानी-विधि ही प्रमुख हैं। प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण-विधियों के अधिक ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है।

“The process of education involves three steps—(1) determining objectives, (2) providing experiences designed to achieve the objectives and (3) measuring and evaluating the result to determine if the objectives have been achieved.”

Preface, Essentials Educational Evaluation. New York, 1962

—Edwin Wandt and G. W. Brown

‘शिक्षण का नियोजन’ (Planning of Teaching) करते समय कार्य-विश्लेषण के पश्चात् शिक्षण अथवा सीखने के उद्देश्य को निर्धारित करके उन्हें स्पष्ट शब्दों में परिभाषित कर देना चाहिये जिससे यह बात मालूम हो जाये कि विद्यार्थियों में कौन-कौन से व्यावहारिक परिवर्तन किस-किस क्षेत्र में करने हैं। चूँकि सीखने के उद्देश्य को परिभाषित करने का तात्पर्य उनकी विशेषताओं का सरल भाषा में स्पष्ट करना है, इसलिये शिक्षकों विशेष रूप से विद्यार्थी-शिक्षकों की सुविधा के लिए हम निम्नलिखित पंक्तियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले कुछ विषयों एवं उनकी विशेषताओं की कुछ सूचियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सूचियों को नमूने के रूप में स्वीकार करते हुए विद्यार्थी-शिक्षक दूसरे विषयों के सीखने के उद्देश्यों तथा उनकी विशेषताओं की सूचियाँ आसानी से तैयार कर सकते हैं।

अध्यापक को अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करना होता है। अतः अध्यापक शिक्षा के द्वारा भावी अध्यापकों को सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। जब तक अध्यापक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं कर सकेगा। अतः अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है और जहाँ तक उद्देश्यों का संबंध है, विभिन्न स्तरों पर उनमें कुछ विशिष्टताओं के साथ परिवर्तन होता है। प्रस्तुत इकाई में महाविद्यालयी स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. प्राचीन काल (Ancient Period)—भारत में विभिन्न समुदायों के मध्य विभिन्न माध्यमों से काफी समय पहले शिक्षा के विस्तार का विचार था। मेला, त्योहार, अर्थ, औपचारिक,

सामाजिक, धार्मिक माध्यम से पूरे समुदाय एवं शिक्षकों को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा धार्मिक यात्रा, सामुदायिक वार्तालाप आदि भी शिक्षा प्रदान करने के साधन थे।

2. **अंग्रेजों का काल (British Period)**—अंग्रेजी समय में अध्यापक-शिक्षा के प्रति कम प्रयास किये गये। वुड डिस्पैच (Wood Despatch 1954) ने शिक्षकों में उनके व्यवसाय में सुधार एवं विकास की घोषणा की। भारतीय शिक्षा आयोग (1882) ने निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित किया—

- (i) शिक्षण-सिद्धान्तों एवं अभ्यास की परीक्षा के लिए व्यवस्था की जाये। इस परीक्षा में सफल होने पर ही माध्यमिक शिक्षा में स्थाई अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।
- (ii) स्नातक स्तर के छात्रों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुछ समय के लिए प्रशिक्षण के लिए जाना आवश्यक होता है।

सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के प्रत्यय और प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका का संकेत सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन (1904) की शिक्षा नीति में मिलता है।

इसके बाद सेवारत् अध्यापक शिक्षा के इतिहास का उल्लेख भारत सरकार के फरवरी 1913 के शिक्षा नीति के प्रस्ताव में किया गया था।

सन् 1929 में हर्टाग समिति ने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से सेवारत् अध्यापक-शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। हर्टाग समिति के प्रस्ताव के मंजूर होने पर संघीय शासन की राज्य सरकारों ने अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था का आरम्भ किया था।

1. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा (Inservice Teacher-Education)
2. सेवापूर्व अध्यापक-शिक्षा (Pre-Service Teacher-Education)

सन् 1937 के बाद से भारत में सेवारत् अध्यापक शिक्षा का विकास आरम्भ हुआ।

3. **स्वतन्त्रता के बाद काल (Post Independence Period)**—सन् 1944 में युद्धोपरान्त शिक्षा के विकास के लिए रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास की बात कही गयी। सन् 1944 से 1948 के मध्य तक यह पाया गया कि विभिन्न राज्य देश में इस व्यवस्था को नया रूप दे रहे हैं। मद्रास (चेन्नई), बिहार एवं उत्तर प्रदेश में फिर से रीफ्रेशर कोर्स एवं ग्रीष्म कालीन संस्थाएँ स्थापित की गयीं। सन् 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने एक अति आवश्यक प्रस्ताव पारित करके हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के शिक्षकों के लिए संस्थाओं में रीफ्रेशर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया था। समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इस योजना की सार्थकता अध्यापकों की प्रोन्नति से सम्बन्धित करके प्रमाणित की जा सकती है। प्रत्येक चार या पाँच वर्ष के बाद शिक्षकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर पदोन्नति देकर इस योजना को प्रभावी बनाया जा सकता है। सन् 1950 में प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की गोष्ठी बड़ौदा में हुई। इस समिति ने पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं सेवारत् अध्यापकों के लिए रीफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा ऐसे शिक्षकों के लिये उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया जोकि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता चाहते हैं।

नोट

सन् 1951 में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संघ के संयुक्त सचिव के व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था के प्रति ध्यान दिलाया और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास पर बल दिया। सन् 1958 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित क्रियाओं की सिफारिश की जो कि प्रशिक्षण संस्थाओं में दी जानी चाहिए—

1. रिक्रेशर पाठ्यक्रम,
2. विशिष्ट विषयों में अल्प-तीव्र पाठ्यक्रम
3. कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण, तथा
4. गोष्ठी एवं व्यावहारिक वाद-विवाद।

सन् 1954 में तीसरी गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भारत की प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों ने इस व्यवस्था के विषय में फिर से विचार-विमर्श किया। इसमें सेवारत् अध्यापक शिक्षा के विषय में विशेष वार्ता हुई।

सन् 1955 में भारतीय माध्यमिक परिषद् ने सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा के लिये एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित योजना के शुभारम्भ के लिये दृढ़ संकल्प किया जिसके अन्तर्गत देश की चुनी हुई प्रशिक्षण संस्थाओं में विस्तार सेवा के माध्यम से सेवारत् अध्यापक शिक्षा का आरम्भ किया जाना था। परिषद् ने विस्तार सेवा केन्द्र के माध्यम से 24 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवारत् अध्यापकों में व्यावसायिक गुणों के विकास के लिए एवं संस्थाओं के सुधार के लिये एक कार्यक्रम का आरम्भ किया। सन् 1957-1958 के मध्य विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं ने विस्तार सेवा केन्द्र खोले। इस प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 54 तक पहुँच गई। सन् 1959 में इस परिषद् को परामर्श समिति का रूप दे दिया गया और इसकी देख-रेख शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने लगी। भारत सरकार ने इसको नये विभाग के अन्तर्गत काम करने के लिए रखा। इस विभाग का नाम 'माध्यमिक शिक्षा प्रसार नियोजन निदेशालय' रखा गया। सितम्बर 1961 में एक नयी स्वायत्त संस्था 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान परिषद्' की स्थापना की गयी। डेपसे को इस संस्था के एक भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। सन् 1962 में और अधिक विस्तार सेवा विभागों की स्थापना की गयी जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रसार सेवा का उपयोग कर सकें। इसी वर्ष में 23 प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रसार इकाइयाँ खोली गयीं। सेवारत् अध्यापक शिक्षा एवं विस्तार सेवा की इकाइयों की संख्या सन् 1965 तक पहुँच गयी थी।

सन् 1962-63 के मध्य रा. प्र. अनु. प. (राष्ट्रपति अनुसन्धान परिषद्) ने अपने बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण विद्यालयों में 23 प्रसार सेवा केन्द्रों की स्थापना की। सन् 1964 में शिक्षा आयोग ने चार-पाँच वर्ष में एक बार सभी सेवारत् अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

इस प्रकार सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर लगातार बल दिया जाता रहा है। देश के विभिन्न भागों में सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार के केन्द्रों, पत्राचार संस्था, अवकाश कालीन संस्था की स्थापना की गयी है। समय-समय पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों, वाद-विवादों और सम्पोजियमों का आयोजन किया जाता रहा है, परन्तु देश में सेवारत् अध्यापकों के पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता आज भी बनी हुई है, जिससे

कि इसकी कमियों को दूर किया जा सके, तथा शिक्षकों के व्यावसायिक गुणों में विकास हो सके।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

3.3 सेवारत अध्यापक शिक्षा

नोट

सेवारत अध्यापक शिक्षा की मूलभूत मान्यतायें

1. सेवारत अध्यापकों की शिक्षा उनके पूरे व्यावसायिक जीवन में एक नियोजित ढंग से होनी चाहिये।
2. सेवारत अध्यापक शिक्षा के द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में गुणात्मक विकास किया जा सकता है।
3. सेवारत अध्यापक को दिया गया पूर्व प्रशिक्षण उनके व्यावसायिक जीवन में प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को संचालित करने के लिए पर्याप्त होगा।
4. जीवन के अनेक मानवीय क्षेत्रों में नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है जिससे कि शिक्षा भी प्रभावित होती है। अतएव, यह आवश्यक है कि शिक्षक उन परिवर्तनों से भली-भाँति अवगत होता रहे।
5. शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों की योग्यता, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति आदि में परिवर्तन लाया जाये तथा विकास किया जाये।
6. शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया जाय, जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से हो सके।
7. सेवारत अध्यापक शिक्षा, शिक्षा के विकास के लिये एक आवश्यक तत्व है।

सेवारत अध्यापक शिक्षा का अर्थ

सेवारत अध्यापक-शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसाय से सम्बन्धित निरन्तर जानकारी प्रदान करना, एवं व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार एवं विकास करना सम्मिलित है। सेवारत अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक को शिक्षण-व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात् उनके लगातार विकास के लिये उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। सेवारत अध्यापक-शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अन्दर व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है।

सेवारत अध्यापक शिक्षा की परिभाषा

1. एम. बी. बुच

1. "In-service education is thus, a programme of activities aiming at the continuing growth of teachers and educational personnel in service."

"सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरन्तर विकास है।

—M.B. Buch

2. “All those activities and courses which aim at enhancing and strengthening the professional knowledge, interest and skills of serving teachers.

—Canne (1969)

नोट

“वे समस्त क्रियायें एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थाई करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के प्रत्यय में आता है।”

—केन (1969)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा की क्रियायें

1. व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना,
2. कौशल का विकास करना,
3. व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति उत्पन्न करना,
4. व्यवसाय से सम्बन्ध रखना,
5. व्यावसायिक कौशल, प्रशासकीय कौशल, प्रबन्धकीय कौशल, व्यवस्थापकीय कौशल, नेतृत्व कौशल आदि का विकास करना,
6. शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना,
7. शिक्षण-विधियों और शोध कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम तथा
8. सेमिनार, सिम्पोजियम, गोष्ठी, वार्तालाप आदि क्रियाकलापों की व्यवस्था करना।

सेवारत् अध्यापक-शिक्षा का महत्व

1. **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (University Education Commission, 1949)
—विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापक-शिक्षा की आवश्यकता इन शब्दों में व्यक्त की है—“यह असाधारण बात है कि विद्यालय का अध्यापक जो शिक्षा 25 वर्ष की आयु तक सीखता है उसी के आधार पर अध्ययन करता रहता है और अपने अनुभवों के अतिरिक्त किसी नवीन ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक को नवीन ज्ञान से समय-समय पर अवगत कराते रहना चाहिए तभी वह अपने व्यवसाय के प्रति पूर्णतः कर्तव्य निर्वाह कर सकता है।”

1. “It is extra-ordinary that our school learn all of whatever subject they before reaching the age of 24 or 25 and then all their further education is left to experiences which is another name for stagnation. We must realize that experiment before reaching its fullness and the teacher to keep alive and fresh become necessary from time to time.”

इस प्रकार विश्वविद्यालय आयोग 1949 ने भी सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

2. **माध्यमिक शिक्षा आयोग** (Secondary Education Commission)—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय को विशेष महत्त्व दिया और इसकी आवश्यकता के सुझाव निम्न शब्दों में व्यक्त किये हैं—

“अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थायें कितने ही श्रेष्ठतम नियोजन करें लेकिन वे श्रेष्ठतम अध्यापक पैदा करने में असमर्थ होती हैं। वे केवल अध्यापकों के अन्दर उन गुणों, कौशलों एवं अभिवृत्तियों का समावेश कर सकती हैं जिनसे कि वे अपने कार्य का संचालन अच्छे ढंग एवं विश्वास से कर सकें, और उनके अन्तर्गत अधिकतम अनुभव समाहित हो सकें।

2. “However excellent the programme of teacher training may be, it does not by itself produce an excellent teacher. It can only include the knowledge skills and attitudes which will enable the teacher to begin his task with reasonable degree of confidence and with the minimum amount of experience.”

सेवारत् अध्यापक शिक्षा के आधार

जे. पी. लियोनार्ड के कथन “सीखना जीवन पर्यन्त होता है” के अनुसार सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के अग्रलिखित आधार बताये हैं-

1. शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। केवल औपचारिक प्रशिक्षण संस्थायें ही व्यावसायिक सेवा के लिए अध्यापकों को तैयार नहीं कर सकतीं।
2. शिक्षण के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधानों की सहायता से नये-नये विचारों का प्रादुर्भाव हो रहा है, कि शिक्षार्थी को क्या और कैसे पढ़ाया जाये।
3. प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व व्यवहारों को दोहराता है। उसी तरह शिक्षक भी अपने उसी ढंग से पढ़ाना चाहता है, जैसे कि वह पहले पढ़ाता रहा है।
4. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से गाँवों में या छोटे कस्बों में पुस्तकों, शोध-निर्देशों, एवं सफल अनुभवों या अनुदेशों का सदा अभाव रहता है, जिसकी सहायता से शिक्षक अपने व्यवसाय में दक्ष हो सकते हैं।

जे. ई. ग्रीन ने अपनी पुस्तक School Personnel Administration में निम्नलिखित विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है, जिनके कारण सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता का पता लगाता है-

1. ज्ञान के क्षेत्र में पुनः अर्थापन की प्रवृत्ति का विकास तीव्र गति से हो रहा है जिससे कि अध्यापक प्रशिक्षण के समय दी गयी शिक्षा की निरपेक्षता का मूल्यांकन किया जा सके।
2. देश में अयोग्य शिक्षकों की एक बड़ी संख्या है जिनका लाभ देश एवं समाज को नहीं हो पा रहा है।
3. बहुत सी ऐसी शिक्षण प्रविधियों का विकास हो रहा है, जिसका उपयोग पुराने शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं।
4. विद्यालयी शिक्षण में नये एवं उपयोगी अनुदेशन माध्यमों की खोज की जा रही है। भाषा, प्रयोगशाला, शिक्षण मशीन, कम्प्यूटर और दूरदर्शन का उपयोग नये ढंग से शिक्षण एवं अधिगम के लिये हो रहा है।
5. शोध द्वारा शिक्षण की प्रकृति में नयी चेतना का विकास किया जा रहा है, जिससे कक्षागत शिक्षण की व्यवस्था में सुधार हो रहा है।

नोट

6. शिक्षक को दिन-प्रतिदिन शिक्षार्थी की अनेक समस्याओं को हल करना पड़ता है।
7. सामाजिक वातावरण, मूल्यों, मानकों आदि में परिवर्तन के कारण शिक्षक को नवीन विधियों एवं युक्तियों का प्रयोग करना होता है, जिससे मूल्यांकन की प्रविधियों में भी परिवर्तन होता है।
8. शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है, जिसके लिये विभिन्न प्रकार के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल की आवश्यकता होती है।
9. कुछ समय पश्चात् शिक्षक यह भूल जाता है कि उसको व्यवसाय आरम्भ करने से पहले क्या ज्ञान दिया गया था।
10. शिक्षक के नैतिक मूल्यों एवं व्यवहारों में भी गिरावट आती जाती है।

सेवारत अध्यापक-शिक्षा की आवश्यकता

1. अध्यापकों के व्यवसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का योजनाबद्ध एवं क्रमिक नियोजन।
2. शैक्षिक विस्तार के द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता में विकास।
3. शिक्षकों को सेवापूर्व प्रशिक्षण के द्वारा दी गयी शिक्षा उनके व्यावसायिक जीवन में उचित एवं पर्याप्त ढंग से प्रयोग नहीं हो पाती।
4. मानवीय व्यवहारों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें नित्य नये-नये परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षक निरन्तर उन परिवर्तनों से भली-भाँति परिचित होता रहे। परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को आवश्यक रूप से अत्याधुनिक एवं गतिशील बनाया जा सकता है। सेवारत अध्यापक-शिक्षा के विस्तार द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है।
5. शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये, अन्य विषय क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से सेवारत अध्यापक के गुणों में विकास एवं परिवर्तन।
6. सेवारत अध्यापक-शिक्षा के प्रसार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे विद्यालय के अध्यापकों को अवगत कराया जाये जिससे वह नये परिवेश की शैक्षिक समस्याओं को भली प्रकार समझ कर उनका समाधान कर सकें।

सेवारत अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

1. शिक्षक की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये नये-नये उद्दीपनों को प्रदान करना।
2. शिक्षकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना, तथा उनको हल करने के लिये उनके ज्ञान एवं बोध का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना।
3. प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान करना।
4. शिक्षा में हो रही नयी शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से सेवारत अध्यापक को अवगत कराना।

5. शिक्षक के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना।
6. सेवारत् अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना।
7. शिक्षकों को उनके व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

नोट

राष्ट्रीय शिक्षा शोध संगठन विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा शोध संगठन विभाग (National Education Associate Research Division) के अनुसार सेवारत् शिक्षकों के लिए शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. शिक्षकों की कमियों को दूर करना, जो उन्हें अच्छे शिक्षक बनने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
2. नये शिक्षकों को सहायता प्रदान करना जोकि प्रथम बार कक्षागत कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं।
3. सेवारत् अध्यापकों में सतत् प्रशिक्षण एवं ज्ञान की वृद्धि करना।

सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के मूलभूत नियम

1. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा एवं पूर्व सेवारत् अध्यापक शिक्षा में अन्तर है।
2. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा एक प्रकार की प्रौढ-शिक्षा है। अस्तु, प्रौढ अधिगम के नियमों तथा सिद्धान्तों का प्रयोग सेवारत् अध्यापकों के सफल व्यावसायिक जीवन के लिये किया जा सकता है।
3. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा का कार्यक्रम शिक्षा जगत को तभी अत्याधुनिक बना सकता है जब यह स्वयं गतिशील रहे।

सेवारत् अध्यापक-शिक्षा की वर्तमान संरचना और प्रतिमान

1. अभिविन्यास पाठ्यक्रम (Orientation courses)
2. अवकाश कालीन पाठ्यक्रम (Vocational courses)
3. अन्तराल पाठ्यक्रम (Sandwich courses)
4. रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (Refresher courses)
5. पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence courses)
6. सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (Evening courses)
7. गहन पाठ्यक्रम (Intensive courses)
8. कार्यशाला (Workshop)
9. सिम्पोजियम (Symposium)
10. शैक्षिक सम्मेलन (Educational conferences)
11. विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (Exchange of Experts)
12. प्रसार केन्द्र (Extension center)

13. अल्पकालीन पाठ्यक्रम (Short term courses)
14. प्रकाशन विभाग (Publication unit)
15. व्यावसायिक लेखन (Vocational writings)
16. अप्रत्यक्ष लेखन (Indirect writings)
17. प्रयोग (Experimentation)
18. वैज्ञानिक गोष्ठियाँ (Scientific Seminars)

सेवारत् शिक्षा की संस्थाएँ और साधन

1. **शिक्षा की राज्य संस्थाएँ** (State Institutes of Education)—इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये की गयी। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनाएँ प्रदान करती हैं। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे—पाठ्यक्रम, विधियों, प्रविधियों पर शोध कार्यों का अयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों एवं वाद-विवादों का आयोजन किया जाता है।
2. **विज्ञान की राज्य संस्थाएँ** (State Institutes of Science)—इन संस्थाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष बल दिया जाता है।
3. **अंग्रेजी की राज्य संस्थाएँ** (State Institutes of English)—देश के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की बारह संस्थाएँ हैं। केन्द्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है। चण्डीगढ़ का क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान करता है। अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों को सीखने के लिये सेवारत् अध्यापकों के लिये चार माह का प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. **विस्तार सेवा विभाग** (Extension Services Departments)—देश के 104 महाविद्यालयों में प्रसार-सेवा केन्द्र खोले गये हैं। इन विभागों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। गोष्ठियों, वाद-विवादों आदि के द्वारा नये विषयों की शिक्षण-विधियों एवं प्रविधियों में सुधार किया जाता है।
5. **अध्यापकों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम** (Correspondence Courses for Teachers)—सर्वप्रथम केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी शुरू किये। इनमें नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें बी. एड. एवं एम. एड. स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया। सन् 1972 में विश्वविद्यालय ने एम. एड. के पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी तथा बी. एड. के पाठ्यक्रम को यथावत् जारी रखा।
6. **एम. एड. का सांध्यकालीन पाठ्यक्रम** (Evening Courses for M. Ed.)—कुछ स्थानों पर सेवारत् अध्यापकों के लाभ के लिए एम. एड. के सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने एम. एड. का दो वर्षीय पाठ्यक्रम आरम्भ किया। पंजाब विश्वविद्यालय एवं पंजाबी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की सेवा क्रमशः

पटियाला और चण्डीगढ़ में शुरू की जिसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समय एक वर्ष रखा गया।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

7. **अध्यापकों के लिये ग्रीष्मकालीन संस्थायें** (Summer Institutes for Teachers) –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से सेवारत् अध्यापकों के लिये विशेष रूप से विज्ञान विषय में देश के विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसी संस्थाओं की समय सीमा छः सप्ताह तक होती है। इसमें वे उस कार्यक्रम में अधिक समय लेते हैं, जिससे कि उनको नए विषय का ज्ञान दिया जाये।
8. **गोष्ठियाँ** (Seminars)–गोष्ठियों का कार्यक्रम एक सप्ताह से छः सप्ताह तक होता है। इस प्रकार की गोष्ठियों की सेवारत् अध्यापकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
9. **रिफ्रेशर पाठ्यक्रम** (Refresher Courses)–नये पाठ्यक्रमों की सहायता से अध्यापकों के मध्यम नये विचारों का प्रसार किया जाता है। शिक्षा अयोग ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक शिक्षक को पांच वर्ष बाद तीन माह के लिये आवश्यक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 1957 में भारतीय संघ के शिक्षक संगठन ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया।
10. **व्यावसायिक साहित्य** (Vocational Literature)–सेवारत् अध्यापक शिक्षा का विकास छोटी-छोटी पुस्तिकाओं एवं पत्रिकाओं की सहायता से किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा के विभिन्न विभागों एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।
11. **अल्प-कालीन पाठ्यक्रम** (Short Term Courses)–सेवारत् अध्यापकों को अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की सहायता से शिक्षा दी जाती है।
12. **दूरगामी शिक्षा** (Distance Education)–दूरगामी शिक्षा की सहायता से भी सेवारत् अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है।
13. **अन्तराल पाठ्यक्रम** (Sandwich Courses)–इस प्रसार के पाठ्यक्रमों का उपयोग सेवारत् अध्यापक की शिक्षा के लिये बड़े पैमाने पर किया जाता है।
14. **कार्यशालाओं का आयोजन** (Holding Workshops)–सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा का आयोजन विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाता है।

नोट

सेवारत् शिक्षा की समस्यायें

1. उद्दीपकों की कमी,
2. प्रेरणा की कमी,
3. इच्छाशक्ति की कमी,
4. अनुपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना,
5. अपर्याप्त मूल्यांकन प्रविधियाँ,
6. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

7. समस्या स्रोत के अध्ययन का अभाव
8. अध्यापकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
9. प्रशासकीय समस्यायें
10. संस्थागत समस्यायें
11. वित्तीय कठिनाई
12. उद्देश्यों के विशिष्टीकरण की कमी,
13. अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी, तथा
14. सेवारत् अध्यापक शिक्षा एवं संस्था के सम्बन्धों में आवश्यक कमी।

सेवारत् अध्यापक शिक्षा के विकास के लिये सुझाव

(अ) शिक्षा अयोगों द्वारा सिफारिशें

1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक स्तर पर सतत् अध्यापक-शिक्षा (Continuing Teacher Education) की व्यवस्था की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्था से पूर्व की शिक्षा एवं संघ से पूर्व की शिक्षा लम्बे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिये।
2. साधनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसकी अवधि प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद निरन्तर तीन माह के लिए होनी चाहिए। यह कार्य उनके सेवाकाल में ही होना चाहिये।
3. राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवारत् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि की जानी चाहिये। भारत में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को उनके व्यावसायिक गुणों के विकास के लिये इस प्रकार की सुविधा नहीं है।
4. राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसन्धान परिषद् ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार सतत् शिक्षा के लिए तीन श्रेणियों में व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी में अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी में माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तृतीय एवं अन्तिम श्रेणी में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा प्रधानाध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी में रखे गए प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में रखे गए शिक्षणार्थियों द्वारा होनी चाहिये।
5. विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप भिन्न होना चाहिए। इन सबके लिए सतत् शिक्षा का कार्यक्रम परिवर्तित होना चाहिये।
6. सतत् शिक्षा का नियोजन एक व्यापक रूप में होना चाहिए, जिसका आधार विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षकों की आवश्यकता, निकटतम भविष्य में सम्भावित विकास होना चाहिए। व्यवस्थापक को सतत् शिक्षा में भाग ले रहे शिक्षकों में धीरे-धीरे सुधार एवं विकास की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए।

7. सतत् शिक्षा में गहराई से चिन्तन करने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में सतत् शिक्षा का एक आत्म-निर्भर केन्द्र खोलने का प्रयास हो रहा है।
8. पूर्व सेवारत् शिक्षक एवं सेवारत् अध्यापक के मध्य सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए। उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए।
9. सतत् अध्यापक-शिक्षा सेवा की सफलता विशेषज्ञों की योग्यता एवं गुणवत्ता पर निर्भर होती है। अध्यापकों में व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि के लिए उनको अनेकों प्रकार के उद्दीपकों एवं अवसरों को प्रदान करना चाहिए।
10. शिक्षकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये एक नीति तैयार की जा सकती है, जिससे कि उनके अन्दर बुनियादी प्रेरणा एवं उद्दीपक के द्वारा उनको प्रेरित किया जा सकता है। आन्तरिक उद्दीपकों में पुरस्कार, स्तर में विकास, लिखित प्रोत्साहन आदि आते हैं।
11. इस प्रकार के आयोजनों का मूल्यांकन दो स्तर पर किया जा सकता है। प्रथम अवस्था वह है जबकि सतत् शिक्षा का नियोजन किया गया हो और दूसरी अवस्था वह है जबकि सेवारत् अध्यापक अपनी शिक्षण अवधि समाप्त करके वापस जा रहे हों। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
12. इस प्रकार के कार्यक्रम में सहायक वातावरण को तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि यह एक व्यर्थ क्रिया है। उनके अन्दर इस प्रत्यय के लिए सृजनात्मक एवं संवेदनात्मक चिन्तन करने की भावना का विकास किया जाना चाहिए।
13. सतत् शिक्षा के लिये धन, मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता होती है इसलिये सतत् शिक्षा हेतु प्राथमिकता का निर्धारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। इससे सतत्-शिक्षा का प्रभावी रूप में क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।
14. विस्तार सेवा विभाग को प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिए। विस्तार सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के मध्य अपना निजी अस्तित्व बनाये रखना चाहिए।

(ब) अन्य सुझाव

1. **प्रसार की आवश्यकता (Need for Expansion)**—अपर्याप्त सुविधा होने के कारण ऐसे शिक्षक प्रसार की सेवा की व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं जोकि व्यक्तिगत संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रसार-सेवा का विस्तार किया जाये तथा इसमें अधिकतम अध्यापकों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाये। शिक्षा विद्यालयों में प्रसार-सेवा के विभाग खोले जायें। सेवारत् अध्यापकों की सुविधा के लिये जिला एवं उपजिला स्तर पर कार्यालयों की सुविधा प्रदान की जाये।
2. **विभिन्न एजेन्सियों का सहयोग (Co-operation of various Agencies)**—प्रसार-सेवा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य स्तर के शिक्षा विभाग और राजकीय विद्यालयों के

परिषदों आदि शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों को आपस में सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि उनके कार्यक्रमों में अंशाच्छादन (Overlapping) न हो।

3. **निरीक्षकों की भूमिका (Role of Inspectors)**—शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने शिक्षकों को सेवारत् अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित करें। शिक्षा अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्साहित करें तथा उनके ज्ञानोपार्जन की इस प्रक्रिया का विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दें।
4. **सुनियोजित कार्यक्रम (Well-Planned Programme)**—सेवारत् अध्यापक शिक्षा का नियोजन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। इस कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए। संस्थागत आवश्यकता के अनुरूप ही इस कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिये।
5. **साधन व्यक्ति (Resource Persons)**—सब प्रकार के योग्य अध्यापक ही इस कार्य के लिये अनुकूल साधन व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं। इनका चयन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, महाविद्यालय के प्रोफेसर्स तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षा-विदों में से किया जाना चाहिए, जिनके पास सिखाने के लिए कुछ नया ज्ञान हो।
6. **अनुवर्ती कार्यक्रम (Follow-up Programmes)**—प्रसार-सेवा कार्यक्रम द्वारा अनुवर्ती-कार्यक्रमों को उचित ढंग से लागू करने के लिये कुछ ऐसे साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि इस कार्यक्रम का उपयोग हो सके।
7. **अनुसन्धान (Research)**—इन कार्यक्रमों की उपयोगिता अनुसन्धान के निष्कर्षों द्वारा देखी जा सकती है। शिक्षकों को उसके निष्कर्षों को अन्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों के लिए सूचना तथा उनके विचारों के प्रकाशन के लिये प्रत्येक तीन माह बाद विस्तार सेवा द्वारा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिये।
8. **अध्यापकों के लिए प्रलोभन (Incentive to Teachers)**—वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रलोभनों की आवश्यकता है जोकि शिक्षकों का ध्यान इस प्रकार के कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर सकें। अवकाश के दिनों में इस कार्यक्रम में आने वाले शिक्षकों को किसी न किसी प्रकार व्यावसायिक सुविधा से लाभान्वित करना चाहिये। उनको बी. एड. तथा एम. एड. आदि की उपाधि दी जानी चाहिए जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था अमरीका में की गयी है।
9. **विषयगत शिक्षकों का संघ (Subject Teacher's Associations)**—कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि विषय से सम्बन्धित शिक्षकों के संघों की स्थापना नगर, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के विभिन्न विषय होने चाहिए। इस प्रकार का नियोजन प्रयोगों के आरम्भ के लिये प्रलोभन का कार्य करेगा। राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को इस प्रकार के संघों को सहायता प्रदान करनी चाहिये, जिससे कि ये लोग समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन करके अपने निजी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकें।

10. **विषय विशेषज्ञ (Subject Experts)**—विभिन्न विषयों की शिक्षण प्रविधियों के निर्देशन एवं ज्ञान के लिये जिलास्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्तियों की जानी चाहियें जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की जानकारी प्रदान करें।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

3.4 सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा

नोट

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देना आवश्यक समझा गया। यह भी निश्चय किया गया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में 1937 में प्रस्तावित बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम का समावेश किया जाय। इस पाठ्यक्रम को देने के लिए योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। निम्नलिखित अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये—

(1) **पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण (Teacher's Training for Pre-primary Schools)**—पूर्व-प्राथमिक (Pre-primary) स्कूलों के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण (अब इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापकों को नर्सरी (Nursery) किण्डरगार्टन (Kindergarten) तथा मॉण्टेसरी (Montesori) प्रणालियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में क्षेत्रीय भेद (Regional Difference) पाया जाता है। बड़ौदा का एम. एस. विश्वविद्यालय पूर्व प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम (Post-Graduate Course) चला रहा है। केन्द्रीय सरकार ने 1954 में भारतीय शिक्षा-समिति (Indian Infant Education Committee) की स्थापना करके पूर्व-प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। तब से अब तक लगभग 20 सरकारी और 100 निजी प्रशिक्षण केन्द्र इस स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र खुल चुके हैं।

(2) **प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण (Teacher's Training for Primary Schools)**—1947 से भारत के सभी प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर बेसिक शिक्षा को लागू किया गया, परन्तु सभी प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा प्रणाली में नहीं बदले जा सके। इस प्रकार देश में प्राथमिक बेसिक स्कूल तथा प्राथमिक गैर बेसिक स्कूल दोनों चल रहे हैं। इसलिए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य और बेसिक दो प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र चलाने पड़े। इस प्रशिक्षण के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया गया। एक प्रशिक्षण में कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण और दूसरे में मिडिल या जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले वालों को उच्च प्रमाण पत्र (Upper Certificate) और दूसरों को निम्न स्तर का प्रमाण पत्र (Lower Certificate) दिया जाता है।

बेसिक और गैर बेसिक पाठ्यक्रमों में बहुत बड़ा अन्तर है। बेसिक पाठ्यक्रम को चार वर्गों—हस्तशिल्प, शिक्षाशास्त्र, सामाजिक अनुभव, और भाषा वर्ग में विभाजित किया गया है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार कुछ और तत्त्व भी सम्मिलित कर लिए गये हैं। गैर बेसिक पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प (Handicrafts) को छोड़कर शेष सभी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए पृथक्-पृथक् अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

- (3) **जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों के लिए पूर्व-स्नातक प्रशिक्षण** (Undergraduate Training for Junior High School Teachers)—जो व्यक्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक राज्य में इस प्रशिक्षण की समान व्यवस्था नहीं है फिर भी पाठ्यक्रम समान ही रहता है। इसके पाठ्यक्रम के दो भाग होते हैं—सैद्धान्तिक (Theoretical) तथा प्रयोगात्मक (Practical)। जबलपुर, सागर, नागपुर के विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा इन टीचिंग (Diploma in Teacher), बड़ौदा, गुजरात, बम्बई, कर्नाटक और पूना में टीचिंग डिप्लोमा (T. D.) तथा उ. प्र. में बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट (B. T. C.) तथा सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग (C. T.) तथा जूनियर टीचर्स सर्टिफिकेट (J. T. C.) पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। सभी पाठ्यक्रम एक वर्षीय हैं। अब उ. प्र. में सी. टी. तथा जे. टी. सी. समाप्त कर दिये गये हैं।
- (4) **माध्यमिक स्कूलों के लिए स्नातक प्रशिक्षण** (Graduate Training for Secondary Schools)—देश के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और विद्यालय निरीक्षकों (Inspectors of Schools) के लिए स्नातक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है। देश के सभी विश्वविद्यालय बी. एड. की उपाधि प्रदान करते हैं। यह प्रशिक्षण विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के बी. एड. विभाग में दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम भी बेसिक और गैर बेसिक दो प्रकार का होता है। उ. प्र. में बेसिक प्रशिक्षण के लिए एल. टी. (L. T.) का डिप्लोमा प्रचलित है जो दो वर्षीय है। यह अन्य विश्वविद्यालयों के बी. एड. प्रशिक्षण के समतुल्य हैं। सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय निरीक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दिल्ली में एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा भी हम प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालयों (The Regional-Colleges of Education) में की गई है। दिल्ली में सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (C. I. E.) तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (N. I. E.) में यह प्रशिक्षण दिया जाता है।
- (5) **विशेषज्ञों का प्रशिक्षण** (Training of Specialists)—इस प्रशिक्षण व्यवस्था में संगीत, ललित कलाओं, गृह-विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा और हस्तशिल्प के पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं। 1957 ई. में ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय (Lakshmi Bai Physical Training College) की स्थापना की गयी। ऐसे विशेष विषयों में प्रशिक्षण देने वाली 12 संस्थाएँ हैं।
- (6) **स्नातकोत्तर अध्यापक प्रशिक्षण और शोध-कार्य** (Post-graduate Teacher's Training and Research Work)—एम. एड. उपाधि के नाम से, बी. एड. या एल. टी. के प्रशिक्षण के बाद एक वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु चलाया जाता है। जो व्यक्ति बी. ए. (शिक्षाशास्त्र) कर चुके हैं उनके लिए लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर तथा अन्य विश्वविद्यालयों में दो वर्षीय एम. ए. (शिक्षाशास्त्र) का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। कुछ विश्वविद्यालय एम. एड. उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को एम. फिल. (M. Phil. Education) का एक वर्षीय प्रशिक्षण भी देते हैं। एम. फिल. करने के बाद व्यक्ति डेढ़ या दो वर्ष के पश्चात् पी-एच. डी. (Ph. D.) के लिए शिक्षाशास्त्र में अपना शोध-प्रबन्ध जमा कर सकता है। ऐसी व्यवस्था अभी तक बेसिक पाठ्यक्रम में नहीं है।

(7) अध्यापिकाओं के लिए प्रशिक्षण (Training for Lady Teachers)—प्रायः सह-शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ पुरुषों के साथ ही अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। कुछ संस्थाएँ अलग से भी एकमात्र महिलाओं को अध्यापक प्रशिक्षण देती हैं। कुछ राज्यों में प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के स्थान आरक्षित हैं।

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

नोट

3.5 दूरस्थ शिक्षा

अर्थ तथा परिभाषा

‘दूरवर्ती शिक्षा’ की परिभाषा प्रो. होमबर्ग (1981) ने इस प्रकार दी है। दूरवर्ती शिक्षा में खुले अधिगम को सम्प्रेषण माध्यमों अथवा शिक्षा तकनीकी से सम्पादित किया जाता है। सम्प्रेषण माध्यमों द्वारा शिक्षक का व्याख्यान छात्रों को उनके घरों तक पहुँचाया जाता है। दूरदर्शन की सहायता से शिक्षक छात्रों के पास तक पहुँच कर शिक्षा देता है। शिक्षक-छात्र की अन्तः-प्रक्रिया एक पक्षीय ही होती है। ‘दूरवर्ती शिक्षा’ में ‘मुक्त अधिगम’ के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं।

‘मुक्त-अधिगम’ की परिभाषा इस प्रकार है, “इस प्रकार के अधिगम की परिस्थितियाँ लचीली तथा स्वतन्त्र व स्वच्छन्द होती हैं। छात्र अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपने नियोजन के अनुरूप अध्ययन कर सकते हैं। वे अपनी परिस्थितियों एवं सुविधाओं के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं।”

दूरवर्ती शिक्षा की मान्यतायें

- (1) इसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का उपयोग सम्मिलित है।
- (2) यह एक सामान्य शिक्षक को उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार इसकी सहायता से उसे अन्य द्वारा हटाया नहीं जाता।
- (3) इसके द्वारा अनुदेशन में गुणात्मक विकास द्वारा महत्त्वपूर्ण योगदान किया जाता है।

शिक्षा तकनीकी ‘दूरवर्ती शिक्षा’ में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उसका मुख्य प्रयास यह होता है कि सम्प्रेषण माध्यम के घटकों तथा अधिगम प्रक्रिया में सार्थक सम्बन्ध स्थापित करके अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाये। यह तभी सम्भव हो सकता है जब प्रणाली विश्लेषण उपागम का समुचित रूप में प्रयोग किया जाये। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रारूप का नियोजन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा उनके मूल्यांकन की व्यवस्था सुचारु रूप से की जा सकती है।

दूरवर्ती शिक्षा की विशेषतायें

- (1) यह परम्परागत शिक्षा व्यवस्था से भिन्न है। इसमें शिक्षक ही छात्रों तक पहुँचता है।
- (2) इसमें शिक्षण-विधियों एवं आव्यूह की अपेक्षा सम्प्रेषण-माध्यमों के प्रयोग को प्रधानता दी जाती है।
- (3) इसके द्वारा खुले अधिगम के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। छात्र को अध्ययन में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।
- (4) इसके द्वारा सामान्य शिक्षक को सहायता प्रदान करके उसे उत्तम शिक्षक के रूप में कार्य कराया जाता है, उसे हटाया नहीं जाता है।

- (5) इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग जनसाधारण की शिक्षा के लिये किया जाता है।
- (6) इसके द्वारा अनुदेशन में गुणात्मक विकास किया जाता है।
- (7) इसके द्वारा सम्प्रेषण-माध्यमों के घटकों तथा अधिगम-प्रक्रिया में निकट का सम्बन्ध स्थापित करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
- (8) इसमें सम्प्रेषण-माध्यमों से अधिक ज्ञानेन्द्रियों को क्रियाशील नहीं किया जाता, अपितु अपेक्षित अधिगम-स्वरूपों के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं।
- (9) इसमें प्रणाली-विश्लेषण उपागम द्वारा शिक्षा-नियोजन, शिक्षा-अधिगम परिस्थितियों एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है।
- (10) इसका प्रमुख योगदान खुले-विश्वविद्यालय, पत्राचार-पाठ्यक्रम सतत् शिक्षा तथा खुले-अधिगम में है।

भारतवर्ष में दूरवर्ती शिक्षा का उपयोग

1. भारत जैसे विकसित देश में दूरवर्ती शिक्षा का विशेष महत्त्व है। राष्ट्रीय नीति में अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतवर्ष में 15 से 35 आयु वर्ग का प्रत्येक द्वितीय छात्र औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। 'दूरवर्ती शिक्षा' द्वारा इस वर्ग के लिये अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था सम्भव हो सकती है।
2. भारतवर्ष में कई विश्वविद्यालयों में पत्राचार शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सन् 1966 में ग्रीष्मकालीन पत्राचार शिक्षा का आरम्भ क्षेत्रीय महाविद्यालयों में किया जिसके द्वारा शिक्षा स्नातक उपाधि दी जाती है। इसका सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में अनुमोदन किया जा चुका है। सन् 1970 से पत्राचार संस्थाओं को अधिक बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार की अनेक संस्थाओं एवं विभागों की स्थापना की गई है। शिक्षा-संस्थाओं में पत्राचार-पाठ्यक्रम का मुख्य रूप से अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षाफल सामान्यतया चालीस प्रतिशत रहे हैं।
3. दिसम्बर सन् 1967 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बैंक के प्रशिक्षण के लिये एक कार्यकारी संस्था का नियोजन किया गया। एक समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश द्वारा 'बैंकिंग उद्योग' की स्वीकृति दी गई। बैंक प्रणाली के प्रशिक्षण के लिये नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की स्थापना की गई जिसमें व्यापक रूप में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया गया। इस आशय की पुस्तकों की रचना अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में की गई, उनका प्रकाशन किया गया और बैंक प्रशिक्षण में प्रयोग किया गया।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेण्टों को प्रशिक्षित करने के लिए अभिक्रमित अनुदेशन आव्यूह को अपनाया गया है। इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य-पुस्तकों की रचना की है। इसमें ऐसी पाठ्य-वस्तु को सम्मिलित किया गया है जिसमें जीवन बीमा की कार्य-प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई हैं जिससे सभी प्रदेशों के एजेण्टों को प्रशिक्षित किया जा सके।

5. राष्ट्रीय कैमीकल एवं फर्टीलाइजर लिमिटेड द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का निर्माण किया गया जिससे अभियन्ताओं तथा अन्य कार्यकलापों के लिये प्रशिक्षण दिया जा सके। इसमें सम्प्रेषण माध्यमों का व्यापक प्रयोग किया गया जिसमें कर्मचारियों ने अधिक रुचि लेकर कौशलों का विकास किया।
6. गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समस्त प्रदेश के किसानों के प्रशिक्षण के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया—
 - (i) पशुओं का पालन-पोषण तथा देखभाल,
 - (ii) इन्जन पम्प, संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण,
 - (iii) मुर्गी पालन तथा पोषण
 - (iv) फल वृक्षों की देख-भाल तथा संरक्षण,
 - (v) कपास की पैदावार।
7. भारतवर्ष में हिमाचल, पंजाब, बम्बई, अनामलाई विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर की विभिन्न विषयों की उपाधि हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अन्य सम्प्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में 'दूरवर्ती शिक्षा' का प्रयोग किया जा रहा है। भविष्य में इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा।

दूरवर्ती शिक्षा के लिये सुझाव

- (1) इसका प्रसार ऐसे क्षेत्रों तथा स्थानों में करना चाहिये जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और किसी कारण शिक्षा से वंचित रह गये हैं।
- (2) इसका उपयोग तीसरी दुनिया के देशों के व्यक्तियों को शिक्षित करने में है, जहाँ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं और शिक्षा ग्रहण में असमर्थ हैं।
- (3) इसका उपयोग अनौपचारिक शिक्षा में प्रभावी रूप में किया जा सकता है।
- (4) भारतीय संविधान में 'सभी को शिक्षा के समान अवसरों' की सुविधा की व्यवस्था है। दूरवर्ती शिक्षा द्वारा इस प्रकार के अवसरों की पूर्ति की जा सकती है। शिक्षा संस्थाओं की सुविधा 25 प्रतिशत नगरों के निवासियों के लिये है जबकि 75 प्रतिशत ग्रामीण निवासियों को दूरी की शिक्षा जैसे अवसर सुलभ किये जा सकते हैं।

आज कक्षा शिक्षण द्वारा शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग करके ही शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

3.6 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य

- (1) मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा वातावरण अध्ययन के शिक्षण की क्षमता।
- (2) इन विषयों के लिए समुचित अधिगम परिस्थितियों की पहचान तथा उनकी व्यवस्था करने की क्षमता।
- (3) कार्य-अनुभव, मनोरंजन सम्बन्धी अनुभव, शारीरिक तथा भौतिक क्रियाओं सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान।

- (4) बालकों के विकासक्रम की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की समझ।
- (5) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास हेतु प्रमुख अधिगम अधिनियमों तथा सिद्धान्तों की समझ।
- (6) बालक के व्यक्तित्व के विकास में परिवार, साथी और समाज की भूमिका के महत्त्व को समझना।
- (7) विद्यालय तथा परिवार के पारस्परिक सम्बन्धों से लाभ की जानकारी का होना।
- (8) कक्षा-शिक्षण तथा विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसन्धान के प्रयोग की क्षमता।
- (9) सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक की भूमिका की समझ।

प्राथमिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यक्रम को भी तीन ही प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है—

1. शिक्षण का सम्बन्धी सिद्धान्त (Pedagogical theory),
2. समुदाय के साथ कार्य करना (Working with Community),
3. पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण-विधियों का ज्ञान एवं अभ्यास तथा प्रयोगात्मक कार्य

3.7 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप

1. क्षेत्र (Area)	2. महत्त्व (Weightage)	3. पाठ्यक्रम का प्रारूप (Structure of Courses)
1. शिक्षण-कला सम्बन्धी सिद्धान्त (Pedagogical Theory)	20%	1. भारतीय समाज की नयी प्रवृत्तियों में अध्यापक-शिक्षा 2. बाल मनोविज्ञान 3. सुविधाओं तथा आवश्यकतानुसार विशिष्ट पाठ्यक्रम
2. समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली (Working with the Community)	20%	4. समुदाय की परिस्थितियों के अनुरूप कायो का सम्पादन कौशल
3. पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण-विधियों का ज्ञान एवं अभ्यास एवं प्रयोगात्मक कार्य (Content-cum Methodology, Practice & Practical Work)	60%	5. मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10%) 6. भाषा-शिक्षण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण (10%) 7. गणित शिक्षण (7.5%) 8. पर्यावरण-अध्ययन (1.5%) 9. कार्य-अनुभव (10%) 10. स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं मनोरंजन की क्रियायें (5%) 11. प्रयोगात्मक कार्य (10%)
योग	100%	11 पाठ्यक्रम

3.8 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के सत्र

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

प्राथमिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रम को चार सत्रों में विभाजित किया है। कुछ पाठ्यक्रमों से 'शिक्षा एक अध्ययन क्षेत्र' का बोध कराया जाना चाहिए। अन्य पाठ्यक्रमों का अध्यापक प्रशिक्षण की क्रियाओं एवं कौशल के विकास के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिये।

इन मूल पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य भाषा, सामाजिक विषय, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान विषयों की जानकारी के विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। विज्ञान तथा सामाजिक विषयों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे शिक्षक शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में समझ सकें। शिक्षा से सम्बन्धित मनोविज्ञान, दर्शन तथा समाजशास्त्र आदि विषयों का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षा की मूल पाठ्यवस्तु 75 प्रतिशत तथा सम्बन्धित विषयों को 25% महत्त्व दिया जाए। व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक कार्यों को 50 प्रतिशत महत्त्व देना चाहिए। विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सम्मिलित करना चाहिए।

नोट

3.9 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य

उद्देश्य	उद्देश्य की विशेषतायें
हिन्दी	
1. विद्यार्थियों को भाषा के मौखिक रूप से पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझने की योग्यता प्राप्त करना।	1. वह ध्वनियों तथा उनके समूहों को स्पष्ट रूप से पहचान सकेगा। 2. वह ध्वनि में अन्तर बता सकेगा। 3. वह शब्दों, मुहावरों, युक्तियों तथा लोक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकेगा। 4. वह समान अर्थ रखने वाले शब्दों की विभिन्नता समझ सकेगा। 5. वह समान ध्वनि वाले शब्दों का अन्तर समझ सकेगा। 6. वह प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थों तथा भावों को ग्रहण कर सकेगा।
2. विद्यार्थियों में भाषा के लिखित रूप का पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझने की योग्यता उत्पन्न करना।	1. वह लिखित शब्दों, मुहावरों, सुक्तियों तथा लोक्तियों के प्रसंग अनुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकेगा। 2. वह शब्दों तथा वाक्यांशों के महत्त्व को समझ सकेगा। 3. वह उनके परस्पर सम्बन्ध को समझ सकेगा। 4. वह महत्त्वपूर्ण विचारों, तथ्यों तथा भावों को समझ सकेगा। 5. वह पठित अंश के केन्द्रीय भाव को ग्रहण कर सकेगा। 6. वह लेखक की मनोदशा को समझ सकेगा। 7. वह उचित गति एवं बोध के साथ लिखित अंश पढ़ सकेगा। 8. वह पठित अंश का भाषा, विषय तथा शैली की दृष्टि से विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकेगा।

<p>3. विद्यार्थियों में अपने विचारों तथा भावों को मौखिक रूप में प्रकट कराने की कुशलता प्राप्त करना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह शब्दों भावों, सुक्तियों तथा लोक्तियों का उचित प्रयोग कर सकेगा। 2. वह शब्दों तथा मुहावरों आदि का शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। 3. वह शुद्ध भाषा और शैली का प्रयोग कर सकेगा। 4. वह अभीष्ट सामग्री प्रस्तुत कर सकेगा।
<p>4. विद्यार्थियों में अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप से व्यक्त करने की कुशलता उत्पन्न करना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह उचित गति के साथ लिख सकेगा। 2. वह सुन्दर, सुडौल तथा स्पष्ट लिख सकेगा। 3. वह शब्दों तथा मुहावरों का लिखित रूप में उचित प्रयोग कर सकेगा। 4. वह शुद्ध वाक्यों की रचना कर सकेगा। 5. वह शुद्ध बर्तनी का प्रयोग कर सकेगा। 6. वह विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर सकेगा। 7. वह प्रभावशाली भाषा एवं शैली का प्रयोग कर सकेगा। 8. वह विचारों में क्रमबद्धता ला सकेगा। 9. वह लेखन कार्य में परिच्छेद उचित ढंग से बना सकेगा।
<p>5. विद्यार्थियों की भाषा तथा साहित्य में रूचि उत्पन्न करना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त रोचक कहानियों, नाटकों, उपन्यासों तथा कविताओं को पढ़ सकेगा। 2. वह अपने स्तर के अनुसार साहित्य का अध्ययन एवं रसास्वादन कर सकेगा। 3. वह अन्य साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ाने के लिये आकर्षित हो सकेगा। 4. वह स्कूल के अन्दर तथा बाहर वाले सभी साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा। 5. वह साहित्यिक रचनाओं का संग्रह कर सकेगा। 6. वह सुन्दर तथा प्रभावशाली कविताओं को कण्ठस्थ कर सकेगा। 7. वह कहानी, निबन्ध तथा कविता आदि लिख सकेगा। 8. वह कक्षा तथा स्कूल की पत्रिका में आवश्यक योगदान दे सकेगा।
<p>6. विद्यार्थियों में हिन्दी साहित्य के सर्जन की योग्यता उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह अपनी कल्पना, निरीक्षण तथा तर्क एवं विवेक आदि शक्तियों को बढ़ा सकेगा। 2. वह अपनी मानसिक शक्तियों के आधार पर अपने विचारों तथा भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेगा। 3. वह अपने विचार तथा भावों को मौलिक ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा।

English

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

नोट

1. The Student understands simple English when spoken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. He recognises sound and sound system. 2. He differentiates sound and recognises contrasts in sounds in English and Hindi 3. He gets at the meanings conveyed by sounds. 4. He derives meanings from stress and different intonation patterns.
2. He expresses himself orally in simple and correct English.	<ol style="list-style-type: none"> 1. He reproduces the sounds correctly. 2. He uses proper stress, pitch and intonation. 3. He uses appropriate vocabulary and structures. 4. He speaks with proper pauses. 5. He has a normal speed in his speech. 6. He composes his ideas in a proper sequence.
3. He is able to read simple English with understanding.	<ol style="list-style-type: none"> 1. He Understands the meanings of words, phrases and structures in context. 2. He gets at the central idea of the passage. 4. He recognises relationship between different ideas. 5. He interprets traits of character as depicted in the passage. 6. He discriminates between the main and subsidiary ideas.
4. He is able to express himself in simple and correct English.	<ol style="list-style-type: none"> 1. He uses words, phrases and structures correctly. 2. He spells words correctly. 3. He uses punctuation marks and capital letters correctly. 4. He synthesises the sentences. 5. He breaks complex sentences into simple ones.
5. He appreciates simple poems	<ol style="list-style-type: none"> 1. He recognises the rhythm of English poem. 2. he reads the poem with proper rhythm. 3. He locates words and phrases which express imagery. 4. He expresses ideas from his own experience.
6. He is able to translate simple Hindi into English and vice versa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. He substitutes parallel words, phrases, idioms and structures in the language of translation, i.e., Hindi or other languages. 2. He modifies the structures of both the languages in an appropriate way. 3. He maintains the sequence of ideas as given in the original passage.

नोट

	<p>4. He retains the spirit of the original pas- sage.</p> <p>5. He joins sentences for better expression in the language of translation.</p> <p>6. He drops words and expressions which are unnecessary from the point of view of the language of translation, i.e., either English or Hindi.</p>
7. He develops interest in English.	<p>1. He reads books in English other than the prescribed ones.</p> <p>2. He reads English magazines and dailies.</p> <p>3. He listens to radio broadcasts English.</p> <p>4. He develops skill in using dictionaries and other reference books.</p> <p>5. he takes part in English debates, recitations and plays.</p> <p>6. He coilects phrases, idioms and quotations.</p>

विज्ञान

1. विद्यार्थियों को विज्ञान के तथ्यों, पदों, प्रत्ययों तथा सिद्धान्तों एवं प्रतिक्रिया का ज्ञान प्राप्त कराना।	वह ज्ञान के तथ्यों, पदों, प्रत्ययों तथा सिद्धान्तों एवं प्रतिक्रियाओं का—
	<p>1. पुनः स्मरण कर सकेगा।</p> <p>2. वह उन्हें पहचान सकेगा।</p> <p>3. वह उनका विभेदीकरण कर सकेगा।</p> <p>4. वह उनका वर्गीकरण कर सकेगा।</p> <p>5. वह उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा।</p> <p>6. वह वैसे ही मौखिक तथा प्रदर्शनात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा।</p> <p>7. वह उनकी व्याख्या कर सकेगा।</p> <p>8. वह उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कर सकेगा।</p> <p>9. वह उनमें भूल निकाल सकेगा।</p>
2. विद्यार्थियों में विज्ञान के ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न कराना।	<p>1. वह समस्या से सम्बन्धित सिद्धान्तों, तथा सामग्री का चुनाव कर सकेगा।</p> <p>2. वह तथ्यों तथा पदों का सत्यपान (Verification) कर सकेगा।</p> <p>3. वह प्रदत्तों की पर्याप्तता का पता लगा सकेगा।</p> <p>4. वह आकड़ों के आधार पर सामान्यीकरण कर सकेगा।</p> <p>5. वह त्रुटियों के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार कर सकेगा।</p>
3. विद्यार्थियों में विज्ञान से सम्बन्धित कौशल उत्पन्न कराना।	1. वह विषय से सम्बन्धित रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट तथा तालिका आदि तैयार कर सकेगा।

नोट

	<ol style="list-style-type: none"> 2. वह यन्त्रों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकेगा। 3. वह यन्त्रों को सुधार सकेगा। 4. वह प्रदत्तों का लेखा-जोखा रख सकेगा। 5. वह विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करते समय उचित सावधानी बरत सकेगा।
4. विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह विज्ञान से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर सकेगा। 2. वह विज्ञान-कल्ब तथा विज्ञान के अन्य कार्य-क्रमों में इच्छानुसार रुचि ले सकेगा। 3. वह विज्ञान सम्बन्धी साहित्य की ओर आकर्षित हो सकेगा। 4. वह स्वनिर्मित उपकरण बनाकर प्रयोग कर सकेगा। 5. वह विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर जा सकेगा। 6. वह वैज्ञानिक प्रदर्शनी तथा वाद-विवाद में भाग ले सकेगा। 7. वह विज्ञान की पत्रिकाओं में लेख दे सकेगा।
5. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टि कोण विकसित कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकेगा। 2. वह अन्धविश्वास को छोड़े सकेगा। 3. वह अपने निरीक्षण को विश्वास साथ व्यवक्त कर सकेगा। 4. वह नई साक्षियों के आधार पर निजी निर्णय दे सकेगा।
6. विद्यार्थियों में नैसर्गिक घटनाओं एवं विज्ञान के प्रभावों की रसनाभूति कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यार्थी अपना चिन्तन, मन पर करते समय निम्न-लिखित बातें प्रकट कर सकेगा- (i) शुद्धता, (ii) स्वच्छता, (iii) क्रमिकता, (iv) निरीक्षण का लेखा-जोखा रखना। 2. वह आधुनिक विज्ञान की गतिविधियों को समझने के लिये उत्सुक हो सकेगा। 3. वह विज्ञान के इतिहास को समझने के लिए प्रेरित हो सकेगा। 4. वह वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्र तथा उनके कार्यों का अध्ययन करने के लिये उत्सुक रह सकेगा।

गणित

1. विद्यार्थियों को गणित के पदों, प्रतीकों, प्रत्ययों, उपकल्पनाओं, सिद्धान्तों तथा क्रियाओं का ज्ञान देना तथा जानकारी प्राप्त कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह गणित के पदों का अर्थ समझ सकेगा। 2. वह गणित के सिद्धान्त, परिभाषाओं तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। 3. वह मुख्य-मुख्य प्रक्रियाओं को समझ सकेगा। 4. वह उनकी सबकी व्याख्या कर सकेगा। 5. वह उन सबके उदाहरण दे सकेगा। 6. वह तुलना द्वारा त्रुटियाँ निकाल सकेगा।
--	---

<p>2. विद्यार्थियों में गणित के ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह नवीन परिस्थिति को पहचानी परिस्थिति में बदल सकेगा। 2. वह प्रदत्तों को समझकर उनका विश्लेषण कर सकेगा। 3. वह प्रदत्तों की पर्याप्तता तथा अपर्याप्तता के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगा। 4. वह समस्याओं को सुलझाने के लिये उपयुक्त विधियों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का चुनाव कर सकेगा। 5. वह समस्याओं का तर्कपूर्ण ढंग से हल ढूँढ़ सकेगा। 6. वह निष्कर्ष निकालकर सामान्यीकरण कर सकेगा। 7. वह दिये गये प्रदत्तों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकेगा।
<p>3. विद्यार्थियों में गणित के लिए अपेक्षित कौशल उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह गणित सम्बन्धी तालिकाओं तथा यन्त्रों का प्रयोग कर सकेगा। 2. वह ग्राफों, चार्टों तथा रेख चित्रों आदि को बना सकेगा। 3. वह इन सबकी व्याख्या कर सकेगा। 4. वह मौखिक तथा लिखित गणना शुद्धता एवं गति के साथ कर सकेगा। 5. वह लिखित कार्य को सुव्यवस्थित रूप से कर सकेगा।
<p>4. विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह गणित सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन कर सकेगा। 2. वह गणित की समस्याओं के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर सकेगा। 3. वह गणित की समस्याओं के समाधान करने में रुचि ले सकेगा। 4. वह पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के प्रश्नों को हल कर सकेगा।
<p>5. विद्यार्थियों में गणित के प्रति अभिवृत्ति उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह गणित सम्बन्धी प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ रहना पसन्द कर सकेगा। 2. वह गणित का छात्र होने में गौरव अनुभव कर सकेगा। 3. उसमें गणित के प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिये आवश्यक मनोवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 4. वह गणित सम्बन्धी कार्यों की सराहना कर सकेगा।
<p>6. विद्यार्थियों में व्यक्तित्व-लक्षण विकसित कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह अपना कार्य करते समय नियमितता तथा समय का पालन कर सकेगा। 2. वह अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से स्वच्छतापूर्वक कर सकेगा। 3. वह अपने लिखित तथा मौखिक कार्य को प्रस्तुत करते समय स्पष्टता, शुद्धता परिशुद्धता (Precision), यथातथ्यता (Exactness) तथा तार्किकता एवं सुसंहतता (Compactness) प्रदर्शित कर सकेगा।

सामाजिक विषय

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

नोट

<p>1. विद्यार्थियों को विषय में सम्बन्धित पदों, तथ्यों, प्रत्ययों, घटनाओं, कालक्रम, दिशाओं तथा सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कराना।</p>	<p>(इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र तथा अर्थशास्त्र) वह पदों, तथ्यों, प्रत्ययों तथा घटनाओं के सम्बन्ध में—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रत्यास्मरण कर सकेगा। 2. पहचान सकेगा। 3. विश्लेषण कर सकेगा। 4. व्याख्या कर सकेगा। 5. उनका क्रमिक महत्व समझ सकेगा। 6. चित्रों, मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा सूचनार्थ प्राप्त कर सकेगा। 7. विभेदीकरण एवं तुलना कर सकेगा। 8. निष्कर्ष निकाल सकेगा।
<p>2. विद्यार्थियों में विषय में सम्बन्धित सीखे हुये तथ्यों, घटनाओं, सिद्धान्तों तथा प्रतिक्रियाओं आदि के ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह पदों तथा प्रत्ययों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेगा। 2. वह समस्या को पहचान सकेगा। 3. वह जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने के लिये सीखे हुये ज्ञान का उचित प्रयोग कर सकेगा। 4. वह समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना बना सकेगा। 5. वह परिकल्पना से सम्बन्धित हेतु परिकल्पना बना सकेगा। 6. वह परिकल्पना से सम्बन्धित साक्षियों को एकत्र कर सकेगा। 7. वह नये निष्कर्षों तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकेगा।
<p>3. विद्यार्थियों में विषय से सम्बन्धित कौशल उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह विषय में सम्बन्धित चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों, ग्राफों तथा चार्टों को बना सकेगा। 2. वह ऐतिहासिक भवनों, दुर्गों, बर्तनों, सिक्कों, गहनों तथा अस्त्र-शस्त्रों एवं भूतकाल की अन्य वस्तुओं के प्रतिरूप बना सकेगा। 3. वह चित्रों तथा चार्टों आदि का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकेगा। 4. वह तथ्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करके तार्किक ढंग से निर्णय ले सकेगा। 5. वह नई परिस्थितियों को समझ सकेगा। 6. वह कारण-परिणाम सम्बन्ध निकाल सकेगा। 7. वह नियामों तथा सिद्धान्तों को उपयुक्त ढंग से व्यक्त कर सकेगा। 8. वह सामाजिक परिस्थितियों को भली प्रकार समझ सकेगा। वह संदर्भ ग्रन्थों को पढ़ सकेगा।

<p>4. विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह विषय से सम्बन्धित पुस्तकों को पढ़ सकेगा। 2. वह सिक्के तथा चित्र आदि एकत्र कर सकेगा। 3. वह आर्थिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने में रुचि ले सकेगा। 4. वह विषय से सम्बन्धित समस्याओं पर वाद-विवाद कर सकेगा। 5. वह विषय सम्बन्धी लेख लिख सकेगा। 6. वह विषय से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रदर्शनियों में भाग ले सकेगा। 7. वह विषय से सम्बन्धित खेलों में भाग ले सकेगा।
<p>5. विद्यार्थियों में उचित मनोवृत्तियाँ उत्पन्न कराना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वह पक्षपात रहित दृष्टिकोण अपना सकेगा। 2. वह उदार विचार व्यक्त कर सकेगा। 3. वह देश प्रेम की भावना रख सकेगा। 4. वह मानवीय मूल्यों में विश्वास रख सकेगा। 5. वह समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकेगा। 6. वह अपनी तथा अन्य देशों की सांस्कृतिक दाय को आदर की दृष्टि से देख सकेगा। 7. वह अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में विकास व्यक्त कर सकेगा।

3.10 महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की विशेषताएँ

1. इस स्तर पर विद्यार्थी एक संक्रमण की स्थिति में होता है जिसमें वह किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ता है।
2. व्यावसायिक एवं सामाजिक समायोजन के द्वारा विद्यार्थी अपने आप जीवन-यापन करने के लिए तैयार होता है।
3. विद्यार्थी धीरे-धीरे कठिन एवं स्थिर क्षमताओं की ओर बढ़ता है तथा उसकी कुछ आदतें बन जाती हैं और कार्य करने का तरीका एवं व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है।
4. विद्यार्थी अमूर्त ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सिद्धान्त निर्माण करने के योग्य हो जाता है।

3.11 महाविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

1. महाविद्यालय के लिये भावी अध्यापकों में अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, नवीन प्रवृत्तियों से परिचित एवं उचित विधियों द्वारा पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए।
2. साधारण एवं उच्चस्तरीय शिक्षा के उद्देश्यों को विकसित कर उसे प्रजातन्त्रीय, एकाकी एवं समाजशास्त्रीय समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहिए।

अन्तिम व्यवहार

- (i) शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान।

- (ii) शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पहचानना।
 - (iii) साधारण एवं उच्च शिक्षा के उद्देश्य को जानना।
 - (iv) उच्च शिक्षा के साधारण एवं विशिष्ट उद्देश्यों को जानना।
 - (v) व्यक्ति की एकाकी प्रजातन्त्रीय समाजशास्त्रीय समाज से जुड़ी व्यावहारिक गतिविधियों को जानना।
 - (vi) प्रजातन्त्रीय समाज के निर्माण में सहायक गतिविधियों को जानना।
3. अपने विशिष्ट विषय को पढ़ाने के लिये कौशलात्मक एवं ज्ञानात्मक कौशल को विकसित करना।
4. अपने विशिष्ट विषय के शिक्षण में शिक्षा तकनीकी के प्रयोग करने के कौशल को विकसित करना।

नोट

अन्तिम व्यवहार

- (i) शिक्षा तकनीक के सिद्धांतों को जानना।
 - (ii) शैक्षिक एवं निदेशनात्मक तकनीकी में अन्तर स्पष्ट करना।
 - (iii) सीखने में सहायक शिक्षा तकनीकी की भूमिका की प्रशंसा करना।
 - (iv) शैक्षिक पदों का विश्लेषण करना।
 - (v) सूक्ष्म पाठ्य योजना, अभिक्रमिit अनुदेशन को बनाना तथा उन्हें कक्षा-कक्ष परिस्थितियों में प्रयोग करना।
 - (vi) विभिन्न शिक्षण प्रारूप के अन्तर को जानना।
 - (vii) विभिन्न विशिष्ट शिक्षण प्रारूप के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना।
5. किशोरावस्था की जीव-मनो-सामाजिक आवश्यकताओं को जानना और इन आवश्यकताओं की प्रति जागरूक होना एवं इस प्रकार के कौशल को विकसित करना जोकि किशोरावस्था की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करें।

अन्तिम व्यवहार

- (i) आवश्यकता के सिद्धांत को जानना।
- (ii) आधारभूत आवश्यकताओं को जानना।
- (iii) उन प्रयासों के मध्य अन्तर स्पष्ट करना जोकि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सकने के कारण उत्पन्न हुए हों।
- (iv) जैविक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के मध्य अन्तर स्पष्ट करना।
- (v) किशोरों के लिये निर्देशन के महत्व को जानना।
- (vi) निर्देशन एवं परामर्श पद्धति के क्रमिक पदों को जानना।
- (vii) परीक्षण लेने, निर्देशन देने, उत्तर पुस्तिका के आकलन को उचित मूल्यांकन की पद्धति को जानना तथा इसके कौशल को विकसित करना।

(viii) जिसे आवश्यक हो उसे मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

6. रिसर्च प्रोजेक्ट, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान को ऐसे क्षेत्र में करना जोकि उनके व्यवहारों तथा कक्षाकक्ष की समस्याओं से सम्बन्धित हो।
7. परिवर्तनशील समाज में अध्यापक एवं स्कूल की भूमिका का ज्ञान होना।

3.12 अध्यापक-शिक्षा के गांधीवादी उद्देश्य

1. अहिंसा, सत्यता, आत्म-संयम, आत्मज्ञान एवं कार्य की महानता पर बल देना।
2. समुदाय में शिक्षक कार्य एक सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में निश्चित करना।
3. बड़े समुदाय को दिशा प्रदान करना।
4. स्कूल एवं समुदाय के बीच मध्यस्थ का कार्य करना।
5. वातावरण सम्बन्धी स्रोतों को संरक्षण प्रदान करना एवं ऐतिहासिक वस्तुओं एवं दूसरी वस्तुओं को संरक्षित करना।
6. बड़े होते बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखना।
7. भारतीय सन्दर्भ में विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान करना एवं स्कूल को प्रजातांत्रिक, एकाकी, सामाजिक समाज को विकसित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
8. सीखने एवं शिक्षण में मानवीय सिद्धान्तों के द्वारा शिक्षण में योग्यता विकसित करना।
9. समझने की योग्यता, रुचि, दृष्टिकोण एवं कौशल आदि को विकसित करना जिससे शिक्षक इस योग्य बने कि वह बच्चों के विकास को संरक्षित कर सके।
10. वार्तालाप, कौशलात्मक योग्यताओं को मानवीय सम्बन्धों के लिये विकसित करना जोकि शिक्षक को इस योग्य बनाये जिसमें कि वह विद्यार्थी को कक्षाकक्ष के बाहर एवं अन्दर सीखने के लिए प्रेरित करे।
11. जिस विषय को अध्यापक पढ़ते हैं उसमें नवीन प्रवृत्तियों का ज्ञान रख कर शिक्षण की तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करना।
12. अन्वेषणात्मक एवं क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
13. महाविद्यालयी स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
14. महाविद्यालयी स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों से किस प्रकार भिन्न हैं?

3.13 सारांश

अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन या आयोजन भी है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है।

नोट

शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों की योग्यता, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति आदि में परिवर्तन लाया जाये तथा विकास किया जाये। सेवारत् अध्यापक-शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसाय से सम्बन्धित निरन्तर जानकारी प्रदान करना, एवं व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार एवं विकास करना सम्मिलित है। सेवारत् अध्यापक-शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक को शिक्षण-व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात् उनके लगातार विकास के लिये उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिये दी जाती है। सेवारत् अध्यापक-शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अन्दर व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापक-शिक्षा की आवश्यकता इन शब्दों में व्यक्त की है—“यह असाधारण बात है कि विद्यालय का अध्यापक जो शिक्षा 25 वर्ष की आयु तक सीखता है उसी के आधार पर अध्ययन करता रहता है और अपने अनुभवों के अतिरिक्त किसी नवीन ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक को नवीन ज्ञान से समय-समय पर अवगत कराते रहना चाहिए तभी वह अपने व्यवसाय के प्रति पूर्णतः कर्तव्य निर्वाह कर सकता है।” मानवीय व्यवहारों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें नित्य नये-नये परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षक निरन्तर उन परिवर्तनों से भली-भाँति परिचित होता रहे। परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को आवश्यक रूप से अत्याधुनिक एवं गतिशील बनाया जा सकता है। सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के विस्तार द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसन्धान परिषद् ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार सतत् शिक्षा के लिए तीन श्रेणियों में व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी में अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी में माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देना आवश्यक समझा गया। यह भी निश्चय किया गया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में 1937 में प्रस्तावित बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम का समावेश किया जाय। इस पाठ्यक्रम को देने के लिए योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

बेसिक और गैर बेसिक पाठ्यक्रमों में बहुत बड़ा अन्तर है। बेसिक पाठ्यक्रम को चार वर्गों—हस्तशिल्प, शिक्षाशास्त्र, सामाजिक अनुभव, और भाषा वर्ग में विभाजित किया गया है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार कुछ और तत्त्व भी सम्मिलित कर लिए गये हैं। गैर बेसिक पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प (Handicrafts) को छोड़कर शेष सभी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए पृथक्-पृथक् अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

‘मुक्त-अधिगम’ की परिभाषा इस प्रकार है, “इस प्रकार के अधिगम की परिस्थितियाँ लचीली तथा स्वतन्त्र व स्वच्छन्द होती हैं। छात्र अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपने नियोजन के अनुरूप अध्ययन कर सकते हैं। वे अपनी परिस्थितियों एवं सुविधाओं के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं।” भारत जैसे विकसित देश में दूरवर्ती शिक्षा का विशेष महत्त्व है।

राष्ट्रीय नीति में अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतवर्ष में 15 से 35 आयु वर्ग का प्रत्येक द्वितीय छात्र औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। 'दूरवर्ती शिक्षा' द्वारा इस वर्ग के लिये अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था सम्भव हो सकती है। भारतवर्ष में कई विश्वविद्यालयों में पत्राचार शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सन् 1966 में ग्रीष्मकालीन पत्राचार शिक्षा का आरम्भ क्षेत्रीय महाविद्यालयों में किया जिसके द्वारा शिक्षा स्नातक उपाधि दी जाती है। इसका सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में अनुमोदन किया जा चुका है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेण्टों को प्रशिक्षित करने के लिए अभिक्रमित अनुदेशन आव्यूह को अपनाया गया है। इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य-पुस्तकों की रचना की है। इसमें ऐसी पाठ्य-वस्तु को सम्मिलित किया गया है जिसमें जीवन बीमा की कार्य-प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई हैं जिससे सभी प्रदेशों के एजेण्टों को प्रशिक्षित किया जा सके। भारतवर्ष में हिमाचल, पंजाब, बम्बई, अनामलाई विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर की विभिन्न विषयों की उपाधि हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अन्य सम्प्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

प्राथमिक स्तर पर बालकों की समझ एवं परिपक्वता बढ़ जाती है। अतः प्राथमिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा का प्रारूप पूर्व-प्राथमिक स्तर से भिन्न होना चाहिए। इस स्तर पर तीन प्रमुख उद्देश्यों साहित्यिक उद्देश्य, अंकगणित तथा तकनीकी और सामाजिक एवं भावात्मक उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाना चाहिये। इस स्तर पर शिक्षण-विधियों एवं प्रविधियों एवं सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल का विकास किया जाना चाहिए, जबकि प्राथमिक स्तर के लिए खेल-विधि तथा कहानी-विधि ही प्रमुख हैं। प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण-विधियों के अधिक ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है।

3.14 अभ्यास-प्रश्न

1. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए।
2. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता का वर्णन कीजिये।
3. सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
4. सेवापूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण दीजिए।
5. दूरवर्ती शिक्षा का अर्थ और विशेषतायें बतलाइये।
6. भारत में दूरवर्ती शिक्षा की क्या आवश्यकता है?
7. प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
8. प्राथमिक स्तर पर अध्यापक में को किन-किन विषयों में दक्ष होना आवश्यक है तथा क्यों?
9. हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।
10. सामाजिक अध्ययन के अधिगम उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए उनमें सम्बन्धित व्यवहार परिवर्तनों का उल्लेख कीजिये।

11. महाविद्यालयी स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
12. महाविद्यालयी स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों से किस प्रकार भिन्न हैं?

पूर्व-सेवा और इन-सर्विस
शिक्षक शिक्षा

3.15 संदर्भ पुस्तकें

- अध्यापक शिक्षा— डॉ. एन. के. शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अध्यापक शिक्षण— डॉ. शिव कुमार उपाध्याय/डॉ. प्रदीप कुमार, नवराज प्रकाश, दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ— सरयू प्रसाद चौबे / अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- भारत में शिक्षा का विकास— सुरेश भटनागर / संजय कुमार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

नोट

नोट

शिक्षक व्यावसायिकता

(Structure)

- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 प्रस्तावना
- 4.3 अध्यापक शिक्षा की कठिनाइयाँ
- 4.4 अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम के सुधारात्मक आधार
- 4.5 कोठारी आयोग के सुझाव
- 4.6 नवीन कार्यक्रम का निर्माण
- 4.7 अध्यापक-अभिविन्यास
- 4.8 व्यावसायिक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम
- 4.9 अध्यापक की भूमिका
- 4.10 बी. एड. कार्यक्रम
- 4.11 पाठ्यचर्या का मतलब
- 4.12 शिक्षक शिक्षा में पाठ्यचर्या के विकास की आवश्यकता
- 4.13 पाठ्यचर्या का उद्देश्य
- 4.14 पाठ्यचर्या का बुनियादी सुविधा की अनुकूलन क्षमता
- 4.15 शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का विकास
- 4.16 संपूर्ण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम
- 4.17 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009)
- 4.18 अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विभिन्न प्रकार के अर्थ
- 4.19 वर्तमान में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या
- 4.20 सरकार, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा पाठ्यचर्या कार्यान्वित के तुलनात्मक विश्लेषण
- 4.21 शिक्षा-व्यावसायीकरण का महत्त्व
- 4.22 व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति
- 4.23 शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए प्रयत्न
- 4.24 शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्याएँ
- 4.25 सारांश
- 4.26 अभ्यास-प्रश्न
- 4.27 संदर्भ पुस्तकें

4.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- अध्यापक शिक्षा की समस्याओं से परिचित होंगे;
- कोठारी कमीशन के सुझावों से अवगत होंगे;
- अध्यापक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता से अवगत होंगे;
- शिक्षक-शिक्षा में पाठ्यचर्या के विकास की जरूरत के बारे में समझाना;
- पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के बारे में वर्णन;
- शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या का विकास के बारे में समझाना;
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विभिन्न प्रकार के अर्थ के बारे में समझाना;
- वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा;
- शिक्षा के व्यावसायीकरण से परिचित होंगे।

नोट

4.2 प्रस्तावना

आज के शिक्षक को यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में उसको क्या भूमिका निर्वाह करना है? यद्यपि उसे समाज-सुधारक का शिल्पी एवं सामाजिक संरचना में वांछित परिवर्तन लाने वाला कहा जाता है। हमारे संविधान में सबको बराबर शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त करने की बात स्पष्ट नहीं है और इसके लिए हमें अपने प्रशिक्षण कॉलेजों में शिक्षकों को इस बात की जानकारी देनी होगी, जिससे कि सम्पूर्ण समाज को संविधान में दिये गये प्रावधानों का उचित लाभ मिल सके।

प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम की रूपरेखा पूर्व-सर्विस शिक्षकों में व्यावसायिकता को विकसित करने के उद्देश्य के लिए अपनी बुनियाद स्कूल के शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित मानकों में रखने की उम्मीद कर रहे हैं। देशों ने स्कूल के शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए मानकों को विकसित किया है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयारी करने के लिए मूलतत्त्व प्रदान करते हैं। भारत में, स्कूल के शिक्षकों के लिए इस तरह के अधिसूचित मानक के अभाव के कारण अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास ज्यादातर एक शैक्षणिक अभ्यास है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964-1966), और राष्ट्रीय नीति पर शिक्षा 1986: दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो देश में शिक्षक के पाठ्यचर्या में सुधार की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। सारे आने वाले शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यचर्या को संशोधित करने के लिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए और इन दो दस्तावेजों के विभिन्न अनुशंसानों को शामिल करने की कोशिश की है। देश में शिक्षकों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, न केवल शिक्षकों में अधिक से अधिक व्यावसायिकता को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन स्कूल में सुधार और प्रभावशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए भी।

किसी भी संस्था में उत्पादित शिक्षक की गुणवत्ता काफी हद तक उसके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें पेशकश की पाठ्यचर्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह भी सच है कि और शिक्षक-शिक्षा के शिक्षकों की क्षमता और गुणवत्ता का हिस्सा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। इसके अंतर्गत हम शिक्षक-शिक्षा पाठ्यचर्या के समुचित निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

भारत दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक-शिक्षा की प्रणालियों में से एक है। शिक्षा के विभागों और उनके संबद्ध कॉलेजों के अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, निजी और आत्म वित्तपोषण महाविद्यालय और खुले विश्वविद्यालय भी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हालांकि ज्यादातर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम लगभग समान हैं अभी तक उनके मानक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में, शिक्षकों की आपूर्ति की मांग अधिक दूर है जबकि अन्य लोगों में योग्य शिक्षकों के रूप में एक भारी कमी है जो कम योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में परिणाम देता है। यह स्थिति में मानवशक्ति योजना प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य रूप से संस्था आधारित पर हैं। उनके छात्रों को अधिक से अधिक स्कूल और समुदाय की वास्तविकताओं को उजागर करने की आवश्यकता है। इंटरशिप, शिक्षण के अभ्यास, व्यावहारिक गतिविधियों और अनुपूरक शैक्षिक गतिविधियों के लिए बेहतर योजना बनाने और अधिक व्यवस्थित रूप आयोजन करने की जरूरत है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन में अधिक उद्देश्य बनाने तथा व्यापक रूप से किए जाने की जरूरत है। सेवा शर्तों और भत्तों के सुधार के बावजूद, पेशे को अभी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना बाकी है।

प्रायः एक सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि हमारी शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत कम महत्व है, क्योंकि इससे रोजगार मिलने में सफलता नहीं मिलती इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से शिक्षार्थी इस योग्य बन जायेगा कि वह अपना ही कोई रोजगार सफलतापूर्वक चला सकता है। शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम में कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी समायोजित करने चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी व्यावसायिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनेगा। हमारा उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालक को बढ़ाई, लोहार, मिस्त्री, जुलाहा या सोनार नहीं बनाना है वरन् उसे स्वरोजगार की ओर ले जाना है। इससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व में अच्छा विकास होगा। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने से पूर्व हमें बालकों की अभिरुचियों का पता लगाना होगा और उनके अनुकूल समान रुचियों के बालकों के पृथक्-पृथक् वर्ग बनाने होंगे। तब उन्हें उपयोगी व्यवसाय सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सिखाना होगा। 1953 ई. में मुदालियर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बहुउद्देशीय स्कूल खोले गये और उनमें पृथक्-पृथक् रुचियों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक विषयों के 9 समूह बनाये गये। इन संस्तुति को आज भी लागू किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग 1964-66 में स्कूलों में कार्यानुभव को प्रचलित पाठ्यक्रम में समन्वित करने पर बल दिया। इस प्रकार हम व्यावसायिक शिक्षा देकर छात्र-छात्राओं को स्वरोजगार की ओर ले जा सकते हैं, उन्हें उत्पादकता की क्षमता दे सकते हैं। इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विकसित होगी और वे श्रम के प्रति आस्था का भाव अपना सकेंगे।

4.3 अध्यापक शिक्षा की कठिनाइयाँ

किसी भी संस्थान से आये हुए शिक्षकों की क्षमता उस शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के बारे में कई स्रोतों से शिकायत मिल रही है। अध्यापकीय-शिक्षा पर समाकालीन साहित्य में की गयी आलोचनाओं से निम्नलिखित कमियाँ सामने आती हैं।

1. अध्यापकीय-शिक्षा कार्यक्रम बहुत अल्प समय के लिये होता है।
2. अध्यापकीय-शिक्षा में शिक्षा की विधि पर अधिक बल दिया जाता है और विषय-वस्तु के ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
3. अध्यापकीय शिक्षा के अन्तर्गत सिद्धान्त और अभ्यास में कोई सम्बन्ध नहीं है।
4. इसका स्वरूप भारतीय संगठनों के अनुरूप नहीं है।
5. इसका पाठ्यक्रम व इसके प्रशिक्षण का ढंग पुराना हो चुका है।
6. यह आधुनिक शिक्षा पर आधारित व लोचपूर्ण नहीं है।
7. इसका सम्बन्ध विद्यालयों व समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं है।
8. इसके प्रयोगात्मक कार्य अपूर्ण हैं।
9. अधिकतर अध्यापकीय महाविद्यालयों का प्रशिक्षक वर्ग पूरी तरह से परिपक्व नहीं है।

नोट

भारत की आजादी के बाद व्यक्तिगत विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अध्यापकीय शिक्षण के लिये नये पाठ्यक्रम बनाने के कई प्रयास किये गये हैं। पुरानी शब्दावली बी. टी. के स्थान पर बी. एड. का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य अध्यापक-प्रशिक्षण को एक परिपूर्ण अनुभव प्रदान करना है तथा अध्यापक कौशलों को विकसित करने और शिक्षकों में मूलभूत सिद्धान्तों तथा सही अभिवृत्तियों को विकसित करना है।

लेकिन यह सभी प्रारूप किसी मुख्य दृष्टिकोण से बनाये गये अध्यापकीय शिक्षा सिद्धान्त पर आधारित नहीं है जो भारत की दशा से मेल नहीं खाते हैं। ये भारत के पुराने अध्यापकीय शिक्षा में आंशिक रूप से समायोजित किये गये हैं।

4.4 अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम के सुधारात्मक आधार

1. किन राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की भारत में आवश्यकता है?
2. हमारे परिवर्तनशील समाज में प्रशिक्षित-अध्यापकों के वांछित उत्तरदायित्व क्या है?
3. अपने कार्य में कुशल होने के लिये उन्हें कितनी सामान्य शिक्षा और कितनी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है?
4. बच्चों, साथियों व माता-पिता के साथ सही व्यवहार करने के लिये उन्हें किन योग्यताओं तथा कौशलों की आवश्यकता है?
5. हमें कितने प्रकार के शिक्षकों की विद्यालयों में आवश्यकता है। जहाँ हमारे देश के नागरिक या देश की मानव शक्ति का विकास किया जाता है।
6. हमारे देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण किस तरह यहाँ के शिक्षा स्तर को प्रभावित करते हैं?
7. हमारे देश के विकास कार्यक्रम में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय किया जाये?
8. हमारे राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत ऐसे कार्यक्रमों पर व्यय किया जाये?
9. हमारे शैक्षणिक ढाँचे में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किस प्रकार व्यवस्थित, संचालित एवं नियन्त्रित किया जाये?

उपरोक्त तथ्यों की सूची में इस प्रकार से बढ़ोत्तरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी एवं सूचना नहीं है। हमारे देश में कोई अध्यापकीय शिक्षा उपयुक्त पद्धति, वर्तमान पद्धति में सुधार लाने के लिये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। हमारे देश में अध्यापकीय-शिक्षा कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिये न तो सरकार की कोई नीति है न ही कोई व्यावसायिक संस्थान है।

यद्यपि अध्यापकीय-शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग ने कोई भी समुचित सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये अध्यापकीय-शिक्षा का सुधार बिना किसी सिद्धान्त के पारित करना केवल काम चलाना ही होगा।

सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इन दिनों जो शिक्षक बन रहे हैं उनके स्तर सन्देहपूर्ण तथा न्यून स्तर का है। ऐसा शायद बी. एड. कार्यक्रम के मौलिक उद्देश्य पर जनसाधारण की असहमति, अध्यापक की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य माँगों के संदर्भ में है। पिछले 20 वर्षों में आधुनिक भारत के सामाजिक उद्देश्य, साधारणरूप से सामान्य शिक्षा में काफी बदलाव आया है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि आज हमारे अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यक जानकारी एवं कौशल प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक को यह जानना आवश्यक है। इसलिये इसका व्यापक उत्तरदायित्व प्रशिक्षण कॉलेजों पर जाता है कि वे इस देश के लक्ष्य निर्धारण में नेतृत्व करें।

एच. बी मजूमदार के अनुसार—

“वर्तमान समय से हमारी प्रवृत्ति ‘अध्यापक प्रशिक्षण’ को छोड़ अध्यापक-शिक्षा की ओर बढ़ी है जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण संस्थाओं में हम शिक्षकों को शिक्षण का अधिक ज्ञान एवं कौशल देने से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस विचारधारा में जो परिवर्तन आया है कि शिक्षक एक पूरी तरह शिक्षित तथा पूर्ण विकसित मनुष्य हो, योग्य नागरिक हो और साथ ही व्यावसायिक हो, को प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, साथ ही अध्यापकीय-शिक्षा के क्षेत्र में जो अत्यधिक ज्ञान का विस्तार हुआ है इसकी भी अधिक माँग बढ़ रही है। इसलिये अवयव विधि की अवस्था अध्यापकीय शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम लायी है।”

अध्यापक की भागीदारी की अवधारणाओं में भी परिवर्तन हुआ है। अगर अधिगम की सफलता अधिगम से व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसके परिणाम का मूल्यांकन किया गया तो आज के शिक्षक को कल का आचार्य बनना पड़ेगा। एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं है, उसे अधिगम का निर्देशक भी बनना है, तथा संस्कृति का प्रचारक भी बनना है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जोकि उस प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि वह अपने शिष्यों से चाहता है। यदि शिक्षा को आज एक शक्तिशाली उपकार के रूप में समाज परिवर्तक बनना है तो शिक्षक को इस परिवर्तन का कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता तथा भविष्य के समाज का शिल्पी बनना पड़ेगा। इसलिये शिक्षक का कार्य केवल कक्षा तथा विषय तक ही सीमित नहीं है, उसे सम्पूर्ण समाज तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का मार्गदर्शक बनना पड़ेगा।

विद्यालय की अवधारणायें प्रतिदिन बदलती हैं। इसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथा आम समुदाय के बीच अन्त-प्रक्रिया जारी रखना होंगी ताकि आस-पास के वातावरण तथा स्थिति में परिवर्तन कर सके।

इस सम्पूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति का प्रभाव अध्यापकीय पाठ्यक्रम पर स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित होता है। अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम पारित करते समय निम्नलिखित सभी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा—

1. मूलभूत परिज्ञान को विकसित किये बिना और बिना समझे शिक्षक अपना कक्षा कार्य को शुरू नहीं कर सकता।
2. आगे वाले शिक्षक में विकास प्रक्रिया को समझने की क्षमता का विकास करना तथा किसी आयु वर्ग के व्यवहार को समझने में जो कठिनाई आती है, उसको समझना है।
3. आरम्भिक शिक्षक में मूलभूत कौशल तथा प्रवृत्तियों का विकास करना है।
4. आरम्भिक शिक्षक में शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रथम संस्कार तथा उनमें इस शिक्षण सेवा के प्रति अपनत्व की भावना विकसित हुए बना अध्यापक नहीं बन सकता है।
5. अध्यापक की प्रतियोगी भावनाओं का विकास जोकि पाठ्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप है।
6. कम से कम कुछ शिक्षकों में वैज्ञानिक भावनाओं का विकास किया जाये ताकि शिक्षण में परीक्षण एवं नयापन लाया जा सके।
7. मुक्त समाज में नागरिक बनने की अभिवृत्तियों का विकास करना है।

नोट

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना लचीला हो कि वह साधारण तथा सृजनात्मक शिक्षकों, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वास्तव में हम अपने सभी शिक्षकों से कक्षा से सृजनात्मक कार्य करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारी कक्षाओं में आज भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच रहा है। इसीलिये हमें समाज के विभिन्न स्तरों से बहुआयामी योग्यता वाले शिक्षकों को खोज निकालना होगा। यह विविधता हमें अपने अध्यापन शिक्षण-कार्यक्रमों में भी लानी होगी। अभिवृत्तियों तथा कौशलों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि इनके विकास में केन्द्रित तथा उद्देश्यपूर्ण अभ्यास की जरूरत है। हमारे प्रशिक्षण कालेजों के कार्यक्रम में बहुत अधिक भीड़ है, इसलिये तथ्यों का एकीभूत होना मुश्किल हो जाता है। तथ्यों के एकीभूत होने में तथा केन्द्रित होने में समय लगता है। सोचने में, आलोचनात्मक परीक्षण में, तथा सैद्धान्तिकरण में समय लगता है। ये सभी क्रियाकलाप बहुत अधिक समय लेते हैं। जैसा कि मैकनायर कमेटी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रशिक्षण में जो छात्राध्यापक है, उन्हें अपने कार्यक्रम समाप्त करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे उसमें आत्मसात हो जायें। शिक्षा आयोग (1964-66) की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद शिक्षक के गुणों पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा है।

कोठारी कमीशन के अनुसार

भारत के भविष्य को कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। अब हम यह समझते हैं कि यह केवल प्रभावशाली व्याख्यान नहीं है। आज का संसार जो विज्ञान तथा तकनीक पर आधारित है, यहाँ केवल शिक्षा ही लोगों में उन्नति तथा कल्याण के लिये कार्य कर सकती है। इसके बाद आयोग यह स्वीकार करता है कि शिक्षा ही राष्ट्र को भोजन के प्रति आत्मनिर्भर, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार,

राजनैतिक विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण की ओर ले जा सकती है। आयोग यह अनुभव करता है कि शैक्षिक क्रांति को लोगो की जिन्दगी, आवश्यकताओं तथा आशाओं को शिक्षा से जोड़ा जाय। कोठारी आयोग का मानना है कि इस कार्य में शिक्षकों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। “शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षक के गुण, योग्यता तथा चरित्र है।”

भारत में माध्यमिक शिक्षकों की शिक्षा एक शतक से भी अधिक पुरानी है। इस काल में शिक्षा के विचार में स्वाभाविक रूप से अधिक परिवर्तन आया है। अगर हम आरम्भ के प्रयासों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले की शिक्षा का क्षेत्र सीमित था तथा कक्षा प्रबन्धन, श्यामपट कार्य, जैसी पद्धति से चलता था। वर्तमान शताब्दी विशेषकर स्वतन्त्रता के बाद अध्यापकों की शिक्षा में अधिक परिवर्तन आया है। हमारे कार्यक्रमों में शिक्षा मनोविज्ञान का अब पूर्ण प्रभाव है। शिक्षक के कार्य कक्षा के अन्दर तथा कक्षा के बाहर तथा विद्यालय के बाहर सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। द्वितीय, शिक्षा के प्रसार तथा बच्चों की चिन्ता के कारण, गुणात्मक सुधार जरूरी हो गया है। भारत में जनतंत्र होने के कारण शिक्षकों की तैयारी में नये आयाम जुड़ गये हैं। हम बहुभाषीय तथा बहुधर्मी समाज में रहते हैं। इन विद्यालयों में धर्म की शिक्षा को अनिवार्य न किया जाये। दूसरी ओर जनता की इस संकीर्ण मानसिकता से लड़ते हुये हमें राष्ट्रीय शक्तियों को बलशाली बनाना होगा, जिससे कि हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतन्त्र का निर्माण कर सकें, जिसमें व्यक्ति का गुण ही उसके प्रगति एवं विकास का आधार बन सके। इन कारणों से अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर दर्शनशास्त्र समाजशास्त्र तथा शिक्षा की समस्याओं के क्षेत्र में।

अनेक संस्थायें अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने में लगी हैं। भारतीय अध्यापक शिक्षक संघ, इसकी मूल संस्थायें तथा प्रमुख विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा आयोग की कार्यसमिति भी इस काम में लगी हुई है। फिर भी अधिकांशतः का यह मानना है कि यह कार्यक्रम अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। इसलिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक-शिक्षा संघ ने विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के साथ मिलकर इस कार्य को करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का यह विश्वास है कि यह उचित समय, जबकि विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कार्यक्रम शोध द्वारा एकत्रित तथ्यों पर आधारित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्याओं और कार्यक्रम की कमियों को स्पष्ट तौर पर पहिचाना नहीं गया है तथा समाधान भी स्पष्ट नहीं है। अध्यापक-शिक्षा के चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन की सभी तथ्यों को सुधारा जाय।

एक सफल अध्यापक के गुण—अध्यापक की सफलता के क्या कार्य हो सकते हैं? इस बात पर अधिक शोध-कार्य किया गया है और भारत में भी कुछ प्रयास किये गये हैं। कई शिक्षक अपने कार्य में पूरी तरह संलग्न हैं, और यही महत्वपूर्ण कारण है कि भविष्य की पीढ़ियाँ प्रगति कर रही हैं यद्यपि शिक्षक के कार्य को जब तक बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। ये शिक्षक अपने अपेक्षित कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं, परन्तु कई बार वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है? वे लोगों की अर्थहीन आलोचना के प्रति बहुत ही भावुक हैं और अपने शिष्यों के व्यवहार से चकित हैं। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक को, प्रशिक्षण काल में तथा उसके

बाद इस बात का स्पष्ट बोध कराया जाये कि उनकी भूमिका क्या है? एवं क्या उनका समूह इस समाज के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है?

प्रशासक प्रायः इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षक की अपने विषय पर अच्छी पकड़ हो, साथ ही नये परिवर्तनों का पूरा ज्ञान हो। वे उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने छात्रों को समझें और किशोरों की हर सम्भव सहायता करें। वह यह भी समझते हैं कि शिक्षकों को आपस में सौहार्द बनाये रखना चाहिये तथा उस संस्थान की भलाई के लिये अपेक्षित कार्य करें।

छात्र उन शिक्षकों को पसन्द करते हैं जिन्हें अपने विषय पर स्वामित्व के साथ विषयों की भी समझ हो, विचार स्पष्ट हों, अपने कार्य में कुशल हों, तथा छात्रों को सही तरह से दिशा-निर्देश दे सकें, तथा जो छात्रों में रुचि लें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने में उनका सहयोग दें तथा मैत्रीपूर्ण स्वभाव होने के साथ-साथ कुछ सीमा भी हों तथा अपने कार्य को पूरे व्यावसायिक रूप से करें।

मेनन, अदावल, शेरी, तथा शर्मा ने भी इस क्षेत्र में अपने-अपने ढंग से काम किया, फिर भी वह समान निष्कर्ष पर पहुँचे। ए. एस. बार एक सफल शिक्षण के लक्षण, सामान्य ज्ञान, कौशल तथा स्वाभाव का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे—

1. अच्छी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि।
2. अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो।
3. व्यावसायिक अभ्यास और तकनीकी का अच्छा ज्ञान हो।
4. मानव विकास तथा अधिगम का अच्छा ज्ञान हो।
5. स्पष्ट भाषा बोलने तथा लिखने में निपुण हो।
6. मानव सम्बन्धों को बनाये रखने में कुशल हो।
7. शोध तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान निकालने में कुशल हो।
8. प्रभावी कार्य करने का स्वभाव हो।
9. छात्रों में रुचि लेता हो।
10. विषय में रुचि लेता हो।
11. शिक्षण में रुचि लेता हो।
12. विद्यालय तथा समुदाय में रुचि हो।
13. व्यावसायिक कार्यों में रुचि लेता हो।
14. व्यावसायिक उत्थान में रुचि हो।

अध्यापक-शिक्षा विभाग में हमने यह निर्णय किया कि आज की परिस्थिति में शिक्षक के गुण क्या हों? जानने के लिये संरचित प्रश्नावली और कठिन तकनीक के बजाय हम थोड़ी स्वतन्त्रता लेते हुए वरिष्ठ नागरिक, शिक्षाविद् तथा प्रशासकों से मिलकर उनसे इस बार में राय लें। इस बात ने कुछ ऐसे तथ्यों का ज्ञान कराया है जो आज तक छूटते आ रहे थे। ये किसी भी प्राथमिकता के आधार पर नहीं दर्शाये गये हैं। उनके उत्तरों का अर्थ यह है कि शिक्षक के ज्ञान तथा उनके तथ्यों का महत्व है, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण शिक्षक का व्यक्तित्व, उसका आदर्श, स्वभाव तथा समाज और सामाजिक मान्यताओं के प्रति क्या भावनायें हैं।

नोट

4.5 कोठारी आयोग के सुझाव

नोट

कोठारी आयोग ने कहा कि योग्यता 'गुण' शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जान है और इसकी कमी से अध्यापक शिक्षा न केवल एक वित्तीय बर्बादी होगी, वरन् यह शैक्षिक स्तर में गिरावट का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जायेगा। इस दृष्टि कोण को ध्यान में रखते हुये आयोग ने अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक उत्थान के लिये कुछ आवश्यक निर्देश दिये हैं। वे इस प्रकार हैं—

1. विषय का पूर्ण नियोजित समायोजन या विश्वविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहयोग से शिक्षण के मूल तत्वों के बारे में गहन अध्ययन करना।
2. विश्वविद्यालयों में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जायेगा।
3. शिक्षा में अनुसंधान के विकास द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप की जाये।
4. शिक्षा की तकनीक में ऐसा सुधार किया जाये जिससे कि स्वअध्ययन तथा वाद-विवाद को पूरा स्थान मिल सके, और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार किया जाये, जिससे कि आन्तरिक प्रयोगात्मक कार्य का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके।
5. शिक्षण अभ्यास में सुधार किया जाये और इसे व्यापक कार्यक्रम बनाया जाये।
6. विशेष पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रम का विकास किया जाये।
7. विकासशील शिक्षा पद्धति में शिक्षक के बहुमुखी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हर शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए।

आयोग के इस विचार के प्रति जो सबसे आलोचनात्मक बात है, वह यह है कि इसकी अधिकतर बातें या तो दोहरायी गयी हैं या फिर उनमें विरोधाभास है, और यह कोई ऐसा निर्देश नहीं देता जोकि भारत में अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम के लिये कोई ठोस आधार बन सके।

प्रथम सुझाव आज के पृथक् शिक्षा महाविद्यालय को सम्बोधित है, जिन्हें, विषय केन्द्रीयकरण का सुझाव दिया गया है जो वे अन्य विश्वविद्यालय के विभागों की सहायता से कर सकते हैं। अगर द्वितीय सुझाव, अखिल भारतीय एकीकृत पाठ्यक्रम को स्वीकार किया जाता है तो प्रथम सुझाव महत्वहीन हो जाता है। व्यावसायिक अध्ययन का तृतीय सुझाव, अध्यापक शिक्षा के किसी भारतीय सिद्धांत की अनुपस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता या फिर इन दिशा में राष्ट्रीय नीति हो। अमेरिका एवं रूस जैसे देशों में स्पष्ट सिद्धान्त हैं, जिनके आधार पर अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम तथा शिक्षा अनुसंधान किये जाते हैं और उन देशों में शिक्षकों की भूमिका उसी आधार पर की जाती है। अमेरिका में शिक्षा अनुसंधान साहित्य, व्यक्तिगत-भिन्नता, जाँच, सलाह और व्यक्ति के अस्तित्व पर आधारित है जबकि रूस में शिक्षा संशोधन 'पैवलव दशा' व्यक्तिगत अनुशासन तथा सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। भारतीय शिक्षा-अनुसंधान में पूर्व या पश्चिम या अमेरिका या रूस के चुने हुए सुविकसित तौर तरीकों का अंश पाया जाता है।

चतुर्थ सुझाव शिक्षा महाविद्यालयों में पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं की कमी के कारण लागू नहीं किया जा सकता, जहाँ विश्वास की कमी तथा शिक्षा के विकास के तौर-तरीकों के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता की कमी है। विश्वविद्यालय के अधिकारी, अपने जाँच करने, तथा छात्रों को प्रमाणित करने के अधिकारों को आसानी से खोना नहीं चाहेंगे। यह एक ऐसा 'सुरिक्षत क्षेत्र' है जिसमें कोई

भी महाविद्यालय अपने अस्तित्व को दाव पर लगाये बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जो ऐसा करने का दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही एक भयंकर चक्रव्यूह में फँस जायेगा।

अभ्यास शिक्षण में सुधार का पंचम सुझाव, भारत में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के लिये एक महत्वाकांक्षी बात होगी। अभ्यास शिक्षा तब तक प्रभावशाली और, अर्थपूर्ण नहीं हो सकती, जब तक उन सहयोगी विद्यालयों को उचित पारितोषिक एवं पहचान, सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जाता है।

विशेष पाठ्यक्रम के विकास का षष्ठम् सुझाव ही उत्तम है लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक कि प्रशिक्षित के सामने जीवनवृत्ति की समस्या है, ऐसे पाठ्यक्रम लोकप्रिय और लाभप्रद नहीं हो सकते हैं। विभिन्न महाविद्यालय जो विशेष डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाते हैं, इनके अनुभव से पता चलता है कि इनके द्वारा प्रशिक्षित किये गये शिक्षक बेकारी के शिकार हैं। इसका परिणाम यह है कि लम्बे समय के बाद उन्हें ये पाठ्यक्रम या तो बन्द करने पड़े हैं या फिर सदस्यों को रखकर तथा जोखिम सहते हुये चलाना पड़ता है।

अन्तिम सुझाव सप्तम् ऐसा है जो हर स्तर के अध्यापक-शिक्षा के मूलभूत लक्ष्य, तथा विकासशील शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के बहुआयामी, उत्तरदायित्व के प्रश्न का सही ढंग से समाधान ढूँढ सका। लेकिन आयोग मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है, जैसे कि-भारत में अध्यापक-शिक्षा के मौलिक उद्देश्य क्या हैं? प्रशिक्षित अध्यापकों से किस प्रकार के उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है? और शिक्षा पद्धति के विकासशील होने का क्या मतलब है? अभी तक इन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हैं, और इस कारण एक स्वस्थ तथा व्यापक शिक्षा-पाठ्यक्रम के विकास में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

यहाँ आयोग से इतर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं—

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवीन रूप देने के स्वयं सिद्ध प्रमाण

अध्यापक शिक्षा में उचित पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुआयामी होगा। ये आयाम इस प्रकार हैं—

(क) भारत में अध्यापक शिक्षा के सिद्धान्त

1. भारत में शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य (जैसा कि भारत राष्ट्रीय उद्देश्यों से जोकि प्रजातन्त्र और नियोजित विकास पर आधारित है।)
2. भारत में अध्यापक-शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य।

(ख) भारत में अध्यापक के कार्य-कौशल का विकास करना

1. व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल का विकास करना
2. व्यावसायिक कौशल का विकास करना।
3. प्रत्यय सम्बन्धी कौशल का विकास करना।

(ग) भारत में अध्यापकों को पहचानना

1. सामान्य शिक्षा या आधारित ज्ञान प्रदान करना
2. विशेष प्रशिक्षण या शैक्षिक सामर्थ्य का विकास करना


उपरोक्त आयामों के सम्बन्धों को निम्न प्रतिरूप द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्र के द्वारा तथ्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि अध्यापक-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, भारतीय

नोट

परिप्रेक्ष्य में विकसित एवं अनुमोदित अध्यापक-शिक्षा सिद्धान्त में स्थित होना चाहिए। (अ) जिसका उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को वांछित कार्य कौशल प्रदान करना चाहिए। (ब) तथा अध्यापक व्यवसाय के लिए सामान्य तथा विशिष्ट से युक्त होना चाहिये।

नोट

(ग) भारत में अध्यापकों के कार्य-कौशल का विकास



(ख) भारत में अध्यापकों को पहचानना

(क) अध्यापक-शिक्षा का सिद्धान्त

अध्यापक-शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम केवल व्यावसायिक कौशल पर अधिक बल देता है या शिक्षण-विधियों तक सीमित है तथा अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास के लिये इसमें कम स्थान है या उसकी अनुसंधान योजना पर कम ध्यान देता है। इस प्रकार से अध्यापक नये विचारों का जनक तथा समालोचक होने के स्थान पर शैक्षिक विचारों का जनक तथा समालोचक होने के स्थान पर शैक्षिक विचारों का उपभोक्ता बन जाता है। अध्यापक निर्माण का संतुलित पाठ्यक्रम अध्यापक को ऐसे अवसर देता है जिससे कि व्यक्ति के रूप में उसका पूर्ण विकास हो सके, उसे अध्यापन कला का विशेषज्ञ या कक्षा का प्रबन्धक न होकर के सर्जनात्मक कल्पना का व्यक्ति होना चाहिये।

अध्यापक-शिक्षा का व्यापक पाठ्यक्रम, अध्यापक के सर्वांगीण विकास के लिये उन समस्त पाठ्यक्रमों को अपने में समाहित करना चाहिये। जिससे उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हो। इसके अन्तर्गत उन विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को समान महत्व दिया जाना चाहिए जो अध्यापक के विभिन्न बोध और कौशलों को विकसित करते हैं। यदि इसे तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के लिये बनाया जाता है तो आधा समय अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा प्रत्ययी कौशलों के विकास में लगाना चाहिए, तथा आधा समय उसके व्यावसायिक शैक्षिक कौशल के विकास में लगाना चाहिए। यदि स्नातकों के लिये एक वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो सम्पूर्ण समय व्यावसायिक दक्षता तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों के विकास में लगाना चाहिये। क्योंकि प्रत्ययी दक्षता के प्रति स्नातक स्तर पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है।

अध्यापक के गुण

प्रभावी अध्यापक के अधोलिखित गुण होने चाहिये-

1. माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वृद्धि के सन्दर्भ में राष्ट्रीय उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिये। इससे अध्यापक में ऐसी योग्यता विकसित होगी जिसके द्वारा विद्यार्थियों की वर्तमान पीढ़ी को भारत में प्रबुद्ध नागरिकों के रूप में प्रशिक्षित करें।

2. उसे भारत के बारे में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की संस्कृति एवं विचारों का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। इसके द्वारा उसे एक उचित एवं स्वस्थ व्यक्तिगत जीवन दर्शन विकसित करने में सहायता मिलेगी जो एक अध्यापक के लिए आवश्यक होता है।
3. उसे व्यवसाय की चुनौती की सराहना करनी चाहिये तथा उन सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये जिससे कमियों की क्षति पूर्ति हो सके। इस कार्य के द्वारा व्यवसाय के प्रति आशावादिता की वृद्धि होगी तथा अध्यापन में तात्कालिक सुख प्राप्त होगा।
4. उसे देश के लिये अपने कार्य की महत्ता का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये और उसे अपने व्यवसाय पर गर्व होना चाहिये।
5. अध्यापक को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिये, जैसे अपने से अलग विचार रखने वालों का सम्मान।
6. अध्यापक का स्वस्थ संवेगात्मक विकास होना चाहिये और उसे प्रसन्न रहना चाहिये, जीवन सुख संक्रमाणीय है यदि एक अध्यापक प्रसन्न स्वभाव या प्रसन्नचित्त रहता है तो छात्र उसके विभिन्न रूपों को अपने जीवन में उपभोग कर सकेंगे।
7. अध्यापक को अभिभावक एवं समुदाय से सतत् सम्पर्क रखना चाहिये, उनके सम्मुख विद्यालय के प्रति अपने विचार की व्याख्या करनी चाहिये तथा उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। उसे समुदाय का नेतृत्व करना चाहिये तथा बालकों एवं प्रौढ़ों का सम्मान प्राप्त करना चाहिये। उस विद्यालयीय क्रिया-कलापों को समुदाय के सुधार के रूप में संगठित करना चाहिये।
8. अध्यापक को सभी प्रकार की सूचनाएँ रखनी चाहिये तथा उसे जिज्ञासु होना चाहिये। उसे केवल उस विषय का जिसे वह पढ़ाता है या उन कौशलों को जिनका वह छात्रों में विकास चाहता है उनका ही पण्डित नहीं होना चाहिये, बल्कि सामयिक पत्र एवं पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि होनी चाहिये।
9. उसमें उच्च कोटि की संवाद क्षमता, स्पष्टता, शुद्धता तथा तार्किकता होनी चाहिये।
10. उसे सीखने की प्रक्रिया का स्पष्ट बोध तथा बच्चों को सीखने के लिये निर्देशित करने की विधि का बोध होना चाहिये। इसके अन्तर्गत कक्षा कार्य को नये ढंग से संगठित करने की योग्यता निहित होती है। उसे बहुत अधिक कठोर एवं दृढ़ नहीं होना चाहिये। इससे नये रूझानों से वह वंचित रहता है।
11. अध्यापक को बहुत अधिक उपदेश नहीं देना चाहिये और अधिक अभ्यास नहीं कराना चाहिये। यद्यपि अभ्यास का परिणाम अच्छा होता है, लेकिन आगे चलकर उसका महत्त्व नहीं होता है, इसके विपरीत छात्रों का उचित मार्गदर्शन होना चाहिये तथा उन्हें अपनी सोच के अनुसार कार्य करने देना चाहिये।
12. अध्यापक को श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए। उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि कौन-सी सामग्री का प्रयोग कब किया जाये? और क्यों किया जाये? उसमें सहायक-सामग्री के निर्माण की योग्यता होनी चाहिये।
13. उसे आधुनिक मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिये तथा उनके अर्थ और परिणामों को दूसरों तक पहुँचाने की क्षमता होनी चाहिये।
14. पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उसे भाग लेना चाहिये एवं उसके संगठन की उनमें योग्यता होनी चाहिये।

नोट

नोट

15. उसे पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं क्षेत्र का बोध होना चाहिये।
16. उसे विद्यालय के प्रति शुभचिन्तक होना चाहिये, अन्य अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय की अच्छी स्थिति को अनुरक्षित करना चाहिये।
17. उसे मनोविज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को समझना चाहिये, उसे किशोरों की विशेषताओं जैसे-शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा उनकी आवश्यकताओं की जानकारी हो तथा उनके समाधान की योग्यता रखनी चाहिये।
18. उसे बच्चों द्वारा निम्न प्रकार से सम्मान प्राप्त करना चाहिये-
 - (अ) सुख कार्य व्यक्तित्व जिससे सम्मान प्राप्त होता है एवं आज्ञा का पालन होता है।
 - (ब) बच्चों के प्रति त्याग-उत्साह, मित्रता तथा उनके व्यवहार को समझना।
 - (स) धीमी गति से अधिगम करने वाले छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिये।
 - (द) व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करना।
 - (य) सूचनाओं की शुद्धता, छात्रों को बिना मदद के पढ़ने के लिये प्रेरित करना।
 - (र) छात्रों को उनके स्वयं के अनुभवों पर प्राप्त तथ्यों से समान्यीकरण करने में उनकी सहायता करना।

संक्षेप में एक सफल अध्यापक वह है जो शिक्षा और अध्यापक की योजना, निर्देशन और मूल्यांकन का दायित्व पूरा करता है। वह संस्कृति और नागरिकता प्राप्त ऐसा व्यक्ति है, जो यह विश्वास करता है कि उसका कार्य राष्ट्र और समुदाय के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्ही वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यूनेस्को ने अपने 5 अगस्त, 1968 के प्रस्ताव में जो अध्यापक की स्थिति के सम्बन्ध में कहा है, “ऐसी नीति जो अध्यापक-शिक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित हो उसे ऐसी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, जो समाज को एक अध्यापक प्रदान करे, जिसमें आवश्यकता नैतिकता बौद्धिक एवं शारीरिक गुण हों तथा जिसमें व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल हो” (नैतिक एवं बौद्धिक गुण व्यावसायिक ज्ञान और कौशल से अधिक आवश्यक हैं।)

जर्मनी में कहा जाता है कि “अध्यापक-शिक्षा में अध्यापक को सोचना सिखाया जाये न कि उसे मशीन की तरह प्रशिक्षित किया जाये।”

यहाँ इस बात पर भी बल दिया गया है कि भावी अध्यापक के विकास में सांस्कृतिक कारक की जागरूकता की आवश्यकता होती है, जो सम्पूर्ण दर्शन के विकास को प्रभावित करती है। पूर्ण छात्र की अन्तः क्रिया पूरे वातावरण से होती है।

जे.बी. कोनान्ट ने अमरीकी अध्यापकों की शिक्षा पर (1963) में यह कथन प्रस्तुत किया कि अध्यापक शिक्षा के चार उद्देश्य होते हैं-

1. अध्यापक को प्रजातान्त्रिक सामाजिक घटक को समझाना चाहिए (उन्हें शिष्यों को भविष्य का नागरिक समझाना चाहिए तथा लोकतन्त्रीय जीवन पद्धति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए (जीवन का व्यक्तिवादी दर्शन तथा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता।)
2. अध्यापक में छात्रों के सामाजिक व्यवहार को समझाने की योग्यता होना।
3. अध्यापक को बालक के विकास का बोध होना।
4. उन्हें शिक्षण सिद्धान्तों का बोध होना।

एक अनुभवी विद्यालय के प्रधानाचार्य के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापक को इस योग्य बनाये कि वह जान सके कि छात्रों को पढ़ाना उसका कर्तव्य है। केवल पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करना उसका ध्येय नहीं है।

प्रशिक्षण विद्यालयों का दूसरा उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय समिति द्वारा (1954) में निर्धारित किया गया है। किसी समुदाय अथवा समाज में अध्यापक की स्थिति एक ऐसा अछूता कारक है जिसके लिए अध्यापक स्वयं उत्तरदायी है। उन्हें दूसरों की तरह मान्यता अर्जित करनी चाहिए और यह अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है।

सम्पूर्णानन्द समिति ने कहा—“अब यह महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण का ऐसा कार्यक्रम दिया जाना चाहिए जो उन्हें राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एकता तथा सांस्कृतिक तथा बौद्धिक अखण्डता की प्राप्ति में सहायक हो।”

राधाकृष्णन् आयोग अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को विधियों द्वारा पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहता था, विशेषतः मनोविज्ञान और शिक्षा के सिद्धान्तों को “विद्यार्थी में जो कुछ देखता है उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहता है।”

नोट

4.6 नवीन कार्यक्रम का निर्माण

इस प्रकार कार्यक्रम के निर्माण के लिए निम्न पदों को ध्यान में रखा गया है—

1. (अ) वर्तमान बी. एड. स्तरीय कार्यक्रम का विश्लेषण करना।
 - (ब) इस कार्यक्रम के उपयोगी घटकों के बारे में शिक्षाविदों, प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की सहमति प्राप्त करना।
2. (अ) मार्च (1969) में कलकत्ता में इन सब पर विचार करने तथा नये कार्यक्रम की रचना हेतु अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रोफेसर, संकायाध्याक्षों एवं प्रधानाचार्यों की एक अखिल भारतीय बैठक का आयोजन किया गया है।
 - (ब) कार्यक्रम या अध्यापक-शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।
 - (द) इन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम का विस्तृत विवरण सुझाया गया, तथा इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि कार्यक्रम को कौन-सा घटक किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? इस प्रकार से किसी विशेष उद्देश्य के लिए कई घटकों को प्रतिवेदन किया गया है एवं सभी उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया।
 - (स) इस प्रकार निर्मित कार्यक्रम को देश के चुने हुए 150 शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग को उनकी अनुभूति जानने हेतु भेजा गया। अखिल भारतीय शिक्षक-प्रशिक्षक संघ के जोधपुर अधिवेशन में भी इस कार्यक्रम को बांटा गया और उस पर चर्चा की गयी।

अधिकांश सुझाव जो प्राप्त हुए थे, उन्हें उस आख्या में सम्मिलित किया गया। कुछ लोगों द्वारा दिये गये सुझाव को शिक्षण विधियों के पाठ्यक्रम में और एक पाठ्यवस्तु सम्मिलित की जाये, इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि शिक्षक विद्यालयों में केवल एक ही व्यक्ति आंशिक रूप से विषय का विशेषज्ञ होता है।

(र) बारहवें क्षेत्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला में जो छात्र शिक्षण एवं मूल्यांकन पर आधारित थी, के सुझावों को भी पूर्णतया प्रयोग में लाया गया। विस्तृत रूप में यह सुझाव विभाग द्वारा स्वीकृत हैण्डबुक में सम्मिलित है।

नोट

अध्यापक-शिक्षा पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए नयी-शिक्षा नीति को सुझावों एवं संस्तुतियों पर ध्यान देना चाहिए।

4.7 अध्यापक-अभिविन्यास

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के पुनर्संगठन की प्रथम सीमा यह है कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षा पाठ्यक्रम को सिद्धान्त में स्थान दिया जाए है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बहुत से छात्र जो शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षक बनने हेतु प्रवेश लेते हैं वे पाठ्यवस्तु में आवश्यक ज्ञान का समुचित आधार नहीं रखते। इस प्रकार से कहना कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों का काम शैक्षिक ज्ञान से सम्बन्धित नहीं है। इस समस्या से दूर भागने के समान है और यह एक उपयोगी बात नहीं है कि हम उन्हें कला या विज्ञान के विद्यालयों में अपने विषय के ज्ञान को परिमार्जित करने के लिये भेजें, जबकि कुछ व्यक्ति शिक्षक महाविद्यालयों को ऐसी अनुमति देते हैं कि हमें स्वयं ही इस सम्बन्ध में कुछ करना है। छात्र अध्यापकों को पाठ्यवस्तु की नियमित शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालयों में दिए जाने के बजाय शैक्षिक विषयों में अलग पाठ्यक्रम हो जिनका समावेश सैद्धान्तिक समय विभाग चक्र में हो। लेकिन इसका स्वरूप विचार-गोष्ठी या वार्तालाप के रूप में छात्र अध्यापक को पाठ्यवस्तु पर आधारित शीर्षकों के अन्तर्गत छात्र अध्यापकों को पाठ्य-पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता हो, साथ ही एक दो सन्दर्भ ग्रन्थ उस विषय के होने चाहिये जिसको उसने चुना हो और दिये गये प्रकरण पर उसे कार्य करना चाहिये। प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक अपने विस्तृत अनुभवों के आधार पर छात्र अध्यापकों को विचार गोष्ठी आदि के लिये योजना तैयार करा सकते हैं जिसके द्वारा छात्र अध्यापक के शैक्षिक अध्यापक की कमी को पूरा किया जा सकता है। छात्र अध्यापक को शैक्षिक पाठ्यक्रम की गणना उसके सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन के साथ की जानी चाहिये और बड़ौदा विश्वविद्यालय में ऐसा ही प्रचलन है जहाँ विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और उसे मूल्यांकन की योजना में भी सम्मिलित किया जाता है।

4.8 व्यावसायिक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परिवर्तन से सम्बन्धी दूसरा आयाम है-शैक्षिक सिद्धान्त। यहाँ अधिक कटाई-छंटाई पुनर्संगठन एवं पुर्नअवधान की आवश्यकता है।

बी. एड. और डी. एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न पाठ्यक्रमों को शैक्षिक सिद्धान्त में सम्मिलित करना उचित होगा।

पाठ्यक्रम	औचित्य
1. शिक्षा का प्रजातन्त्रिक सामाजिक दर्शन	विद्यालय एक प्रभावशाली अभिक्रमक है और अध्यापक ऐसी स्थिति में होते हैं कि वे छात्रों को प्रजातान्त्रिक जीवन पद्धति, नागरिकता, सामाजिक और संवेगात्मक एकता के लिये छात्रों को अभिप्रेरित एवं तैयार कर सकते हैं। छात्र अध्यापकों

	को विद्यालय की इस भूमिका का बोध होना चाहिये तथा उन्हें अपने भावी दायित्व का भी बोध होना चाहिये। इसके लिये उसे प्रजातांत्रिक सामाजिक प्रणाली के मूल्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।
2. समूह प्रक्रिया एवं सामाजिक व्यवहार	सभी स्थितियों में अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। उसे समूह गत्यात्मकता का भी ज्ञान होना चाहिये जो उसका मूलमंत्र है तथा इस बात का भी ज्ञान होना चाहिये कि इसे कैसे प्राप्त किया जाये?
3. अधिगम मनोविज्ञान तथा शिक्षण सिद्धांत	अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है और इस बात पर खुली चर्चा होनी चाहिये।
4. विकास का मनोविज्ञान	छात्र अध्यापक को बच्चों की वृद्धि तथा उनके संवेगात्मक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं का स्पष्ट बोध होना चाहिये, विशेषकर किशोरवस्था का।
5. स्वास्थ्य शिक्षा	इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है छात्र अध्यापक को छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये।
6. विद्यालय प्रशासन एवं मानवीय सम्बन्ध	शैक्षिक प्रशासन एक विस्तृत विषय है जिसका विस्तार में वर्णन एम. एड. स्तर पर किया जा सकता है। बी. एड. और डी. एड. स्तर पर छात्र अध्यापक को जिन बातों को जानने की आवश्यकता होती है, वे स्कूल प्रशासन के उन तथ्यों तथा क्रियाओं से सम्बन्धित हैं जो अध्यापक को प्रभावित करते हैं। उसे उन क्षेत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिये जो राजकीय अनुदान से सम्बन्धित हैं और उसके प्रशासनिक कर्तव्यों से सम्बन्धित हैं। प्रशिक्षार्थियों को उन सभी विधि एवं प्रविधियों से परिचित कराना चाहिये जिससे विद्यालय प्रशासन के विभिन्न घटकों जैसे सहयोगियों एवं अभिभावकों जनता से मधुर सम्बन्धों का विकास हो सके।
7. विशिष्ट विधियाँ	अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह मूलाधार है लेकिन इस पाठ्यक्रम में अच्छा और घनिष्ठ सम्बन्ध अभ्यास शिक्षण के साथ और इसके नियमित पृष्ठपोषण के लिये होना चाहिये। विशेष विधि समय प्रायः विचारगोष्ठी के रूप में जिसमें छात्र-अध्यापक अपने अभ्यास शिक्षण के अपने अनुभवों तथा उन समस्याओं को जो उनके सम्मुख आते हैं। विभिन्न शिक्षण स्थितियाँ जिससे उन्हें निपटना होता है तथा कक्षा की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने से सम्बन्धित होना चाहिये।
8. शैक्षिक तकनीकी	राष्ट्रीय शिक्षा-नीति ने राष्ट्र के लिये शैक्षिक तकनीकी पर अधिक बल दिया है।

पाठ्यक्रम को निम्न मुख्य रूपों में बाँटा जा सकता है।

1. व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल (Individual and Social Skills)

- शिक्षा का स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास
- वार्ता तथा संचार तकनीकी
- अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य
- अध्यापक का मानवीय सम्बन्ध
- अध्यापक और समाज
- अध्यापक समुदाय के नेता के रूप में

2. व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills)

- शिक्षा का आधार
- शिक्षण विधियाँ
- विद्यालय संगठन एवं प्रशासन
- कक्षा शिक्षण
- शिक्षा मनोविज्ञान
- शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन
- विद्यालय में निर्देशन सेवा आदि
- शैक्षिक तकनीकी तथा विशेष शिक्षक

3. प्रत्यय सम्बन्धी कौशल (Skills Related to Concepts)

- शिक्षा में योजना
- शैक्षिक समस्याओं का बोध
- विद्यालय में कार्य एवं अनुसंधान
- शिक्षा में अन्तः अनुशासन आयाम
- शैक्षिक प्रक्रिया एवं नवाचार
- शिक्षा में सांख्यिकीय एवं अनुसंधान

ये क्षेत्र केवल सुझाये गये हैं, इनमें परिवर्तन संशोधन तथा परिवर्धन स्वयं सिद्धियों के आधार पर किये जा सकते हैं।

यह सबसे अच्छा समय है जबकि सरकार द्वारा एक अलग विशेष समिति की स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई है, जो अध्यापक शिक्षा का एक राष्ट्रीय आधार तैयार करे एवं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। दूसरे छोटे प्रयत्न अध्यापक-शिक्षा के लिए कभी लाभदायी सिद्ध नहीं हुए जो स्वतन्त्र समाज के नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित कर सकें।

4.9 अध्यापक की भूमिका

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिये कि वह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत संस्कृति का विकास करे, उसकी शिक्षण की योग्यताओं को विकसित करें तथा उन

सिद्धान्तों के प्रति उसे जागरूक बनाये जो स्नेहपूर्ण मानवीय सम्बन्धों के लिये आवश्यक हो तथा जिसमें उत्तरदायित्व की भावना हो और जो शिक्षण के माध्यम से सहयोग दे और समाज के लिये आदर्श बने। शिक्षक का स्तर यूनेस्को का प्रस्ताव अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं।

इन उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है—

(1) बोध, (2) कौशल तथा (3) अभिवृत्ति।

1. बोधात्मक उद्देश्य (Comprehensive Objective)

- (अ) समाज की संरचना, कार्य एवं अन्तःक्रिया का ज्ञान
- (ब) बाल विकास एवं अधिगम प्रक्रिया का बोध
- (स) विकासशील बालकों की समस्याओं का बोध
- (द) विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन का ज्ञान
- (इ) परीक्षा एवं मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान एवं बोध

2. कौशल उद्देश्य (Skill Objectives)

- (अ) विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता एवं कौशल
- (ब) शिक्षण विधियों का विकास एवं विषय के प्रयोग की योग्यता
- (स) प्रभावपूर्ण कौशल एवं अभिप्रेरणा
- (द) शिक्षण के विशेष उद्देश्यों को निर्मित करने की योग्यता
- (य) मूल्यांकन प्रविधियों के प्रयोग की योग्यता तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन की योग्यता।

3. अभिवृत्ति से सम्बन्धित उद्देश्य (Attitude Objective)

- (अ) शिक्षण व्यवसाय के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण।
- (ब) शिक्षण समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण।
- (स) अध्यापक में प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिये। छात्रों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण तथा उन्हें उचित अनुमति देना।

4.10 बी. एड. कार्यक्रम

उपरोक्त उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न सिद्धान्त एवं अभ्यास पढ़ाया जाता है।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम 100 अंक का होता है।

शिक्षण अभ्यास 200 अंक का होता है।

कार्यक्रम में निम्नलिखित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम सम्मिलित है—

1. शिक्षा के सिद्धान्त या शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक आधार।
2. शैक्षिक मनोविज्ञान एवं प्रारम्भिक शैक्षिक सांख्यिकी।
3. ऐतिहासिक यथार्थ चित्रण की कला में भारतीय शिक्षा की समस्यायें।
4. शिक्षण या शिक्षण तकनीकी विधियाँ

नोट

5. विद्यालयीय विषयों की शिक्षण विधियाँ प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के रूप में या एक विद्यालय विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में।

6. निम्न में से एक विशिष्ट या ऐच्छिक पाठ्यक्रम होता है—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (अ) शैक्षिक मापन और मूल्यांकन | (ब) शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन |
| (स) शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण | (द) विद्यालय संगठन |
| (य) जनसंख्या शिक्षा | (र) स्वास्थ्य शिक्षा |
| (ल) बुनियादी शिक्षा | |

7. शिक्षा विधियाँ, विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले दो विषय।

निम्नलिखित विषयों में से किन्ही दो को अभ्यास शिक्षण के लिये चुना जाता है—

(अ) 1. भौतिक विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. वनस्पति और 4. सामान्य विज्ञान

(ब) 5. गणित 6. गृह विज्ञान 7. हिन्दी 8. संस्कृत 9. अंग्रेजी 10. इतिहास 11. भूगोल 12.

अर्थशास्त्र 13. नागरिकशास्त्र 14. सामाजिक अध्ययन 15. कृषि और 16. वाणिज्य।

प्रत्येक छात्र-अध्यापक को प्रत्येक विषय के 20 पाठ पढ़ाने होते हैं। इस प्रकार से अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 40 पाठ पढ़ाना आवश्यक है। विषय विशेषज्ञ द्वारा आदर्श-पाठ एवं प्रदर्शन-पाठ पढ़ाये जाते हैं। इस समय विभिन्न शिक्षा विभागों में सूक्ष्म-शिक्षण एवं अनुकरणीय शिक्षण का संगठन बी. एड. पाठ्यक्रम में किया जाता है। अन्तिम परीक्षा में प्रत्येक छात्राध्यापक द्वारा दो पाठ पढ़ाये जाते हैं जिसमें एक पाठ प्रत्येक विषय से पढ़ाना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा के पहले सत्रीय कार्य का जमा करना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा का तरीका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में बदलता है, परन्तु कुल मिलाकर सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसा उपाय है। बी. एड. परीक्षा में सिद्धान्त तथा प्रयोगात्मक में अलग-अलग श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं।

विद्यालय एवं शिक्षा समस्या पर विचार गोष्ठी

छात्र अध्यापक को भी माध्यमिक विद्यालयों की कुछ समस्याओं से परिचित कराना चाहिये, तथा भारतीय शिक्षा की समस्याओं से भी उन्हें समझ सके, लेकिन इसका अच्छा ज्ञान विचार गोष्ठी एवं चर्चाओं के माध्यम से ही सम्भव है। इसलिये यह आवश्यक है कि छात्राध्यापकों को (2-4) ऐसी विचारगोष्ठी करायी जाए जिससे वे विद्यालय एवं शिक्षा की समस्याओं से ज्ञान प्राप्त कर सकें।

पाठ्यक्रम-आकार बड़ा नहीं होना चाहिये

उपरोक्त पाठ्यक्रम कुछ आलोचनाओं को जन्म देते हैं कि वर्तमान बी. एड. और एम. एड. पाठ्यक्रम सामान्यतः सैद्धान्तिक विषयों की संख्या वही पुरानी ही है। इन आलोचनाओं से बचने का उपाय यह है कि पाठ्यवस्तु संक्षिप्त हो तथा सक्षम अध्यापकों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयुक्त हो। वर्तमान बी. एड. एवं एम. एड. के सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र में पाठ्यवस्तु की अधिकता होती है जो प्रभावी अध्यापक तैयार करने में सीधा सहयोग नहीं देता इसे सावधानीपूर्वक छोटा किया जा सकता है। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम उसे कहा जा सकता है जिसे पूरा करने के लिये (12-14) व्याख्यानों की आवश्यकता होती है हमें सुसंरचित तथा उद्देश्य केन्द्रित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिये।

अधिगम में छात्र अध्यापकों की और संलग्नता

यदि बी. एड. पाठ्यक्रम में सुधार लागू कर दिये जाएँ और अध्यापक-प्रशिक्षण की प्रणाली में भी सुधार कर दिये जाएँ, तब भी सब कुछ ठीक नहीं कहा जायेगा। छात्र अध्यापकों को केवल सुसंरचित एवं सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम केन्द्रित पाठ्यक्रम के सहारे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें इस प्रकार से पढ़ाया जाये जिससे वे बुद्धिमान बने, ज्ञान को सक्रिय होकर प्राप्त करें और जो वांछित कौशलों की प्राप्ति में उसकी मदद करें, उनमें वांछित रुचि पैदा करें एवं वांछित दृष्टिकोण का विकास करें, और ऐसा व्याख्यानात्मक उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि व्यावहारिक कार्य एवं उनकी सीधी संलग्नता से सम्भव हो सकता है। यह मेरा अपना विचार है कि जब तक हम अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बनायेंगे, व्याख्यान को कम नहीं करेंगे, अपने छात्राध्यापकों को वार्तालाप में अधिक संलग्न नहीं करेंगे, तब तक हम समर्थ अध्यापक निर्मित नहीं कर सकते जो अपने बारे में सोचे तथा उन विधियों एवं आयामों के विकास के बारे में सोचे जो उनकी योग्यताओं के अनुरूप हो और जो विद्यालय की आवश्यकताओं से जुड़ी हों। हमें अपने छात्र अध्यापकों की सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करने की जरूरत है, जो आज के युग में तीव्रता से बदलते हुये आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता है और तभी यह अपेक्षा करना व्यावहारिक होगा कि भारत का भाग्य उसकी विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का सामाजिक प्रारूप इन दिनों निर्मित हो रहा है। हमारे छात्र अध्यापक जो देश के विद्यालयों में जा रहे हैं जोकि सृजन के केन्द्र हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रशिक्षण पाने का अधिकार है ताकि वे इस पुनीत कार्य को पूरा कर सकें।

नोट

4.11 पाठ्यचर्या का मतलब

भारत में आजादी के बाद, व्यक्तिगत विशेषज्ञों और व्यावसायिक निकायों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक नया पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यहां तक कि पुराने शब्द बी.टी. को व्यापक शब्द बी. एड. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक अनुभव के एक विशिष्ट विचार को बाहर लाने के लिए कुछ शिक्षण कौशल विकसित करना ही शामिल नहीं बल्कि कुछ बुनियादी समझ और शिक्षकों में सही दृष्टिकोण भी शामिल है।

जहां शिक्षा एक प्रक्रिया है, पाठ्यचर्या प्रक्रिया का एक साधन है। ओर जहां शिक्षा सीखना है, पाठ्यचर्या सीखने की स्थितियों का प्रतीक है। जबकि शिक्षा उत्पाद पाठ्यचर्या की योजना है।

करने और कुक के शब्दों में यह अधिक या कम योजनाबद्ध या नियंत्रित स्थितियों का मिश्रण है जिसके तहत छात्रों को व्यवहार और विभिन्न तरीके में व्यवहार करना सीखाते हैं। इसे में, नए व्यवहार का अधिग्रहण किया जा सकता है, वर्तमान व्यवहार को संशोधित, बनाए रखना या समाप्त किया जा सकता है और वांछनीय व्यवहार लगातार और व्यवहार्य दोनों हो सकता है। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों शामिल हैं।

4.12 शिक्षक शिक्षा में पाठ्यचर्या के विकास की आवश्यकता

परंपरा और संस्कृति भारत में हजारों वर्षों से है। शैक्षिक संस्थानों को आश्रम कहा जाता था और शिक्षक को गुरु कहा जाता था। हमारे दैनिक जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। वैश्वीकरण के कारण अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित है। अब शैक्षिक संस्थान तकनीकी शिक्षा को

महत्व देते हैं। शिक्षक एक राष्ट्रीय निर्माता हैं। वह समाज को बदलने की क्षमता रखता है। प्रौद्योगिकी, संचार कौशल के महत्व को समझने से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) दोनों बी.एड. और एम.एड. स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्राप्त तकनीकों पर

नोट

एक अलग विषय की शुरुआत की कर रही है। कम्प्यूटर एज्युकेशन, कम्प्यूटिव अंग्रेजी, व्यक्तित्व विकास भी बीएड स्तर में पेश कर रहे हैं। अब हम आतंकवाद, गरीबी, और उच्च जनसंख्या की तरह कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम इस प्रकार का पाठ्यचर्या चाहते हैं जो शांति, अहिंसा, सकारात्मक रवैय और समाज के मूल्यों को बेहतर बनाता है। शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यचर्या में इन मुद्दों को पैदा करके, हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और अन्य शिक्षा समितियों और आयोगों ने भी उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक-शिक्षा को महत्व दिया है। लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार के पाठ्यचर्या का हम पालन करें। राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना वर्तमान परिदृश्य में पाठ्यचर्या परिवर्तन के महत्व की ओर प्रख्यात विद्वानों के रवैय को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक है। पाठ्यचर्या परिवर्तन के बारे में कई अनुशंसा की हैं, लेकिन वे उनका अभ्यास नहीं कर रहे हैं।

4.13 पाठ्यचर्या का उद्देश्य

1. प्रत्येक छात्र के पूर्ण विकास को निकालना, विकसित, उत्तेजित और प्रेरित करना।
2. एक माहौल बनाना जिसमें गंभीर और रचनात्मक सोच के लिए छात्रों को सीखाएँ और सच्चाई की तलाश और समस्याओं का समाधान करेंगे।
3. छात्रों की-अखंडता, ईमानदारी, न्याय, मित्रता, सहयोग और सद्भावना के चरित्र का विकास करना।
4. एक लोकतांत्रिक समाज में पुरुषों और महिलाओं को नागरिकता को तैयार करने के लिए जहाँ स्वतंत्रता और स्वाधीनता हाथ ओ हाथ कानून और न्याय के साथ और जहाँ जिम्मेदारी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, व्यक्ति की एक विशेषता है।
5. मानविकी, कला, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान और धर्म के साथ अन्तरंग जान-पहचान के माध्यम से मूल्यों को स्थापित करने में छात्रों की मदद करना।
6. न केवल अधिक छात्रों की जरूरतों को पूरा करना बल्कि छात्रों की क्षमता, योग्यता, और हितों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करना भी।

4.14 पाठ्यचर्या का बुनियादी सुविधा की अनुकूलन क्षमता

विभिन्न समुदायों के अनुसार: पाठ्यचर्या कठोर और स्थिर नहीं है। यह गतिशील और लचीला है। यह बदलते समाज की आवश्यकताओं और आदर्शों के साथ लगातार बदल रहा है। स्वतंत्र भारत के स्कूलों में पाठ्यचर्या वही नहीं रहा जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्कूलों में इस्तेमाल किया गया था।

इंग्लैंड में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यचर्या वैसा नहीं है जैसा की भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में या जापान में है। मांगें, आदर्श और विभिन्न सामाजिक समूहों की आकांक्षाएं व्यापक रूप से अलग हैं इसलिए पाठ्यचर्या एक व्यापक विषमता प्रदान करता है।

भारत में, समुदायों की एक बड़ी संख्या में है, जो पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पठार क्षेत्र और तटीय क्षेत्र जैसा क्षेत्रों है-जिन सभी के पास अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व, पर्यावरण, रिवाज और जरूरतें हैं। इसलिए, उनकी जरूरतों और पर्यावरण पर ध्यान दिए बिना हम सभी पर एक ही पाठ्यचर्या लागू नहीं कर सकते। यह एक इलाके से दूसरे इलाके और एक समाज से दूसरे समाज के लिए अलग होना चाहिए।

व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार: बच्चों की सीखने की क्षमता, हर बच्चों के लिए अलग है। गतिविधियां जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी विभिन्न स्कूलों के संसाधनों और विद्यार्थियों जो उसमें अध्ययन कर रहे हैं उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग-अलग है।

इसलिए पाठ्यचर्या भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड और एक विद्वान से दूसरे विद्वान के लिए अलग-अलग हो सकता है। शैक्षिक प्रक्रिया की आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार पाठ्यचर्या को केवल एक बदलाव के दायरे में रख के ही लंबे समय तक किया जा सकता है जैसा उसके साथ संबंधित समुदायों की जरूरत के अनुसार हो।

4.15 शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का विकास

शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी परिसंपत्ति है। वे ज्ञान, कौशल और मूल्यों के संचरण के अंतरफलक में खड़े हैं। वे शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता अहम है और विश्व स्तर पर काफी हद तक सामान्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और विशेष रूप से छात्रों को सीखाने के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के शिक्षा आयोग ने (1964-1966) शक्तिशाली शब्दों में शिक्षकों के इस प्रभाव को स्वीकार किया, फ्लोर्ड प्रणाली अपने शिक्षक के स्थान से ऊपर नहीं हो सकती है ...। इसी तरह की भावनाएं शिक्षक और शैक्षिक गुणवत्ता पर देलोर्स रिपोर्ट (1996) और यूनेस्को रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की गई है: 2015 (2006) के लिए वैश्विक जरूरतों पर नजर। बहुत शुरुआत में यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट (2007) 'अध्यापक शिक्षा पर संचार' के अनुसार शोध से पता चला है कि शिक्षक की गुणवत्ता का शिष्य की सिद्धि के साथ महत्वपूर्ण और सकारात्मक सहसंबद्ध है और यह स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन को समझने के सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज को आकार देने और फिर से आकार देने में मदद करता है और समुदाय और देश में जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। विभिन्न देशों के अनुभव से पता चला है कि एक पूर्व-सर्विस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अच्छी तरह से विकसित करना और अपने कैरियर को लंबे समय तक सीखने के अवसर के साथ जारी रखना ही एक गतिशील और बदलते वातावरण में अच्छे शिक्षकों को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। इसलिए, हर समाज, समाज के विकास में योगदान में मदद करने के लिए पूर्व-सर्विस शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए कुछ प्रावधान करता है। यहां अनुभवजन्य अनुसंधान का सबूत है जो बताता है कि छात्रों की सफलता काफी हद तक शिक्षकों के पेशेवर तैयार से संबंधित है।

4.16 संपूर्ण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

इन चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए अध्ययन की एक संख्या आयोजित कि गयी है। जो शिक्षक इस कार्यक्रम से उभरें हैं वह पारंपरिक एक वर्ष बी.

एड. कार्यक्रम के उत्पादों से बहुत बेहतर है यह कार्यक्रम की महत्वपूर्ण खोज है। प्रभावशीलता में अंतर के लिए मेधावी छात्रों के चयन, अधिक से अधिक लंबाई, एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ ही युगपत शिक्षण की सामग्री और शिक्षण के तरीकों को जिम्मेदार ठहराया है। एक ठोस वैचारिक आधार के बावजूद, इसकी प्रभावशीलता और विकसित देशों और कई विशेषज्ञ निकायों की सिफारिश के अनुभवों के संबंध में सबूत की उपलब्धता, नवीनता की मुख्यधारा चार एनसीईआरटी की शिक्षा क्षेत्रीय महाविद्यालयों के दायरे से परे नहीं है।

शिक्षा का माध्यमिक शिक्षक शिक्षा क्षेत्रीय महाविद्यालयों का चार वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम, एनसीईआरटी (1960)

चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम एनसीईआरटी अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और भोपाल में चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में 1960 के दशक के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को विज्ञान और मानविकी में तैयार करने के लिए बनाया गया था।

इस कार्यक्रम के अस्तित्व के पैंतीस वर्ष से अधिक में, अध्ययन की योजना को कई बार संशोधित किया गया है जो की इसकी सबसे महत्वपूर्ण नवीनता है। पाठ्यक्रम को विषय पर आधारित स्नातक स्तर की योग्यता के साथ पेशेवर शिक्षण की कार्यप्रणाली से संबंधित दक्षताओं को विकसित करने के लिए बनाया गया था। बी.एस.सी बी. एड. की एक समग्र डिग्री पाठ्यक्रम के सफल समापन पर उम्मीदवारों को सम्मानित कि गयी थी। छात्रों को विज्ञान के विभिन्न विषयों में अध्ययन के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में शामिल होने में सक्षम करने के लिए बाद में तीन साल के पूरा होने पर बीएससी की डिग्री को सम्मानित करने में एक परिवर्तन किया गया था। हालांकि यह प्रावधान तीन साल के अंत में कई छात्रों के पलायन करने के लिए नेतृत्व किया। एक परिणाम के रूप में पूरे चार वर्ष के कार्यक्रम के अंत में एक संयुक्त डिग्री देने की मूल प्रणाली शुरू कि गयी थी। तत्पश्चात् 1996 में, बी.ए. बी.एड.कला कार्यक्रम एनसीईआरटी की संक्षिप्त समीक्षा की अनुशंसाओं के आधार पर वापस ले लिया गया। बीएससी बी.एड. एकीकृत कार्यक्रम में विज्ञान अभी भी जारी है।

इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता वरिष्ठ माध्यमिक (यानी, स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष) है। इस एकीकृत कार्यक्रम की सामग्री में विषय ज्ञान (60%), पेशेवर (20%) शिक्षा और सामान्य शिक्षा (20%) के पाठ्यक्रम शामिल है।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की चार वर्ष एकीकृत कार्यक्रम

बी.एल.एड, प्राथमिक और सामाजिक शिक्षा के लिए मौलाना आजाद सेंटर (एमएसीईएसई), शिक्षा के संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय (1994): एलिमेंट्री एजुकेशन का स्नातक (बी.एल.एड.) प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का एक चार वर्षीय एकीकृत व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम है जो स्कूल के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा बारहवीं या समकक्ष) के बाद छात्रों को पेश किया जाता है।

यह कार्यक्रम (बी.एल.एड.) विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान और आत्म ज्ञान के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए बनाया गया है। बी.एल.एड. का मुख्य उद्देश्य चिंतनशील चिकित्सकों को तैयार करना है जो सामाजिक रूप से संवेदनशील हों। यह एक अविरवादी और नम्र शिक्षक को जिस शिक्षक के पास श्रुतपात्र पाठ्यक्रम और शनिर्धारित ज्ञान है उससे बदलने का एक प्रयास है। यह छात्रों को मात्र पाठ्यपुस्तक ज्ञान के परे ले जाने के लिए तैयार करता है। बी.

एल.एड. के छात्र अपने स्वयं की जांच करने का प्रयास करते हैं, वह अपनी सभी जटिलता और अस्पष्टता के साथ व्यवहार करने के विचारों की जांच करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में एक मानसिक लचीलापन विकसित करना है जो गंभीर रूप से जांच और विभिन्न स्रोतों से ज्ञान का संश्लेषण करने और कक्षा शिक्षण की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। विषय सामग्री के मुद्दों, मूल्यांकन के उपयुक्त तरीकों और शिक्षार्थी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षणशास्त्र विकसित करने के प्रयासों में छात्रों को संलग्न करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

यह पाठ्यक्रम छात्र के व्यक्तित्व की धारणा को विकसित करने के प्रयास करता है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की ओर जाता है। यह पाठ्यक्रम संरचना छात्रों को खुद को और दूसरों को समझने के मुद्दों में तीव्रता संलग्न स्थान देता है। बच्चे की स्वभाव, वयस्क-बच्चों के संबंध और कक्षा के भीतर उनकी गतिशीलता को समझने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम छात्रों को कक्षा के भीतर शिक्षा के व्यवहार-कुशल के मुद्दों में संलग्न करते हैं क्योंकि यह बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों के अध्ययन के माध्यम से समकालीन भारतीय वास्तविकताओं में एक समझ विकसित करने के लिए बनाया गया है। स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में छात्र निरीक्षण और लिंग अन्याय का विश्लेषण और हस्तक्षेप रणनीतियों का विकास करते हैं।

बी.एल.एड. पाठ्यक्रम स्वभाव में चक्रीय है जिससे एक ही मुद्दे को जटिलता के विभिन्न स्तरों पर और चार वर्षों में विभिन्न संदर्भों के भीतर निपटा रहे हैं। इस कार्यक्रम की लंबी अवधि छात्रों को शैक्षिक मुद्दों को पता लगाने और शैक्षिक मुद्दों के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए समालोचनात्मक मनोवैज्ञानिक स्थान प्रदान करती है जिससे कि वे चार वर्षों में स्कूल के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहे। इसमें चौथे वर्ष में एक निरंतर 17 सप्ताह स्कूल इंटरशिप कार्यक्रम है जहां छात्र अपनी कार्रवाई में अपने विचारों का अनुवाद और उनको गंभीर रूप से इस प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए छात्र प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव अभ्यास में लगी संस्थाओं का दौरा भी करते हैं। कक्षा पर आधारित खोज के माध्यम से आगे चिंतनशील जांच की प्रक्रिया का विकास करने के लिए छात्र एक उद्देश्य के साथ अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। विशेष रूप से तैयार आम बोलचाल के माध्यम से छात्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल सीखते हैं जैसे रंगमंच, कला, हस्तकौशल, कहानी और संगीत का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना और स्कूलों में एक संसाधन केन्द्र का निर्माण करना।

4.17 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009)

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009) द्वारा आधुनिकीकरण, संदर्भ अनुसार करना, और व्यावसायिकता की ओर स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा को फिर से करने जीवंत के लिए एक प्रमुख प्रयास 2005 और 2009 में किया गया था। हाल के वर्षों के दौरान सीखने की ज्ञान-पद्धति शास्त्र में एक बड़ा परिवर्तन आया है; कि सीखने में वास्तविकता की खोज नहीं बल्कि वास्तविकता का निर्माण शामिल है। ज्ञान और संज्ञानों के लिए निर्माण किया जा रहे हैं और उनके प्रभावों को महसूस किया जा रहा है। सीखना ज्ञान और विचारों का अनिवारक अवशोषण नहीं है, लेकिन विचारों का निर्माण एक के

व्यक्तिगत अनुभवों पर किया जाता है। अब जोर सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। सीखना भी शिक्षार्थी के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। यह अवधारणा स्थित अनुभूति के रूप में जानी जाने लगी है और यह स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्याकी रूपरेखा (2005) एनसीईआरटी द्वारा विकसित के सिद्धांत की मार्गदर्शक भी है। एनसीएफ 2005 एक शिक्षक की उम्मीद करती है जो छात्रों का सुविधाकारक बनने के लिए छात्रों को एक तरीके से सीखए जो उन्हें अपने अलग-अलग अनुभवों का उपयोग करके ज्ञान और अर्थ का निर्माण करने में मदद करता हो। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के पूरे शैक्षणिक दृष्टिकोण को, इसलिए, पारंपरिक व्यवहारवादी से रचनावादी प्रवचन पुनर्भिन्न्यासित करने की जरूरत है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009) एनसीटीई द्वारा विकसित यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम ज्ञान-पद्धति शास्त्र एनसीएफ 2005 में परिकल्पित बदलाव के तालमेल के साथ पुनर्भिन्न्यासित है और सीखने के सुविधाकारक के रूप में शिक्षकों के विकास को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। इसमें शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ, चिंताएं और दृष्टि भी शामिल है जो शिक्षकों को समाज को सीखने, जानने के लिए सीखने में सशक्त बनाने के लिए तैयार करता है और शिक्षक शिक्षा को समावेशी शिक्षा की मांग के लिए उदारवादी, मानवतावादी और उत्तरदायी बनाता है। इसमें स्कूल के संदर्भों और मांगें हाल ही में लागू शिक्षा अधिनियम के अधिकार (आरटीई 2009) की रोशनी में, छात्रों की शैक्षणिक बोझ के मुद्दे और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण जो शिक्षक शिक्षा के लिए निहितार्थ है उनको बदलने की कोशिश की है। इस रूपरेखा से संबंधित प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं समावेशी शिक्षा, न्यायसंगत सुनिश्चित करना और सतत विकास, शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक ज्ञान का उपयोग, और आईसीटी के एकीकरण और शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में ई-शिक्षण जो एनसीएफ 2005 अनुसार है और समकालीन भारतीय समाज की जरूरत है।

इसलिए, शिक्षक तैयार करने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण पाठ्यक्रम के दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उन्मुखीकरण पर आधारित है, इस परंपरागत दृष्टिकोण ने रसावधानी से पाठ्यक्रम की योजना तैयार करने के लिए रास्ता दिया है जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान तथा छात्र शिक्षकों पर आधारित है। 'अनुभवात्मक ज्ञान' (एनसीएफटीई 2009, पी24)। निम्नलिखित तीन व्यापक पाठ्यचर्या के क्षेत्र इस रूपरेखा द्वारा पहचाने जाते हैं: (क) शिक्षा के मूलाधार जो तीन शीर्ष के तहत पाठ्यक्रम में शामिल हैं जिनके नाम हैं शिक्षार्थी अध्ययन, समकालीन अध्ययन और शैक्षिक अध्ययन (ख) पाठ्यचर्या अध्ययन और अध्यापन अध्ययन सहित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र और (ग) परिप्रेक्ष्य, पेशेवर क्षमता, शिक्षक संवेदनशीलता और कौशल में स्कूल इंटरनशिप एक व्यापक प्रदर्शनों की सूची का विकास करने के लिए अग्रणी है (एनसीएफटीई 2009, पी24)। इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा के माध्यम से एक प्रयास किया गया था केवल मुद्दों, चिंताओं और शैक्षणिक एनसीएफ 2005 द्वारा दिखाए गए बदलाव का पता करने लिए नहीं, बल्कि एक जैविक और एकीकृत के रूप में पूरे शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का आयोजन करने लिए भी।

इस रूपरेखा के चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एक दो साल के शिक्षक की तैयारी के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। यह महसूस किया गया है कि शिक्षक की तैयारी की लंबी अवधि शिक्षकों को पर्याप्त समय और स्व-अध्ययन का अवसर, प्रतिबिंब और

शिक्षकों, छात्रों, कक्षाओं और शिक्षा-विषयक गतिविधि यों के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा जो शिक्षकों में व्यावसायिकता के विकास के लिए आवश्यक है।

शिक्षा के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करके कक्षा की वास्तविकताओं के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के सैद्धांतिक प्रवचन के साथ असंबंध के बारे में, छात्र शिक्षकों के सभी पाठ्यक्रमों में अभ्यास-संबंधी कारकों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र के अनुभव को अधिक महत्व देने बारे में, अध्यापन और सीखने के अभिनव केन्द्रों के दौरे बारे में, कक्षा पर आधारित अनुसंधान के बारे में, इंटरनेट की लंबी अवधि यानी दो वर्ष के कार्यक्रम में छह से दस सप्ताह की न्यूनतम अवधि (प्रति सप्ताह में चार दिन) और एक चार वर्ष के कार्यक्रम में 15-20 सप्ताह की न्यूनतम अवधि, एक व्यवस्थित शिक्षक के साथ नियमित रूप से कक्षा के अवलोकन के लिए एक सप्ताह के प्रारंभिक चरण सहित के बारे में यह आलोचना भी पता करने की कोशिश करता है। यह भी इकाई की योजना को विकसित करने और चिंतनशील पत्रिकाओं बनाए रखने पर जोर देती है जो वर्तमान में हमारे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर लापता है।

नोट

दिशानिर्देश/सुझाव

वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रारूप शिक्षक शिक्षा के अलग अलग स्तर पूर्व मुख्य, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर मूलाधार पाठ्यक्रम में जो होते हैं उनसे अलग पर आधारित होता है जिसमें शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का लक्ष्य (2009) शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की वैचारिक समझ है, इसकी काफी चिंताएं हैं जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रासंगिक है इसलिए शिक्षक सिर्फ केवल शिक्षण की नौकरी के छोटे अभ्यास के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि यह लोगों को बनाने के परिप्रेक्ष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है जो अपने दिमाग को विविध स्थितियों में लागू कर सकता है जो उसने शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया है। यह मूलाधार पाठ्यक्रम है जो पूर्ववर्ती अध्यायों में सूचीबद्ध समस्याओं पर चर्चा और ध्यान केंद्रित रखने में मरम्मत करने की गुंजाइश प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य लोगों से, यह मौजूदा पाठ्यचर्या को फिर से देख सकते हैं और विषयों को उचित गुच्छे में विभाजित कर सकते हैं जिसमें एनपीई के मूल तत्व और अ-विभेदन-क्षमता से संबंधित संवैधानिक चिंताएं शामिल हैं। शिक्षण में इंटरनेट और समुदाय के साथ काम करना विचारों के विकास के लिए बराबर प्रासंगिकता के अन्य क्षेत्र है।

अ-विभेदन संबंधित मूल्यों के विकास के लिए अभ्यास के प्रकार जो लिंग, जाति/जनजाति, विकलांगता, आदि के अध्याय में दिए गए हैं वह अध्यापक शिक्षा संस्थानों के सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के केंद्रीय विषयों में बदल सकते हैं। यह उन गतिविधियों के सूचीकरण को दोहराने का प्रयोजन नहीं है इस अध्याय में एक संदर्भ उपयुक्त अध्याय इन गतिविधियों के लिए बनाया जा सकता है जिसमें वे सूचीबद्ध किए गए हैं।

यह शिक्षक-शिक्षा में उन्मुखीकरण कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायक भी हो सकता है। सेमिनार शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षण विषय में प्रासंगिक समझ आयामों को परिचालित करने की तकनीकों से परिचित करा सकता है। प्राथमिक और माध्यमिक पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या सम्मिलित करना एक विचार को संस्थागत बनाने के लिए एक कुशल तरीका है। यह एक उपयुक्त

सह-पाठ्यक्रम के कार्यक्रम द्वारा पूरक हो सकता है जिसका लक्ष्य रवैया और मूल्य के विकास के संदर्भ में विशेष रूप से पाठ्यचर्या दृष्टिकोण की कमियां होना चाहिए।

नोट

राज्य की शैक्षिक एजेंसियों में एक उद्योगी पक्षपोषण और पाठ्यक्रम में इस प्रकार के उपकरणों की जागरूकता के समावेश के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान और शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग की आवश्यकता है।

विषय के खंडित उपचार के नुकसान से उबरने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि भारत के संविधान में एक स्वतंत्र व्यापक इकाई का परिचय शामिल होना चाहिए और शिक्षा पर इसकी सोच को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत में मूल्यांकन प्रणाली, काफी विशेष रूप से कक्षा शिक्षण के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण विधि को प्रभावित करती है और संविधान के शैक्षिक अनिवार्यताओं इस तरह की एक अलग इकाई कक्षा शिक्षण में विषय के लिए निश्चित महत्व और अधिमान देगी।

एक उत्कृष्ट समझौता शिक्षकों की सरलता और समझाने के तरीके और शिक्षा के माध्यम से काफी कुछ हासिल करने शिक्षक प्रशिक्षकों पर निर्भर करता है। यदि चिंताओं को निष्कपटता और उद्देश्य के साथ नियंत्रित किया जाता है, वे निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में वांछित परिवर्तन ला सकती है।

4.18 अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विभिन्न प्रकार के अर्थ

सरकारी अध्यापक शिक्षा संस्थान: सरकारी महाविद्यालय केंद्र या राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। वे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान: सहायता प्राप्त मतलब है कि सरकारी सहायता प्राप्त, इसका मतलब है आप से शुल्क लेने के बावजूद, शुल्क की राशि एक ही पाठ्यक्रम के साथ अन्य कॉलेजों के एक ही प्रकार के रूप में वे सरकार की ओर से एक नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त की तुलना में बहुत कम है, इस चर्चा से लगता है कि आपको असहायता प्राप्त के बारे में भी जवाब मिल गया होगा।

निजी शिक्षक शिक्षा संस्थान: यह व्यक्ति या समाज द्वारा स्थापित है जो राज्य या केंद्र सरकार से या यूजीसी से किसी भी वित्तीय सहायता के बिना महाविद्यालयों चलाते हैं। उन्हें यूजीसी से कोई वित्तीय अनुदान नहीं मिलता और न ही वे यूजीसी से कोई लाभ मिलता है। इस तरह के एक संस्थान के छात्रों द्वारा फीस के माध्यम से ही वित्त प्राप्त करते हैं जो पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लेते हैं और कॉरपोरेट हाउस के रूप में अन्य स्रोतों से निजी वित्त प्राप्त करते हैं।

4.19 वर्तमान में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या

पिछले कुछ दशकों के दौरान शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम गंभीर आलोचना के अंतर्गत आ गया और उसकी कमजोरियां को उजागर किया गया। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि वे पूरी तरह से समकालीन भारतीय स्कूलों और समाज की जरूरतों का पता नहीं लगा सके हैं और वे शिक्षक तैयार नहीं कर सकते हैं जो स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर सकें। कुछ पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपलों का मानना है कि शायद ही पुराने शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की वजह से प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों के

प्रदर्शन के बीच कोई अंतर नहीं है। ये आरोप अतिरिजित प्रदर्शित हो सकते हैं लेकिन उनमें से कुछ हमें पाठ्यक्रम और उनके लेन-देन के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं।

व्यावसायिकता ज्ञान, अधिकार, कौशल, प्रतिबद्धता, योग्यता, मिशन, एक पेशेवर नैतिक कोड विशेष विशेषज्ञ सेवा और निष्ठा प्रदान करने की क्षमता की आवश्यकता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में, गतिविधियों की एक बड़ी संख्या- सैद्धांतिक और व्यावहारिक, बाहर ले जाने और परिश्रम अभ्यास भावी शिक्षकों द्वारा अपने पेशेवर दक्षता और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए है। शिक्षक शिक्षा संघों के लिए एक पेशेवर कोड लेने की जरूरत है, जो उल्लंघन करने पर स्कूल में सेवा से शिक्षक बेदखल कर सकता है। इस बात पर बल नहीं देने की जरूरत है कि शिक्षक- शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि में वृद्धि के बिना इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। शैक्षणिक और पेशेवर कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम उन्हें एक पूरे समग्र में एकीकृत और उन्हें मिश्रण करने के लिए है। शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार, इस प्रकार हमारी जरूरत बन गया है। अनुभव आधारित से जानकारी आधारित के लिए और पारंपरिक अनुदेश प्रभुत्व से नए रचनात्मक उन्मुखीकरण के लिए स्लाट दृश्य पाली की ओर हो गया है।

नोट

4.20 सरकार, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा पाठ्यचर्या कार्यान्वित के तुलनात्मक विश्लेषण

निम्नलिखित बिंदु है जिस पर हम पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार, निजी और सहायता प्राप्त संस्थानों का विश्लेषण करेंगे।

संबद्धता और प्रवेश प्रक्रिया

सभी सरकार और सरकार सहायता प्राप्त संस्थानों में सरकार और राज्य सरकार या क्रमश यूजीसी द्वारा वित्त पोषण कर रहे हैं। वे सभी मानदंडों और दाखिले की प्रक्रिया में पात्रता मानदंड का पालन करते हैं।

पाठ्यचर्या विकास

- भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा की तैयारी के लिए जिम्मेदार थे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षा के विश्वविद्यालय श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमश के लिए जिम्मेदार थे।
- बी.एड. पाठ्यक्रम 1998, 2002, 2005 और 2009 के दौरान भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रमश में संशोधित किया गया था। सभी देशों में, सूत्रीकरण और बी.एड. के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के संशोधन में कोई निश्चित भूमिका शिक्षकों की भागीदारी के लिए निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। हालांकि, कुछ संकाय सदस्यों भारत और श्रीलंका में शामिल थे।
- विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय सभी देशों में शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। 2009 से 2002 के दौरान, बी.एड. पाठ्यचर्या और विभिन्न विषयों

के पाठ्यक्रम छात्र शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और विभिन्न संस्थाओं के प्रिंसिपलों की प्रतिक्रिया को एकत्र करने के आधार पर सभी देशों द्वारा संशोधित किया गया था।

- कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, उन्नत अनुसंधान प्रणाली और कंप्यूटर शिक्षा बी.एड. कार्यक्रम के अतिरिक्त परीक्षा थी।
- कला और शिल्प और कार्य अनुभव बी.एड. पाठ्यक्रम में गैर शैक्षिक क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किया गया था।

सैद्धांतिक पत्र

- बी.एड. कार्यक्रम में निर्धारित अनिवार्य सिद्धांत पत्र लगभग सभी चार देशों में सामान्य थे। पत्र नामतः शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र, मार्गदर्शन और परामर्श, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, स्कूल संगठन, कम्प्यूटर शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे बी.एड. कार्यक्रम में निर्धारित किए गए थे।
- बी.एड. पाठ्यक्रम में कई निर्धारित विषयों की अलग ताकतें थीं। तत्त्वज्ञान और मनोविज्ञान का शिक्षण बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। कार्य अनुभव छात्र शिक्षकों के बीच सौंदर्यात्मक भावना विकसित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा और संचार कौशल छात्र शिक्षकों के बीच भाषाओं के शिक्षण द्वारा विकसित होता है।

व्यावहारिक कार्य

- कंप्यूटर अनुप्रयोग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कला और शिल्प, कार्य अनुभव, शिक्षण अभ्यास, अनुसंधान परियोजनाओं, कार्य और सामाजिक कार्य व्यावहारिक कार्य के तहत निर्धारित किए गए थे। बांग्लादेश में, केवल शिक्षण अभ्यास व्यावहारिक गतिविधि के रूप में निर्धारित किया गया था।
- कार्य अनुभव छात्र शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों करके सीखने में मदद करता है। हालांकि, बांग्लादेश के छात्र शिक्षकों से पता चला है कि काम करने का अनुभव उपयुक्त और उपयोगी था, लेकिन उनको भागीदारी और सहभागिता के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया था।
- यह पाया गया कि व्यावहारिक गतिविधियाँ एक प्रभावी शिक्षक बनाने के लिए बहुत उपयोगी थीं। यह लोगों के बीच विश्वास विकसित करती है। आवश्यक ज्ञान और कौशल विषय से संबंधित इन गतिविधियों द्वारा मन में बैठ जाते थे।
- भारत के छात्र शिक्षकों ने व्यक्त किया है कि प्रदर्शन और दृश्य कला से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, छिपी प्रतिभा बाहर लाया और उन्हें तनाव मुक्त बनाया है। यह उनके व्यक्तित्व को भी विकसित करने में मदद करता है। प्रदर्शन और दृश्य कला शिक्षण सीखने में दिलचस्पी बनाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के छात्र शिक्षकों ने व्यक्त किया है कि प्रदर्शन कला शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं थी।

विशिष्ट पाठ्यचर्यात्मक निविष्टियाँ

- छात्रवृत्ति और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की तरह विशिष्ट पाठ्यचर्यात्मक निविष्टियाँ लाभवंचित छात्रों के लिए प्रदान किया गया था।

कंप्यूटर और आईसीटी

- सभी सरकार, निजी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कंप्यूटर लैब स्थापित कि गई थी।
- कंप्यूटर सुविधाएं शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए उपयोग कि जाती थी। अपने स्वयं के विशेषज्ञता से संबंधित प्रासंगिक सामग्री के विभिन्न प्रकार के इंटरनेट से डाउनलोड किए जाते थे लेकिन यह सुविधा केवल 30 फीसदी छात्र शिक्षकों द्वारा उठायी जाती थी।
- शिक्षण अभ्यास सरकार, निजी, सहायता प्राप्त और वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के दौरान खुद ही प्रदर्शनीत स्कूलों सहित सभी प्रकार के स्कूलों में आयोजित किए गए थे।
- भारत में सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भाषा और गणित जैसे विषय बी.एड. कार्यक्रम के शिक्षण अभ्यास के तहत निर्धारित किए गए थे।
- छात्र शिक्षकों ने व्यक्त किया है कि अभ्यास शिक्षण में दो विषय शुरू किए जाते थे। भारत में, दो विषयों के चौबीस पाठ पैंतालीस दिनों के दौरान छात्र शिक्षकों द्वारा दिए जाते थे।
- स्कूली अनुभव कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में 35-60 दिन थी, जबकि पाकिस्तान में अधिकतम 90 दिन थी।

नोट

सह पाठ्यक्रम गतिविधियां

- (क) सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे बहस, अध्ययन दौरे, सामाजिक गतिविधियां, नाटक, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम, भ्रमण, विज्ञान मेले आदि बी.एड. कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान में, इनडोर खेल की तरह बहुत ही सीमित गतिविधियों का आयोजन किया गया था। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में पाकिस्तान सबसे कम और भारत में सबसे ज्यादा छात्र शिक्षकों की भागीदारी में थे।

लेनदेन संबंधी रणनीतियाँ

- व्याख्यान का तरीका अक्सर बी.एड. कार्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा सभी चार देशों में लेनदेन संबंधी रणनीतियाँ के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुछ अवसरों पर प्रदर्शन के तरीकों और समूह चर्चा आयोजित किए गए थे। अनवेषण और समस्या को सुलझाने के तरीके बहुत कम उपयोग किए गए।
- आईसीटी लेनदेन संबंधी रणनीतियाँ के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। पावरपॉइंट प्रस्तुतियां भारत में कुछ अवसरों पर बनाये गए थे। यह बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया गया था।
- शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए कोई नीति नहीं थी। वे केवल अभिविन्यास और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किए गए थे जैसे यूजीसी और एनसीईआरटी में तदर्थ तरीके।
- संकाय सदस्यों, राष्ट्रीय सेमिनारों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, अभिविन्यास कार्यक्रम और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों पर व्यावसायिक विकास के लिए सभी चार देशों द्वारा आयोजित किए गए थे। 2004-07 के दौरान पाकिस्तान के 15 न्यूनतम संकाय सदस्यों

और श्रीलंका के अधिकतम 100 शिक्षक प्रशिक्षकों ने व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। 2004-07 के दौरान शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, डिजाइन, पाठ्यक्रम विकास, शांति शिक्षा, मानव अधिकार, भौतिक विज्ञान, भाषा, महिला सशक्तिकरण और शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली

- वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों प्रणाली का भारत और श्रीलंका में परीक्षा के लिए पालन किया जाता है। जबकि, वार्षिक प्रणाली का केवल भारत और बांग्लादेश में पालन किया जाता था और पाकिस्तान में सेमेस्टर प्रणाली का पालन किया जाता था। सभी चार देशों में अंकन प्रणाली सिद्धांत और शिक्षण अभ्यास के लिए प्रचलित थी और ग्रेडिंग प्रणाली व्यावहारिक काम की परीक्षा के लिए प्रचलित थी।
- बाह्य और आंतरिक परीक्षा के आयोजन द्वारा सिद्धांत पाठ्यक्रमों में छात्र शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था। लिखित परीक्षा, मौखिक रूप से और समनुदेशन काफी हद तक परीक्षा के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। अभ्यास शिक्षण वास्तविक कक्षाओं में सबक योजनाओं के वितरण का मूल्यांकन अवलोकन और पर्यवेक्षण के द्वारा किया गया था। व्यावहारिक गतिविधियों का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समनुदेशन और परियोजनाओं के निर्माण पर आधारित है।
 1. भारत के प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक और छात्र शिक्षक, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कहा है कि बी.एड. कार्यक्रम के लिए एक वर्ष की अवधि बहुत कम है और यह एक साल से दो साल तक वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम के दौरान आवश्यक ज्ञान और कौशल छात्र शिक्षकों के मन में बैठ सके। इसके अलावा, श्रीलंका की तरह लंबी अवधि के एकीकृत कार्यक्रम भी बेहतर शिक्षक तैयार करने के लिए भारत में पेश किए जाएंगे।
 2. बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए और यह छात्रों की योग्यता के आधार पर कि जानी चाहिए। लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार के दाखिले की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
 3. प्रिंसिपल के कमरे, स्टाफ रूम, कॉमन रूम, कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय की जगह, प्रयोगशालाओं और शौचालय सहित भौतिक सुविधाओं को पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
 4. पुस्तकालय सेवाओं के सभी बी.एड. संस्थानों में नवीनतम पुस्तकें और पत्रिकाएं पर्याप्त संख्या के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अच्छी तरह से प्रशिक्षित लाइब्रेरियन नियोजित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय और पढ़ने के कमरे के लिए पर्याप्त जगह संस्थानों में प्रदान की जानी चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी पुस्तकालय में उपलब्ध होना चाहिए। पुस्तकालय की अन्य पुस्तकालयों के साथ नेटवर्किंग होना चाहिए।
 5. अच्छी तरह से योग्य संकाय सदस्यों सहित प्रधानाचार्यों, शिक्षक प्रशिक्षकों और तकनीकी स्टाफ स्वीकृत संस्था के लिए निर्धारित शक्ति के अनुसार नियुक्त किया

जाना चाहिए। उसी तरह, प्रशासनिक कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रचार नीतियों का नियमित आधार पर पालन किया जाना चाहिए।

6. स्कूल और अध्यापक शिक्षा संस्थान अलग अलग एकांत में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएसटीई पाठ्यचर्या और स्कूल के पाठ्यक्रम के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दोनों पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संपर्क और समन्वय होना चाहिए। आवृत्ति पीएसटीई पाठ्यचर्या में संशोधन करने के लिए कम से कम पांच साल की होनी चाहिए।
7. बी.एड. कार्यक्रम के दौरान, व्यावहारिक पहलुओं की तुलना में सिद्धांत के हिस्से पर अधिक जोर रखा गया था। बी.एड. कार्यक्रम में निधारित सभी सिद्धांत पत्रों को समनुदेशन और परियोजनाओं सहित व्यावहारिक काम करने के लिए जगह देनी चाहिए।

नोट

4.21 शिक्षा-व्यावसायीकरण का महत्त्व

- (1) **जीवन में पूर्णता लाने की भावना (Feeling of Fullness in Life)**—केवल सामान्य शिक्षा देने से व्यक्ति का एकांगी विकास होता है। व्यवसायीकरण द्वारा सामान्य शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा पाने वाले में पहले की अपेक्षा अधिक पूर्णता आती है। इसे प्राप्त करके व्यक्ति आत्म-निर्भर और रोजगार प्राप्त बन जाता है।
- (2) **रोजगार पाने की आशा (Hope for Getting Employment)**—सामान्य शिक्षा व्यक्ति को रोजगार नहीं देती, परन्तु व्यावसायीकृत शिक्षा व्यक्ति को जीविका (रोजगार) देती है।
- (3) **समाज और राष्ट्र में आर्थिक विकास (Economic Development in Society and Nation)**—हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव नहीं है। अभाव इस बात का है कि हमारे शिक्षित लोग देश के प्राकृतिक संसाधनों (Natural Resources) का विवेकपूर्ण उपयोग कर पाते। उन्हें यह तकनीक नहीं सिखायी जाती कि किसी प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग करके हम उत्पादन कैसे कर सकते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना सीख जाता है। इससे उत्पादन बढ़ता है और सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक विकास होता है।
- (4) **आत्म-निर्भरता का गुण आना (Creating a Sense of Self-dependence)**—शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी में आत्म-निर्भरता की भावना आने की सम्भावना होती है। विद्यार्थी पढ़ाई की अवधि में ही कुछ न कुछ अर्जित करने लगता है। इससे विद्यार्थी में आत्म-निर्भरता का गुण आ जाता है।
- (5) **कई मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि (Satisfaction of Many Psychological Tendencies)**—शिक्षा के व्यवसायीकरण से बालक की सृजनात्मक प्रवृत्ति (Instinct of Construction) तथा प्रदर्शन (Display) की प्रवृत्ति तथा अन्य विभिन्न रुचियों की सन्तुष्टि होती है।

बालक निष्क्रिय श्रोता (Passive Listener) नहीं रहता वह क्रियाशील होकर कुछ न कुछ करके ही सीखता है। इस प्रकार सीखी हुई बात उसके जीवन का अंग बन जाती है। अतः हमें सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे व्यवसाय रखने चाहिए जो बालक की विविध प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करें।

- (6) शारीरिक श्रम के प्रति आदर-भाव आना (Development of Feeling of Respect For Manual Work)—जब बालक कोई बात सीखता है तो व्यवसाय के माध्यम से उसे कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है। उसे अपने श्रम का पुरस्कार भी मिलता है। अतः वह श्रम के मूल्य को समझने लगता है, इससे उसमें शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होने लगता है।

4.22 व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति

अधिकांश शिक्षा आयोगों और समितियों ने यही सुझाव दिया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये। विदेशों में जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है, वहाँ न तो उच्च शिक्षा स्तर पर प्रवेश के लिए भीड़ है और न अधिक बेरोजगारी ही है। कोठारी आयोग 1964-66 ने यह बात स्पष्ट की है कि भारत के केवल 9 प्रतिशत बालक ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह अन्य देशों के छात्र-छात्रों की प्रतिशत से बहुत ही कम है। इसकी कमी के निम्नलिखित कारण हैं—

- (1) सरकार और जनता ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को गम्भीरता से नहीं लिया।
- (2) व्यवसायीकृत शिक्षा देने के लिए उपयुक्त और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिल सकें।
- (3) शिक्षा-विभाग कोई निर्देशन देने में सशक्त नहीं है कि पाठ्यक्रम में कितने व्यवसायों को किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है।
- (4) प्रशिक्षण महाविद्यालयों और स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। न प्रयोगशालाएँ हैं, न कार्यशालाएँ, न उपकरण हैं और न व्यवसाय में प्रशिक्षित अध्यापक ही हैं।
- (5) स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों ने समाज सेवा और शारीरिक श्रम के कार्यक्रमों की उपेक्षा की है। उच्च शिक्षा स्तर पर तो यह एकदम उपेक्षित है।
- (6) शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में श्रम-विभाग, उद्योग-विभाग और शिक्षा विभाग में कोई ताल-मेल नहीं है।
- (7) जनता स्वयं व्यवसायीकृत शिक्षा के प्रति उदासीन है, क्योंकि वह इसकी उपयोगिता को नहीं समझती।

4.23 शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए प्रयत्न

1952-53 के मुदालियर आयोग तथा 1964-66 के कोठारी आयोग ने यह संस्तुतियाँ दी थीं शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये, कम से कम माध्यमिक शिक्षा-स्तर तक शिक्षा को पूर्णतः व्यवसायीकृत करने की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं। इन्होंने सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायों की शिक्षा देकर कार्यानुभव को बढ़ाने की बात कही थी। परन्तु किसी भी आयोग या समिति की संस्तुतियों पर अमल करने का प्रयास नहीं किया गया। 1953 में कुछ बहुउद्देशीय विद्यालय (Multipurpose Schools) खोलने की योजना बनायी गयी थी, परन्तु धनाभाव में वह भी ठप्प हो गयी। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने गाँवों में ग्रामीण विश्वविद्यालय (Rural Universities) खोलने की योजना दी थी। उसे भी लागू नहीं किया। वर्धा शिक्षा-योजना के अन्तर्गत गाँधी जी ने बेसिक शिक्षा को कार्यान्वित

करने की बात पर बार-बार बल दिया था। उसे भी सफल नहीं बनाया जा सका। इस प्रकार सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए सफल प्रयास नहीं किया।

भारत सरकार ने कुछ परियोजनाओं (Projects) को पॉयलट प्रोजेक्ट (Pilot Projects) के रूप में चलाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ अध्ययन समितियों (Study Boards) की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इनकी संस्तुति सम्बन्धी रिपोर्ट 1970 में प्रकाशित हुई थी। विशेषज्ञों की एक समिति ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और कुछ जिलों और शिक्षा संस्थाओं को इन परियोजनाओं के संचालन हेतु चुना भी गया। परन्तु हुआ कुछ नहीं।

नोट

- (अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व किये गये प्रयत्न (Efforts Made Before Independence)–1882 ई. में शिक्षा का भारतीय आयोग गठित हुआ। उसे सुझाव दिया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को भी रखा जाये। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया। 1929 ई. में हार्टॉग समिति (Hartog Committee) का गठन किया गया जिसने सुझाव दिया कि मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक विषय (Industrial Subjects) तथा वाणिज्य विषय (Commerce Subjects) पढ़ाये जायें। इस पर खुले दिल से अमल नहीं हुआ। 1936-37 में वर्धा शिक्षा-योजना बनायी गयी और निर्णय लिया गया कि बेसिक शिक्षा-योजना को कार्यान्वित किया जाये। अतः बेसिक स्कूल खोले गये और प्रयास किया गया कि किसी के 'शिल्प' (Craft) के माध्यम से अन्य विषयों का अध्ययन सह-सम्बन्धित (Correlated) रूप में कराया जाये। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने एबॉट वुड समिति (Abbot Wood Committee) गठित की जिसने सुझाव दिया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्कूलों में व्यावसायिक विषय चलाये जायें।
- (ब) स्वतन्त्र भारत में प्रयास (Efforts in Independent India)–स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में शैक्षिक सुधार लाने के लिए बहुत सी समितियाँ और आयोग बने जिन्होंने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने के सुझाव प्रस्तुत किये। जैसे– 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग के सुझाव–1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसने संस्तुति दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालय (Rural Universities) खोली जाये जो गाँवों में कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। साथ ही साथ उसने मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोलने तथा कानून की शिक्षा देने की भी बात कही थी। 1952-53 के मुदालियर आयोग के सुझाव–1952-53 में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के सुधार हेतु सुझावों के लिए मुदालियर आयोग की स्थापना की गयी। इसके व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव इस प्रकार थे–
- (1) बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय (Multipurpose Schools) खोले जाये। इनमें छात्र-छात्राओं की रुचियों, अभिरुचियों, और आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावसायिक विषय पढ़ाये जाये। प्रचलित माध्यमिक स्कूलों की भी बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदला जाये। सभी व्यावसायिक विषयों को सात समूहों (Groups) में गठित किया जाये। सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो कि वह अपनी रुचि के अनुकूल किसी भी समूह से एक व्यावसायिक विषय अवश्य

पढ़े। प्रत्येक स्कूल में शैक्षिक निर्देशन (Educational Guidance) तथा व्यावसायिक निर्देशन (Vocational Guidance) की व्यवस्था भी हो।

- (2) प्रत्येक छात्र-छात्रा को उत्पादन (Production) का अवसर दिया जाये। पाठ्यक्रम बहुविकल्प वालक (Diversified) हो। इससे छात्र अपनी रुचि और क्षमता के शारीरिक श्रम वाले व्यवसाय को चुन सकेगा।
- (3) छात्रों को 'कृषि' में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा मिले। इसके अन्तर्गत पशुपालन (Animal Husbandary) पशुचिकित्सा विज्ञान (Vetrinary Science) मधुमक्खी पालन (Bee-keeping) आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी माने गये।
- (4) स्कूलों में तकनीकी शिक्षा (Technical Education) मिले। छात्र अपनी रुचि के किसी भी तकनीकी विषय को पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस शिक्षा के लिए धन की पूर्ति करने की दृष्टि से औद्योगिक कर (Industrial Tax) की व्यवस्था की जाये। केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दे और एक संघात्मक तकनीकी परिषद (Federal Technical Board) स्थापित की जाये तो इस शिक्षा को चलाये।

1964-66 के कोठारी आयोग के सुझाव—इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर कार्यानुभव (Work Experience) की शिक्षा देकर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया। उसने इस शिक्षा को दो स्तरों पर देने की बात कही—

- (अ) जूनियर माध्यमिक स्तर पर—जो विद्यार्थी मिडिल परीक्षा या जूनियर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लें उन्हें इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (I. T. I.) में प्रवेश दिया जाये। छात्रों की प्रवेश-आयु घटाकर 14 वर्ष कर दी जाये। इससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बालक भी लाभ उठा सकेगा। जो बालक घर के काम में लगे रहते हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अंशकालीन (Part Time) व्यवस्था की जाये। छात्र-छात्राओं को क्रमशः कृषि-उद्योग और गृह-विज्ञान (Domestic-Science) में प्रशिक्षण मिले।
- (ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर—जो बालक माध्यमिक कक्षा पास कर लें उन्हें बहुधन्वी विद्यालयों (Polytechnical Institutions) में भर्ती करने की व्यवस्था की जाये। इन विद्यार्थियों के लिए यदि वे नियमित (Regular) रहकर शिक्षा प्राप्त न कर सकें, पत्राचार (Correspondence) और अंशकालीन (Part Time) व्यवस्था से विविध व्यवसायों की शिक्षा दी जाये। ये पाठ्यक्रम 3 माह से 6 माह तक के हो सकते हैं।

पत्राचार और अंशकालीन व्यवस्था से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ समितियों (Seprate Committees) और उप समितियाँ (Sub-Committees) बनायी जाये जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हों। पहले हमें विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक मानव-शक्ति (Man Power) का सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि अमुक क्षेत्र में कितने व्यक्ति और चाहिए। ताकि यह जाना जा सके कि अमुक क्षेत्र में कितने व्यक्ति और चाहिए। उतने ही व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। इस सम्बन्ध में उन औद्योगिक संस्थाओं (थपतडे) से भी परामर्श लिया जाये जो भविष्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अपने यहाँ काम दे सकते हों।

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दे। इसी प्रकार की आर्थिक सहायता से संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश माध्यमिक विद्यालय व्यवसायीकृत हो गये हैं।

कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा की सभी सुविधाएँ चलती रहें। प्रशिक्षार्थियों का अर्द्धकुशल (Semi- Skilled) और कुशल (Skilled) दो वर्गों में बाँटकर शिक्षा दी जाये। इन संस्थाओं की संख्या बढ़ायी जाये। निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जाये।

हम अभिभावकों और छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करें। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम रोचक बनाये जाये। स्कूलों में शैक्षिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशन (Guidance) की स्थापना करे। जिसमें छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग निर्देशन मिल सके।

नोट

4.24 शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्याएँ

मुख्य समस्याएँ

- (1) शिक्षा के स्वरूप और संगठन की समस्या—व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्वरूप (Form) हो और उसे कैसे संगठित (Organized) किया जाये यह महत्वपूर्ण समस्या है।
- (2) पाठ्यक्रम के संगठन की समस्या—विविध रुचियों के किन-किन व्यवसायों के पाठ्यक्रम में संगठित किया जाये, कैसे संगठित किया जाये यह भी कम महत्वपूर्ण समस्या नहीं है।
- (3) अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या—हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो सामान्य शिक्षा के विषयों को व्यवसाय के साथ-साथ समन्वित करके पढ़ा सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह योजना बहुउद्देशीय विद्यालयों की भाँति ठप्प हो जायेगी।
- (4) निर्देशन-सम्बन्धी (Instructional) प्रक्रियाओं में परिवर्तन की समस्या—व्यवसायीकृत शिक्षा के लिए समन्वित (Integrated) प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में व्यवसाय एक केन्द्रीय विषय होता है और अन्य सामान्य विषय उससे जुड़े होते हैं। केन्द्रीय व्यवसाय के माध्यम से सामान्य विषयों को पढ़ाना होता है। जो विषय व्यवसाय के माध्यम से नहीं पढ़ाये जा सकते उन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ाया जा सकता है।
- (5) कार्यशाला, प्रयोगशाला एवं उपकरण-सम्बन्धी समस्या—सभी व्यवसायीकृत स्कूलों में कार्यशाला (Work- shop), प्रयोगशाला (Laboratories), तथा सम्बन्धित उपकरणों (Equipments) की आवश्यकता होती है।
धनाभाव के कारण इनकी व्यवस्था अधूरी रह जाती है।
- (6) प्रवेश के समय छात्र के लिए व्यवसाय चयन की समस्या—छात्र को प्रवेश के समय व्यवसाय चुनना कठिन होता है। इसके लिए व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जाये जो छात्र का अभिरुचि परीक्षण ले और विषय चुनने में सहायता करे।
- (7) प्रशासन और नियन्त्रण की समस्या—इस शिक्षा के प्रशासन ओर नियन्त्रण के लिए शिक्षा-विभाग, श्रम-विभाग, उद्यम-विभाग, कृषि-विभाग सहयोग करें। अकेले शिक्षा-विभाग इसका प्रशासन और नियन्त्रण नहीं चला सकता।

नोट

आज के शिक्षक को यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में उसको क्या भूमिका निर्वाह करना है? यद्यपि उसे समाज-सुधारक का शिल्पी एवं सामाजिक संरचना में वांछित परिवर्तन लाने वाला कहा जाता है। हमारे संविधान में सबको बराबर शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त करने की बात स्पष्ट नहीं है और इसके लिए हमें अपने प्रशिक्षण कॉलेजों में शिक्षकों को इस बात की जानकारी देनी होगी, जिससे कि सम्पूर्ण समाज को संविधान में दिये गये प्राविधानों का उचित लाभ मिल सके।

अध्यापक की भागीदारी की अवधारणाओं में भी परिवर्तन हुआ है। अगर अधिगम की सफलता अधिगम से व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसके परिणाम का मूल्यांकन किया गया तो आज के शिक्षक को कल का आचार्य बनना पड़ेगा। एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं है, उसे अधिगम का निर्देशक भी बनना है, तथा संस्कृति का प्रचारक भी बनना है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जोकि उस प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि वह अपने शिष्यों से चाहता है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना लचीला हो कि वह साधारण तथा सृजनात्मक शिक्षकों, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वास्तव में हम अपने सभी शिक्षकों से कक्षा से सृजनात्मक कार्य करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारी कक्षाओं में आज भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच रहा है। इसीलिये हमें समाज के विभिन्न स्तरों से बहुआयामी योग्यता वाले शिक्षकों को खोज निकालना होगा। अनेक संस्थायें अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने में लगी हैं। भारतीय अध्यापक शिक्षक संघ, इसकी मूल संस्थायें तथा प्रमुख विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा आयोग की कार्यसमिति भी इस काम में लगी हुई है। फिर भी अधिकांशतः का यह मानना है कि यह कार्यक्रम अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। इसलिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक-शिक्षा संघ ने विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर इस कार्य को करने की कोशिश की है।

भारत की आजादी के बाद, व्यक्तिगत विशेषज्ञों और व्यावसायिक निकायों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक नया पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकी, संचार कौशल के महत्व को समझने से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) दोनों बी.एड. और एम.एड. स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता प्राप्त तकनीकों पर एक अलग विषय की शुरुआत की कर रही है। कम्प्यूटर एज्युकेशन, कम्पनिकेटिव अंग्रेजी, व्यक्तित्व विकास भी बीएड स्तर में पेश कर रहे हैं। अब हम आतंकवाद, गरीबी, और उच्च जनसंख्या की तरह कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम इस प्रकार का पाठ्यचर्या चाहते हैं जो शांति, अहिंसा, सकारात्मक रवैय और समाज के मूल्यों को बेहतर बनाता है। शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यचर्या में इन मुद्दों को पैदा करके, हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रारूप शिक्षक शिक्षा के अलग अलग स्तर पूर्व मुख्य, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर मूलाधार पाठ्यक्रम में जो होते हैं उनसे अलग पर आधारित होता है जिसमें शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का लक्ष्य (2009) शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की वैचारिक समझ है, इसकी काफी चिंताएं हैं जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रासंगिक है इसलिए

शिक्षक सिर्फ केवल शिक्षण की नौकरी के छोटे अभ्यास के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि यह लोगों को बनाने के परिप्रेक्ष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है जो अपने दिमाग को विविध स्थितियों में लागू कर सकता है जो उसने शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया है।

भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा की तैयारी के लिए जिम्मेदार थे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षा के विश्वविद्यालय श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः के लिए जिम्मेदार थे।

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय सभी देशों में शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। 2009 से 2002 के दौरान, बी.एड. पाठ्यचर्या और विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम छात्र शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और विभिन्न संस्थाओं के प्रिंसिपलों की प्रतिक्रिया को एकत्र करने के आधार पर सभी देशों द्वारा संशोधित किया गया था।

स्कूल और अध्यापक शिक्षा संस्थान अलग अलग एकांत में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि, पीएसटीई पाठ्यचर्या और स्कूल के पाठ्यक्रम के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दोनों पाठ्यक्रम में घनिष्ठ संपर्क और समन्वय होना चाहिए। आवृत्ति पीएसटीई पाठ्यचर्या में संशोधन करने के लिए कम से कम पांच साल कि होनी चाहिए।

नोट

4.26 अभ्यास-प्रश्न

1. अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
2. कोठारी कमीशन द्वारा दी गई संस्तुतियाँ एवं सुझावों का वर्णन करें।
3. एक सफल अध्यापक के निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सुझाव दीजिए।
4. आप एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम से क्या समझते हैं?
5. शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं?
6. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (2009) के संदर्भ के साथ शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास को समझाओं।
7. (एनसीएफटीई 2009) के अनुसार शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के बारे में सुझावों का वर्णन करें।
8. शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के इतिहास और विकास की व्याख्या करें।
9. स्कूल संपर्क और उसकी मांगें क्या बदल रहा है?
10. वर्तमान शिक्षक शिक्षा योजना समझाओ।
11. समावेशी शिक्षा क्या है और कैसे यह शिक्षक शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है?
12. शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या अर्थ है? इसका हमारे जीवन में क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिए।

13. हमारे देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में क्या-क्या सुझाव प्रस्तुत किये गये?
14. शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इन्हें कैसे हल किया जा सकता है?

नोट

4.27 संदर्भ पुस्तकें

- शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार, माथुर, एस.एस., विनोद पुस्तक मंदिर।
- समावेशी शिक्षा: अध्ययन और शिक्षण: सुजान ई. उतारा.पाम स्चुक्ज, लॉरेस अर्लबाम एसोसिएट्स।
- अध्यापक शिक्षा में मुद्दे और समस्याएं: बर्नाडेट रॉबिन्सन।
- अध्यापक शिक्षा: आर्थर एम.कोहेन, फ्लोरेन बी.ब्रवेर, पाम स्चुक्ज, लॉरेस अर्लबाम एसोसिएट्स।
- अध्यापक शिक्षा— डॉ. एन. के. शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अध्यापक शिक्षण— डॉ. शिव कुमार उपाध्याय/डॉ. प्रदीप कुमार, नवराज प्रकाश, दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ— सरयू प्रसाद चौबे / अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- भारत में शिक्षा का विकास— सुरेश भटनागर / संजय कुमार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।

अनुप्रयुक्त शोध और शिक्षक शिक्षा

नोट

(Structure)

- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 प्रस्तावना
- 5.3 अन्तः अनुशासन उपागम
- 5.4 शिक्षण में इण्टर्नशिप
- 5.5 सामुदायिक जीवन
- 5.6 अभिविन्यास-पाठ्यक्रम
- 5.7 पत्राचार पाठ्यक्रम
- 5.8 क्रियात्मक अनुसन्धान
- 5.9 सूक्ष्म-शिक्षण
- 5.10 अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण
- 5.11 अन्तःक्रिया विश्लेषण
- 5.12 समूह शिक्षण
- 5.13 अभिक्रमित अनुदेशन
- 5.14 जनसंख्या शिक्षा
- 5.15 जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य
- 5.16 शिक्षक प्रभावशीलता
- 5.17 शिक्षक प्रभावशीलता का अर्थ एवं परिभाषा
- 5.18 प्रभावशाली शिक्षक के गुण
- 5.19 शिक्षक प्रभावशीलता का मापन
- 5.20 शिक्षक-प्रभावशीलता के मानदण्ड
- 5.21 सूक्ष्म-शिक्षण का विकास
- 5.22 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएँ
- 5.23 अनुकरणीय शिक्षण की अवधारणा
- 5.24 अनुकरणीय-शिक्षण की प्रक्रिया
- 5.25 अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएँ
- 5.26 अनुकरणीय शिक्षण के लाभ
- 5.27 सारांश
- 5.28 अभ्यास-प्रश्न
- 5.29 संदर्भ पुस्तकें

5.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे—

- अध्यापक शिक्षा में शोध की नवीन प्रकृति से परिचित होंगे;
- अनुकरणीय शिक्षण के उद्देश्य एवं उसकी प्रक्रिया से परिचित होंगे;
- अनुकरणीय शिक्षण के लाभ एवं उसकी सीमाओं को समझ सकेंगे।

नोट

5.2 प्रस्तावना

बी. ओ. स्मिथ के अनुसार “सैद्धान्तिक रूप में प्रकाशित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि सैद्धान्तिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक परिमार्जित प्रत्ययों को अपने शिक्षण की क्रिया में प्रयोग करता है जिन्हें वह अध्यापन कला और अनुशासन से सीखता है या अध्यापन क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु सैद्धान्तिक रूप से अप्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण की क्रियाओं को अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर करेगा जिन्हें उसने अपने अनुभव से प्राप्त किया है।” इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपनी शिक्षण की क्रियाओं का सम्पादन करता है उसे उनका कारण एवं प्रभाव विदित होता है। अप्रशिक्षित अध्यापक भी अपने शिक्षण में वहीं क्रियायें करता है परन्तु उसे उनके कारण और प्रभाव की जानकारी नहीं होती। अस्तु, प्रशिक्षण में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों एवं अभ्यास का ज्ञान देना आवश्यक है जिनके प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस अध्याय में अध्यापक शिक्षा में आवश्यक इन्हीं वर्तमान प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्य प्रशिक्षण-प्रविधियों की भाँति अनुकरणीय शिक्षण भी एक प्रशिक्षण प्रविधि है। इसका प्रयोग शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये किया जाता है। इसे अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण (Simulated Social Skill Teaching) भी कहा जाता है।

अनुकरणीय शिक्षण का प्रयोग कक्षा-शिक्षण के अभ्यास से पहले किया जाता है। यह प्रविधि एक भूमिका अभिनीत (Role-Playing) करने की प्रविधि है। छात्र-अध्यापक (चचपस जम्बीमते) इस प्रविधि के अन्तर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही कार्य करते हैं। कक्षा में एक छात्र-अध्यापक बन जाता है और शेष छात्र-अध्यापक ‘विद्यार्थी’ की भूमिका निभाते हैं। इस प्रविधि में भी सूक्ष्म-शिक्षण की तरह छोटे प्रकरण (Small Topics) का शिक्षण किया जाता है तथा उसका अभ्यास किया जाता है। इस प्रविधि में भी शिक्षण-अवधि 10-15 मिनट की होती है। इस शिक्षण अवधि के पश्चात् शिक्षण-विधि तथा शिक्षण-युक्तियों पर बहस होती है। इसके पश्चात् जिस छात्र-अध्यापक ने शिक्षक की भूमिका निभाई होती है वह अन्य छात्रों के साथ बैठकर विद्यार्थियों की भूमिका निभाता है। अन्य कोई छात्र-अध्यापक शिक्षक बनकर शिक्षण-कार्य करता है। दस-पन्द्रह मिनट के शिक्षण-कार्य के पश्चात् किया गया वाद-विवाद छात्र-अध्यापकों के लिये पृष्ठ-पोषण (थम्मक ठंबा) का कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षण ऐच्छिक व्यवहार (Desirable Behaviours), कृत्रिम कक्षा-कक्ष (Artificial Classroom) में भूमिका अभिनीत (Role Playing) करके अर्जित किये जा सकते हैं। इस विधि द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में सीखे गये शिक्षण-कौशलों का प्रयोग वास्तविक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान प्रयोग में लाया जाता है।

5.3 अन्तः अनुशासन उपागम

अन्तः अनुशासन उपागम के निर्माण में क्षेत्रीय विद्यालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक-शिक्षा के गुणात्मक स्वरूप को सुधारने के लिए क्षेत्रीय विद्यालयों के द्वारा चार वर्ष का अध्यापक-शिक्षा पाठ्यक्रम दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं व्यापक-पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जोकि उत्तम प्रकार की अध्यापक शिक्षा जैसे-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, एक या दो विषय में विशिष्ट शिक्षा, विद्यालय में प्रशिक्षण शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं। वर्तमान कुछ वर्षों में ज्ञान के अभूतपूर्व प्रादुर्भाव ने अध्यापक शिक्षा के लिये नवीन मांगों को जन्म दिया है। क्षेत्रीय विद्यालय में, ज्ञान के आधुनिक विकास को अत्यन्त योग्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ाया जाता है। अध्ययन विद्या के विशेषज्ञों के द्वारा, शिक्षण के प्रकार में आधुनिक विकास को पढ़ाया जाता है।

नोट

5.4 शिक्षण में इण्टर्नशिप

भारत में शिक्षण के अभ्यास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण योग्यताओं के प्रयोगात्मक कार्य इसके महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम भावी शिक्षकों में वास्तविक अनुभव एवं पढ़ाने के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि करता है, किन्तु शिक्षण विधि में अपनाई जाने वाली विधियाँ एवं आदर्श लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। कुछ शिक्षाशास्त्री केवल अभ्यास शिक्षण की समस्याओं की ओर ही ध्यान-केन्द्रित करते हैं। शिक्षण में इण्टर्नशिप अभ्यास विधि में सुधार करती है। इस कार्यक्रम में अभ्यास शिक्षण तथा निर्देशित क्षेत्र अनुभवों का समायोजन है। इसमें प्रतिष्ठित विद्यालयों का चुनाव किया जाता है। शिक्षार्थी सावधानीपूर्वक अभ्यास शिक्षण को निर्देशित करते हैं। शिक्षण में इण्टर्नशिप का प्रयोग इस तरह किया जाता है जो भावी शिक्षक को प्रयोगशाला अनुभव की तरह का वह ज्ञान दे सके तथा जो उसे स्कूल की सम्पूर्ण परिस्थितियों में एक शिक्षक के रूप में व्यावसायिक श्रेष्ठता देने में समर्थ हो। शिक्षार्थी को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी के अवसर दिये जाते हैं जो व्यावहारिक होते हैं तथा जिनके द्वारा स्कूल समुदाय से उनकी पहचान-भावना होती है। उसे सभी कार्यों और उत्तरदायित्वों में भागीदार बनाया जाता है। उसे स्थायी शिक्षक की भाँति विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उसे शिक्षार्थी तथा अध्यापक के दोहरे कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है।

इण्टर्नशिप अवधि की गतिविधियाँ

- (i) **कक्षाओं का निरीक्षण**—आरम्भ में कुछ दिनों में उसे अपने क्षेत्र की सभी कक्षाओं का अवलोकन करना होता है, ताकि वह स्कूल के पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम की विषय जानकारी प्राप्त कर सके।
- (ii) **अभ्यास शिक्षण**—उसे अन्य सहयोगी शिक्षकों से भी जानकारी प्राप्त करनी होती है ताकि वे सहयोग से कार्य कर सकें। वह साथी शिक्षकों से मन्त्रणा, सुझाव एवं परामर्श प्राप्त करता है। पाठ योजना बनाने, शिक्षण पद्धति तथा अन्य दैनिक गतिविधियों को क्रम देने के लिये, विद्यालयों के निरीक्षकगण सहायतार्थ आते रहते हैं तथा शिक्षार्थी इन निरीक्षकगणों से अपने कार्य में और अधिक सुधारों हेतु सझावों पर विचार-विमर्श करते हैं।
- (iii) शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है, कि वह विद्यालयों से शिक्षा के दर्शन, पाठ्यक्रम, संगठन तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करे ताकि उसके मस्तिष्क में एक सम्पूर्ण

नोट

5.5 सामुदायिक जीवन

सामुदायिक जीवन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं—

- (i) सामुदायिक आवास जिसको छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने से प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) कमरों की सफाई एवं व्याख्यान कक्षों के रख-रखाव से सामुदायिक रूप से क्षेत्र की सफाई होती है।
- (iii) आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के खेलों का प्रबन्ध।
- (iv) मनोरंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन।
- (v) सहकारिता के आधार पर भोजनालयों का संचालन।
- (vi) अध्ययन हेतु सुनिश्चित समय के लिये अध्ययन मण्डलों का संचालन, प्रबन्धन तथा इनसे प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण।

5.6 अभिविन्यास-पाठ्यक्रम

इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (i) छात्रों को उनके शिक्षण कार्यक्रमों की प्रकृति, क्षेत्र एवं उनकी महत्ता की जानकारी प्राप्त करना।
- (ii) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उन्हें दायित्वों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना।
- (iii) विशेष अध्ययन हेतु उनको चुने हुये अध्ययन विषय की जानकारी देना।
- (iv) उनको, उनके सहपाठियों तथा परामर्शदाताओं से सुपरिचित एवं सुसम्बन्धित करना।

अभिविन्यास पाठ्यक्रम के आयोजन की अवधि चार से छः दिवस तक होती है। इस अवधि का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है। इस समस्त कार्यक्रम का पाठ्यक्रम अग्रिम रूप से तैयार करके छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों के नेतृत्व में सामूहिक विचार-विमर्श एवं विचारों के आदान-प्रदान द्वारा सम्पन्न होता है।

5.7 पत्राचार पाठ्यक्रम

आज विश्व के अनेक देशों में पत्राचार पाठ्यक्रम का विभिन्न व्यावसायिक समूहों द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे पत्राचार पाठ्यक्रम का शुभारम्भ करने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विशेषज्ञों का एक अध्ययन समूह बनाया जिसने सन् 1964 में प्रशिक्षण विद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने की संस्तुति की। देश के चार शिक्षा महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली

ने पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रयोग का साहसिक कार्य अपने हाथों में लिया है, जिसमें दो ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम रखे गए जिनकी अवधि दो माह की रखी गयी।

अनुप्रयुक्त शोध और
शिक्षक शिक्षा

5.8 क्रियात्मक अनुसन्धान

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार के लिये क्रियात्मक अनुसन्धान बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। “धारवाड़” विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने छात्र अध्यापकों के पाठ्यवस्तु के ज्ञान में सुधार हेतु तथा उनकी वर्तमान अध्यापन क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने हेतु एक अग्रगामी अध्ययन किया, जिसके कुछ निष्कर्ष अधोलिखित हैं—

- (i) छात्र अध्यापकों के पाठ्यवस्तु के ज्ञान में सुधार के लिये अल्पकालीन विचारगोष्ठी, वाद-विवाद तथा कार्यशाला सहायक सिद्ध होंगे।
- (ii) प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण विधियों से परिचित कराना एवं कौशलों के प्रदर्शन तथा आरम्भ में पुनराभ्यास उनके-शिक्षण कौशल में उतना सुधार नहीं ला पाते जितना कि सामान्य अभ्यास।
- (iii) आत्ममूल्यांकित परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि इन विधियों द्वारा सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित की जा सकती है।

5.9 सूक्ष्म-शिक्षण

ऐलन एवं ईव (1968) के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, तथा नियन्त्रित दशाओं में शिक्षण का अभ्यास किया जाता है। एक समय में एक ही कौशल में निपुणता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक स्थितियों में कक्षा शिक्षण है। इससे कक्षा का आकार, पाठ की लम्बाई तथा शिक्षण कौशल सीमित होते हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण में प्रयोग करने पर सूक्ष्म शिक्षण को कक्षा शिक्षण का लघु रूप कहा जाता है। एक सरलीकृत नियन्त्रित अभ्यास है जिसमें तीन से पन्द्रह मिनट तक का समय होता है, और कक्षा में तीन से दस छात्र होते हैं।

यहाँ छात्र वास्तविक कक्षा में होते हैं, शिक्षण वास्तविक होता है लेकिन परिवेश संरचित होता है। इसमें अग्रलिखित सोपानों का अनुकरण किया जाता है—

- (i) शिक्षण-पाठ्यवस्तु की लघु इकाई का अल्पकाल में छोटी कक्षा में शिक्षण।
- (ii) चर्चा-सुधार के लिए सुझाव।
- (iii) उसी पाठ इकाई का दूसरे लघु समूहों पर पुनर्शिक्षण।
- (iv) जब तक कि वांछित व्यवहार प्राप्त नहीं हो जाते चर्चा-उपलब्धि के पदों में पुनर्सुझाव।

सूक्ष्म शिक्षण के लाभ—

- (i) सरलता—यह एक सरल उपागम है। इस विशेषता के कारण इसे घटक कौशल उपागम के नाम से भी जानते हैं।
- (ii) सुविधायुक्त एवं नियन्त्रित अनुसन्धान यन्त्र—यह एक सुविधापूर्ण अनुसन्धान यंत्र है, जिसमें वांछित मूल तत्त्वों को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है, दूसरे तत्त्वों की

नोट

भाति इस चर को नियन्त्रित किया जा सकता है, और उसे सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में पुनः उत्पन्न किया जा सकता है।

- (iii) **कम खर्चीला**—यह एक कम खर्चीली विधि है जो कर्मचारियों के समय को बचाती है और अभ्यास की प्रभावशीलता में वृद्धि करती है।
- (iv) **सुन्दर मूल्यांकन**—इसके द्वारा अध्यापक के मूल्यांकन की नयी सभ्यताओं का पता चलता है तथा शिक्षण में उत्तम अभिलेख, प्रमापीकृत दशाओं एवं क्षमताओं को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- (v) **व्यक्तिगत उपागम**—प्रत्येक छात्र अध्यापक शिक्षण के वांछित कौशल को इस उपागम के द्वारा अपनी गति को प्राप्त करता है।
- (vi) **उत्तम उपचारात्मक एवं निदानात्मक यन्त्र**—सूक्ष्म शिक्षण में छात्र-अध्यापक की कमियों को खोजकर उसे दूर किया जा सकता है।

शोध की नवीन प्रवृत्तियों में अन्तःक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत अध्यापक द्वारा कक्षा में मौखिक कार्यों के प्रारूप के संदर्भ में कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए।

5.10 अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण

फिलिप डब्ल्यू. परड्यू के अनुसार “अनुकरणीय शिक्षण एवं निरीक्षण का सम्पादन नियमिति कक्षाओं में नहीं होता। इसके अन्तर्गत अध्यापन स्थिति के नये माध्यम जैसे—श्रव्य या दृश्य, टेप एवं फोटोग्राफी तथा सूक्ष्म शिक्षण के वीडियो प्रयोग किये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत परम्परावादी शिक्षण उपागम को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें कालेज के विद्यार्थी अपने ही सहपाठियों को कक्षा 10 के विद्यार्थी की तरह पढ़ाते हैं।

अनुकरणीय प्रशिक्षण के लाभ

- (i) प्रयोगशाला अनुभवों के पूरक के रूप में—यह प्रविधि शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिये केवल अनुसन्धान के लिये ही रुचि का विषय नहीं है बल्कि इसे प्रयोगशाला-अनुभवों के समृद्धिपूरक रूप में भी लिया जा सकता है।
- (ii) पुनर्अभ्यास के अवसर प्रदान करता है—ये प्रविधियाँ शिक्षण के पूर्व की क्षमताओं को बढ़ाने में प्रयोग होती हैं ये विद्यालयी शिक्षण के पूर्व अध्यापक को प्रायोगिक अनुभव प्रदान करती हैं।

5.11 अन्तःक्रिया विश्लेषण

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की कक्षा अन्तःक्रिया को लक्ष्य बनाकर उसे विश्लेषित करने एवं उसका गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है।

इस क्षेत्र में दीर्घकालीन ठोस कार्यक्रम नैड ए. फिलेण्डर्स के नेतृत्व में विकसित किया गया। फिलेण्डर्स ने अपने अध्ययन में पाया कि निम्न उपलब्धि वाली कक्षाओं की तुलना में उच्च उपलब्धि की कक्षाओं में अध्यापक के मौखिक कार्य अलग थे।

अन्तः क्रिया विश्लेषण के लाभ

1. यह एक उद्देश्यपूर्ण खोजी विधि है जिसके द्वारा अन्तःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है।
2. इसे सूक्ष्म शिक्षण के सन्दर्भ में प्रयोग करके अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है।
3. इसका सेवाकालीन अध्यापकों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु प्रयोग होता है।
4. इसे पृष्ठ-पोषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. इसके द्वारा आत्मप्रत्यय का निर्माण एवं उचित स्वः मूल्यांकन होता है।

5.12 समूह शिक्षण

इसे सहकारी शिक्षण भी कहा जाता है। यह तब आरम्भ होता है जब एक से अधिक अध्यापक मिलकर योजना का निर्माण करते हैं और उसे विद्यार्थियों के एक ही समूह पर प्रशासित करते हैं चाहे वह विद्यार्थी किसी भी स्तर के क्यों न हों।

समूह शिक्षण के अन्तर्गत कई संगठनात्मक विचार प्रचलित हैं, समूह शिक्षण दो प्राथमिक शिक्षकों को मिला करके चालीस-पचास विद्यार्थियों के निर्देशन तैयार करने में हो सकता है। दूसरी ओर वह अध्यापकों द्वारा तैयार 200 विद्यार्थियों के लिये भी हो सकता है। टीम के लिये अध्यापकों का कार्य कई भूमिकाओं और विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। टीम भूमिका में टीम का नेता मुख्य अध्यापक, अंशकालीन अध्यापक, अध्यापक की सहायता करने वाली सामग्री एवं टीम क्लर्क सम्मिलित होते हैं।

समूह शिक्षण के लाभ

एण्डरसन (1966) ने समूह शिक्षण की सात विशेषतायें मानी हैं जिन्हें समूह शिक्षण के लाभ के रूप में माना जा सकता है—

- (i) शिक्षण कार्य में विशेष योग्यता।
- (ii) छात्रों को उपसमूहों में बांटने में लचीलापन।
- (iii) स्कूल संसाधनों का प्रभावी प्रयोग।
- (iv) व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक लोगों को पूरक शिक्षक के रूपमें कार्य करने की सुविधा।
- (v) संसाधनों एवं तकनीकी के प्रयोग की विस्तृत सम्भावनायें।
- (vi) प्रशिक्षणार्थियों एवं नये अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुविधा।
- (vii) समूह सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि।

5.13 अभिक्रमित अनुदेशन

यह अधिगम विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी विधि है जिसने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आजकल विद्यालयी विषयों के शिक्षण, शैक्षिक सांख्यिकी एवं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप कुछ अच्छे कार्यक्रम विकसित हुये हैं जिनसे छात्राध्यापक लाभान्वित हो सकता है।

नोट

- (i) इस में छात्र क्रियाशील रहते हैं और अपनी योग्यतानुसार आगे बढ़ते हैं।
- (ii) इसमें प्रभावी अधिगम के लिये सभी प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है।
- (iii) इसमें अधिगम प्रभावी, सुखदायी एवं स्थायी होता है।
- (iv) इसका प्रयोग घर पर अध्ययन में किया जा सकता है। जिससे संशोधन कार्यक्रम में लगन वाले अध्यापक का समय बच जाता है।
- (v) इससे अधिगम तीव्र गति से, निश्चित एवं अधिक गहन होता है।

5.14 जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा पूर्णतया नवीन क्षेत्र है। इसमें मूल्यों और दृष्टिकोणों का विशेष ज्ञान एवं सूचनाओं तथा शिक्षकों का समावेश है। इसके अनुसार, व्यक्ति एवं राष्ट्र की भलाई हेतु, छोटे परिवार के आदर्श से संतुष्ट होना अत्यावश्यक है। आजकल अध्यापक शिक्षण में एक सुनियोजित परिवार से सम्बन्धित दृष्टिकोण का विकास अनिवार्य रूप से हो गया है ताकि वे अति जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के प्रति जागरूक रह सकें।

जनसंख्या शिक्षा का महत्त्व

1. जनसंख्या शिक्षा से शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम में समावेश द्वारा भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ का विकास होगा तथा इसे छात्रों में भी विकसित किया जा सकेगा। शिक्षकों में जनसंख्या शिक्षा प्रत्यय इस प्रकार उत्पन्न किया जाना चाहिये कि वे परिवार सीमित रखें क्योंकि यह परिवार तथा देश की आर्थिक प्रगति हेतु आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। यह भावना एवं दृष्टिकोण विद्यार्थियों में भी विकसित किया जाना आवश्यक है।
2. जनसंख्या शिक्षा सामाजिक बदलाव एवं सामाजिक नियन्त्रण का एक सशक्त हथियार है। इसके द्वारा सामाजिक बदलावों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—
 - (i) व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसायों का परित्याग कर रहे हैं। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया है।
 - (ii) महिला एवं पुरुष दोनों के ही कार्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत रहने से बच्चों की देखभाल की समस्या उत्पन्न हुई है। उसने सामाजिकरण की समस्या ने भी जन्म लिया है। इस समस्या के हल हेतु शिक्षा में किण्डरगार्टन एवं नर्सरी स्कूल पद्धति का विकास हुआ है।
 - (iii) भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्रगामी है। वर्तमान समय में भारत की आबादी लगभग सवा अरब है। इससे आर्थिक स्तर एवं देश की प्रगति में निश्चित रूप से अवरोध उत्पन्न होंगे। शिक्षकों को जनसंख्या नियन्त्रण के गम्भीर एवं दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के निर्वाह के लिये आगे आना होगा।

इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा दी जाने की महत्ता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। शिक्षक को विद्यार्थियों में इसके प्रति सजग एवं प्रबल भावनायें एवं दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक को जनसंख्या शिक्षा के विषय में प्रशिक्षित किया जाये।

अध्यापकों द्वारा जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम में जनसंख्या की गतिशीलता, परिषद् जीवन, संतानोत्पत्ति की जानकारी नई युवा पीढ़ी को दी जानी चाहिए।

5.15 जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य

जनसंख्या शिक्षा को मानव विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हुए डा. वी. के. आर. वी. राव. ने लिखा है, “जनसंख्या शिक्षा को अंकों का निबन्ध अथवा परिमाणात्मक ही नहीं समझा जाना चाहिये। जनसंख्या का गुण ही अधिक अर्थ रखता है। उत्थान के कारण के रूप में और उसके उस विकास के फलस्वरूप प्राप्त अन्तिम उद्देश्य के रूप में संख्याओं के प्रभाव को देखा जाना चाहिये, उस सन्दर्भ में जिनका प्रभाव अवनति अथवा उन्नति पर पड़ता है। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक रूप से मानव संसाधन विकास से जुड़ी है, अतः जनसंख्या शिक्षा केवल जनसंख्या जागरूकता से ही सम्बन्धित नहीं है किन्तु इसके नित्यप्रति विकसित हो रहे मूल्यों एवं धारणाओं से गहरा विकास तथा राष्ट्रीय विकास के मध्य सम्बन्धों का निर्धारण करती है। वह उस जानकारी को विकसित करती है जो व्यक्ति के जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में लिये गये व्यक्तिगत निर्णयों से उत्पन्न होती है। जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम में जनसंख्या की गतिशीलता, पारिवारिक जीवन, संतानोत्पत्ति की जानकारी, नई पीढ़ी को दी जानी चाहिये। उसे यह भी बतलाना चाहिये कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य दूसरे सदस्यों को प्रभावित करते हैं। यह जनसंख्या शिक्षा का नैतिक और नीतिशास्त्रीय लक्ष्य है। इसी के साथ इसका सूचनात्मक एवं विचारात्मक लक्ष्य सम्बन्धित है। टेलर ने जनसंख्या शिक्षण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों के मध्य अभिप्रेरणात्मक सम्बन्धों पर बल दिया है। उसके अनुसार जनसंख्या शिक्षण की समस्यायें दोहरी हैं। प्रथम इसका अभिप्रेरणात्मक होना अर्थात् व्यक्तियों के परिवार नियोजन अपनाने की प्रेरणा देना तथा दूसरे इसका अनुदेशात्मक होना अर्थात् लोगों को जनसंख्या समस्या के तथ्यों से परिचित करना, इससे सम्बन्धित परिणामों की जानकारी देना एवं इसके निदानार्थ सम्भावित विकल्प सुझाना।

के. एस. राव का विचार है कि जनसंख्या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की निर्णयक्षमता समाज की भलाई के लिये कार्यरत होती है। राव के शब्दों में, “जनसंख्या शिक्षण को उस लक्ष्य की भाँति परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य सुविस्तृत तरीके से एक ऐसे सामाजिक क्रम को निर्मित करना है जिसमें गुण की विशेषता तथा आर्थिक न्याय सम्मिलित होकर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो तथा विचारों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के अनुसार इस प्रत्यय को स्थापित करे कि मानव अपने व्यक्तिगत कार्यों द्वारा अपने परिवार तथा देश को नियन्त्रित रख सकता है।”

यौन शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन शिक्षा दोनों को जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाये। जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या के बारे में ज्ञान की वृद्धि एवं उचित अभिवृत्ति को सम्मिलित करती है जिसके अन्तर्गत परिवार और यौन शिक्षा दोनों आते हैं। इसमें जनसंख्या के प्रति जागरूकता, पारिवारिक जीवन, पुनरुत्पादन शिक्षा तथा आधारित मूल्य सम्मिलित हैं।

साइमन ने जनसंख्या शिक्षा में संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया है जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या के बारे में सूचनायें प्रसारित करती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम

इसका एक साधन है। यह भावी पीढ़ी के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं मूल्यों में वांछित परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

नोट

अध्यापक जनसंख्या शिक्षा

प्रमुख सोपान—

1. अध्यापकों के लिये जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करना।
2. सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण एवं सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के लिये जनसंख्या शिक्षा की विधियों तथा अनुदेशनसामग्री का विकास करना।

अध्यापक जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य

अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये अध्यापकों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की तरह जनसंख्या शिक्षा सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम का एक अंग होना चाहिये। छात्राध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में ज्ञान एवं बोध, अभिवृत्ति एवं कौशल प्रदान किया जाना चाहिये। जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यवस्तु को अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिये।

जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम

1. **इकाई प्रथम**—जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र, पारिवारिक जीवन शिक्षा एवं यौन शिक्षा में अन्तर, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, आवश्यकता एवं उसका महत्त्व, सामान्य शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा का स्थान।
2. **इकाई द्वितीय**—जनसंख्या की गत्यात्मकता तथा वृद्धि, वितरण तथा घनत्व, जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप, भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएँ (जन्मदर, मृत्युदर, उम्र तथा लैंगिकता), शहरीकरण सम्बन्ध है ताकि गुण और मात्रा दोनों ओर सर्तकता रहे।” बीडरमैन ने शिक्षा के नैतिक एवं नीतिशास्त्रीय उद्देश्य पर बल दिया है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य उस जागरूकता एवं समझबूझ को विकसित करना है जो जनसंख्या के निर्धारक एवं उसके परिणाम, जनसंख्या प्रजनन, भारत के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास में जनसंख्या वृद्धि का प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव।
3. **इकाई तृतीय**—जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में अध्यापक, जनसंख्या योजना में अध्यापक की भूमिका, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में अध्यापक की भूमिका, जनसंख्या वृद्धि में अध्यापक की जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि में अध्यापक का विश्वास, जनसंख्या, यौन शिक्षा एवं पारिवारिक जीवन का ज्ञान प्रदान करने में अध्यापक की भूमिका।
4. **इकाई चतुर्थ**—सामान्य शिक्षा के लिये जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम, भारतीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता, विद्यालयी पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा का स्थान, पाठ्यक्रम पथ-प्रदर्शकों का विकास।

5. **इकाई पंचम**—अध्यापन विधि और मूल्यांकन, एकांकी तथा सहसम्बन्धी उपागम, जनसंख्या शिक्षा के सन्दर्भ में समस्या समाधान तथा केस स्टडी उपागम, विद्यालयी विषयों में जनसंख्या शिक्षा के शीर्षकों का उपयुक्त अध्यापन इकाइयों जैसे—सामाजिक विषय, गणित, भाषा, सामान्य विज्ञान तथा जीवविज्ञान जैसे विषयों में समन्वय जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यसहगामी क्रियाओं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा, नाटक व वाद-विवाद के साथ समन्वय। मूल्यांकन निबन्धात्मक प्रश्नों के द्वारा होना चाहिये।
6. **इकाई तृतीय**—जनसंख्या की विसंगतियाँ एवं विषय, जनसंख्या शिक्षा के बारे में प्रत्ययी विसंगति (यौन शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा आदि), सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, अध्यापक की जनसंख्या के प्रति जागरूकता, आयु, लिंग के अनुसार जनसंख्या शिक्षा प्रत्यय को परिभाषित करने की अध्यापक की योग्यता, जनसंख्या शिक्षा पाठ्यवस्तु का क्षेत्र।

छात्र अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यवस्तु संज्ञानात्मक स्तर पर न देकर, भावनात्मक एवं व्यावहारिक स्तर पर प्रदान करनी चाहिये। उन्हें भावी जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक होना चाहिये तथा शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिये।

5.16 शिक्षक प्रभावशीलता

वर्षों से प्रभावशाली शिक्षक अथवा शिक्षक-कुशलता को समझने व परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। शिक्षक-प्रभाव सम्बन्धी यह भिन्नता तथा अस्पष्टता स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण निःसन्देह एक सापेक्षिक विषय है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या कुशल शिक्षक का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि आदि के विकास के फलस्वरूप ही छात्रों में विकास सम्भव है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसके सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है। जिस सीमा तक वह अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है।

रेयन्स (1970) इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रभावशीलता शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार देता है—शिक्षण उसी सीमा तक प्रभावशाली है, जिस सीमा तक शिक्षक को क्रियाएँ छात्रों में आधारभूत कौशल, अवधारणा, कार्य करने की आदत, वांछित अभिवृत्ति, मूल्य निर्णय तथा पर्याप्त वैयक्तिक समायोजन पैदा करने के अनुकूल है। इसी दृष्टिकोण से **बिडाल** (1964) ने कहा कि शिक्षक की एक या अधिक योग्यताएँ जो वांछित शैक्षिक प्रभावों को उत्पन्न करती है शिक्षक की क्षमता कहलाती है। इसी बात को और स्पष्ट रूप से **क्रेन्ज** तथा **बिडाल** (1964) ने कहा है—

1. शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की शिक्षा की योग्यता ही शिक्षक क्षमता या कुशलता कहलाती है। इसका मापन शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, पूर्व अनुभव, शैक्षिक निष्पत्ति से किया जाता है।

2. शिक्षा के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक क्रियायें व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएँ ही शिक्षक-क्षमता है। इसका मापन व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है।
3. दिए हुए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक शिक्षक व्यवहार ही शिक्षक कुशलता का परिचायक है।

5.17 शिक्षक प्रभावशीलता का अर्थ एवं परिभाषा

प्रभावशीलता शब्द भाव प्रधान है। शिक्षक की प्रभावशीलता का व्यावहारिक पक्ष शिक्षण प्रभावशीलता से होता है। **डेक बोक** ने शिक्षणशास्त्र के अनुसार शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा इस प्रकार दी है—

“शिक्षक प्रभावशीलता पूर्ण विश्वास एवं आस्था का प्रत्यय है।” “Teacher effectiveness is as an act of faith and beliefs.”

इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं तथा शोध अध्ययनों के निष्कर्षों से भी स्पष्ट हो गया है कि प्रभावशाली शिक्षक से छात्र अधिक सीखते हैं। प्रभावशीलता शब्द सापेक्ष है इसका सन्दर्भ बिन्दु छात्रों को अधिगम प्रदान करना है। शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशीलता निहित होती है। अभिभावक अपने बालकों का प्रवेश विद्यालय में इस विश्वास से कराते हैं कि शिक्षक तथा शिक्षण का सकारात्मक प्रभाव बालक पर पड़ेगा।

शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया की विशेषताओं का अनुरक्षण विद्यालय के अन्तर्गत शिक्षण की क्रियाओं से किया जाता है। शिक्षक की सक्षमताओं का प्रभाव छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर होता है। शिक्षा के परिणाम को प्रभावशीलता कहते हैं।

शिक्षण प्रभावशीलता एवं शिक्षक प्रभावशीलता आस्था एवं विश्वास का प्रत्यय है। इसकी पुष्टि कुछ उदाहरणों से होती है। महाभारत के युग में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने का आग्रह किया था परन्तु उन्होंने शिष्य के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य में पूर्ण आस्था एवं विश्वास था इसलिए एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके उसी आस्था एवं विश्वास के साथ धनुष विद्या का अभ्यास किया और उसमें दक्षता अर्जित की और वह अर्जुन से अग्रणी हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रभावशीलता **आस्था** एवं **विश्वास** का प्रत्यय है।

एक अन्य उदाहरण में भी इसी प्रकार की आस्था की अभिव्यक्ति की जाती है। एक अंगरेजी भाषा के कवि **थॉमस ग्रे** ने अपनी कविता “An Elegy Written in a Country Churchyard” में अभिव्यक्ति की है कि जो व्यक्ति यहाँ पर दफनाये गये हैं उनके भौतिक शरीर के साथ उनकी प्रतिभाओं को भी दफना दिया गया है। उनके जीवकाल में शिक्षा द्वारा उन्हें अपनी प्रतिभाओं के विकास का अवसर मिलता तो उनमें ऐसी प्रतिभायें थी कि उनमें कुछ शैक्सपीयर जैसे महान नाटककार, मिल्टन जैसे महाकवि तथा क्राउनवैल जैसे प्रभावशाली शिक्षक व शिक्षण की आन्तरिक शक्ति होती है जो आस्थाओं एवं विश्वास से क्रियाशील होती है। प्रभावशीलता के अभाव में शिक्षक, शिक्षक नहीं होता और शिक्षण, शिक्षण नहीं कहलाता है। शिक्षक में प्रभावशीलता निहित होती है।

5.18 प्रभावशाली शिक्षक के गुण

इस पक्ष में शिक्षक की मानसिक क्षमता, शिक्षा, विषय सम्बन्धी ज्ञान, शिक्षण अनुभव आदि पर चर सम्मिलित होते हैं। प्रभावशाली शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो तथा उसकी

उच्च शैक्षिक निष्पत्ति हो। ए. एस. बार (1967) ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष के फलस्वरूप शिक्षक की निर्णय लेने की क्षमता, विचार-शक्ति तथा मानसिक जागरूकता का उसकी शिक्षण कुशलता से गहरा सम्बन्ध बताया। प्रभावशाली शिक्षक के गुण इस प्रकार हैं-

नोट

(1) **ज्ञानात्मक विशेषताएँ** (Cognitive Characteristics)-प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश देते समय इस बात को भी विशेष महत्व दिया जाता है कि जो छात्र इस व्यवसाय में सम्मिलित हों वह कम से कम औसत शैक्षिक निष्पत्ति वाले हों। यह सत्य है कि किस प्रकार संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय में सफल नहीं होता उसी प्रकार निम्न शैक्षिक स्तर वाला व्यक्ति प्रभावशाली शिक्षण नहीं कर पाता है। यह देखा गया है कि उच्च स्तरीय ग्रेड बिन्दु का श्रेष्ठ शिक्षण से घनात्मक सह-सम्बन्ध है।

शिक्षा की ज्ञानात्मक, विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि शिक्षक अपने छात्रों के सम्बन्ध में कितना जानता है। **ओजमैन** तथा **विल्किन** (1939) ने अपने प्रारम्भिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला था कि जो शिक्षक अपने छात्रों के बारे में अधिक जानते हैं तथा छात्रों से सम्बन्धित अनेक सूचनाओं से परिचित होते हैं, उनके छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति उन छात्रों की तुलना में अधिक होती है, जिनके शिक्षक उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

प्रशिक्षण काल में शिक्षक के अध्यापन-अभ्यास की निष्पत्ति का भी शिक्षण कुशलता के साथ घनात्मक सम्बन्ध होता है। साइमन तथा एशर (1964) ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक के शैक्षिक स्तर तथा शिक्षण-अभ्यास प्रोग्राम का कक्षा अनुशासन तथा विषय की तैयारी के साथ गहरा सम्बन्ध है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कितना है? तथा विषय की तैयारी वह किस प्रकार करता है? इसका प्रभाव भी उसकी शिक्षण कुशलता पर पड़ता है। रेयन्स (1958) ने प्रधानाध्यापकों द्वारा बहुत अच्छे तथा बहुत खराब (अकुशल) शिक्षकों का निर्धारण (निर्धारण मापन द्वारा) कराया। इसमें प्राथमिक विद्यालय के 43 अच्छे तथा 27 अकुशल शिक्षक, अंग्रेजी व सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने वाले 58 अच्छे तथा अकुशल शिक्षकों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में रेयन्स ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षकों की अकुशलता का प्रमुख कारण विषय-वस्तु की तैयारी अच्छी तरह से न करना था। अंग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन के 36 प्रतिशत शिक्षक विषय-वस्तु का सही व पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण ही अकुशल घोषित किये गये। गणित तथा विज्ञान के 61 प्रतिशत शिक्षकों को अपने विषय का अच्छे ज्ञान के कारण ही श्रेष्ठ व कुशल बताया गया था। विषय के ज्ञान के कारण ही श्रेष्ठ व कुशल बताया गया था। विषय के ज्ञान में साथ-साथ कक्षा में उस विषय का प्रस्तुतीकरण भी महत्वपूर्ण है। प्रभावशील अभिव्यक्ति के बिना ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता। **ओलिव** (1968) तथा **हेमटन** (1953) विषय के ज्ञान के साथ यह भी आवश्यक मानते थे कि शिक्षक की सीखने की प्रक्रिया आधारभूत सिद्धान्तों, शिक्षण प्रविधियों आदि का पर्याप्त ज्ञान हो तथा कक्षा को अनुशासित रखने में कुशल हो।

(2) **भावनात्मक विशेषताएँ** (Emotional Characteristics)-भावनात्मक विशेषताओं के अन्तर्गत शिक्षक के संवेग, रुचियाँ, अभिवृत्ति, मूल्य तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएँ आती हैं।

शुनर्ट (1951) ने निष्कर्ष निकाला कि लक्षण तथा प्रक्रिया चर का हाई स्कूल छात्रों की गणित की निष्पत्ति से गहरा सम्बन्ध था। 3919 छात्र तथा 196 शिक्षकों पर आधारित इस अध्ययन में यह देखा गया कि जिन शिक्षकों को 8 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव था उनकी बीजगणित की कक्षा में छात्रों ने अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त किये। इसी प्रकार से जिन छात्रों को 20-25 मिनट तक निरीक्षित अध्ययन (सुपरवाइज्ड स्टडी) विधि से पढ़ाया गया, कम निरीक्षित अध्ययन वाले छात्रों की तुलना में रेखागणित व बीजगणित में उनकी निष्पत्ति अधिक थी।

एन्डरसन (1937) तथा लेविन, लिपिट और व्हाइट (1939) के दो शोध अध्ययन कक्षा में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करने में शिक्षक की मनोवृत्त्यात्मक विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। एन्डरसन का कहना था कि प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित चक्र को उत्पन्न करने वाले होते हैं। समन्वयी शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र भी समन्वयी मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं तथा इन छात्रों में अधिक स्वभाविकता व अच्छा संवेगात्मक व सामाजिक समायोजन पाया जाता है।

एन्डरसन ने निष्कर्ष निकाला कि समन्वयी शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों के साथ अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि कम समन्वयी शिक्षक कक्षा में कम प्रभावशाली होते हैं तथा कक्षा में भय की स्थिति अधिक होती है; जैसे कम प्रवीण शिक्षकों के छात्रों में उत्साह व प्रेरणा का अभाव होता है।

शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ छात्र की निष्पत्ति का गहरा सम्बन्ध होता है। रेयन्स (1970) का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसमें 1700 स्कूलों के 6000 शिक्षकों को अध्ययन का विषय बनाया गया है। 6 साल के अध्ययन के बाद रेयन्स ने निष्कर्ष निकाला कि उत्साही, व्यवस्थित तथा प्रेरणा देने वाले शिक्षक ही अधिक प्रभावशाली शिक्षक होते हैं।

- (3) **गतिशील एवं कौशल सम्बन्धी विशेषताएँ (Dynamic and Skills related Characteristics)**
 - शिक्षक की गतिवाही कुशलता का उसकी शिक्षण प्रभावशीलता से क्या व कितना सम्बन्ध है में कोई शोध अध्ययन प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षक की गतिवाही कुशलता का छात्र-निष्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। परन्तु शिक्षक की व्यावहारिक कुशलता तथा प्रवणता पर अधिक शोध कार्य हुए हैं तथा हो रहे हैं। शिक्षक छात्रों के समक्ष एक आदर्श प्रतिमान होता है, जिसका अनुकरण छात्र करते हैं। अतः शिक्षक में पूर्ण कौशल नितान्त आवश्यक है ताकि वह छात्रों की त्रुटियों को शुद्ध कर सकें तथा उन्हें सही क्रिया करने का निर्देश दे सकें। छात्रों को सही शिक्षा स्वयं शिक्षक भी दे सकता है अथवा फिल्म या अन्य दृश्य-श्रव्य अन्य साधन की सहायता भी ले सकता है।

5.19 शिक्षक प्रभावशीलता का मापन

शिक्षक के कार्यों के मूल्यांकन के क्षेत्र में रुचि सन् 1990 से पूर्व हो शुरू हो गई थी। हाजेल डेविस (1964) ने कहा कि 1900-12 के मध्य स्कूल सर्वेक्षण में शिक्षण कुशलता का मापन स्कूल विषयों के प्रमाणिक परीक्षणों के आधार पर किया जाता था। उस समय शिक्षण कुशलता

के लिए व्यक्तिगत परीक्षण में लोगों की रुचि कम थी। सन् 1920 के बाद स्कूल सर्वेक्षण अधिक गहराई से होने लगे। शिक्षक-कुशलता के मूल्यांकन के लिए नई-नई विधियां भी अपनाई जाने लगीं।

बार (1950) के अनुसार इलियट, बायसे, व्युडोगर तथा स्ट्रेगर प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षक कुशलता के लिए मापन का प्रयोग किया और अनेक प्रकार के स्केल बनाये; जैसे-बिन्दु मापन, ग्राफिक मापन, निदानात्मक मापन, व्यक्ति-व्यक्ति तुलना आदि। इलियट ने एक स्कोर कार्ड का विकास किया, जिसमें सात मुख्य क्षेत्र थे-शारीरिक क्षमता, प्राप्त कुशलता, नैतिक कुशलता, प्रशासनिक कुशलता, गत्यात्मक कुशलता, सामाजिक कुशलता तथा प्रक्षेपण कुशलता।

मुनरो ने (1924) तथा क्लार्क ने (1924) पिछले वर्षों के अध्ययनों का संक्षेपीकरण किया और पाया कि उस समय के निर्धारण मापनों में विश्वसनीयता की भारी कमी थी तथा निर्धारक का शिक्षक के प्रति सामान्य विचार ही उसके निर्धारण का आधार था। कुन्डसेन तथा स्टीफेन्स (1931) ने 57 निर्धारण मापनी का अध्ययन किया, जिनमें 199 विभिन्न गुणों को सम्मिलित किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्धारण मापनी में किन गुणों का समावेश हो। इस सम्बन्ध में लोगों में अधिक मतभेद था।

इस दिशा में सन् 1930 के बाद कुछ परिवर्तन आया। अब शिक्षक-व्यवहार तथा शिक्षा के लक्ष्यों के बीच सम्बन्धों को समझने व स्पष्ट करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। शिक्षक-व्यवहार के मूल्यांकन की विधि का सन् 1950 से उपयोग किया जाने लगा। कुशलता में निर्णय की बात है और व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कुशलता से व्यवहार की ओर यह आन्तरण काफी महत्वपूर्ण है।

5.20 शिक्षक-प्रभावशीलता के मानदण्ड

मानदण्ड शब्द से तात्पर्य है मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाने वाले मानक या कसौटी। दूसरे शब्दों में किसी तत्व का परीक्षण करने या मूल्यांकन करने के लिये जो कसौटी तैयार की जाती है, वह मानदण्ड कहलाती है।

कोई भी मानक या कसौटी जिसका मानदण्ड के रूप में प्रयोग किया, उसमें प्रसंगानुकूलता, विश्वसनीयता, प्रयोगात्मक तथा वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। चूंकि शिक्षण में सफलता अनेक वैयक्तिक गुणों, आवश्यकताओं तथा वातावरण के अनेक तत्वों से सम्बन्धित है। अतः शिक्षक कुशलता का मानदण्ड निश्चय ही एक कठिन व जटिल कार्य है। कक्षा-शिक्षण के मूल्यांकन के लिये क्या मानक हों इस सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं।

रेयन्स (1952, 53) कहा था कि शिक्षक की क्षमता का मूल्यांकन उसके स्कूल कार्यों पर प्रभाव, स्कूल-समाज सम्बन्धों पर प्रभाव, छात्र के सीखने पर उसके प्रभाव की दृष्टि से करना चाहिये।

विस्कांसिवन विश्वविद्यालय में शिक्षक कुशलता पर जो अध्ययन हुए हैं, उनमें निम्नलिखित सात मानदण्डों का प्रयोग अधिक होता रहा है।

विस्कांसिवन अध्ययनों में शिक्षक कुशलता के मानदण्ड

1. सेवारत निर्धारण
(अ) सुपरिटेडेन्ट द्वारा

- (ब) प्रधानाचार्य द्वारा
- (स) अन्य निरीक्षक पदाधिकारियों द्वारा
- (द) शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा
- (य) विशिष्ट क्षेत्र के विभागीय व्यक्तियों द्वारा
- (र) स्वयं निर्धारण

2. साथियों द्वारा निर्धारण
3. छात्रों की निष्पत्ति प्राप्तांक
4. छात्रों द्वारा निर्धारण
5. शिक्षण, कुशलता को मापने योग्य परीक्षणों के सामूहिक प्राप्तांक
6. शिक्षण, अभ्यास के प्राप्तांक या अनुस्थिति
7. सभी का प्रयोग करके सामूहिक प्राप्तांक

ब्रिटेन में शिक्षक कुशलता पर हुए अध्ययनों में जिन मानदण्डों को प्रयोग किया गया है वे हैं—छात्रों में परिवर्तन, विशेषज्ञों का निर्णय, निर्धारण मापनी का प्रयोग छात्रों द्वारा शिक्षकों का निर्धारण, शिक्षक योग्यता, अभिवृत्ति, रुचि तथा समाजमिति विधि।

1. योग्यता मानदण्ड (Presage Criteria)
2. प्रक्रिया मानदण्ड (Process Criteria) तथा
3. उत्पादन मानदण्ड (Product Criteria)

1. **योग्यता मानदण्ड (Presage Criteria)**—शिक्षण-कुशलता के इस पक्ष में शिक्षक की अन्य वैयक्तिक विशेषताओं को लिया जाता है, जो प्रक्रिया तथा मानदण्ड पर भी अपना प्रभाव डालती है तथा परिणाम मानदण्ड पर भी अपना प्रभाव डालती है तथा शिक्षक-कुशलता से जिन विशेषताओं का सम्बन्ध है। सामान्यतः शिक्षक के इन लक्षणों को चार वर्गों में बांट सकते हैं—

- (अ) व्यक्तित्व सम्बन्धी चर—उद्यम, बुद्धि अनुकूलन क्षमता, चरित्रिक गुण आदि।
- (ब) प्रशिक्षण सम्बन्धी चर—शिक्षण अभ्यास के प्राप्तांक, निरीक्षक द्वारा मूल्यांकन, शिक्षा पाठ्यक्रम के प्राप्तांक आदि।
- (स) विषयवस्तु सम्बन्धी चर सामान्य ज्ञान, विषय-वस्तु का ज्ञान, शैक्षिक तथ्यों एवं उद्देश्यों की अवधारणा शैक्षिक निष्पत्ति आदि।
- (द) शिक्षक अनुभव, शिक्षक का पद, व्यवहार आदि।

2. **प्रक्रिया मानदण्ड (Process Criteria)**—इसमें वे पक्ष आते हैं, जो कि शिक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति-परिणाम मानदण्ड पर अपना प्रभाव अवश्य डालती है। प्रक्रिया मानदण्ड का वर्णन मुख्यतः कक्षा की दशाएँ, वातावरण, छात्र शिक्षक के मध्य सामाजिक अन्तः प्रक्रिया के रूप में किया जाता है व मापा जाता है। शिक्षक-व्यवहार का तथा छात्र-व्यवहार दोनों का अवलोकन करके प्रक्रिया मानदण्ड प्राप्त किया जाता है। इसमें से किसी भी एक का अध्ययन पृथक से नहीं हो सकता है। सीखने

की प्रक्रिया में दोनों—शिक्षक व छात्र की पारस्परिक अन्तः क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए शिक्षक-क्षमता के मूल्यांकन में प्रक्रिया पक्ष का अपना महत्व है।

3. **उत्पादन मानदण्ड (Product Criteria)**—परिणाम मानदण्ड से तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति से है, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षक जब भी शिक्षण क्रिया के लिए तत्पर होता है उसके समक्ष कुछ उद्देश्य होते हैं और शिक्षण के पश्चात् शिक्षक यह देखता है कि उसकी उपलब्धि क्या रही। इन उद्देश्यों का वर्णन सामान्यतः छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में किया जाता है। **रेबिनोबिट्स** और **ट्वर्स** (1953) तथा **रेयन्स** (1949, 1953) के साथ ही साथ **रेमर्स** (1952, 1953) भी इस बात से सहमत हैं कि कुशल शिक्षण का मूल्यांकन छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिये।

नोट

5.21 सूक्ष्म-शिक्षण का विकास

अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध हेतु (1961) में अध्ययन प्रत्याशी कीथ एचीसन ने समाचारपत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक द्वारा छोटे वीडियो टेप रिकार्डर (दृश्य-ध्वनि टेप रिकार्डर) के अविष्कार का समाचार पढ़ा। एचीसन उस समय राबर्ट एन. बुश और डवाइट डब्ल्यू. ऐलन के साथ कार्यरत थे जिन्हें फोर्ड फाउण्डेशन से अनुदान मिला था कि वे खोज करें कि छात्राध्यापकों के लिये प्रवर्तन अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम में कौन-कौन से अनुभव वांछित होंगे जिनसे आगे चलकर अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न हो।

अध्यापन शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्होंने सूक्ष्म अध्यापन अभ्यास क्रम प्रारम्भ किये और इन्हें प्रदर्शन अध्यापन संज्ञा दी। प्रत्येक छात्राध्यापक 5 अथवा 6 विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ पढ़ाता था और छात्रों को अलग-अलग प्रकार की भूमिका निर्वाह करनी होती थी। एक छात्र अच्छे विद्यार्थी की, दूसरा ऐसे विद्यार्थी की जिसे पढ़ने में रुचि न हो, तीसरा केवल ध्यानाकर्षण में लगी छात्र का अभिनय करते हैं। चौथा छात्र या छात्रा सर्वज्ञानी विद्यार्थी बन जाती और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती थी चाहे उसका उत्तर आता हो, या न आता हो, ठीक हो या गलत। इस प्रकार की गतिविधियों के उपरान्त प्राध्यापकों एवं छात्राध्यापकों ने अनुभव किया कि इन कार्यक्रमों में बहुत अधिक नाट्यकरण होता है और अनेक बार उत्सुकता उत्पन्न होती है। पर्यवेक्षक जब पृष्ठपोषण हेतु छात्राध्यापक से चर्चा करता है तो छात्राध्यापक यह मानने को तैयार ही न होता कि उसने कोई गलत बात कही या नहीं की है क्योंकि उसे याद ही न होता था। इस प्रकार जो लाभदायी अनुभव होना चाहिये था, वह मात्र बहस बन कर ही रह जाता था।

एचीसन का मत था कि यदि छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाये पाठ को वीडियो टेप रिकार्डर के सहारे उसे दिखाया जा सके कि उसने क्या किया है तो पर्यवेक्षक और छात्राध्यापक दोनों को प्रतिपुष्टि में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। प्रोफेसर बुश और एलसन ने इस सुझाव का स्वागत किया। एचीसन और स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के उसके अन्य सहयोगी वीडियो टेप रिकार्डर के विभिन्न प्रकार के उपयोग एवं उसके सहारे अनेक प्रयोग करने में लग गये। उन्होंने छात्राध्यापकों के अध्ययन व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने व निश्चित उद्देश्यों की सम्पूर्ति एवं अध्यापन प्रक्रिया के विकल्प खोजने में इसका प्रयोग किया।

अध्यापकों को जो सेवा पूर्व अथवा प्रशिक्षण हेतु आते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा कम समय में अध्यापन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सेवारत अध्यापकों की अध्यापन प्रक्रियाओं में सुधार भी इसी प्रणाली द्वारा लाना सम्भव है। उनसे लम्बे (40-45) मिनट के पाठ पढ़वाना अस्वाभाविक एवं समय का दुरुपयोग है। इस कार्य में सूक्ष्म अध्यापन बहुत ही सुविधाजनक एवं सफल प्रणाली है।

सूक्ष्म अध्यापन की परिभाषा

सूक्ष्म अध्यापन अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु नवीन प्रशिक्षण प्रणाली है। भारत और विश्व के अनेक भागों में इस पर अभी शोध कार्य चल रहा है। पिछले एक दशक में इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में इस प्रणाली को कम समय में अधिक उपयोगी पाया गया है।

एलिन एवं रेअन के विचार (1968) में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में जहाँ इस प्रणाली का जन्म हुआ एलन ने बताया कि, 'सूक्ष्म-शिक्षण शिक्षण क्रिया का वह सरलीकृत लघु रूप है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने, अल्प समय में सम्पन्न किया जाता है।

बुश का विचार (1968) ने अध्यापन की परिभाषा देते हुए कहा कि, सूक्ष्म-शिक्षण अध्यापक शिक्षा की ऐसी तकनीक है जिसमें अध्यापक ध्यान-पूर्वक तैयार किये गये नियोजित पाठों के द्वारा, पांच से दस मिनट तक वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे से समूह के साथ, स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और इसके परिणाम वीडियो टेप पर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त करता है।

मैक्लीज, अनुविन (1970) का कहना था कि सूक्ष्म अध्यापन का साधारणतया प्रयोग संवृत दूरदर्शन के द्वारा छात्रा अध्यापक को सरलीकृत वातावरण में उसके निष्पादन संबंधी प्रतिपुष्ट तुरन्त उपलब्ध करने की प्रक्रिया के लिये किया जाता है। आगे उनका कहना है कि सूक्ष्म अध्यापन को साधारणतया अभिरूपित अध्यापन का स्वरूप की अमूर्त परिकल्पना अथवा वास्तविक कक्षा अध्यापन की प्रक्रिया के आधार पर उपलब्ध की जाती है।

क्लिफ्ट तथा दूसरों के विचार सन् 1976 में क्लिफ्ट तथा अन्य विद्वानों ने सूक्ष्म-शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार की थी, 'सूक्ष्म शिक्षण' अध्यापक शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण स्थिति को सरल तथा अधिक नियन्त्रित प्रतिक्रमण में न्यूनीकृत कर देती है। यह शिक्षण अभ्यास को विशिष्ट कौशल में सीमित कर देती है और शिक्षण समय तथा कक्षा के आकार को घटा देती है।

सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणाएँ

सूक्ष्म-शिक्षण की प्रमुख धारणाएँ यह हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिये शिक्षण व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। पृष्ठपोषण के द्वारा आपेक्षित व्यवहार के प्रारूपों का विकास किया जा सकता है। यह एक उपचारी कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक को कक्षा में एक छोटे से प्रकरण का शिक्षण करना पड़ता है। शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ रूप में निरीक्षण किया जाता है और उनका निदान करके सुधार के लिए सुझाव दिये जाते हैं। यह व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करती है।

शिक्षण-कौशल

सूक्ष्म-शिक्षण का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण कौशलों के विकास के लिये किया जाता है। शिक्षण से तात्पर्य सुनिश्चित शिक्षक-व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में आपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिये प्रभावशाली होते हैं। शिक्षण के अनेक कौशलों का उल्लेख किया जाता है। एलन तथा रायन (1969) ने चौदह शिक्षण कौशल की व्याख्या की है। वह इस प्रकार है—

1. उद्दीपन विशमता (Stimulus Variation) — छात्रों को एकाग्रचित करने के लिये उद्दीपन को बदलते रहने की क्षमता होती है।
2. भूमिका निर्वाहदृ (Set Induction) — छात्रों से मानसिक स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होती है।

3. समीपताद् (Closure) भूमिका निर्वाह क्षमता की पूर्वक मानी जाती है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करने की क्षमता होती है।
4. मौन तथा अशाब्दिक संकेत (Silence and Non-verbal cuse) – छात्रों को शिक्षण की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।
5. पुनर्बलन का कौशल (Skill of Reinforcement) – शाब्दिक प्रशंसा द्वारा छात्रों की क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।
6. प्रश्न पूछने में प्रवाह (Fluency in Questioning)
7. गहन प्रश्न पूछना उदाहरणों को प्रयोग (Probing Question)
8. उद्देश्यों को लिखने का कौशल (Skill of writing objective)
9. श्यामपट के प्रयोग का कौशल (Skill of using Blackboard)
10. दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रयोग का कौशल (Using Audio-visual Aides)
11. प्रवचन का कौशल (lecturing)
12. पाठ के अनुसरण का कौशल (Skill of Paching Lesson)
13. सम्प्रेषण की पूर्णता (Operations in Micro-teaching) – विदेशों में सूक्ष्म-शिक्षण की प्रक्रिया को वीडियो टेप कर लिया जाता है। छात्राध्यापक अपने द्वारा किये गये शिक्षक-कार्य को ज्यों-त्यों टेलिविजन पर देखते हैं और आत्म-विश्लेषण के द्वारा पृष्ठपोषण प्राप्त करते हैं। किन्तु भारत में अभी ऐसी सुविधा प्रशिक्षण-विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिपुष्टि के लिये सामान्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है—
 - (क) प्रशिक्षण-विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पाठ का निरीक्षण करने के पश्चात प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसे पर्यवेक्षक पृष्ठपोषण कहते हैं।
 - (ख) सहपाठी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पृष्ठपोषण का दिया जाना। इसे सहपाठी प्रतिपुष्टि कहते हैं।
 - (ग) सम्पूर्ण सूक्ष्म पाठ को टेप रिकार्डर पर टेप कर लिया जाता है और टेप पुनः सुनकार छात्र-अध्यापक पृष्ठपोषण प्राप्त करता है। इसे स्व-पृष्ठपोषण कहते हैं।
14. मूलतः सूक्ष्म-शिक्षण की प्रविधि में निम्नलिखित पाँच पदक्रम सन्निहित हैं- (i) शिक्षण (ii) प्रतिपुष्टि (iii) पुनः पाठ नियोजन (iv) पुनः शिक्षण (v) पुनः प्रतिपुष्टि। इन पाँच पदक्रमों को मिलाकर एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनता है।

सूक्ष्म-शिक्षण चक्र

श्री एल. सी. सिंह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म-शिक्षण के भारतीय मॉडल की मानकीय क्रिया विधि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षा विभाग के रीडर डॉ. एल. सी. सिंह ने अपनी पुस्तक में भारत की सैकेण्डरी अध्यापक शिक्षा के लिये सूक्ष्म-शिक्षण के हेतु निम्नलिखित क्रिया विधि का सुझाव दिया है—

1. **सैद्धान्तिक सिद्धान्त** – अध्यापक-शिक्षकों तथा छात्राध्यापकों को सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणा से अवगत कराने के लिए सूक्ष्म-शिक्षण पर सैद्धान्तिक विचार-विमर्श गठित करना चाहिए। इसके गुणों एवं दोषों की व्याख्या करनी चाहिए।

2. **शिक्षण कौशलों पर विचार-विमर्श** – सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। कम-से-कम पांच शिक्षण कौशलों का चयन करके उनकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। अभ्यास से पहले एक समय में एक ही कौशल पर विचार-विमर्श होना चाहिए। शिक्षण कौशल के निरीक्षण के लिये कुछ चुने हुये छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
3. **आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण** – तत्पश्चात अध्यापक-शिक्षण द्वारा सम्बन्धित कौशल के आदर्श पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। यह आदर्श-पाठ छात्राध्यापकों द्वारा लिये गये लगभग सभी शिक्षण-विषयों से सम्बन्धित होने चाहिए।
4. **सूक्ष्म-पाठ की तैयारी** – छात्राध्यापक को सूक्ष्म-पाठ की तैयारी के लिये 'एक इकाई' की अवधारणा का चयन करना चाहिए।
5. **सूक्ष्म-शिक्षण व्यवस्था** – सूक्ष्म-शिक्षण युक्ति के लिये निम्नलिखित व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

(क) समय	
शिक्षण	6 मिनट
पृष्ठपोषण	6 मिनट
पुनःनियोजन	12 मिनट
पुनःशिक्षण	6 मिनट
पुनःपृष्ठपोषण	6 मिनट
(ख) विद्यार्थियों की संख्या	10
(ग) निरीक्षक	1 या 2
(घ) निरीक्षकों का पृष्ठपोषण	

6. **यथार्थवत् स्थिति सहवर्गी** छात्राध्यापकों को विद्यार्थियों की भूमिका निभानी चाहिए। कॉलेज में ही सूक्ष्म-शिक्षण का संचालन होना चाहिए।
7. **शिक्षण कौशलों का अभ्यास**—एक छात्राध्यापक को कम-से-कम पांच शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना चाहिए।
8. **शिक्षण कौशलों का निरीक्षण** – सूक्ष्म-शिक्षण में अभ्यास किये जा रहे शिक्षण कौशलों का निरीक्षण सहवर्गी छात्राध्यापकों और कॉलेज के निरीक्षक द्वारा किया जाता है।
9. **पृष्ठपोषण** – छात्राध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। पृष्ठपोषण प्रदान करते समय निरीक्षण सूची में टैलियों एवं रेटिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए और आदर्श पाठों के प्रकाश में छात्राध्यापक के कार्य निष्पादन की व्याख्या की जानी चाहिए।
10. **शिक्षण समय** – पांच कौशलों में से प्रत्येक कौशल के सूक्ष्म-पाठ का सम्पूर्ण चक्र होगा—
 शिक्षण → पृष्ठपोषण → पुनःनियोजन → पुनःशिक्षण → पुनःपृष्ठपोषण।
 एक चक्र को पूरा करने में सामान्यतः एक छात्राध्यापक को 35 मिनट लगते हैं।

5.22 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएँ

सूक्ष्म-शिक्षण के अभ्यास में शिक्षण कौशल के विकास के मूल्यांकन के लिये अनेक मानदण्डों का प्रयोग किया जाता है। पर्यवेक्षक तथा सहयोगियों द्वारा रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में “शिक्षण योग्यता मूल्यांकन सूची का निर्माण किया जिसका प्रयोग सूक्ष्म-शिक्षण की प्रभावशीलता के लिये किया जाता है।”

शिक्षक-प्रशिक्षक भी इस नवीन विद्या का जन्म प्रशिक्षण-व्यवस्था की कमियों को दूर करने तथा और संगठित कर वांछित शिक्षण-कौशलों में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विद्या में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं।

1. यह सरलीकृत प्रशिक्षण-पृष्ठभूमि प्रदान करता है क्योंकि शिक्षण-कौशल, पाठ्यवस्तु तथा कक्षा-अनुशासन आदि शिक्षण-कौशलों में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विधि में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं।
2. स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवहारों पर ही छात्राध्यापक अपना ध्यान केन्द्रित रखता है, अतः वांछित परिवर्तन तक वह शीघ्र ही पहुँच सकता है।
3. छात्राध्यापक अपनी न्यूनताओं को दूर करने के लिये किसी एक विशिष्ट शिक्षण-कौशल के बार-बार अभ्यास करने की सुविधा प्राप्त करता है।
4. विभिन्न विकल्पों के प्रयोग करने की सुविधा इस विद्या में आसानी से उपलब्ध होती है।
5. पाठ का समुचित निरीक्षण द्वारा सम्भव है।
6. पाठ के तुरन्त बाद ही छात्राध्यापक को समुचित प्रतिपुष्टि मिलती है।
7. प्रतिपुष्टि तथा समालोचना के आधार पर छात्राध्यापक को अपने पाठ को पुनर्नियोजित करने, सुधारने और पढ़ाने का तुरन्त अवसर मिलता है।
8. इसमें एक ही प्रशिक्षणार्थी के दो या दो से अधिक शिक्षण-व्यवहारों (पाठ-पुनः पाठ) की तुलना करने का अवसर मिलता है।
9. शिक्षण और शिक्षण की परिस्थितियों पर इसमें अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जा सकता है। शिक्षण के निरीक्षण पर अपेक्षीकृत अच्छे रिकार्ड तैयार किये जा सकते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण-कार्यभार में क्षमता रखी जा सकती है।
10. एक बार व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण-विद्यालयों में सूक्ष्म-शिक्षण की प्रक्रिया चला देने पर प्रशिक्षकों के लिये यह समय की दृष्टि से मितव्ययी सिद्ध होती है।

सूक्ष्म-शिक्षण का प्रमुख उपयोग

1. शिक्षण संबंधी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण-कौशल विकास की प्रभावशाली प्रविधि है।
2. अध्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए छात्र-अध्यापकों की व्यक्तिगत एवं क्षमताओं के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षण कौशल के विकास व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार अवसर दिया जाता है।

नोट

3. इस प्रविधि के उपयोग से पाठ्य-वस्तु को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह एक उपयोगी प्रविधि है।
5. इसको अन्य प्रविधियों के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे—अन्तः प्रक्रिया विश्लेषण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के साथ इसका उपयोग हो सकता है।

सूक्ष्म-शिक्षण प्रयोग में सावधानियाँ

1. शिक्षण उद्देश्य का विशिष्टीकरण स्पष्ट होना चाहिए।
2. इस प्रविधि के अभ्यास से पहले अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास देना आवश्यक है अन्यथा प्रयत्नकर्ता की उपस्थिति में छात्राध्यापक आत्मविश्वास खो बैठेंगे और घबरा जायेंगे।
3. वाद-विवाद के समय आलोचना नहीं करनी चाहिये अपितु सुझाव के रूप में कमजोरियों को बतलाना चाहिये। कुछ क्रियाओं की प्रशंसा भी करनी चाहिये।
4. एक समय में केवल एक ही शिक्षण-कौशल का विकास करना चाहिये और उसी से सम्बन्धित सुझाव देना चाहिये।
5. एक ही विषय के छात्राध्यापक को वाद-विवाद से सम्मिलित करना चाहिए और उन्हीं को निरीक्षण का अवसर देना चाहिये।
6. अभ्यास से पूर्व छात्राध्यापक को अपनी पाठ-योजना बना लेनी चाहिये और शिक्षण युक्तियों का निर्धारण कर लेना चाहिए।

5.23 अनुकरणीय शिक्षण की अवधारणा

1. शिक्षण-व्यवहारों की पहचान की जा सकती है।
2. भूमिका प्रत्यक्षीकरण (Role Perception) और भूमिका (Role Playing) के मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा छात्र-अध्यापकों (Pupil Teachers) के व्यवहारों को विकसित एवं संशोधित किया जा सकता है।
3. प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण-व्यवहारों का अभ्यास किया जा सकता है।
4. छात्र-अध्यापकों के सामाजिक-सम्प्रेषण कौशलों (Social Communication Skills) में संशोधन के लिए पृष्ठ-पोषण प्रक्रिया (Feedback Mechanism) का प्रयोग किया जा सकता है।

5.24 अनुकरणीय-शिक्षण की प्रक्रिया

1. भूमिकाएँ निर्धारित करना (Assignment of Roles)—सभी छात्र-अध्यापकों को सभी प्रकार की भूमिकाएँ अभिनीति करनी पड़ती हैं। अर्थात् सभी छात्र-अध्यापक शिक्षक, विद्यार्थी और निरीक्षक या प्रेक्षक (व्येमतअमत) का कार्य करते हैं।
2. अभ्यासार्थ कौशलों का चयन और उन पर विचार-विमर्श (Selection and Discussion of Social Skills for Practice)—भूमिकाएँ निर्धारित करने के पश्चात् कुछ विशिष्ट सामाजिक कौशलों का चयन किया जाता है तथा उन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

इन चुने हुए कौशलों से सम्बन्धित प्रकरणों (ज्वचपबे) का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के लिये वे प्रकरण चुने जाते हैं जिनमें चयनित कौशल (Selection Skills) 'फिट' (Fit) होते हों।

3. **क्रम का निर्धारण** (Preparation of Work Schedule)–अब यह निर्धारित किया जाता है कि कौन-सा छात्र-अध्यापक अनुकरणीय-शिक्षण को प्रारम्भ करे? यह कब समाप्त किया जाये? इसे कौन समाप्त करेगा? बीच में कौन टोकेगा? आदि।
4. **प्रेक्षण-अवधि का निर्धारण** (Determination of Observation Technique)–अब यह तय किया जाता है कि किस प्रकार की प्रेक्षण-प्रविधि को अपनाया जाना है। इसमें यह भी शामिल है कि किस प्रकार के आँकड़े रिकार्ड करने हैं और उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करनी है। यह पद मूल्यांकन-प्रक्रिया (Procedure of Evaluation) से सम्बन्धित है।
5. **प्रथम अभ्यास-सत्र का संचालन** (Organisation of First Ractice Session)–अब प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन किया जाता है। अभ्यास-सत्र में भाग लेने वाले छात्र-अध्यापकों को उनके शिक्षण-कार्य के बारे में पृष्ठ-पोषण (Feedback) प्रदान की जाती है। यदि आवश्यक हो तो दूसरे सत्र के लिए कुछ परिवर्तन भी किये जा सकते हैं। प्रथम अभ्यास-सत्र के बारे में आवश्यक आँकड़े आदि रिकॉर्ड किये जाते हैं ताकि उन आँकड़ों के आधार पर शिक्षण-व्यवहार (Teaching Behaviour) का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार यह सत्र चलता रहता है। और अभ्यास के लिये प्रत्येक व्यक्ति की बारी आती है।
6. **प्रक्रिया बदलने की तैयारी** (Altering the Procedure)–इसमें प्रकरण (Topics) छात्र-अध्यापक, प्रेक्षक तथा शिक्षण-कौशल बदल दिये जाते हैं। इस बदली हुई प्रक्रिया में भी प्रत्येक छात्र अध्यापक की भूमिकायें निर्धारित की जाती हैं और सभी छात्र-अध्यापकों को अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम (Cycle) चलता रहता है। जब तक कि छात्र-अध्यापक प्रशिक्षित न हो जायें।

नोट

5.25 अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएँ

1. इस प्रविधि का उपयोग कक्षा-शिक्षण शुरू करने से पहले पूर्व-अभ्यास (Rehearsal) के रूप में किया जा सकता है।
2. इस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग में पृष्ठ-पोषण (Feedback) प्रदान किया जा सकता है।
3. यह प्रविधि छात्र-अध्यापकों के लिये शिक्षण-कौशलों (Teaching Skills) के अभ्यास में प्रभावी रहती हैं।
4. यह प्रविधि बहुत सरल मानी जाती है।
5. इस प्रविधि का प्रयोग शोध-कार्य में भी किया जा सकता है।

5.26 अनुकरणीय शिक्षण के लाभ

1. इसके प्रयोग से सिद्धांत और अभ्यास में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।
2. इसके प्रयोग से कुछ गम्भीर किस्म की शिक्षण-समस्याओं का अध्ययन करके उनका विश्लेषण किया जा सकता है।

3. इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने का अभ्यास सम्भव है।
4. इसके द्वारा छात्र-अध्यापकों को पृष्ठ-पोषण (Feedback) प्रदान किया जा सकता है।
5. इसके द्वारा छात्र-अध्यापक में आत्म-विश्वास (Self-Confidence) पैदा होता है।
6. इसके अन्तर्गत छात्र-अध्यापक को विभिन्न भूमिकायें निभाने का अवसर मिलता है।
7. इसका प्रयोग प्रदर्शन पाठ (Replacement of Demonstration Lessons) के स्थान पर भी किया जा सकता है क्योंकि सभी शिक्षक उत्तम अध्यापक नहीं होते।
8. यह प्रविधि सूक्ष्म-शिक्षण प्रविधि की सहायता से अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है।
9. इस प्रविधि से कक्षा-कक्ष तरीकों (Class Room Manners) को अंकित करने में सहायता मिलती है।
10. इस प्रविधि से सीखने वाले व्यक्ति की कक्षा में रुचि और जोश में वृद्धि होती है।
11. यह प्रविधि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिये बहुत लाभकारी है।
12. इस विधि से व्यक्ति अपनी भूमिका के बारे में अधिक जाग्रत हो जाता है।

5.27 सारांश

बी. ओ. स्मिथ के अनुसार “सैद्धान्तिक रूप में प्रकाशित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि सैद्धान्तिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक परिमार्जित प्रत्ययों को अपने शिक्षण की क्रिया में प्रयोग करता है जिन्हें वह अध्यापन कला और अनुशासन से सीखता है या अध्यापन क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु सैद्धान्तिक रूप से अप्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण की क्रियाओं को अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर करेगा जिन्हें उसने अपने अनुभव से प्राप्त किया है।” इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपनी शिक्षण की क्रियाओं का सम्पादन करता है उसे उनका कारण एवं प्रभाव विदित होता है। अप्रशिक्षित अध्यापक भी अपने शिक्षण में वही क्रियायें करता है परन्तु उसे उनके कारण और प्रभाव की जानकारी नहीं होती। अस्तु, प्रशिक्षण में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों एवं अभ्यास का ज्ञान देना आवश्यक है जिनके प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यहाँ शोध की कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। अन्तः अनुशासन उपागम-अन्तः अनुशासन उपागम के निर्माण में क्षेत्रीय विद्यालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक-शिक्षा के गुणात्मक स्वरूप को सुधारने के लिए क्षेत्रीय विद्यालयों के द्वारा चार वर्ष का अध्यापक-शिक्षा पाठ्यक्रम दिया गया है।

शिक्षण में इण्टर्नशिप—भारत में शिक्षण के अभ्यास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण योग्यताओं के विधियाँ एवं आदर्श लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। कुछ शिक्षाशास्त्री केवल अभ्यास शिक्षण की समस्याओं की ओर ही ध्यान-केन्द्रित करते हैं। शिक्षण में इण्टर्नशिप अभ्यास विधि में सुधार करती है। इस कार्यक्रम में अभ्यास शिक्षण तथा निर्देशित क्षेत्र अनुभवों का समायोजन है। इसमें प्रतिष्ठित विद्यालयों का चुनाव किया जाता है। सामुदायिक जीवन-सामुदायिक जीवन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता उत्पन्न करना है।

अभिविन्यास-पाठ्यक्रम—अभिविन्यास पाठ्यक्रम के आयोजन की अवधि चार से छः दिवस तक होती है। इस अवधि का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है। इस समस्त

कार्यक्रम का पाठ्यक्रम अग्रिम रूप से तैयार करके छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों के नेतृत्व में सामूहिक विचार-विमर्श एवं विचारों के आदान-प्रदान द्वारा सम्पन्न होता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम—आज विश्व के अनेक देशों में पत्राचार पाठ्यक्रम का विभिन्न व्यावसायिक समूहों द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे पत्राचार पाठ्यक्रम का शुभारम्भ करने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विशेषज्ञों का एक अध्ययन समूह बनाया जिसने सन् 1964 में प्रशिक्षण विद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने की संस्तुति की। देश के चार शिक्षा महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रयोग का साहसिक कार्य अपने हाथों में लिया है, जिसमें दो ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम रखे गए जिनकी अवधि दो माह की रखी गयी।

क्रियात्मक अनुसन्धान—विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार के लिये क्रियात्मक अनुसन्धान बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है।

सूक्ष्म-शिक्षण-ऐलन एवं ईव (1968) के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, तथा नियन्त्रित दशाओं में शिक्षण का अभ्यास किया जाता है। एक समय में एक ही कौशल में निपुणता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक स्थितियों में कक्षा शिक्षण है।

फिलिप डब्ल्यू. परड्यू के अनुसार “अनुकरणीय शिक्षण एवं निरीक्षण का सम्पादन नियमित कक्षाओं में नहीं होता। इसके अन्तर्गत अध्यापन स्थिति के नये माध्यम जैसे—श्रव्य या दृश्य, टेप एवं फोटोग्राफी तथा सूक्ष्म शिक्षण के वीडियो प्रयोग किये जा सकते हैं। यह अधिगम विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी विधि है जिसने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आजकल विद्यालयी विषयों के शिक्षण, शैक्षिक सांख्यिकी एवं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप कुछ अच्छे कार्यक्रम विकसित हुये हैं जिनसे छात्राध्यापक लाभान्वित हो सकता है।

आजकल अध्यापक शिक्षण में एक सुनियोजित परिवार से सम्बन्धित दृष्टिकोण का विकास अनिवार्य रूप से हो गया है ताकि वे अति जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के प्रति जागरूक रह सकें।

अन्य प्रशिक्षण-प्रविधियों की भाँति अनुकरणीय शिक्षण भी एक प्रशिक्षण प्रविधि है। इसका प्रयोग शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये किया जाता है। इसे अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण भी कहा जाता है।

अनुकरणीय शिक्षण का प्रयोग कक्षा-शिक्षण के अभ्यास से पहले किया जाता है। यह प्रविधि एक भूमिका अभिनीत (Role-Playing) करने की प्रविधि है।

अनुकरणीय-शिक्षण की प्रक्रियाएँ—1. भूमिकाएँ निर्धारित करना; 2. अभ्यासार्थ कौशलों का चयन और उन पर विचार-विमर्श; 3. क्रम का निर्धारण; 4. प्रेक्षण-अवधि का निर्धारण; 5. प्रथम अभ्यास-सत्र का संचालन; 6. प्रक्रिया बदलने की तैयारी।

इस प्रविधि का उपयोग कक्षा-शिक्षण शुरू करने से पहले पूर्व-अभ्यास (Rehearsal) के रूप में किया जा सकता है। इस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग में पृष्ठ-पोषण प्रदान किया जा सकता है।

नोट

यह प्रविधि छात्र-अध्यापकों के लिये शिक्षण-कौशलों के अभ्यास में प्रभावी रहती हैं। यह प्रविधि बहुत सरल मानी जाती है।

नोट

5.28 अभ्यास-प्रश्न

1. अध्यापक शिक्षा में शोध की नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिये। मुख्य वर्तमान प्रवृत्तियों का भी वर्णन कीजिये।
2. जनसंख्या शिक्षा की व्याख्या कीजिये तथा अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम के सन्दर्भ में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये।
3. अध्यापक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिये।
4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये-
 - (अ) सूक्ष्म शिक्षण
 - (ब) अभिक्रमिit अनुदेशन
 - (स) टीम शिक्षण
 - (द) अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण।
5. प्रभावशाली शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए।
6. प्रभावशाली शिक्षक की परख हेतु मापनी में किन गुणों का समावेश होना चाहिए।
7. अनुकरणीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. अनुकरणीय शिक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषताओं एवं उपयोगिता का विवेचन कीजिए।
9. अनुकरणीय शिक्षण की सीमाएँ बताइए।
10. एक प्रभावशाली शिक्षक के गुणों का उल्लेख कीजिए।
11. शिक्षक प्रभावशीलता का मापन पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
12. सूक्ष्म-शिक्षण का विकास एवं विशेषताएँ लिखिए।
13. अनुकरणीय शिक्षण की विशेषताएँ तथा लाभों का वर्णन कीजिए।

5.29 संदर्भ पुस्तकें

- अध्यापक शिक्षा- डॉ. एन. के. शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अध्यापक शिक्षण- डॉ. शिव कुमार उपाध्याय/डॉ. प्रदीप कुमार, नवराज प्रकाश, दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ- सरयू प्रसाद चौबे / अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- भारत में शिक्षा का विकास- सुरेश भटनागर / संजय कुमार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।